वार्षिक रिपोर्ट
2010-2011

वार्षिक रिपोर्ट 2010-11

सत्यमेव जयते

योजना आयोग
भारत सरकार
www.planningcommission.gov.in

वार्षिक रिपोर्ट

2010-11

भारत सरकार
योजना आयोग
नई दिल्ली

वेबसाइट : planningcommission.gov.in

विषय-सूची

	विवरण	पृष्ठ
अध्याय 1	भूमिका, गठन और कार्य	1
अध्याय 2	अर्थव्यवस्था और योजना : सिंहावलोकन	5
अध्याय 3	योजना	14
अध्याय 4	योजना आयोग में प्रमुख कार्यकलाप	24
4.1	कृषि प्रभाग	24
4.2	सामाजिक न्याय एवं समाज कल्याण विभाग	24
4.3	भारत निर्माण	26
4.4	संचार एवं सूचना प्रभाग	26
4.5	विकास नीति प्रभाग	32
4.6	शिक्षा प्रभाग	33
4.7	पर्यावरण एवं वन प्रभाग	36
4.8	वित्तीय संसाधन प्रभाग	38
4.9	स्वास्थ्य, पोषाहार तथा परिवार कल्याण प्रभाग	41
4.10	आवासन और शहरी विकास प्रभाग	48
4.11	उद्योग प्रभाग	51
4.12	अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रभाग	52
4.13	श्रम, रोजगार और जनसाधन प्रभाग	56
4.14	बहुस्तरीय योजना (एमएलपी) प्रभाग	58
4.15	योजना समन्वय एवं प्रबंधन प्रभाग	62
4.16	विद्युत और ऊर्जा प्रभाग	63
4.17	परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग	65
4.18	भावी योजना प्रभाग	72
4.19	ग्रामीण विकास प्रभाग	74
4.20	विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रभाग	75
4.21	अवसंरचना समिति के लिए सचिवालय	77

	विवरण	पृष्ठ
4.22	समाजार्थिक अनुसंधान प्रभाग	84
4.23	राज्य योजना प्रभाग	92
4.24	पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	93
4.25	परिवहन प्रभाग	94
4.26	पर्यटन प्रकोष्ठ	96
4.27	ग्राम और लघु उद्यम	97
4.28	स्वैच्छिक कार्रवाई प्रकोष्ठ	98
4.29	जल संसाधन प्रभाग	99
4.30	महिला और बाल विकास	116
4.31	प्रशासन और अन्य सेवा	119
4.31.1	प्रशासन	119
4.31.2	कैरियर प्रबंधन क्रियाकलाप	119
4.31.3	संगठन पद्धति और समन्वय अनुभाग	119
4.31.4	हिन्दी अनुभाग	120
4.31.5	पुस्तकालय तथा प्रलेखन केन्द्र	121
4.31.6	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र- योजना भवन यूनिट	121
4.31.7	विभागीय अभिलेख कक्ष	146
4.31.8	योजना आयोग क्लब	146
4.31.9	कल्याण एकक	147
4.31.10	चार्ट, नक्शे एवं उपस्कर एकक	149
4.31.11	सूचना अधिकार प्रकोष्ठ (सी तथा आई प्रभाग)	151
अध्याय 5	कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन में निष्पादन मूल्यांकन	152
अध्याय 6	सतर्कता क्रियाकलाप	160
अध्याय 7	योजना आयोग के संबद्ध कार्यालय	161
संलग्नक I	सी एंड ए जी की ऑडिट टिप्पणियाँ	167
संलग्नक II	योजना आयोग का संगठन चार्ट	169

अध्याय - 1
भूमिका, गठन और कार्य

1.1 योजना आयोग का गठन भारत सरकार के एक संकल्प के तहत मार्च, 1950 में किया गया था और यह राष्ट्रीय विकास परिषद के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करता है। पंचवर्षीय योजनाएं और वार्षिक योजनाएं तैयार करते समय योजना आयोग, केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करता है और उनके कार्यान्वयन पर भी निगरानी रखता है। आयोग शीर्ष स्तर पर एक सलाहकार योजना निकाय के रूप में भी कार्य करता है। योजना आयोग का संघटन अनुलग्नक 1.1 में दिया गया है।

कार्य

1.2 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार योजना आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :-

(क) देश की सामग्री, पूंजी और मानव संसाधनों का, तकनीकी कार्मिकों सहित, मूल्यांकन करना और इनमें से ऐसे संसाधनों की वृद्धि करने के लिए जो कम पाए जाएं, प्रस्तावों का निर्माण करना।

(ख) देश के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजना तैयार करना।

(ग) उन चरणों की परिभाषा करना जिन्हें प्रत्येक चरण की पूर्णता हेतु योजना की प्राथमिकताओं का निर्धारण और संसाधनों का आबंटन किया जाना चाहिए।

(घ) योजना के सभी पहलुओं की दृष्टि से योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तंत्र की प्रकृति का विनिर्धारण करना।

(ड.) उन कारकों का निर्धारण करना जिनसे आर्थिक विकास में बाधा पहुंच रही है और उन स्थितियों का निर्धारण करना जिन्हें योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, स्थापित किया जाना चाहिए।

(च) योजना के प्रत्येक चरण के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन करना और नीतियों तथा उपायों के समायोजन की सिफारिश करना जो ऐसे मूल्यांकन के अनुसार जरूरी समझे जाएं।

(छ) राष्ट्रीय विकास में जन सहयोग।

(ज) समय-समय पर अधिसूचित क्षेत्र विकास हेतु विशेष कार्यक्रम।

(झ) भावी योजना।

(ञ) जनसाधन अनुसंधान संस्थान।

(ट) भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण।

- भारत के सभी निवासियों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या के कार्यान्वयन एवं नीति और यूआईडी से संबंधित सभी मामले।
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और संबंधित सभी मामले।

(ठ) राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) से संबंधित सभी मामले।

1.3 उपाध्यक्ष, योजना आयोग केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री दर्जे के हैं जबकि सभी पूर्णकालिक सदस्य और

सदस्य-सचिव (उपर्युक्त गठन के क्रम संख्या 12 से 20) केन्द्रीय राज्य मंत्री दर्जे के हैं।

1.4 योजना आयोग के अध्यक्ष के नाते प्रधानमंत्री सभी प्रमुख नीतिगत मुद्दों के संबंध में आयोग की बैठकों में भाग लेते हैं एवं मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

1.5 योजना आयोग के उपाध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य-सचिव सहित) विस्तृत योजना निर्माण कार्य के मामले में एक संहत निकाय के रूप में कार्य करते हैं। वे पंचवर्षीय योजनाओं के लिए दृष्टिकोण पत्र/प्रलेख और वार्षिक योजनाओं को तैयार करने, मध्यावधि मूल्यांकन करने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों में आयोग के विभिन्न विषय प्रभागों को निर्देशन, परामर्श एवं सलाह प्रदान करते हैं। योजना कार्यक्रमों, परियोजनाओं और स्कीमों के परिवीक्षण और मूल्यांकन कार्य हेतु भी विषय प्रभागों को उनका विशेषज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध होता है।

1.6 योजना आयोग अनेक विषय प्रभागों और कुछ विशेषज्ञ प्रभागों के माध्यम से कार्य करता है। प्रत्येक प्रभाग का प्रमुख एक वरिष्ठ स्तरीय अधिकारी होता है जो संयुक्त सचिव अथवा अपर सचिव के स्तर पर सलाहकार के रूप में पदनामित होता है और/अथवा सचिव स्तर का अधिकारी जिन्हें प्रधान सलाहकार के रूप में पदनामित किया गया है।

1.7 ये प्रभाग दो प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं :

(i) विशेषज्ञ प्रभाग जो संपूर्ण अर्थ-व्यवस्था के पहलुओं से संबंधित हैं; यथा भावी योजना, वित्तीय संसाधन, विकास नीति प्रभाग, आदि; और

(ii) विषय प्रभाग, अर्थात् कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास प्रभाग आदि जो सम्बद्ध क्षेत्रों में विकास के विशिष्ट विषयों से सम्बद्ध हैं।

योजना आयोग में कार्यरत विशेषज्ञ प्रभाग इस प्रकार हैं:

i. विकास नीति प्रभाग

ii. वित्तीय संसाधन प्रभाग, राज्य और केन्द्रीय वित्त सहित

iii. अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रभाग

iv. श्रम, रोजगार और जनशक्ति प्रभाग

v. योजना समन्वय प्रभाग एवं प्रबंधन प्रभाग

vi. परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग (गृह कार्य प्रकोष्ठ)

vii. समाजार्थिक अनुसंधान एकक

viii. राज्य योजना प्रभाग (अंतरदेशीय विकास प्राधिकरण प्रकोष्ठ सहित)

ix. विकेन्द्रीय योजना प्रभाग, पंचायती राज और विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (पश्चिमी घाट सचिवालय सहित)

x. अवसरंचना प्रभाग ।

विषय प्रभाग इस प्रकार हैं :

i. कृषि प्रभाग

ii. सामाजिक न्याय और समाज कल्याण

iii. संचार, आईटी और सूचना प्रभाग

iv. जनसाधन विकास प्रभाग

v. पर्यावरण और वन प्रभाग (जलवायु परिवर्तन सहित)

vi. स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण प्रभाग

vii. आवास और शहरी मामले प्रभाग

viii. उद्योग प्रभाग

ix. खनिज प्रभाग

x. विद्युत और ऊर्जा प्रभाग

xi. ग्रामीण विकास प्रभाग

xii. विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रभाग

xiii. महिला एवं बाल विकास प्रभाग

xiv. परिवहन एवं पर्यटन प्रभाग

xv. ग्राम और लघु उद्यम प्रभाग

xvi. स्वैच्छिक कार्रवाई समन्वय प्रकोष्ठ

xvii. जल संसाधन प्रभाग (जल आपूर्ति सहित) और

xviii. अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ।

1.8 उपरोक्त के अलावा, योजना आयोग को विभिन्न समितियों को सेवा प्रदान करनी होती है और/ अथवा ऐसे विशिष्ट मुद्दों का समाधान करना होता है जो समय-समय पर इसे सौंपे जाएं।

1.9 कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, चुनिंदा योजना कार्यक्रमों/स्कीमों के प्रभाव का जायजा लेने के लिए मूल्यांकन अध्ययन करता है, ताकि आयोजकों और कार्यान्वयन एजेंसियों को उपयोगी अभिपुष्टि (फीडबैक) उपलब्ध हो सके। दिल्ली में अपने मुख्यालय के अलावा, पीईओ के कुछ राज्यों की राजधानियों में सात क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय हैं तथा उनसे सम्बद्ध आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

1.10 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का गठन जनवरी, 2009 में योजना आयोग के नियंत्रण में एक संबद्ध कार्यालय के रूप में किया गया। यूआईडीएआई की जिम्मेदारी होगी कि वह यूआईडी स्कीम के कार्यान्वयन करे इसका अपना यूआईडी डेटा बेस होगा जिसका वह प्रचालन करेगा और इसके अद्यतन और उसके अनुरक्षण के लिए प्रचालन आधार पर जिम्मेदार होगा। यूआईडीएआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है और आठ स्थानों पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

1.11 राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (एनआरएए) के कृषि मंत्रालय से योजना आयोग में अंतरित हो जाने से एनआरएए के सभी मामले आगे से योजना आयोग द्वारा देखे जाएंगे।

1.	**डॉ0 मनमोहन सिंह,** प्रधान मंत्री	अध्यक्ष
2.	**डॉ0 मंटेक सिंह अहलूवालिया**	उपाध्यक्ष
3.	**श्री प्रणब मुखर्जी,** वित्त मंत्री	सदस्य
4.	**श्री शरद पवार** कृषि एवं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री	सदस्य
5.	**श्री पी.चिदम्बरम,** गृह मंत्री	सदस्य
6.	**कु0 ममता बनर्जी,** रेल मंत्री	सदस्य
7.	**श्री गुलाब नबी आजाद** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री	सदस्य
8.	**श्री कमलनाथ,** सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री	सदस्य
9.	**श्री दयानिधि मारन,** **कपड़ा मंत्री**	सदस्य
10.	**श्री कपिल सिब्बल,** **मानव संसाधन विकास मंत्री**	सदस्य
11.	**श्री वी0 नारायणसामी,** **योजना एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री**	सदस्य
12.	**डॉ0 (सुश्री) सईदा हमीद**	सदस्य
13.	**प्रो0 अभिजीत सेन**	सदस्य
14.	**श्री बी0के0 चतुर्वेदी**	सदस्य
15.	**डॉ0 सुमित्रा चौधरी**	सदस्य
16.	**डॉ0 मिहिर शाह**	सदस्य
17.	**डॉ0 नरेंद्र जाधव**	सदस्य
18.	**डॉ0 के0 कस्तूरीरंगन**	सदस्य
19.	**श्री अरूण मायरा**	सदस्य
20.	**श्रीमती सुधा पिल्लै**	सदस्य-सचिव

अध्याय - 2
अर्थव्यवस्था और योजना - सिंहावलोकन

अर्थव्यवस्था का निष्पादन

2.1 भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपेक्षा से अधिक गति से सुधार दर्शाकर 2008-09 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट द्वारा सृजित बाह्य आर्थिक कठिनाइयों के विरूद्ध अत्यधिक लचीलापन सिद्ध किया है। इस संकट में अर्थव्यवस्था को सहारा देने वाले सशक्त बृहत आर्थिक सिद्धांतों में मुख्य हैं : (क) स्वदेशी निवेश और बचत दरों का उच्च स्तर जो 8.5 से 9 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर को बनाए रख सकता है, (ख) जनसंख्या का लाभ जो कार्यबल में जनसंख्या के अधिक मात्रा में शामिल होने से परिलक्षित हो रहा है, (ग) सशक्त निगम क्षेत्र की उपस्थिति जो अर्थव्यवस्था की उत्पादकता और निवेश में महत्वपूर्ण सहयोग दे रहा है, (घ) अनवरत राजकोषीय सुदृढ़ीकरण वित्त क्षेत्रीय प्रबंधन और (ङ) चालू खाता घाटा (सीएडी) तथा अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों में अत्यधिक उतार-चढ़ावों, जबरदस्त मुद्रा स्फीति दबाव और कृषि क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि जिनके कारण 2008-09 में वृद्धि दर घटकर 6.8% (2004-05 के मूल्यों पर) हो गई है, के बावजूद केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी अद्यतन अनुमानों से अर्थव्यवस्था में कायाकल्प दिखाई दे रहा है क्योंकि ये अनुमान ऐसा संकेत देते हैं कि अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ ली है और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अनुमानों से बेहतर स्थिति रहेगी।

2.2 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है और यह दर्शाता है कि योजनावधि के दौरान वार्षिक विकास दर जीडीपी का औसतन 8.1% रहेगी। तथापि, सीएसओ द्वारा हाल ही में जारी बृहत आर्थिक अनुमानों से पता चलता है कि योजनावधि के पहले चार वर्षों में अर्थव्यवस्था का निष्पादन मध्यावधि मूल्यांकन की तुलना में बेहतर रहा है।

2.3 सीएसओ ने 1999-2000 के आधार वर्ष वाली पिछली श्रृंखला के स्थान पर 2004-05 के आधार वर्ष के साथ 2010 में राष्ट्रीय लेखाओं के आंकड़ों वाली नई श्रृंखला जारी की है। आधारवर्ष 2004-05 नए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) वाली नई श्रृंखला लागू होने के परिणामस्वरूप रु राष्ट्रीय आय खपत व्यय, बचत और पूंजी संरचना के द्रुत अनुमान- शीर्षक वाले प्रेस नोट को सीएसओ द्वारा 31 जनवरी, 2011 को जारी किए जाने के परिणामस्वरूप बृहत अनुमानों से पुनः संशोधित किया गया है। नई जीडीपी (आधार वर्ष 2004-05) श्रृंखला के आधार पर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान कारक लागत और बाजार मूल्यों पर जीडीपी विकास दरें तालिका 2.1 में दर्शाई गई है। बाजार मूल्यों पर जीडीपी में घटक लागत पर जीडीपी के अलावा निवल अप्रत्यक्ष कर (राज सहायता से निवल अप्रत्यक्षकर) शामिल होते हैं। सीएसओ द्वारा 7 फरवरी, 2011 को जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार घटक लागत पर जीडीपी की वृद्धि दर (2004-05 के स्थिर मूल्यों पर) वर्ष 2009-10 की, 8.0 प्रतिशत की तुलना में 2010-11 में 8.6 प्रतिशत होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण सुधार का द्योतक है।

तालिका 2.1
घटक लागत और 2004-05 श्रृंखला के बाजार मूल्यों पर जीडीपी की विकास दरें

वर्ष	घटक लागत पर जीडीपी	बाजार मूल्य पर जीडीपी
ग्यारहवीं योजना का लक्ष्य	9.0	9.0
2007-08	9.3	9.8
2008-09	6.8	4.9
2009-10 (क्यूई)	8.0	9.1
2010-11 (एई)	8.6	9.7

क्यूई - द्रुत अनुमान, एई - अग्रिम अनुमान

बचत और निवेश दर

2.4 दसवीं योजनावधि के दौरान जीडीपी के प्रतिशत के रूप में स्वदेशी बचतों और निवेश के बढ़ते स्तर के अनुमान को देखते हुए ग्यारहवीं योजना में बचत और निवेश के क्रमशः 34.8% और 36.7% के महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं (तालिका 2.2) 4.1 प्रतिशत के वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात की यह दर 11वीं योजना के 9% के जीडीपी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। ग्यारहवीं योजना के प्रथम वर्ष (2007-08) के दौरान बचत और निवेश की प्राप्त दर पहले ही लक्ष्य से आगे निकल चुकी है। तथापि, वर्ष 2008-09 में बचत और निवेश, दोनो की दरों में गिरावट महसूस की गई। इसके बावजूद ये दरें दसवीं योजना की औसत की तुलना में अधिक रही तथा विश्वव्यापी खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद अर्थव्यवस्था में तीव्र सुधार के संकेत मिले हैं। इन दोनों मानदण्डों में 2009-10 में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से निवेश दर योजनावधि के पहले तीन वर्षों में औसत आधार पर ग्यारहवीं योजना के लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर चुकी है।

तालिका 2.2
चालू मूल्यों पर बचत और निवेश दर (जीडीपी के % के रूप में)

वर्ष	बचत दर	निवेश दर
नौवीं योजना	23.6	24.3
दसवीं योजना (औसत)	31.54	31.46
ग्यारहवीं योजना लक्ष्य	34.8	36.7
2007-08	36.9	38.1
2008-09	32.2	34.5
2009-10(क्यूई)	33.7	36.5
2010-11(एई)		34.4*

क्यूई - द्रुत अनुमान, * गलतियों और भूलों को छोड़कर

बचतों की संरचना

2.5 सकल घरेलू उत्पाद (जीडीएस) को सार्वजनिक और निजी बचत के रूप में रखा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की बचत में सरकारी विभागों (केन्द्र और राज्य) एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बचत शामिल है। निजी क्षेत्र की बचत में घरों की प्रत्यक्ष बचत और निगम क्षेत्र की बचत सहित घरेलू बचतें शामिल हैं। वर्ष 2007-08 में हुई बचत का श्रेय सभी देशों को जाता है। सार्वजनिक विभागीय उपक्रमों की बचतों में थोड़ी बढ़ोत्तरी और सरकारी प्रशासन के व्यर्थ के खर्चों में महत्वपूर्ण कमी की वजह से हुई है। राजकोषीय जिम्मेदारी बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) के कार्यान्वयन तथा 2008-09 के लिए उपाय की गई राजकोषीय और राजस्व घाटे के लक्ष्यों से सरकारी क्षेत्रक राजकोषीय अनुशासन के तथ्य को शुरू करने में सहायता मिली है। उच्च आय विकास के साथ कर प्रशासन के सुधारों से प्राप्त कर राजस्व में वृद्धि से 2007-08 के दौरान सरकारी बचत में सुधार हुआ और 11वीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक की प्राप्ति हुई।

तालिका 2.3

बचतों की संरचना (जीडीपी के % के रूप में)

वर्ष	पारिवारिक क्षेत्र	निजी निगमित क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	जीडीएस
2006-07	22.9	8.0	3.6	34.4
ग्यारहवीं योजना लक्ष्य	23.0	7.3	4.5	34.8
2007-08	22.5	9.4	5.0	36.9
2008-09	23.8	7.9	0.5	32.2
2009-10(क्यूई)	23.5	8.1	2.1	33.7

क्यूई - द्रुत अनुमान

2.6 वर्ष 2008-09 के दौरान घरेलू बचतों में कमी हुई जिसका मुख्य कारण सरकारी क्षेत्र की बचत और निजी निगम क्षेत्र की बचत दरें में अत्यधिक कमी होना था। तालिका 2.3 में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की बचत संरचना को दर्शाया गया है। सकल घरेलू बचत (जीडीएस) वर्ष 2008-09 में 32.2% से बढ़कर 2009-10 में 33.7% हो गई जो आर्थिक सुधार के अनुरूप है।

2.7 निगमित बचत जिसमें विशेष रूप से उछाल आया है और जबरदस्त उत्पाद वृद्धि दिखाई देती है और 2007-08 तक निजी क्षेत्र का वित्तीय निष्पादन बढ़िया रहा है, परवर्ती वर्षों 2009-10 तथा 2010-11 में क्रमशः 7.9% और 8.1% रह गया जिसका कारण वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और कार्यनिष्पादन में परिवर्तन का होना था। तथापि, सरकार के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण प्रयासों से सरकारी क्षेत्र की बचतों में सुधार हुआ है और यह 2008-09 में 0.55 से बढ़कर 2009-10 में जीडीएस का 2.1% हो गई।

निवेश की संरचना

2.8 अर्थव्यवस्था में निवेश की पद्धति में ढांचागत परिवर्तन हुआ है जो सकल निवेश में सार्वजनिक

तालिका 2.4

निवेश की संरचना

वर्ष	कुल निवेश	निजी निवेश	सार्वजनिक निवेश	सार्वजनिक निवेश (कुल निवेश के % के रूप में
	(जीडीपी का %)			
नौवीं योजना (1997-2002)	24.3	17.3	7.0	29.0
दसवीं योजना (2002-07)	34.2	26.6	7.6	22.3
ग्यारहवीं योजना (लक्ष्य) (2007-12)	36.7	28.7	8.0	21.9
2007-08	38.1	29.0	9.1	24.0
2008-09	34.5	24.9	9.6	27.8
2009-10(क्यूई)	36.5	26.6	9.8	27.0

क्यूई - द्रुत अनुमान

और निजी निवेश के तुलनात्मक भागों में परिवर्तन से परिलक्षित होता है। कुल निवेश में सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश का हिस्सा नौवीं योजना (1997-2002) में 29% से घटकर दसवीं योजना (2002-07) में 22.3% रह गया। ग्यारहवीं योजना में, पूरी योजनावधि के दौरान कुल निवेश का स्तर जीडीपी के 36.7% की औसत दर तक रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि उच्च वृद्धि दर को बनाए रखा जा सके। ग्यारहवीं योजना में अब तक प्राप्त कुल निवेश और सार्वजनिक निवेश की दरें तालिका 2.4 में दर्शाई गई है।

2.9 ग्यारहवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश में वृद्धि हुई है और यह योजना के निर्धारित लक्ष्य को पार कर गया है। कुल निवेश में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा 2007-08 के 24.0% से बढ़कर 2008-09 में 27.8% और 2009-10 में 27.0% हो गया । तथापि, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निजी निवेश में 2008-09 में अत्यधिक कमी हुई जो निजी क्षेत्रक निवेश पर विश्वव्यापी मंदी के विपरीत प्रभाव को दर्शाता है, परन्तु 2009-10 से इसमें सुधार शुरू हो गया।

विकास एवं क्षेत्रक उत्पाद

2.10 ग्यारहवीं योजना के पहले वर्ष 2007-08 में जीडीपी की वृद्धि दर 9.3% होने का अनुमान है जिसमें कृषि क्षेत्र में 5.8%, उद्योग क्षेत्र में 9.7% और सेवा क्षेत्रक में 10.3% वृद्धि अनुमानित है। 2007-08 में वृद्धि दर अनुमान के अनुसार रही। विश्वव्यापी मंदी के कारण वर्ष 2008-09 में तथा सूखे जैसी स्थिति के कारण कृषि क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि दर (-0.1%) के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर में कमी से जीडीपी की वृद्धि दर 6.8% रह गई। तालिका 2.5 में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रीय निष्पादन को दर्शाया गया है।

2.11 कृषि में वृद्धि दर 2008-09 में -0.1% तक घट गई और 2009-10 में भी यह चिन्ता का विषय बनी रही। सीएसओ द्वारा 7 फरवरी, 2011 को जारी किए गए राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमानों से 2010-11 में कृषि क्षेत्र में 5.4% की उच्च दर के संकेत मिलते हैं। औद्योगिक विकास दर 2007-08 में 9.7% से अत्यधिक घटकर 2008-09 में 4.4% रही गई। तथापि, पिछले वर्ष की तुलना में कुछ सुधार होकर 2009-10 तथा 2010-11 में क्रमशः 8.0% तथा 8.1% वृद्धि दर हो जाने का अनुमान है। सेवा क्षेत्र, जिसमें ग्यारहवीं योजना के पहले तीन वर्षों में संतुलित कार्यनिष्पादन दर्शाया, उसके कार्यनिष्पादन में 2010-11 में कमी होने का अनुमान है।

2.12 अर्थव्यवस्था की सकल वृद्धि दर अत्यधिक अंतर क्षेत्रीय बदलावों से प्रभावित है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में बिहार,

तालिका 2.5

क्षेत्रकीय विकास दरें (% में) (घटक लागत 2004-05 मूल्यों पर)

वर्ष	कृषि	उद्योग	सेवाएं	जीडीपी
ग्यारहवीं योजना (लक्ष्य)	4.0	10-11	9-11	9.0
2007-08	5.8	9.7	10.3	9.3
2008-09	-0.1	4.4	10.1	6.8
2009-10 (**क्यूई**)	0.4	8.0	10.1	8.0
2010-11 (**एई**)	5.4	8.1	9.6	8.6

क्यूई - द्रुत अनुमान, एई - अग्रिम अनुमान

झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे पिछले वर्षों में कम विकास दर वाले राज्यों में विकास कार्यनिष्पादन के रूप में उच्च आय वाले राज्यों का मुकाबला करना शुरू कर दिया है। इन राज्यों ने ग्यारहवीं योजना के पहले तीन वर्षों में अखिल भारतीय जीडीपी विकास दर की तुलना में जीएसडीपी की उच्च दर प्राप्त की है। अनुलग्नक-2.1 ग्यारहवीं योजना के दौरान राज्यवार कार्यनिष्पादन वृद्धि के साथ-साथ योजनावधि के लिए राज्यवार विकास दर के लक्ष्य दर्शाता है।

राजकोषीय निष्पादन

2.13 केन्द्र और राज्यों, दोनों द्वारा एफआरबीएम विधायन के माध्यम से अनिवार्य की गई राजकोषीय पुनर्संरचना के अनुरूप, केन्द्र और राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा 2007-08 में अत्यधिक घटकर जीडीपी का 4.1% रहा गया। घरेलू अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी के प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से, सरकार ने मांग में बढ़ोत्तरी के लिए तीन राजकोषीय प्रोत्साहक पैकेज घोषित किए। इन प्रोत्साहक पैकेजों से केन्द्र का राजकोषीय घाटा 2008-09 में बढ़कर जीडीपी का 6.0% तथा 2009-10 में जीडीपी का 6.3% हो गया। केन्द्र और राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा 2009-10 में जीडीपी के 9.4% स्तर तक पहुंच गया। 2010-11 में केन्द्र सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.8% तक घट जाने की आशा है। ग्यारहवीं योजना के पहले तीन वर्षों में यद्यपि सभी राज्यों का साझा राजकोषीय घाटा बढ़ गया तथापि, यह लगभग एफआरबीएम सीमा के भीतर ही रहा। तालिका 2.6 पिछले कुछ वर्षों के लिए राज्यों और केन्द्र का राजकोषीय निष्पादन दर्शाती है।

2.14 केन्द्र का राजस्व घाटा कम हो गया तथा 2008-09 में बढ़कर जीडीपी का 4.5% और 2009-10 में जीडीपी का 5% हो गया जो एफआरबीएम सीमा से बहुत अधिक है। तीव्र आर्थिक सुधार सहित राजकोषीय सुदृढ़ीकरण प्रयास से राजकोषीय घाटे में सुधार होकर 2010-11 (बीई) में इसके जीडीपी के 3.55% हो जाने की संभावना है। राज्यों का राजस्व घाटा 2006-07 तक पूरी तरह समाप्त हो गया है और तब से सभी राज्य राजस्व खाते में अधिशेष प्राप्त कर रहे है। ऐसा मूल रूप से उच्च कर संग्रहण और गैर-योजना राजस्व खर्च पर रोक लगाने के दोहरे उपाय से संभव हो सका है।

2.15 आर्थिक मंदी, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन, खाद्य अनुदानों में बढ़ोत्तरी तथा अधिक वित्तीय घाटे के कारण उच्च

तालिका 2.6

केन्द्र और राज्य सरकारों के घाटे के रूझान (जीडीपी के % के रूप में)

वर्ष	केन्द्र		राज्य	
	राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा
2007-08	2.5%	1.1%	1.6S	-1.0%
2008-09	6.0%	4.5%	2.7S	-0.2%
2009-10 (आरई)	6.3%	5.0%	3.1S	0.4%
2010-11 (बीई)	4.8%	3.5%		

टिप्पणी : राज्य वित्त एकक के लिए बजट नवम्बर के 2009-10 के लिए बजट अनुमान हैं तथा 2008-09 के लिए संशोधित अनुमान हैं

आरई - संशोधित अनुमान, बीई - बजट अनुमान

ब्याज भुगतानों की वजह से केन्द्र सरकार का कुल खर्च 2007-08 में जीडीपी के 14.3% से बढ़कर 2008-09 में जीडीपी का 15.8% हो गया। अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास से यह खर्च घटकर 2009-10 में जीडीपी का 15.6% तथा 2010-11 (बजट अनुमान) में 14.1% रह गया। सभी राज्यों का कुल खर्च 2007-08 में जीडीपी के 14.6% से बढ़कर 2008-09 में 16.42% तथा 2009-10 में कम होकर 15.7% रह गया। इस अवधि में राज्य योजना खर्च 2007-08 में जीडीपी 4.5% से बढ़कर क्रमशः 2008-09 में 5.9% तथा 2009-10 में 5.4% हो गया।

2.16 प्राप्तियों की दिशा में, केन्द्र सरकार का कुल कर राजस्व अत्यधिक बढ़कर 2002-03 में जीडीपी के 8.8% से बढ़कर 2007-08 में जीडीपी का 11.9% हो गया। तथापि, कर राजस्व 2008-09 में घटकर जीडीपी का 8.8% तथा 2009-10 (सं.अ.) में 9.7% रह गया। केन्द्र का कुल कर राजस्व 2010-11 (ब.अ.) में जीडीपी का 9.5% होने का अनुमान है। राज्य सरकार का अपना कर राजस्व इस अवधि में बढ़कर 2007-08 में 6.0% से 2008-09 में 6.2% तथा 2009-10 (ब.अ.) में घटकर 5.8% हो गया। (तालिका 2.7)

2.17 केन्द्र सरकार को कुल बकाया देनदारी 2006-07 में जीडीपी के 59.1% से घटकर 2008-09 में 56.6% तथा 2009-10 (ब.अ.) में 53.7% रह गई। यह कमी भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी के प्रभाव को समाप्त करने हेतु तीन लगतार प्रोत्साहक पैकेज दिए जाने के बावजूद है। 2010-11 में केन्द्र सरकार की बकाया देनदारी घटकर जीडीपी का 50% हो जाने का अनुमान है।

बाह्य क्षेत्रक निष्पादन

2.18 ग्यारहवीं योजना में निर्यात के लगभग 20% वार्षिक दर से अमरीकी डालर के रूप में बढ़ने का अनुमान है। जीडीपी अनुपात निर्यात 2006-07 में 13.9% से बढ़कर 2011-12 के अंत का 22.5% हो जाने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2006-07 में 129 बिलियन अमरीकी डालर था जो 28.9% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए निर्यात मूल्य क्रमशः 189.0 बिलियन अमरीकी डालर तथा 182.2 बिलियन अमरीकी डालर था जो क्रमशः 13.7% की वार्षिक वृद्धि और -3.6% की कमी दर्शाता है जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक कार्यकलापों की वैश्विक मंदी के प्रभाव को दर्शाता है।

तालिका 2.7

केन्द्र और राज्य सरकारों के राजस्व के रूझान (जीडीपी के % के रूप में)

वर्ष	कर राजस्व		गैर-कर राजस्व	
	केन्द्र का सकल कर राजस्व	राज्यों का अपना कर राजस्व	केन्द्र	राज्य
2007-08	11.9%	6.0%	2.1%	3.8%
2008-09	10.8%	6.2%	1.7%	4.3%
2009-10 (आरई)	9.7%	5.8%	1.7%	4.0%
2010-11 (बीई)	9.5%		1.9%	

टिप्पणी : राज्य वित्त के लिए बजट संख्या 2010-11 के लिएबजट अनुमान तथा 2009-10 के लिए संशोधित अनुमान है

2.19 ग्यारहवीं योजनावधि में आयात 23% की औसत दर से बढ़ने का अनुमान है। 2007-08 में आयात मूल्य 258 बिलियन अमरीकी डालर था जो 2006-07 में 21.8% की तुलना में 35.1% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। आयात मूल्य 2008-09 में 308.5 बिलियन अमरीकी डालर और 2009-10 में 300.6 बिलियन अमरीकी डालर था जो क्रमशः 19.8% की वृद्धि दर और -2.6% की कमी दर्शाता है।

2.20 सामग्री व्यापार घाटा 2006-07 में 61.7 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2008-09 में 119.5 बिलियन अमरीकी डालर तथा 2009-10 में 118.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। जीडीपी के रूप में व्यापार घाटा 2006-07 में 6.5% से अत्यधिक बढ़कर 2007-08 में 7.4% तथा 2008-09 में 9.8% हो गया। 2009-10 के लिए व्यापार घाटे का अनंतिम आंकड़ा जीडीपी का 8.6% है। भारत के चालू खाता घाटे (सीएडी) में भी क्रमिक रूप से कमी हुई है और यह 2009-10 में जीडीपी का 2.8% रह गया। सीएडी में यह वृद्धि विश्वव्यापी मंदी और विश्व व्यापार में कमी की साझा प्रभाव है। वर्ष 2010-11 के पहले छह महीनों में सीएडी का स्तर पिछले वर्ष के पहले छह महीनों के स्तर से दोगुना हो गया है जो नीति निर्धारकों के लिए चिंता का विषय है।

2.21 भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) निवल अंतर्गमन 2007-08 के लिए 15.9 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2008-09 में 19.8 बिलियन अमरीकी डालर तथा 2009-10 में 18.8 बिलियन अमरीकी डालर था। पीएफआई में 2007-08 के 27.4 बिलियन अमरीकी डालर के निवल अंतर्गमन की तुलना में 2008-09 में निवल अंतर्गमन 14 बिलियन अमरीकी डालर था। 2009-10 में पीएफआइर्द का निवल अंतर्गमन पुनः 32.4 बिलियन अमरीकी डालर रहा। पूंजी खातों के अन्य घटक बाह्य वाणिज्यिक लेनदारियां, बाह्य सहायता, एनआरआई जमाराशियां तथा अन्य पूंजी है।

2.22 भारत का बाह्य ऋण मार्च, 2009 के अंत में 224.5 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में मार्च, 2010 के अंत में 262.3 बिलियन अमरीकी डालर था जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.8% की वृद्धि दर्शाता है। मार्च 2010 के अंत तक ऋण स्टॉक में 209.9 बिलियन अमरीकी डालर के दीर्घावधिक ऋण तथा 52.4 बिलियन अमरीकी डालर के अल्पावधिक ऋण शामिल थे। जीडीपी अनुपात पर कुल ऋण 2005-06 से बढ़ता रहा है। यह मार्च, 2007 के अंत में 18.0% से बढ़कर मार्च 2009 के अंत तक 20.5% तथा मार्च, 2010 के अंत तक घटकर 18.0% हो गया।

2.23 विदेशी मुद्रा भण्डार (सोना और आईएमएफ के पास एसडीआर तथा रिवर्ज ट्रांचे स्थिति सहित) समय के साथ लगातार बढ़ता रहा है और मार्च, 2007 के अंत तक 199 बिलियन अमरीकी डालर हो गया तथा मार्च 2009 के अंत में घटकर 252 बिलियन अमरीकी डालर होने से पहले मई, 2008 के अंत तक 314.6 बिलियन अमरीकी डालर के सर्वोच्च स्तर पर फिर से बढ़ गया। भण्डार में अभी मुख्य रूप से वैश्विक मंदी और अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डालर में मजबूती की वजह से थी। वर्ष 2009-10 में मार्च, 2010 के अंत तक विदेशी मुद्रा भण्डार का स्तर पुनः बढ़कर 279.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। सितम्बर, 2010 के अंत तक भण्डार बढ़कर 292.9 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

कीमत स्थिरता

2.24 ग्यारहवीं योजना के पहले वर्ष (2007-08) के थोक मूल्य सूचकांक (2004-05 श्रृंखला) आधारित मुद्रा स्फीति 4.8% थी जबकि वर्ष 2006-07 में यह 6.5% थी। वित्त वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में पूरी अवधि में थोक मूल्य सूचकांक अत्यधिक अस्थिर था। अप्रैल, 2009 में वित्त वर्ष 2009-10 की शुरूआत 0.9% की शीर्षक

मुद्रास्फीति से आरंभ हुआ और जून तथा जुलाई, 2009 में यह नकारात्मक जोन में प्रवेश करके वर्ष दर वर्ष आधार पर -0.7% से -0.6% तक रहा। तत्पश्चात् यह सकारात्मक जोन में आ गया तथा खाद्य मुद्रा स्फीति की वजह से बढ़ता गया। मार्च, 2010 तथा मुद्रा स्फीति की दर 10.2 प्रतिशत तक पहुंच गई। वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के लिए मुद्रास्फीति की वार्षिक दर क्रमशः 8.07% तथा 3.57% थी। तथापि वर्ष 2010-11 में मुद्रास्फीति का सबसे कठिन दौर आया जबकि वर्ष के पहले दस महीनों में यह दर 9.3% रही।

2004-05 के लिए गरीबी के अनुमान

2.25 नेशनल सैम्पल सर्वे (एनएसएस) के 61वें चक्र (जुलाई, 2004 से जून, 2005) के उपभोक्ता व्यय आंकडों के आधार पर 2004-05 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी आ अनुमान एकसमान प्रत्याह्वान अवधि (यूआरपी जिसके अंतर्गत सभी मदों के संबंध में उपभोक्ता व्यय आंकड़े 30 दिन की प्रत्याह्वान अवधि हेतु एकत्र किए जाते हैं) का इस्तेमाल करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 28.3%, शहरी क्षेत्रों में 25.7% तथा समूचे देश के लिए 27.5% तथा मिश्रित प्रत्याह्वान अवधि (एमआरपी जिसके अंतर्गत पांच गैर-खाद्य मदों अर्थात् कपड़े, जूते, टिकाऊ वस्तुएं, शिक्षा और संस्थागत चिकित्सकीय व्यय के संबंध में व्यय आंकड़े 365 दिन की प्रत्याह्वान अवधि से तथा शेष मदों क संबंध में उपभोक्ता आंकड़े 30 दिन की प्रत्याह्वान अवधि से एकत्र किए जाते हैं) का इस्तेमाल करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 21.8%, शहरी क्षेत्रों में 21.7% तथा समूचे देश के लिए 21.8% अनुमानित है। यूआरपी खपत (27.5%) पर आधारित 2004-05 में गरीबी के अनुमान 1993-94 के गरीबी अनुमानों के साथ तुलनीय हैं, जो 36% थे। एमआरपी खपत (लगभग 21.8%) पर आधारित 2004-05 में गरीबी के अनुमान मोटे तौर पर (कठोरता नहीं) 1999-2000 के गरीबी अनुमानों के साथ तुलनीय है, जो 26.1% है। यूआरपी उपभोग विभाजन तथा एमआरपी उपभोग पर आधारित तुलनीय गरीबी अनुमान क्रमशः तालिका 2.9 तथा तालिका 2.10 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.8

एक समान प्रत्याह्वान अवधि पर आधारित गरीबी अनुमानों की तुलना

(प्रतिशत में)

	1993-94	2004-05
ग्रामीण	37.3	28.3
शहरी	32.4	25.7
कुल	36.0	27.5

तालिका 2.9

मिश्रित प्रत्याह्वान अवधि पर आधारित गरीबी अनुमानों की तुलना

(प्रतिशत में)

	1999-2000	2004-05
ग्रामीण	27.1	21.8
शहरी	23.6	21.7
कुल	26.1	21.8

2.26 तालिका 2.9 तथा तालिका 2.10 में दर्शाए गए गरीबी अनुमान यूआरपी उपभोग विभाजन द्वारा अनुमानित 1993-94 तथा 2004-05 के बीच और एमआरपी उपभोग विभाजन के लिए 1999-2000 तथा 2004-05 के बीच तुलना की अनुमति देते हैं। ये दोनों ही तुलनाएं गिरावट का परिचय देती हैं और दोनों अवधियों के बीच गिरावट की समान दर अर्थात -0.8% प्रति वर्ष है।

संलग्नक - 2.1

स्थिर (2004-05) मूल्यों पर आधारित सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ईपीएफ लक्ष्य	पिछली अवधि की तुलना में वृद्धि दर का प्रतिशत		
			2007-2008	2008-09	2009-10
1.	आंध्र प्रदेश	9.5	12.0	5.0	5.8
2.	अरूणाचल प्रदेश	6.4	12.0	7.5	22.4
3.	असम	6.5	4.8	6.8	8.1
4.	बिहार	7.6	8.5	13.1	8.6
5.	झारखंड	9.8	20.5	4.7	6.6
6.	गोवा	12.1	5.6	9.5	13.0
7.	गुजरात*	11.2	12.5	7.2	10.5
8.	हरियाणा	11.0	9.8	8.6	9.9
9.	हिमाचल प्रदेश	9.5	8.6	7.4	8.1
10.	जम्मू व कश्मीर	6.4	6.0	6.1	6.5
11.	कर्नाटक	11.2	12.6	3.8	5.0
12.	केरल	9.5	8.8	7.2	9.7
13.	मध्य प्रदेश	6.7	4.7	7.8	8.5
14.	छत्तीसगढ़*	8.6	11.7	6.8	11.5
15.	महाराष्ट्र	9.1	10.8	13.3	9.8
16.	मणिपुर*	5.9	6.8	7.1	एनए
17.	मेघालय	7.3	4.0	4.5	7.3
18.	मिजोरम	7.1	11.0	13.9	13.9
19.	नागालैंड	9.3	5.2	एनए	एनए
20.	उड़ीसा	8.8	10.9	7.2	10.6
21.	पंजाब	5.9	9.3	6.5	7.8
22.	राजस्थान	7.4	5.1	7.0	3.9
23.	सिक्किम	6.7	7.6	8.0	9.9
24.	तमिलनाडु	8.5	5.9	5.8	9.0
25.	त्रिपुरा	6.9	7.7	5.5	5.6
26.	उत्तर प्रदेश	6.1	7.5	6.1	7.2
27.	उत्तराखंड	9.9	18.2	8.0	10.7
28.	पश्चिम बंगाल*	9.7	8.7	6.3	एनए
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह		10.1	11.2	4.4
30.	चंडीगढ़		9.2	6.8	10.0
31.	दिल्ली		11.2	9.0	10.3
32.	पांडिचेरी		8.5	9.1	10.2
अखिल भारतीय जीडीपी (2004-05 आधार)		9.0	9.3	6.8	8.0

टिप्पणी : एनए - उपलब्ध नहीं। * जीएसडीपी आंकड़े 1999-00 श्रृंखला से है। जीएसडीपी 2004-05 श्रृंखला अभी संकलित की जानी है।

^ ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (ईएफपी) लक्ष्य वार्षिक औसत हैं।

स्रोत : क्र.सं. 1-32 के लिए - संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक और सांख्यिकीय निदेशालय, तथा अखिल भारत के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय।

अध्याय - 3
योजना

वार्षिक योजना 2010-11 के आवंटन तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि के उद्देश्यों के दृष्टिगत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण दस्तावेज मे उल्लिखित उद्देश्यों और कार्यनीतियों को ध्यान मेंरखकर किए गए हैं। तदनुसार कृषि, शिक्षा, ग्रामीण विकास, महिला और बाल विकास, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक, शहरी विकास, आधार संरचना (सिंचाई, सड़क और विद्युत), विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। केन्द्रीय क्षेत्र के लिए आबंटन निर्धारित करते समय योजना आयोग ने प्रमुख तथा भारत निर्माण कार्यक्रमों सहित पहले से चल रहे अग्रणी कार्यक्रमों की जरूरतों पर भी ध्यान दिया है। भौतिक आधार संचरना, उच्च शिक्षा और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर बल दिए जाने से अर्थव्यवस्था के उत्पादन आधार का विस्तार होगा तथा इससे आर्थिक वृद्धि दर बढ़ेगी जिसके परिणामस्वरूप रोजगार उपलब्ध होंगे और संसाधनों की उत्पत्ति होगी। प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी अनिवार्य सेवाओं पर बल दिए जाने से न केवल यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विकास के लाभ समान रूप से वितरित हो बल्कि यह प्रयास भी किया जाएगा कि विकास की प्रक्रिया से जनसाधारण को वंचित किए जाने की अवधारणा समाप्त हो।

3.1 वार्षिक योजना 2010-11 की पृष्ठभूमि

(1) वार्षिक योजना 2010-11 के प्रस्ताव तैयार करने के लिए सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को दिए गए निम्नलिखित निदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखा गया था :

(i) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को अपनी 'कोर योजना' और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं का उल्लेख करना चाहिए ताकि उपलब्ध संसाधनों का अत्यधिक न्यायपूर्ण तरीके एवं आर्थिक दक्षता से उपयोग किया जा सके।

(ii) प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग द्वारा सभी स्कीमों के संदर्भ में जेडबीबी पद्धति को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। निधियों की आवश्यकताओं और योजना आबंटनों के बीच असंगतियों को रोकने तथा वित्तीय आबंटन की बजाए वांछित भौतिक लक्ष्यों की प्रप्ति पर बल देने के लिए यह आवश्यक है।

(iii) 2010-11 गयारहवीं योजना का चौथा वर्ष है। अतः वार्षिक योजना 2010-11 में पहले से चले आ रहे केवल ऐसे कार्यक्रम/परियोजनाएं शामिल किए जाने चाहिए जो जनहित में हो और जिन्हें अर्थव्यवस्था पर विशेष प्रभाव डाले बिना समाप्त न किया जा सके।

(iv) विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की कोटि सुधारने के लिए वित्तीय परिव्ययों को परिणामों में परिवर्तित करने पर बल दिया गया। मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित योजना कार्यक्रमों/स्कीमों के मध्यवर्ती उत्पादन/परिणाम का लक्ष्य तय किया जा सकता है तथा परिणामी बजट दस्तावेज में दिए गए अनुदेशों के अनुसार परिणामयोग्य

सुपुर्दगियों के संबंध में लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन किया जाना चाहिए।

(v) छमाही निष्पादन समीक्षा बैठकों से प्राप्त जानकारी तथा परिमाणयोग्य सुपुर्दगियों के लक्ष्यों के संदर्भ में उनकी उपलब्धि गुणात्मक आकलन को 2010-11 के लिए योजना आबंटन करते समय ध्यान में रखना चाहिए।

(vi) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को अपने वार्षिक योजना प्रस्ताव में प्रस्तावित/संभावित ईएपी को सम्मलित करना चाहिए ताकि विदेशी सहायता प्राप्त परियाजनाएं (ईएपी) और प्रत्यक्ष वित्तपोषित (अर्थात् बजटीय प्रवाहों से बाहर) परियोजनाओं का एकीकरण किया जा सके। इससे योजना प्रक्रिया और बजटीय संसाधनों के आबंटन कार्य के लिए बढ़ावा मिलेगा।

(vii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की पहल के अनुसरण में, सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा (विशेष रूप से छूट प्राप्त को छोड़कर) बजट का न्यूनतम 10% पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित करना है। ' जेंडर बजटिंग' और अनुसूचित जाति उपयोजना तथा अनुसूचित जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही, 'ई-गवर्नेंस' तथा आईटी कार्यकलापों को आवश्यक महत्व देने क उद्देश्य से बजट का 2-3 प्रतिशत निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।

(viii) सरकारी निधियों का लाभ उठाने के लिए, धन का बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने तथा सेवा प्रदान करने के गुणवत्ता सुधारने के लिए, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल प्राथमिक शिक्षा जैसी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने, सड़कों, रेलमार्गों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के रूप में उत्तर परिवहन सुविधाओं और पेयजल तथा स्वच्छता की व्यवस्था करने के लिए अवस्थापना को प्रोत्साहित करने में सरकारी-निजी भागीदारी को उत्साहित करने की आवश्यकता है।

3.2 वार्षिक योजना 2010-11 के बजटीय आवंटन की मुख्य विशेषताएं

3.2.1 वार्षिक योजना 2010-11 के लिए बजट आबंटन सरकार के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। विशेष रूप से, केन्द्रीय योजना आबंटनों निर्धारित करते समय निम्नलिखित प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा गया:

- सरकार के अग्रणी कार्यक्रमों (भारत निर्माण के सभी घटकों सहित) को समुचित वित्तपोषण सुनिश्चित करना।
- कृषि (पशुपालन और जलसंसाधन सहित), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तथा ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त निधियों का आबंटन सुनिश्चित करना।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के वित्तपोषण को प्राथमिकता प्रदान करना।

3.2.2 जबकि लगभग आधी ग्रामीण जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए अभी भी कृषि पर निर्भर है, समावेशी विकास का उद्देश्य कृषि को महत्व दिए बना प्राप्त नहीं किया जा सकता। तदनुसार, कृषि क्षेत्र की कठिनाइयां और चुनौतियों के समाधान को ग्यारहवीं योजना उच्च प्राथमिकता देती है। अतः राष्ट्रीय बागवानी मिशन (1,061.98 करोड़ रुपए), आरकेवीवाई (6,722.00 करोड़ रुपए), वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (10 करोड़ रुपए) और कृषि के बृहत प्रबंधन (1,000 करोड़ रुपए) के लिए उपयुक्त प्रावधान करने हेतु, कृषि एवं सहकारिता विभाग के वार्षिक बजट परिव्यय में 1,080.00

करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी की गई। इसी प्रकार कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग को 2300 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय दिया गया, ताकि स्थिति जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी प्रजनन का पुनर्संगठन, पुनर्इंजीनियरी की जा सके तथा क्षेत्रीय प्रसार कार्यक्रमों के लिए केवीके लिंकेज में सुधार किया जा सके ताकि जानकारी के अभाव को पाटा जा सके। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के परिव्यय को बढ़ाकर 1,300 करोड़ रुपए (2009-10 ब.अ. में 1,100 करोड़ रुपए) कर दिया गया है ताकि प्रति व्यक्ति दूध, अंडा, मांस-मछली की उपलब्धता को बढ़ाया जा सके और नस्ल सुधार तथा बीमारी नियंत्रण के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रयासों को सघन बनाया जा सके।

3.2.3 शिक्षा सबसे बड़ा समताकारी तत्व है क्योंकि यह जनसाधारण को विकास की प्रक्रिया में भाग लेने में समर्थ बनाता है। इसलिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए 31,036 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया जिसका मूल उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान (एसएएस) तथा मध्यान्ह भोजन (एमडीएम) नामक कार्यक्रमों की जरूरतों को पूरा करना था। बीच में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में अत्यधिक कमी की जाएगी तथा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 1,397.90 करोड़ रुपए सहित) के लिए 15,000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। इसके अलावा, केन्द्रीय और नवोदय विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्राथमिक शिक्षा के सहायतार्थ राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम, जो मध्यान्ह भोजन स्कीम के नाम से लोकप्रिय है, वह प्राथमिक और अपर प्राथमिक बच्चों के लिए विश्व के सबसे बड़े स्कूल कार्यक्रम के रूप में उभरा है। प्राथमिक स्तर पर सफलता के बाद यह स्कीम 1 अक्टूबर, 2007 से शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े 3,479 पिछले ब्लाकों में अपन प्राथमिक स्तर पर भी लागू की गई है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के सभी क्षेत्रों में अपर प्राथमिक स्तर (कक्षा I से कक्षा VIII) तक के सभी बच्चे शामिल किए गए हैं। परिणामस्वरूप, मध्यान्ह भोजन स्कीम के लिए 2010-11 के लिए 9440.00 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है जिसमें 944.00 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए है।

3.2.4 ज्ञानसेवा क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में विकास के एक प्रमुख इंजन के रूप में उभरा है। तथापि, दक्षता की अत्यधिक कमी इस क्षेत्र में स्पर्धा का लाभ और अनुरक्षण प्राप्त करने में हमारी योग्यता में बाधक बन रही है। अतः ग्यारहवीं योजना में हमारी शिक्षा प्रणाली में और सुधार की आवश्यकता है और उसमें विस्तार, समावेश और उत्कृष्टता पर ध्यान देने की जरूरत है। तदनुसार, उच्चतर शिक्षा विभाग को 2010-11 के लिए 11,000 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।

3.2.5 अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए निगरानी समिति (मोइली कमेटी) विस्तार, समावेश और उत्कृष्टता के सिद्धांत पर आधारित है जिसने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/आईआईएमएस/आईआईटी/एनआईटी (स) और इंजीनियरी/चिकित्सा/कृषि संस्थानों में 54% विस्तार का प्रस्ताव दिया है ताकि अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27% आरक्षण दिया जा सके।

3.2.6 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभागों को वर्ष 2010-11 में क्रमशः 42,036 करोड़ रुपए, 22,300 करोड़ रुपए, 2,025 करोड़ रुपए, 1,600 करोड़ रुपए तथा 2,300 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।

3.2.7 ग्यारहवीं योजना में बेहतर स्वास्थ्य तथा मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, समग्र प्रजनन क्षमता दर और विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के बीच अरक्तता जैसे स्वास्थ्य संकेतकों में अत्यधिक सुधार

सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कार्यनीति पर बल दिया गया है। तद्नुसार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के योजना परिव्यय को बढ़ाकर 21,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के लिए 15,672 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। एनआरएचएम से अपेक्षा है कि उन 18 राज्यों, जिनमें कमजोर जन-स्वाव्थ्य संकेतकों अथवा दुर्बल आधार संरचना है, वहां विशेष ध्यान देते हुए ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था में कमियों पर ध्यान देगा। इसका उद्देश्य सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के लिए एकीकृत जिला योजनाओं के माध्यम से पोषण जैसे निर्धारक तत्वों सहित स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का प्रभावी एकीकरण करना है। इस क्षेत्र में लचीली निधियों का प्रावधान है ताकि राज्य महत्वपूर्ण समझे जाने वाले क्षेत्रों में उनका उपयोग कर सकें। आयुष विभाग के लिए 2010-11 का योजना परिव्यय 800 करोड़ रुपए रखा गया है।

3.2.8 बीमारियों को कम करने तथा कुपोषण पर रोक नियंत्रण के लिए सुरक्षित पेयजल जरूरी है। किसी भी स्वास्थ्य कार्यकलाप अथवा रणनीति के लिए सफाई भी एक आवश्यक घटक है। अतः पेयजल आपूर्ति विभाग के लिए 2010-11 में परिव्यय बढ़ाकर 10,580 करोड़ रुपए (2009-10 में 9,200 करोड़ रुपए) कर दिया गया है। वर्ष 2010-11 के लिए सम्पूर्ण सफाई अभियान के लिए 1,580 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।

3.2.9 महिला और बाल विकास विभाग के लिए 2010-11 हेतु बढ़ाकर 11,000 करोड़ रुपए का योजना आबंटन कर दिया गया है ताकि एकीकृत बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस) के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जा सके। आईसीडीएस का उद्देश्य छोटे बच्चों, विशेष रूप से 0-6 वर्ष तक की बालिकाओं तथा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषणिक और स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाया है। आईसीडीएस के लिए 8,700 करोड़ रुपए के बजटीय आबंटन में स्वास्थ्यस, पोषण तथा 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा, गर्भवती महिलाओं एवं नर्सिंग माताओं के लिए पूरक पोषण, टीकारण, स्वास्थ्य जांच रेफरल सेवाएं, पोषण तथा स्वास्थ्य और गैर-औपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षण के लिए एकीकृत पैकेज शामिल हैं।

3.2.10 ग्रामीण विकास विभाग के लिए कुल परिव्यय बढ़ाकर 76,100 करोड़ रुपए कर दिया गया है ताकि स्व-रोजगार मजदूरी रोजगार ग्रामीण आवासन तथा ग्रामीण संयोज्यता जैसी अग्रणी स्कीमों के लिए समुचित प्रावधान किया जा सके। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एनआरईजीपी), जिसे आरंभ में 200 जिलों में शुरू किया गया था, उसे देश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के केन्द्रीय योजना परिव्यय 40,100 करोड़ रुपए है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण सड़कें महत्वपूर्ण आधार संरचना होती हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में दिए गए महत्व को स्वीकार करते हुए, ग्रामीण आवास के लिए बजटीय सहायता बढ़ाकर 1,004 करोड़ रुपए कर दी गई है। वर्ष 2010-11 के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के लिए 2984 करोड़ रुपए (जिसमें 301 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए है) की घोषणा की गई है।

3.2.11 ग्यारहवीं योजना में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों तथा अलग-अलग अन्य समूहों की आवश्यकताओं तथा जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया गया है। ताकि उन्हें समाज के शेष लोगों के बराबर लाया जा सके। तद्नुसार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के लिए परिव्यय को बढ़ाकर क्रमशः 4500 करोड़ रुपए, 1200 करोड़ रुपए तथा 2600 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

3.2.12 तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधा अवसरंचना की पर्याप्तता तथा उसकी गुणवत्ता के संबंध में है। तद्नुसार विद्युत मंत्रालय को 60,751.42 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया है। वित्त वर्ष 2010-11 इस अधिदेश के लिए अन्तिम वर्ष है अतः भारत निर्माण के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रम की गति बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, ऊर्जा के नवीकरण स्रोतों का विकास बिजली व ऊर्जा आपूर्ति की कमी को पूरा करने में सहायक हो सकता है। अतः नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को 1,950 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है जिसमें 950 करोड़ रुपए आईईबीआर के रूप में है। परिवहन आधार संरचना की गुणवत्ता में सुधार करना आर्थिक विकास की एक पूर्व अनिवार्यता है। अपर्याप्त और अक्षम परिवहन सेक्टर से उत्पन्न उच्च ट्रांजेक्शन लागतों के कारण अर्थव्यवस्था पूर्ण विकास प्राप्त नहीं कर पाती भले ही अन्य मोर्चों पर प्रगति हो रही हो। तद्नुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग विमान, नागर विमानन मंत्रालय और पोत परिवहन विभाग का परिव्यय बढ़ाकर क्रमशः 25,455 करोड़ रुपए, 9,588.30 करोड़ रुपए तथा 6494.15 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

3.2.13 शहरी विकास मंत्रालय का कुल परिव्यय 7,605.75 करोड़ रुपए है जिसमें आईईबीआर के माध्यम से दी गई 2,205.75 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। शहरी आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय का कुल परिव्यय 9,421.60 करोड़ रुपए है जिसका मुख्य उद्देश्य स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के लिए पर्याप्त प्रावधान करना है। इस योजना का महत्व इसलिए है कि शहरी क्षेत्रों में त्वरित रोजगार सृजन की आवश्यकता है। जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत बजट अनुमान 2010-11 में 12,685 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

3.2.14 भारत को एक प्रबुद्ध अर्थव्यवस्था बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है। तद्नुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टरों को काफी बढ़ावा दिया गया है जैसा कि तालिका 3.1 तथा तालिका 3.2 से देखा जा सकता है। परमाणु ऊर्जा (अनुसंधान एवं विकास) विभाग का परिव्यय बढ़ाकर 2084,86 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

3.2.15 जैव प्रौद्योगिकी विभाग राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में अंतविषय क्षेत्रों में महाचुनौती परियोजनाओं को सहायता प्रदान करने के लिए "ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम " नामक एक नई पहल करेगा जिसके अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपणीय उपाय उतपाद औरप्रक्रिया विविधता में महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन, लागत प्रभाविता और प्रतियोगिता लाई जा सकेगी। जैव प्रौद्योगिकी विभाग का परिव्यय वर्ष 2010-11 में बढ़ाकर 1,200 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

3.2.16 राष्ट्रीय विनिर्माण स्पर्धा परिषद (एनएमसीसी) ने विनिर्माण के लिए राष्ट्रीय रणनीति तैयार की है। मानवीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विनिर्माण पर एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसीएम) गठित की गई है जो एनएमसीसी द्वारा सुझाए गए उपायों का कार्यान्वयन करेगी। एचएलसीएम ने निम्नलिखित सेक्टरों की पहचान वरीयता पर ध्यान देने के लिए की है: वस्त्र, चमड़ा और फुटवियर, खाद्य प्रसंस्करण और आईटी हार्डवेयर तथा इलेक्ट्रानिक्स। तद्नुसार वस्त्र मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के लिए क्रमश/ 4,725 करोड़ रुपए, 1,050 करोड़ रुपए तथा 400 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया है।

उपभोक्ता मामले मंत्रालय के लिए 220 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया है ताकि मुख्यतः उपभोक्ता जागृति बढ़ाने के लिए सुदृढ़ उपाय किए जा सकें और उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण कार्यवाहियों की जा सकें। वाणिज्य मंत्रालय को 1,680 करोड़ रुपए मुख्यतः इसलिए उपलब्ध कराए गए हैं ताकि निर्यात के लिए अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को सहायता में सहयोग दिया जा सके तथा प्लांटेशन सेक्टर को सुदृढ़ किया जा सके।

3.2.17 गृह मंत्रालय के लिए योजना परिव्यय बढ़ाकर 2,001 करोड़ रुपए मुख्य रूप से इसलिए कर दिया गया है ताकि शिक्षा और प्रशिक्षण, फोरन्सिक प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण, सड़क और यातायात सुरक्षा प्रणाली और अपराधों का पता लगाने की बेहतरीन प्रणालियों, विशेष रूप से आर्थिक अपराधों, आतंक और आपादा के वैज्ञानिक प्रबंधन के क्षमता निर्माण के लिए प्राथमिकता देना है। विधि और न्याय मंत्रालय को 280 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। विदेश मंत्रालय के योजना परिव्यय को बढ़ाकर 700 करोड़ रुपए कर दिया गया है क्योंकि यह मंत्रालय पड़ोसी देशों के साथ योजनाएं (भूटान में पूनातसंगचू, अफगानिस्तान में पुलएकभरी और म्यानमार में हुंगसम) कार्यान्वित कर रहा है। पर्यटन जीवन यापन का एक प्रमुख स्रोत है और यह हमारी सांस्कृतिक विरासत और व्यापार संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तद्नुसार पर्यटन मंत्रालय को 1,050 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

3.3 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को योजना सहायता

3.3.1 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए बजटीय सहायता 92,492.00 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है जिसमें 88,923.92 करोड़ रुपए राज्यों तथा 3568.08 करोड़ रुपए संघ शासित क्षेत्रों की योजनाओं के लिए है। सामान्य केन्द्रीय सहायता 2009-10 (ब.अ.) में 19,110.61 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2010-11 (ब.अ.) में 21,728.00 करोड़ रुपए कर दी गई है। प्रमुख एसीए स्कीम जिसमें बढ़ोत्तरी की गई है, वह है

- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) तथा अन्य जलसंसाधनों कार्यक्रमों (अनुदान घटक 11,500 करोड़ रुपए)।

3.3.2 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) को बिहार तथा उड़ीसा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजनाओं हेतु 7,300 करोड़ रुपए (जिला घटक के रूप में 5,050 करोड़ रुपए तथा राज्य घटक के रूप में 2,250 करोड़ रुपए) उपलब्ध कराए गए हैं। इससे देश के सबसे अधिक पिछड़े क्षेत्रों का त्वरित विकास सुनिश्चित हो सकेगा।

3.3.3 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) को 12,685.00 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं जिसमें राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को सहायता घटक के रूप में 11,619.00 करोड़ रुपए शामिल हैं। जेएनएनयूआरएम से अपेक्षा है कि वह शहरी स्थानीय निकायों में चिरपेक्षित सुधार लाएगा तथा 63 मिशन शहरों में तेज विकास करेगा।

तालिका 3.1

केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना, 2010-11 के बजट अनुमान

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	विकास का शीर्ष	परिव्यय केन्द्र	परिव्यय राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र	कुल परिव्यय केन्द्र, राज्य व संघ राज्य क्षेत्र
1	कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप	12308.47	12615.20	24653.67 (3.29)
2	ग्रामीण विकास	46194.10	15617.20	61811.30 (8.25)
3	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	526.00	35811.92	36337.92 (4.85)
4	ऊर्जा	146578.72	31222.44	177801.16 (23.73)
5	उद्योग एवं खनिज	39019.07	7084.21	46103.28 (6.15)
6	परिवहन	101997.55	20203.03	122200.58 (16.31)
7	संचार	18529.10	$	18529.10 (2.47)
8	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	13676.77	2647.07	16323.84 (2.18)
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	7553.56	8419.66	15973.22 (2.13)
10	सामाजिक सेवाएं	136566.13	80150.86	216716.99 (28.92)
11	सामान्य सेवाएं	1534.84	5061.99	6596.83 (0.88)
12	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	एन.ए.	6311.42	6311.42 (0.84)
13.	कुल योग	524484.31	225145.00	749629.31 (100)

टिप्पणी :

$ = विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण में सम्मिलित,

एन.ए.= उपलब्ध नहीं

कोष्ठक में आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

चित्र- 3.1

केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2010-11 के बजट अनुमान

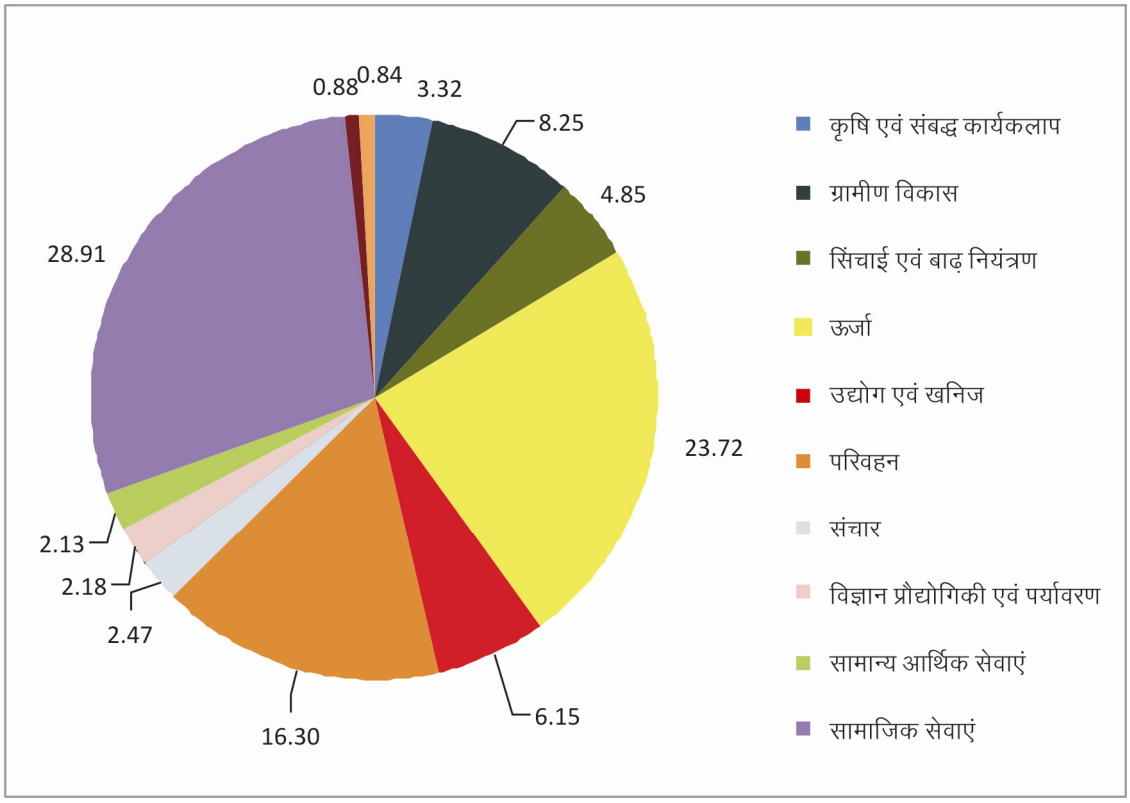

3.4 वार्षिक योजना 2009-10 की समीक्षा

वार्षिक योजना 2009-10 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र परिव्यय का संशोधित अनुमान 425590.05 करोड़ रुपए था। केन्द्र, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2009-10 के संशोधित अनुमान विकास शीर्षों द्वारा सारांश के रूप में तालिका 3.2 व चित्र 3.2 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 3.2

केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना, 2009-10 के संशोधित अनुमान

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	विकास का शीर्ष	कुल परिव्यय केन्द्र	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	कुल केन्द्र, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र
1	कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप	10123.04	17793.63	27916.67 (3.66)
2	ग्रामीण विकास	43641.77	22145.30	65787.07 (8.63)
3	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	404.10	48813.33	49217.43 (6.46)
4	ऊर्जा	109684.72	35059.91	144743.72 (18.99)
5	उद्योग एवं खनिज	30693.54	8868.12	39561.66 (5.19)
6	परिवहन	88948.34	41900.91	130849.25 (17.17)
7	संचार	16099.47	$	16099.47 (2.11)
8	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	9907.59	4153.17	14060.76 (1.84)
9	सामान्य आर्थिक सेवाएं	5445.81	7021.43	12467.24 (1.64)
10	सामाजिक सेवाएं	109288.17	133393.18	242681.35 (31.84)
11	सामान्य सेवाएं	1353.50	9788.86	11142.36 (1.46)
12	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	एन.ए	7632.78	7632.78 (1.00)
	कुल योग	**425590.05**	**336570.62**	**762159.76**

टिप्पणी :

$ = विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण में सम्मिलित,

एन.ए.= उपलब्ध नहीं

कोष्ठक में आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

चित्र- 3.2

केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2010-11 के संशोधित अनुमान

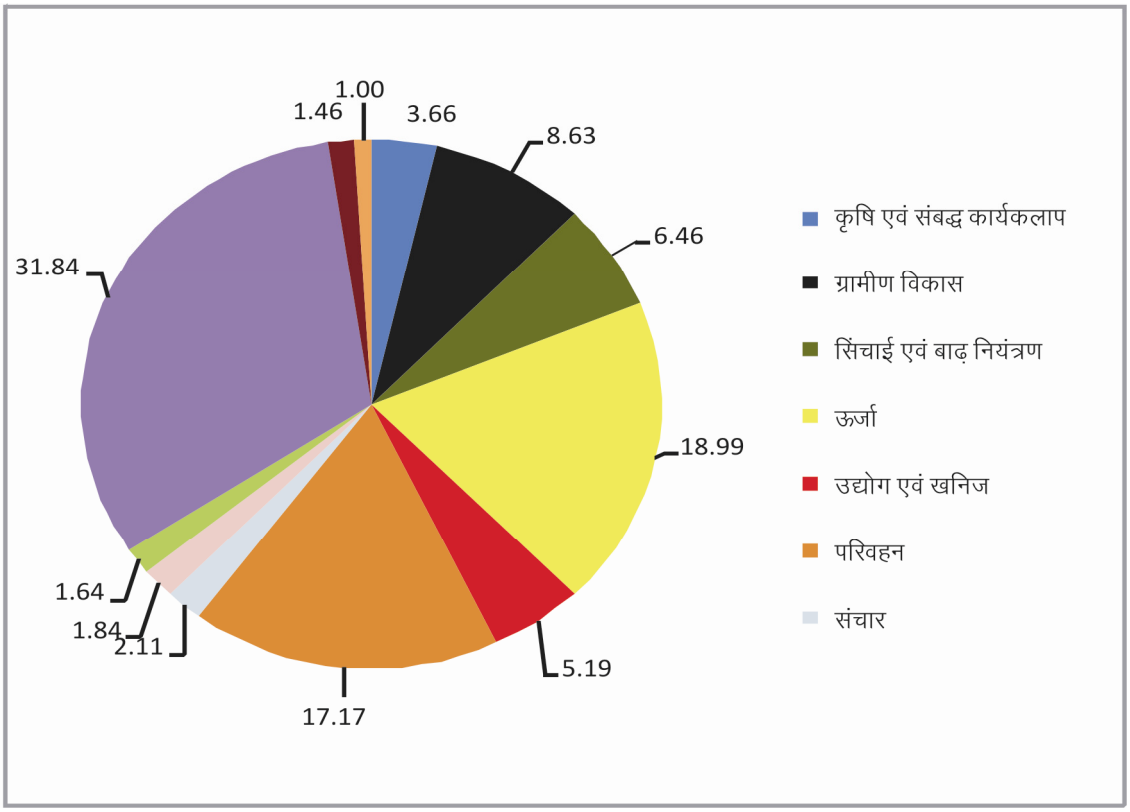

अध्याय - 4
योजना आयोग में प्रमुख कार्यकलाप

4.1 कृषि प्रभाग

4.1.1 योजना आयोग में कृषि प्रभाग देश में कृषि और समवर्गी क्षेत्रक के विकास हेतु नीतिगत रूपरेखा तैयार करने का काम करता है। यह प्रभाग हस्तक्षेपों/स्कीमों की संवीक्षा करता है और ऐसी स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित निधियों के आबंटन की सिफारिश करता है। यह प्रभाग स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा और मानीटरण भी करता है और जहां आवश्यक होता है वहां मध्यावधिक सुधारों की सिफारिश करता है।

4.1.2 योजना स्कीमों के कार्य निष्पादन को मानीटर करने के लिए इस विभाग ने सदस्य के स्तर पर कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी), पशु-पालन, डेयरी उद्योग और मत्स्य पालन विभाग और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग की केन्द्र क्षेत्रक (सीएस) और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) की अर्द्ध-वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा (एचपीआर) बैठक का आयोजन किया है।

4.2 सामाजिक न्याय और समाज कल्याण प्रभाग

4.2.1 यह प्रभाग मुख्य रूप से सामाजिक रूप से सुविधावंचित समूहों, जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर समूहों, जैसे अशक्तता वाले लोगों, वृद्ध व्यक्तियों और नशीली औषधों के व्यसनी लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने के वास्ते समग्र नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यह प्रभाग जनजातीय उप-योजना (टी एस पी) और अनुसूचित जाति उप-योजना (एस सी एस पी) की विशेष कार्यनीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए भी, जो क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार की योजना बनाने का प्रभावकारी साधन है, सलाह प्रदान करता है।

उपलब्धियां

4.2.2 इस प्रभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान हाथ में लिए गए विभिन्न क्रियाकलापों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

- वर्ष 2009-10 के दौरान विभिन्न कल्याण और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के जरिए हुई प्रगति के आधार पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को 4,500 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया था (3,827.00 करोड़ रुपए अनुसूचित जाति और ओ बी सी विकास के लिए + 673 करोड़ रुपए अन्य कमजोर समूहों के लिए)। यद्यपि विशेष रूप से शैक्षिक विकास के जरिए उनके सामाजिक सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है, लेकिन सामान्य जनसंख्या और अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़े वर्गों के बीच गरीबी के अन्तर को समाप्त करने और घटाने के कार्य को भी प्राथमिकता प्रदान की गई, ताकि

इन सामाजिक रूप से सुविधावंचित समूहों को आत्म-निर्भर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया जाए।

- योजना आयोग ने अनुसूचित जाति उप-योजना और जनजातीय उप-योजना के निर्माण, कार्यान्वयन और मानीटरन के लिए 2005 में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को और वर्ष 2006 में केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों को मार्गिनर्देश और अतिरिक्त मार्गनिर्देश जारी किए थे। योजना आयोग ने अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजातीय उपयोजना संबंधी दिशा-निर्देश की समीक्षा करने के लिए जून, 2010 में डॉ. नरेन्द्र जाधव, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया है। इस कार्यदल के विचारणीय विषय इस प्रकार है : योजना आयोग द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना/जनजातीय उपयोजना के कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए विद्यमान दिशा-निर्देशों की पुनः जांच करना और उनमें संशोधन करना; कार्यान्वयन मंत्रालयों के साथ परामर्श करके प्रचालनात्मक कठिनाईयों को समझना और सुधारात्मक कार्य का सुझाव देना जिससे कि अनुसूचित जाति उप योजना और जनजतीय उपयोजना को प्रभावकारी ढंग से लागू किया जा सके।

- प्रभाग ने अशक्तताओं तथा सामाजिक विपथगामियों, जैसे नशीली दवाओं के व्यसनियों, अतिशेय मद्यपान करने वाले व्यक्तियों, भिखारियों, आदि का सुधार करने और अन्य सुविधावंचित लोगों, जैसे वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल करने के अपने प्रयास नोडल मंत्रालय अर्थात सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अन्य संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके जारी रखे, ताकि इन लक्ष्यगत समूहों के कल्याण, विकास और सशक्तीकरण के ध्येय वाली विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों का प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

- वार्षिक योजना 2010-11 के दौरान, योजना आयोग ने जनजातीय लोगों के सशक्तीकरण के लिए, उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन से संबंधित प्रयासों के बारे में जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ घनिष्ठ रूप से और निरंतर पारस्परिक कार्रवाई की। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, विभाग ने विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए योजना और नीति तैयार करने और समन्वित करने का कार्य किया, ताकि जनजातीय लोगों को स्वावलम्बी बनाने के लिए उनकी प्रतिभा और विकास की प्रकृति का पूरा ध्यान रखते हुए, लक्ष्यगत समूह को मुख्य धारा में लाया जाए।

केन्द्रीय मंत्रालयों की वार्षिक योजना चर्चाएं 2011-12

4.2.3 वार्षिक योजना 2011-12 को अंतिम रूप देने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जनजातीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालयों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किए गए। बाद में मंत्रालय के साथ परामर्श करके वार्षिक योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय के स्कीमवार आबंटन भी किए गए। इसी प्रकार राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन प्रगति की भी समीक्षा की गई है और राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि वे अपनी वित्तीय और वास्तविक दोनों कार्य निष्पादनों में सुधार करें।

राज्यों की वार्षिक योजना चर्चाएं 2010-11

4.2.4 राज्य वार्षिक योजनाओं 2010-11 को अंतिम रूप देने के लिए सलाहकार (एसजे) की अध्यक्षता में वर्किंग ग्रुप बैठकें/चर्चाएं आयोजित की गई जिसमें राज्य प्रतिनिधियों और सामाजिक न्याय और अधिकारिता एवं जनजातीय कार्य के नोडल मंत्रालय, अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय जनजाति आयोग ने भाग लिया। विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों की प्रगति की समीक्षा करने के अतिरिक्त वर्किंग ग्रुप ने प्रत्येक राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया और उक्त क्षेत्रक के लिए संसाधनों के आबंटन की सिफारिश की। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए राज्य मुख्य मंत्रियों और उपाध्यक्ष, योजना आयोग के बीच बैठकों हेतु इनपुट देने के लिए संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार की गई।

अनुसंधान प्रस्तावों, अनुसंधान रिपोर्टों की जांच

4.2.5 प्रभाग ने अकादमिक संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा, जो योजना आयोग के समाजार्थिक अनुसन्धान प्रभाग और कार्यक्रम मूल्यांकन प्रभाग के अन्तर्गत अनुदान चाहते हैं, सुविधावंचित समूहों/ अन्य विशेष समूहों के बारे में भेजे गए विभिन्न अनुसन्धान प्रस्तावों/ परियोजनाओं की विवेचनात्मक रूप से जांच की और अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं।

स्थायी वित्त समिति (एस एफ सी)/ व्यय वित्त समिति (ई एफ सी)/ मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति (सी सी ई ए)/ मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणियों की जांच

4.2.6 इस प्रभाग ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्कीमों के लिए प्रस्तुत अनेक स्थायी वित्त समिति (एस एफ सी)/ व्यय वित्त समिति टिप्पणियों की जांच परियोजना मूल्यांकन और प्रबन्धन प्रभाग (पी ए एम डी) के निकट परामर्श से की है। इस प्रभाग ने इन मंत्रालयों द्वारा मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति के लिए प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों पर भी अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं।

अन्य कार्यकलाप

4.2.7 इसके अलावा, इस प्रभाग ने संसद प्रश्नों, वी आई पी संदर्भों से संबंधित कार्य भी किया और प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिए जाने वाले भाषणों के लिए निविष्टियां (इनपुट) मुहैया कीं। देश के विभिन्न भागों में चल रहे कार्यक्रमों/ स्कीमों की प्रगति और उनके प्रभाव के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए इस प्रभाग के अधिकारियों ने अनेक क्षेत्रीय दौरे किए।

4.3 भारत निर्माण

4.3.1 भारत निर्माण संघटकों (ग्रामीण टेलीफोनी को छोड़कर) के परिव्ययों में वर्ष 2009-10 के दौरान 1,07,819 करोड़ रुपए के परिव्ययों की तुलना में वर्ष 2010-11 के बजट में 1,18,001 करोड़ रुपए तक की वृद्धि की गई है।

4.3.2 चूंकि भारत निर्माण सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम का भाग है, इसलिए वार्षिक योजना तैयार करने के संबंध में कार्य समूह की चर्चाओं के दौरान योजना आयोग द्वारा अलग-अलग राज्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।

4.4 संचार और सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रभाग

4.4.1 संचार और सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रभाग मुख्य रूप से दूर-संचार, सूचना प्रौद्योगिकी,

डाक, सूचना और प्रसारण के क्षेत्रकों से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों से संबंधित है। वर्ष के दौरान (अप्रैल 2010 - दिसंबर 2010) प्रभाग द्वारा निष्पादित किए गए कार्य की प्रमुख मदों में विभिन्न नीतिगत मुद्दों की जांच करना, क्षेत्रकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करना और वर्ष 2011-12 की वार्षिक योजना तैयार करने और उसे अंतिम रूप देने से संबंधित प्रारंभिक कार्य शामिल था। उपर्युक्त के अलावा, इस प्रभाग ने योजना आयोग की वेबसाइट और सूचना द्वार के प्रबंध की देखभाल भी की है। योजना आयोग में एन आई सी द्वारा दो आई टी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनकी देखभाल भी सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रभाग द्वारा की जाती है।

दूरसंचार

4.4.2 दूर संचार क्षेत्रक ने वर्ष 1991 से मूलभूत अवसंरचना में किए गए परिवर्तनों और प्रारंभ किए गए संस्थागत सुधारों के कारण पिछले दो दशकों के दौरान अत्यधिक विकास देखा है।

4.4.3 वर्ष 2009-10 में भारतीय दूर संचार क्षेत्रक की संवृद्धि को तालिका 4.4.1, 4.4.2 और 4.4.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.4.1

भारतीय दूरसंचार क्षेत्रक की संवृद्धि (2009-2010)

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	गैर-सरकारी	जोड़
2008 मार्च	79.50 मिलियन	220.94 मिलियन	300.49 मिलियन
2009 मार्च	89.55 मिलियन	340.18 मिलियन	429.73 मिलियन
2010 मार्च	95.39 मिलियन	413.64 मिलियन	509.03 मिलियन
2010 नवम्बर	-	-	764.76 मिलियन

तालिका 4.4.2

टेलीडेन्सिटी (कनेक्शन प्रति 100 व्यक्ति)

वर्ष	शहरी	ग्रामीण	जोड़
2008	66.39	9.46	26.22
2009 मार्च	88.84	15.11	36.98
2010 मार्च	99.32	20.07	43.75
2010 नवम्बर	143.95	30.18	64.34

तालिका 4.4.3

वायरलाइन की तुलना में वायरलेस संवृद्धि

वर्ष	वायरलेस	वायरलाइन	जोड़
2009 मार्च	391.76 मिलियन	37.96 मिलियन	429.72 मिलियन
2010 मार्च	584.32 मिलियन	36.95 मिलियन	621.27 मिलियन
2010 नवम्बर	729.58 मिलियन	35.18 मिलियन	764.76 मिलियन

4.4.4 **ग्रामीण टेलीफोन व्यवस्था :** ग्रामीण संवृद्धि दर शहरी संवृद्धि की दर से कम है। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में अधिक लोगों को जोड़ने के लिए सर्वव्यापी सेवा दायित्व निधि (यू एस ओ एफ) के अन्तर्गत ग्रामीण सामुदायिक टेलीफोन की स्कीम शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य भारत निर्माण स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (वीपीटी) की व्यवस्था करना है। इसे कवर न किए गए 62,302 गांवों को वीपीटी के जरिए जोड़ना है और अक्टूबर, 2010 तक 61,919 टेलीफोनों की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2009 में शुरू किए गए भारत निर्माण कार्यक्रम -II के अंतर्गत ग्रामीण टेलीफोन व्यवस्था का उद्देश्य वर्ष 2014 तक कम से कम 40% की ग्रामीण टेलीडेंसिटी प्राप्त करना है। नवम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण टेलीडेंसिटी 30.18% है।

4.4.5 **ब्रॉडबैंड कनेक्शन :** ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या जो मार्च 2005 में बहुत कम अर्थात् केवल 0.18 मिलियन थी, बढ़कर अक्टूबर 2010 में लगभग 10.55 मिलियन हो गई। इसने सितम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार 17.96 मिलियन इंटरनेट कनेक्शन भी प्रदान कर दिया है। ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को चरणबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा ओर 5000 ब्लॉकों/तहसीलों को वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ा जाएगा। सरकार ने ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) सेवा मार्गनिर्देश जारी किए हैं जिनसे ब्रॉडबैंड कनेक्टीविटी का विस्तार करने में सहायता मिलेगी।

4.4.6 **स्पेक्ट्रम विमोचन :** तीसरी पीढ़ी (3जी) पर मोबाइल प्रेषण पहले ही शुरू हो गया है जो मोबाइल इंटरनेट ऐक्सेस, मनोरंजन आदि के अतिरिक्त उच्च गति से वर्द्धित डेटा संचार को सहारा देना है और उसमें सुस्पष्ट क्षेत्र से अधिक क्षमता और कार्यक्षमता होगी। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने 3जी और ब्रॉडबैंड वायरलेस ऐक्सेस (बीडब्ल्यूए) के लिए जीएसएम और सीडीएमए में सेवाओं के विस्तार हेतु विभिन्न बैंडों में उपलब्ध स्पेक्ट्रम ब्लॉकों को नीलाम कर दिया है।

4.4.7 योजना आयोग देशी दूर संचार उपकरणों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देता है। अनेकों प्रसिद्ध कंपनियां, जैसे नोकिया, मोटोरोला, सैमसंग, एलजी, इलेक्ट्रोनिकी आदि ने मोबाइल फोनों और अन्य उपकरणों का देश के अंदर उत्पादन शुरू कर दिया है।

4.4.8 वर्ष 2010-11 के दौरान इस प्रभाग में दूर संचार विभाग की निम्नलिखित महत्वपूर्ण परियोजनाओं/स्कीमों/नीतिगत मुद्दों की जांच की गई थी :

(i) दूरसंचार विभाग की विभिन्न स्कीमों के लिए वर्ष 2011-12 की वार्षिक योजना को अंतिम रूप दिया गया है।

(ii) एनडीसी बैठक से संबंधित कार्य।

(iii) रक्षा और सुरक्षा से संबंधित अपेक्षाओं हेतु समर्पित और पूरी तरह सुरक्षित संचार नेटवर्क संबंधी विचार-विमर्श किए गए और वाणिज्यिक उपयोग के लिए स्पेक्ट्रम को उन्मुक्त करने हेतु ऑप्टिकल फाइबर केबलों को विछाने के लिए निर्णय लिए गए। वायुसेना के लिए वैकल्पिक नेटवर्क को पूरा कर लिया गया है। थलसेना और नौसेना के नेटवर्क पर काम चल रहा है।

(iv) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और मुख्य भूमि के बीच मजबूत कनेक्टिविटी प्रदान करने का मुद्दा विचाराधीन हे। क्षेत्र में विद्यमान समुद्री केबल से पर्वत स्कंधीय मार्ग के जरिए मुख्य भूमि और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (एएनआई) के बीच कनेक्टिविटी की व्यवस्था का पता लगाने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है। इससे न केवल कनेक्टिविटी की व्यवस्था होगी, बल्कि उक्त द्वीपसमूहों में

आईटी और आईटी संबंधित उद्योगों का भी विकास होगा जिससे स्थानीय लोगों के मध्य रोजगार का सृजन भी होगा। अपर सचिव, दूरसंचार विभाग की अध्यक्षता में तकनीकी समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी है जो कि विचाराधीन है।

(v) इस प्रभाग को मैसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज (आईटीआई) लिमिटेड को पुनः चालू करने के लिए और बीएसएनएल कर्मचारियों के लंबित पेंशन मामलों के अनुमोदन हेतु दो सीसीईए टिप्पणियां प्राप्त हुई है जिनकी जांच की गई है।

डाक क्षेत्रक

4.4.9 कवर किए गए क्षेत्र और सेवित जनसंख्या के रूप में, भारतीय डाक विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसमें समूचे देश के अन्दर 1.55 लाख से अधिक डाकघर हैं। डाक प्रणाली को लगभग 4.83 लाख कर्मचारियों की सहायता से चलाया जा रहा है जिसमें 2.10 लाख विभागिय कर्मचारी और ग्रामीण डाक सेवक के रूप में ज्ञात 2.73 लाख अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी शामिल हैं। चुने हुए डाकघरों द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे खुदरा डाक, ई-डाक, बिल मेल सेवा, पासपोर्ट आवेदन-पत्रों की बिक्री, स्पीड पोस्ट वस्तुओं का संग्रह और वितरण और बैंकिंग और बीमा सेवाएं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम तथा डाकघर बचत बैंक खातों के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन की अदायगी जैसी सामाजिक सुरक्षा सेवाओं/ स्कीमों के बारे में इस विभाग द्वारा कुछ राज्यों के साथ करार किया गया है।

4.4.10 ग्राहक को कम लागत वाली और सक्षम सेवाएं उपलब्ध कराने की चुनौती भी निरंतर एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। वर्ष 2009-10 के दौरान कुल राजस्व 6705.64 करोड़ रुपए था, जबकि निवल कार्यचालन व्यय 13346.94 करोड़ रुपए का था और इस प्रकार दोनों के बीच 6641.30 करोड़ रुपए का अंतर था।

4.4.11 वर्ष 2010-11 के दौरान, इस प्रभाग में डाक विभाग से संबंधित निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं/ स्कीमों/ नीतिगत मुद्दों की जांच की गई थीः

i) वार्षिक योजना 2011-12 - डाक विभाग की विभिन्न स्कीमों के लिए निधियों का आबंटन।

ii) डाकघरों के चरण -II के कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग संबंधी व्यय वित्त समिति ज्ञापन

सूचना प्रौद्योगिकी

4.4.12 आईटी-आईटीईएस उद्योग ने वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान असाधारण लचीलापन दर्शाया है। आईटी-आईटीईएस उद्योग राजस्व (निर्यात और घरेलू दोनों) के 6 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ने और वर्ष 2008-09 में 59.9 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में वर्ष 2009-10 में 63.7 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुँचने का अनुमान है। आईटीईएस बीपीओ निर्यात सहित भारतीय साफ्टवेयर और सेवाओं का निर्यात वर्ष 2008-09 में 47.1 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में वर्ष 2009-10 में 49.7 बिलियन अमरीकी डालर तक हो जाने का अनुमान है। आईटी सेवाओं का निर्यात वर्ष 2008-09 में 25.8 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में वर्ष 2009-10 में 27.3 बिलियन अमरीकी डालर तक होने का अनुमान है। आईटीईएस-बीपीओ का निर्यात वर्ष 2008-09 में 11.7 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 2009-10 में 12.4 बिलियन अमरीकी डालर हो जाने का अनुमान है। आईटी सेवाओं और आईटीईएस-बीपीओ के लिए घरेलू मार्किट से प्राप्त राजस्व वर्ष 2008-09 में 12.8 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में वर्ष 2009-10 में 14 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ने की आशा है।

4.4.13 कुल आईटी साफ्टवेयर और सेवाओं में रोजगार वर्ष 2008-09 में 2.20 मिलियन की तुलना में वर्ष 2009-10 में 2.29 मिलियन (हार्डवेयर सेक्टर में रोजगार को छोड़कर) तक पहुँच जाने का अनुमान है। यह वर्ष 2009-10 में उद्योग कर्मचारी आधार में 90,000 व्यावसायिकों की निवल बढ़ोत्तरी को दर्शाता है। इस क्षेत्रक के कारण अप्रत्यक्ष रोजगार लगभग 8.2 मिलियन होने का अनुमान है।

4.4.14 इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर उत्पादन की कुल कीमत वर्ष 2008-09 के दौरान 97,260 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2009-10 के दौरान (अनुमानित) 1,09,940 करोड़ रुपए हो गई। वर्ष 2009-10 के दौरान इलेक्ट्रानिकी और आईटी निर्यात वर्ष 2008-09 में 2,47,420 करोड़ रुपए की तुलना में 2,66,330 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

4.4.15 राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में आईटी-आईटीईएस का योगदान वर्ष 2008-09 में 6.0 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2009-10 में 6.1 प्रतिशत तक बढ़ जाने का अनुमान है।

4.4.16 वर्ष 2010-11 के दौरान जांच किए गए प्रमुख नीतिगत मामलों/ टिप्पणियों/ स्कीमों/ परियोजनाओं को संक्षिप्त में नीचे दिया जा रहा है :

(i) आईटी संघटकों के संबंध में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना 2010-11 के प्रस्ताव; आईटी सेक्टर से संबंधित राज्य विशिष्ट विशेष योजना सहायता (एसपीए) प्रस्ताव।

(ii) 600 जिलों की मल्टीप्लेयर जीआईएस मैंपिंग और (ii) छह शहरों (अहमदाबाद, बंगलौर, कोलकाता, चेन्नई, मुम्बई और हैदराबाद) संबंधी योजना आयोग की दो परियोजनाओं को एनआईसी द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

(iii) राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क को स्थापित करने के लिए उच्च स्तरीय समिति; ई-गवर्नेंस मानकों संबंधी शिखर निकाय की चौथी बैठक; एनईजीपी के अंतर्गत क्षमता निर्माण स्कीम के लिए अधिकार प्राप्त समिति की पांचवीं और छठी बैठकों; भारत में आईटी, आईटीईएस और इलेक्ट्रानिकी हार्डवयेर निर्माण उद्योग की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए "कार्यदल की रिपोर्ट " संबंधी बैठक एसएएमईईआर (समीर) की अभिशासी परिषद की 57वीं बैठक; ई-पंचायत ईपीआरआई एमएमपी की प्रगति संबंधी बैठक; सीएससीज और ई-पीआरआई के बीच सहक्रियाओं एवं अभिसरण संबंधी बैठक से संबंधित बैठकों में भाग लिया।

(iv) शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए सर्वव्यापी इलेक्ट्रानिक पहुंच संबंधी राष्ट्रीय नीति; देश में सेमिकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन विनिर्माण सुविधाओं को स्थापित करने संबंधी अवसंरचना की मंत्रिमंडलीय समिति; राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के अंतर्गत ई-डिस्ट्रिक्ट एमएमपी के राष्ट्रीय रोलआउट हेतु स्कीम पर सीसीआई टिप्पणियों के संबंध में प्रारूप टिप्पणियों की जांच की ओर टिप्पणियां प्रस्तुत की।

(v) आईईसीटी क्षेत्र में प्रशिक्षण/शिक्षा क्षमता में बढ़ोत्तरी करके पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास " संबंधी ईएफसी ज्ञापन की जांच की और टिप्पणियां प्रस्तुत की। गृह मंत्रालय के "राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर" स्कीम की लागत अनुमान में संशोधन किया; डीआईटी के अंतर्गत मीडिया लैब एशिया के स्वतंत्र प्रभाग के रूप में आईटी अनुसंधान अकादमी (आईटीआरए) की स्थापना करना; भारत

निर्माण कामन सर्विस सेंटरों संबंधी ईएफसी टिप्पणियां।

(vi) इंडियन सेल्युलर एसोशिएशन से वर्ष 2011-12 के लिए संघीय बजट सिफारिशें।

(vii) अजमेर, राजस्थान में एक परीक्षण और अंशाकन प्रयोगशाला को स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पर एसएफसी ने विचार करना है।

(viii) आंध्र प्रदेश सरकार, कर्नाटक सरकार और उड़ीसा सरकार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र (आईटीआईआर) को स्थापित करने के लिए परियाजना प्रस्तावों की जांच की और अनुमोदन किया।

(ix) साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क स्कीम के अंतर्गत एसटीपी यूनिटों के लिए अवसरंचनात्मक सुविधाओं को स्थापित करने के लिए आवेदन प्राप्त किए गए और इलेक्ट्रानिकी हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क (ईएचटीपी) और एसटीपी स्कीमों के लिए अंतर-मंत्रालयी स्थायी समिति (आईएमएसटी) की बैठकों में भाग लिया।

(x) आईटी विभाग की विभिन्न स्कीमों के लिए वार्षिक योजना 2011-12 हेतु निधियों का आबंटन।

सूचना और प्रसारण

4.4.17 सूचना और प्रसारण क्षेत्रक, जिसमें फिल्म, सूचना और प्रसारण स्कंध शामिल हैं, गीत एवं नाटक प्रभाग, प्रिंट मीडिया, फिल्मों और श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रोनिक मीडिया जैसी परम्परागत माध्यमिक यूनिटों के जरिए व्यापक संचार का कार्य करता है।

4.4.18 वर्ष 2010-11 के दौरान आई एंड बी क्षेत्रक में जांच किए गए प्रमुख नीतिगत मुद्दे/ टिप्पणियां/ स्कीमें /परियाजनाएं संक्षेप में निम्नलिखित हैं :

(i) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के लिए निधियों के वार्षिक योजना 2011-12 आबंटन

(ii) जम्मू और कश्मीर राज्य (कार्यान्वयन एजेंसी आकाशवाणी) के सीमा क्षेत्र में आकाशवाणी और दूरदर्शन की सिग्नल क्षमता को मजबूत करने, प्रसार भारती/आकाशवाणी की ई-गवर्नेंस प्रक्रिया संबंधी एसएफसी प्रस्ताव।

(iii) दूरदर्शन के ट्रांसमीटर और स्टूडियो उपकरण के आधुनिकीकरण/ संवर्धन/ प्रतिस्थापन; डीडी चैनलों के साफ्टवेयर उत्पादन/प्रापण, फिल्म प्रभाग के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा संग्रहालय की स्थापना करने, विज्ञापन ओर दृश्य प्रचार निदेशालय "विकास प्रचार कार्यक्रम " पर संशोधित लागत अनुमान संबंधी ईएफसी प्रस्ताव।

(iv) दूरदर्शन और आकाशवाणी के ट्रांसमीटरों और स्टूडियो के डिजिटलाइजेशन हेतु सीसीईए की अनुमति के लिए टिप्पणियां।

अन्य कार्यकलाप

4.4.19 ग्यारहवीं योजना (2007-08 से 2011-12) को तीव्रतर और समावेशी विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। स्कीमों को समावेशिता को व्यापक बनाने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कमियों पर काबू पाने के लिए तैयार किया गया था। पिछले तीन वर्षों में अनुभवों की समीक्षा करने के लिए मध्यावधिक मूल्यांकन (एमटीए) किया गया है और ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने का प्रयास किया गया है जहां सुधारात्मक उपाय आवश्यक हो सकते हैं। दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, डाक और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ग्यारहवीं योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन को संचालित किया गया है और ग्यारहवीं योजना के मध्यावधिक मूल्यांकन में प्रलेखबद्ध किया गया है।

सूचना द्वार

4.2.20 यह प्रभाग "सूचना द्वार" अथवा "साइबर कैफे" के प्रबंधन से संबद्ध है। यह सुविधा विजिटिंग मीडिया व्यक्तियों को सूचना प्राप्त करने के लिए इंटरनेट को देखने और पढ़ने में समर्थ बनाती है। यह आम जनता को भी सूचना और प्रकाशन उपलब्ध कराती है। यह प्रभाग योजना आयोग, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद और आरटीआई ऑनलाइन/ऑफलाइन की तीन वेबसाइटों को भी अनुरक्षित और अद्यतन करता है।

आंतरिक सूचना सेवा

4.4.21 यह प्रभाग चुनिंदा समाचारों का एक कम्प्यूटरीकृत दैनिक सार-संग्रह (डाइजेस्ट) प्रकाशित करता है और महत्वपूर्ण मदों की समाचार पत्र की कतरने उपाध्यक्ष, राज्यमंत्री और आयोग के सदस्यों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को दैनिक आधार पर उपलब्ध कराता है।

4.5 विकास नीति प्रभाग

4.5.1 विकास नीति प्रभाग मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के बृहद-आर्थिक प्राचलों के मानीटरन, आर्थिक नीति के मामलों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण, समीक्षाएं, टिप्पणियां तैयार करने, और आर्थिक नीति के मामलों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित उपभोक्ता मामले और खाद्य सुरक्षा से संबंधित संसदीय प्रश्नों के बारे में कार्रवाई करने से संबंधित है। यह प्रभाग कृषि मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के आधार पर, विभिन्न फसलों की न्यूनतम समर्थन कीमतों (एम एस पी) के बारे में कृषि लागत और कीमत आयोग (सी ए सी पी) से प्राप्त होने वाली सिफारिशों की जांच करता है। इसके अलावा, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए एक नोडल प्रभाग के रूप में, यह प्रभाग खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और उपभोक्ता कार्य विभाग की स्कीमों की जांच करता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग भारतीय मानक कार्यालय, चीनी विकास निधि संबंधी समिति के प्रस्तावों और क्रियाकलापों और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी मुद्दों के संबंध में मानीटरन समितियों की बैठकों में भाग लेता है।

4.5.2 वर्ष 2010-11 (जनवरी, 2011 के मध्य तक) के दौरान प्रभाग में निम्नलिखित कार्यकलाप निष्पादित किए गए :

(i) इस प्रभाग ने खाद्यान्नों (खरीफ और रबी) तिलहनों, गन्ने, खोपरा और जूट के बारे में कृषि मंत्रालय से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई सिफारिशों की जांच की और टिप्पणियां प्रस्तुत की।

(ii) इस प्रभाग ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के विभिन्न मुद्दों अर्थात् टीपीडीएस के अंतर्गत केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को संशोधित किया और खाद्यान्नों के आबंटन, राष्ट्रीय परीक्षण गृह, विधिक माप-पद्धति और मसौदा राष्ट्रीय, उपभोक्त नीति की जांच की और टिप्पणियां प्रस्तुत की।

(iii) इस प्रभाग ने आवश्यक जिस अधिनियम, प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक (एनएफएसबी) पर अनुशंसा की जांच करने के लिए विशेषज्ञ समिति और खाद्यान्नों, मूल्यों, स्टाक सीमा, भण्डारण क्षमता आदि की उपलब्धता के बारे में कैबिनेट/सीसीईए/इजीओएम। सीओएस टिप्पणियों की जांच की और टिप्पणियां प्रस्तुत की।

(iv) प्रभाग के शर्करा संबंधी विशेषज्ञ ग्रुप (अध्यक्ष डॉ. वाई.एस.पी. थ्रोट) की रिपोर्ट की

सिफारिशों की जांच की और खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग को अपने विचारों से अवगत कराया।

(v) प्रभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्यान्नों की भण्डारण क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु इनपुट मुहैया कराने के अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली और भण्डारण प्रणाली से संबंधित मुद्दों की जांच की और उनका उत्तर दिया।

(vi) "लक्षित, सार्वजनिक वितरण प्रणाली " और उपभोक्ता, सुरक्षा संबंधी प्रारंभ अध्यायों को वार्षिक योजना 2010-11 दस्तावेज में शामिल करने हेतु प्रभाग में तैयार किया गया।

(vii) इस प्रभाग से संबंधित विभिन्न तारांकित/अतारांकित संसद प्रश्नों का उत्तर दिया गया।

(viii) यह प्रभाग खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और उपभोक्ता मामले विभाग की वार्षिक योजना 2011-12 के लिए प्रस्ताव की जांच करने की कार्रवाई कर रहा है।

(ix) प्रभाग बढ़ती कीमतों के बारे में विभिन्न परिणामों पर इनपुट भी उपलब्ध कराता रहा है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय सुझाता रहा है। प्रभाग द्वारा वर्ष 2010-11 के दौरान दिल्ली और पानीपत में फार्म गेट कीमतों और खुदरा कीमतों के बीच अंतर का पता लगाने के लिए एक संक्षिप्त अध्ययन भी किया गया है।

4.6 शिक्षा प्रभाग

4.6.1 मानव संसाधन विकास (एचआरडी) प्रभाग के एक नए नाम के साथ शिक्षा प्रभाग शिक्षा, खेलों, खेलकूद और युवा मामलों के क्षेत्र में विकास आयोजना के समस्त पहलुओं से संबंधित कार्य कर रहा है। तथापि, यह कृषि और समवर्गी क्षेत्रकों, लोक स्वास्थ्य और चिकित्सीय शिक्षा से संबंधित शिक्षा से संबंध नहीं रखता।

4.6.2 शिक्षा प्रभाग के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हैं: (i) शिक्षा के विभिन्न स्तर, जैसेकि पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, मिडिल, औपचारिक तथा गैर-औपचारिक शिक्षा, माध्यमिक, विश्वविद्यालय/तकनीकी शिक्षा और साथ ही (ii) विशेष क्षेत्र भी, जैसेकि लड़कियों; अनुसूचित जातियों; अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की शिक्षा तथा विकलांग बच्चों की शिक्षा। प्रमुख विकास कार्यक्रम निम्नलिखित से संबंधित हैं: प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण, माध्यमिक स्तर पर उत्तम शिक्षा की सर्वसुलभता और उसमें सुधार, प्रौढ़ शिक्षा; शिक्षा का व्यावसायीकरण; अध्यापक; शारीरिक शिक्षा; खेलकूद; छात्रवृत्तियां; भाषा विकास; पुस्तक प्रोन्नयन; पुस्तकालय; युवा सेवा स्कीमें; सांस्कृतिक संस्थान और कार्यकलाप आदि।

4.6.3 वर्ष 2010-11 के दौरान जो कार्यकलाप शुरू किए गए वे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन और शिक्षा संबंधी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वार्षिक राष्ट्रीय रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से संबंधित थे। यह प्रभाग बारहवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र को तैयार करने में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है।

4.6.4 इसके अतिरिक्त समीक्षाधीन अवधि में योजना स्कीमों को जारी रखने से संबंधित कार्यकलापों अर्थात् स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन), खेलकूद विभाग, युवा कार्य विभाग (युवा मामले मंत्रालय के अधीन) की स्कीमों के संबंध में एसएफसी/ईएफसी/सीसीईए प्रस्तावों को सिद्धांत रूप में मंजूरी प्रदान करना और उनकी जांच करने का काम जारी रखा गया। चालू

वर्ष 2010-11 के तहत इन विभागों द्वारा व्यय की गति की समीक्षा करने के लिए सदस्य (शिक्षा) की अध्यक्षता में वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एचपीआर) बैठकें आयोजित की गईं। इन निष्पादन समीक्षाओं ने प्रगति की गहन समीक्षा की, स्कीमों को कार्यान्वित करने में आने वाली समस्याओं की पहचान की और बेहतर लक्ष्य निर्धारण/निधियों के प्रयोग के लिए उपयुक्त समाधान सुझाए।

4.6.5 वर्ष के दौरान प्रभाग के अधिकारियों ने, राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), एसएसए, एमडीएम, आरएमएसए के परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) जैसे संस्थानों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और नीतियों की समीक्षा बैठकों, आईसीटी के जरिए शिक्षा में राष्ट्रीय मिशन की पीएबी बैठकों और इस मिशन की उप समितियों जैसेकि तकनीकी समिति और उचित परिश्रम समिति, 57वीं सीएबीई बैठक एनसीआरआई और टीईक्यूआईपी के अभिशासी निकाय और कार्यकारी परिषद की बैठकों में भाग लिया।

4.6.6 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में शिक्षा, युवा मामले और खेलकूद क्षेत्रकों के अंतर्गत आबंटन भी किए गए। इस संबंध में अधिकारियों ने राज्यों की वार्षिक योजना 2010-11 प्रस्तावों की अंतिम राय देने के लिए अनेकों कार्यकारी बैठकों में भाग लिया। राज्यों की अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता के प्रस्तावों की भी जांच की गई।

4.6.7 शिक्षा प्रभाग ने वर्ष के दौरान नीतिगत मामलों पर अनेकों शुरूआती कार्य किया जिसमें निम्नलिखित शामिल थे :

- प्रभाग ने प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रमों जैसे एसएसए और एमडीएम की प्रगति की प्रस्तुति में भाग लिया। आरटीई आधिनियम के दृष्टिगत एसएसए के साथ आरटीई का तालमेल करने हेतु कई क्रियाविधियों पर मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया गया और इसे अंतिम रूप दिया गया।
- प्रभाग ने एसएसए संबंधी संयुक्त समीक्षा मिशन और स्कूलों में मध्याह्न भोजन संबंधी राष्ट्रीय संचालन-सह-मानीटरण समिति दोनो फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं - की बैठकों में भाग लिया। कई अधिकारियों ने राज्य और जिला स्तर पर स्कीमों को लागू करने के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए राज्यों में फील्ड दौरे किए।
- विभाग ने माध्यमिक शिक्षा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत माध्यमिक स्कूलों, मॉडल स्कूलों और केन्द्रीय विद्यालयों आदि में बड़ी स्कीमों की जांच की।
- प्रभाग ने 16 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा और अनुसंधान आयोग (एनसीएचईआर) राष्ट्रीय शिक्षा वित्त निगम (एनईएफसी) की स्थापना से संबंधित अनेकों प्रस्तावों की भी जांच की, भारतीय विज्ञान, दर्शनशास्त्र और संस्कृति परियोजना (पीएचआईएसपीसी) के विस्तार, सीआईटी में डिग्री पाठ्यक्रम को शुरू करने, नई संस्थाओं को स्थापित करने और वर्तमान संस्थाओं का विस्तार करने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने की स्कीम, आईआईएएस , शिमला टैगोर अध्ययनों के लिए केन्द्र की स्थापना करने की जांच की गई।
- प्रभाग ने राष्ट्रीय अकादमिक न्यासी विधेयक, 2010 सीईआई अधिनियम 2006 और एनआईटी अधिनियम, 2007 में संशोधन, इंजीनियर्स विधेयक, 2009,

वास्तुविद् विधेयक, 2009 बंगाल इंजीनियरी और विज्ञान विश्वविद्यालय (बीईएसयू) को भारतीय इंजीनियरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी) में परिवर्तित करने और 20 नए आईआईटीज को स्थापित करने के लिए कैबिनेट टिप्पणियों की जांच की।

- प्रभाग के अधिकारियों ने एनएचआरडी के साथ साझेदारी में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, पंजाब विश्वविद्यालय 60:40 निधियन समिति, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी को लागू करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति संबंधी नीति फ्रेमवर्क में भाग लिया।

- प्रभाग प्रारंभिक शिक्षा विशेषकर वामपंथ वाले कट्टरपंथी प्रभावित जिलों में एसएसए की प्रगति के लिए संक्षिप्त टिप्पणियां सक्रियता से तैयार करता रहा है।

- शिक्षा प्रभाग ने अनुसंधान अध्ययनों/ मूल्यांकन अध्ययनों के वित्त पोषण के संबंध में एनजीओ (ज) और स्वायत्त निकायों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच भी की है और अनुदान सहायता समिति को मूल्यांकन नोट उपलब्ध कराए हैं। कुछ अधिकारी योजना आयोग में पीईओ द्वारा स्थापित अध्ययनों के लिए मूल्यांकन समितियों में शामिल किए गए हैं।

- शिक्षा प्रभाग ने संसद प्रश्नों और आश्वासनों, शिक्षा क्षेत्रक, वीआईपी निर्देशों, आरटीआई संबंधित मामलों, परिणाम बजट तैयार करने से संबंधित मुद्दों पर संसदीय स्थायी समिति की टिप्पणियों को निपटाने का काम भी किया है और राष्ट्रपति के बजट अभिभाषण, आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक संपादकों के सम्मेलन में शामिल करने के लिए सामग्रियां भी उपलब्ध करवाई है।

- शिक्षा प्रभाग ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राज्य विकास रिपोर्टों और राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों की मध्यावधि मूल्यांकन रिपोर्टों की जांच की है।

युवा मामले और खेलकूद

4.6.8 भारत युवा लोगों का देश है और इसकी आबादी में लगभग 70 प्रतिशत लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं। इस "जनसांख्यिकी लाभांश" को इस रूप में देखा जाता है कि यह देश की विकास दर में तेजी लाने का अवसर प्रदान करता है। राष्ट्र निर्माण में युवा-शक्ति का सदुपयोग करने के लिए युवा मानवों के मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम/स्कीमें कार्यान्वित की जा रही है। इसलिए 11वीं योजना में किशोरों और युवाओं से संबंधित समस्याओं पर ध्यान दिया गया है।

4.6.9 समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रभाग के अधिकारियों ने युवाओं और किशोरों के विकास और अशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के मध्य खेलकूद को बढ़ावा देने की स्कीम के अंतर्गत उपभोज्य और गैर-उपभोज्य खेल उपकरणों की खरीद एवं खेलकूद शिक्षण हेतु अनुदान से संबंधित एनपीवाईएडी के अधीन प्रस्ताव पर विचार करने के लिए परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) की बैठकों में भाग लिया। तृणमूल स्तर पर खेलकूद अवसंरचना को सृजित करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु पीवाईकेकेए के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए उनकी कार्यकारी समिति की बैठकों में भी सता किया गया। एसएफसी/ईएफसी/सीडब्ल्यूजी-2010 के केबिनेट नोट के लिए कई प्रस्तावों की जांच की गई और उनकी समीक्षा की गई, जिससे कि खेलकूद अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं को सफलतापूर्वक और समय पर पूरा किया जा सके। सीडब्ल्यूजी-2010 के संबंध में सचिवों की समिति (सीओएस) और मंत्री समूहों (जीआरएम) की बैठक में उपस्थित होने के लिए संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार

की गई। सीडब्ल्यूजी-2010 से संबंधित परियोजनाओं की स्थिति की मासिक आधार पर समीक्षा की गई।

4.6.10 खेल विभाग और युवा मामलों विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय के वर्ष 2011-12 के लिए वार्षिक योजना प्रस्तावों की वर्ष 2010-11 की छमाही निष्पादन समीक्षा के साथ-साथ चर्चा की गई थी और जांच की गई थी। खेलकूद अवसंरचना विकास के लिए पूर्वोत्तर राज्यों से प्राप्त वार्षिक योजना 2010-11 के प्रस्तावों और एसीए एवं एसपीए की मांग करने वाले प्रस्तावों की जांच की गई थी टिप्पणियां की गई थी।

4.7 पर्यावरण और वन प्रभाग

4.7.1 ई तथा एफ प्रभाग पर्यावरण, वन, वन्य जीवन और मौसम बदलाव से संबधित योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों के साथ जुड़ा है। वर्ष के दौरान सभी क्षेत्रकों में विधानों, नीति निर्माण और कार्यक्रमों की जॉच करने के अलावा, निम्नलिखित कार्रवाईयाँ और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के निष्पादन की समीक्षा आयोजित की गईः

- राज्यों द्वारा वनारोपण
- वन संरक्षण के संबंध में, विशेष रूप से एल डब्ल्युई प्रभावित जिलों में पर्यावरण और वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय
- राज्यों द्वारा वन कार्यकरण योजनाएं तैयार करने की स्थिति के संबंध में वन प्रबंधन का तीव्रीकरण
- विभिन्न राज्यों में वायु, जल प्रदूषण का स्तर और उपशमन प्रयास
- वन अधिकार निपटारे की प्रगति और एमएफपी का विपणन आदि
- बारहवीं योजना दृष्टिकोण पत्र तैयार करने के लिए एक कार्य दल गठित किया गया। आकलन के परिणाम की सिफारिशें तथा दृष्टिकोण पत्र का मसौदा, स्कीमों और संस्थानों की समीक्षार्थ पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा संबंधित प्राधिकारियों को भेज दिया गया है।

4.7.2 वर्ष 2010-11 के दौरान पर्यावरण, वन और वन्यजीवन क्षेत्रक में ध्यान दिए जाने वाले प्रमुख क्षेत्र थेः

- राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अन्तर्गत अनुमोदनार्थ परियोजनाएं।
- हरित भारत मिशन दस्तावेज तैयार करना।
- जलवायु परिवर्तन के संबंध में राज्य कार्रवाई योजना।
- "प्रोजेक्ट टाइगर" और "वन्य जीवन अपराध नियंत्रण ब्यूरो" का सुदृढ़ीकरण ।
- पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना और तटवर्ती जोन प्रबंधन के संबंध में अधिसूचना का अनुमोदन।
- हरित अधिकरण का गठन।
- परतीभूमि और झील विकास स्कीम का एकीकरण और संयोजन।
- परतीभूमि प्रबंधन का सुदृढीकरण और मार्गनिर्देशों व नियमों आदि की अधिसूचना।

4.7.3 एक प्रभावी तथा उपयोगी वार्षिक योजना चर्चा के वास्ते राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह की गई कि वार्षिक योजना प्रस्ताव, प्रदूषण उपशमन के संबंध में कार्यकलापों और बजटों को परिलक्षित करें जिनमें संधारणीय विकास पर बल देते हुए पृथक रूप से वानिकी और वन्यजीवन के साथ डील करने के लिए "पर्यावरण" शीर्ष के अन्तर्गत विनियमों और पारिस्थितिकी का अनुपालन करना सम्मिलित है। राज्यों से, वन

अधिकार अधिनियम 2006; "पेसा", 1996, जैव विविधता अधिनियम 2002 और जैव-विविधता नियम 2004 आदि को कार्यान्वित करने में एक सक्रिय भूमिका निभाने का अनुरोध किया गया ताकि लोगों की भागीदारी और तीव्र समावेशी व साम्य विकास सुनिश्चित किया जा सके।

4.7.4 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, जिन्हें वायु, जल और पर्यावरण (संरक्षण)अधिनियम, 1986 के मानीटरन और कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है, चयनित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ हुए विचार-विमर्श की सिफारिशें, पर्यावरण और वन मंत्रालय, राज्यों के मुख्य सचिवों और अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उनके विचारार्थ भेजी गई।

4.7.5 प्राकृतिक संसाधन ह्रास के प्रभाव और अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रकों और साथ ही नागरिकों के कल्याण पर भी अबाध प्रदूषण को घ्यान में रखते हुए, राज्यों द्वारा पर्यावरणीय निष्पादन को समझने तथा केन्द्रीय निधियों के अन्तरण के लिए एक पर्यावरण निष्पादन सूचक (ई पी आई) तैयार किया गया। प्रयास, प्रदूषण उपशमन पर बल देने, पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन के प्रोन्नयन, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण और तीन आर (रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर) पर बल देने को जारी रखने का है। ई पी आई पाँच श्रेणियों पर आधारित है, अर्थात, वायु प्रदूषण, वन, जल गुणवत्ता, अपशिष्ट और जलवायु परिवर्तन तथा इसमें 16 संकेतक सम्मिलित हैं।

4.7.6 मंत्रालय द्वारा प्रभाग को प्रस्तुत निम्निलिखित नई स्कीमों पर सहमति प्रदान की गईः

- जलवायु परिवर्तन कार्रवाई कार्यक्रम,
- जलीय पद्धतियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना,
- जैव-विविधता संरक्षण और ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना (बी सी आर एल आई पी),
- अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग-आसियान-इण्डिया ग्रीन फन्ड,
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
- आई सी एफ आर ई (एकबारगी अनुदान घोषणा का कार्यन्वयन)।

4.7.7 योजना आयोग ने, पर्यावरण, वानिकी और जलवायु परिवर्तन से सम्बद्ध विभिन्न प्रस्तावों को "सिद्धान्ततः" अनुमोदन भी प्रदान किया। ये प्रस्ताव हैंः

- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत दिल्ली में जे आई सी ए सहाय्यित यमुना कार्रवाई योजना (वाई ए पी) चरण-।।। ।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में "जलवायु परिवर्तन अनुकूलन " पर भारत-जर्मन तकनीकी सहयोग (जी टी जेड)-परियोजना।
- भारतीय वन अधिनियम, 1927-धारा 68(3) में संशोधन।
- "हरित प्रौद्योगिकियों " के संबंध में सहयोग पर भारत और चीन लोक गणराज्य सरकार।
- "मोगा, पंजाब में सीवरेज और सीवेज उपचार संयंत्र (एस टी पी) "।
- "जलवायु परिवर्तनः प्रौद्योगिकी प्रणाली " पर मंत्रालयीय संवाद।
- भारत में "चौदहवीं विश्व वानिकी कांग्रेस (डब्ल्यु एफ सी)-2015 " के लिए प्रस्ताव।
- भारतीय वन्यजीवन संस्थान (डब्ल्यु आई आई) के क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव।

- सौराष्ट्र, गुजरात के ग्रेटर गिर क्षेत्र में एशियाटिक शेर का दीर्घावधि संरक्षण आदि।

4.7.8 वर्ष के दौरान, राज्यों द्वारा छोडे गए अवनत वन के आधार पर वन कवर के पुनरूद्धार और पुनः उगाने के लिए एक अनूठी पहल योजना आयोग द्वारा शुरू की गई तथा एकबारगी ए सी ए जारी की गई। परियोजना की सतता के लिए, परियोजना के वित्त पोषण को तेरहवें वित्त आयोग के साथ भी जोड दिया गया है। योजना आयोग ने, वन तथा जैव-विविधता के प्रभावी कार्यान्वयन और संरक्षण के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन्यजीवन अधिनियम 1972 में संशोधन का भी समर्थन किया।

4.7.9 गोआ से एक पोत "रिवर प्रिन्सेस " का साल्वेज करने के लिए एकबारगी ए सी ए, राजस्थान में गोवर्धन नाली को पूरा करने आदि को पर्यावरण और वन क्षेत्रक द्वारा समर्थन प्रदान किया गया। पर्यावरण और वन प्रभाग ने, विकास परियोजनाओं से सम्बद्ध भू-वंचना मामलों में तेजी लाने और तेजी से कार्रवाई करने के लिए, प्रधान सचिवों, (वन), एल डब्ल्यु ई प्रभावित राज्यों के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के साथ विडियो कन्फरेन्सिंग भी आयोजित की। इसके अलावा, प्रभाग ने, वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और जैव-विविधता के संबंध में अनेक वैज्ञानिक अध्ययनों/सेमिनारों/सम्मेलनों के संबंध में एस ई आर प्रभाग के साथ भी सुविधा कायम की।

4.8 वित्तीय संसाधन प्रभाग

4.8.1 राज्यों और केन्द्र के वित्तीय संसाधनों का आकलन करना योजना प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। योजना तैयार करते समय, संसाधनों की उपलब्धता का बारीकी से आकलन किया जाता है, संस्थागत प्रणाली का अध्ययन किया जाता है तथा संसाधन जुटाने की पिछली प्रवृत्ति पर विचार किया जाता है। केन्द्र और साथ ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यू टी) दोनों ही की वार्षिक योजना और पंच वर्षीय योजना आकार के संबंध में निर्णय लेते समय खपाने की क्षमता का अध्ययन करने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है।

4.8.2 केन्द्रीय क्षेत्रक योजना के लिए वित्तीय संसाधानों के आकलन के अन्तर्गत, सरकारी क्षेत्रक उद्यमों के आन्तरिक और बजट-बाह्य संसाधनों (आई ई बी आर) का मूल्यांकन और सकल बजटीय सहायता के स्तर पर विचार करना सम्मिलित है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजना के समुच्चय संसाधनों के अन्तर्गत राज्यों के अपने संसाधन (उधारों सहित) और केन्द्रीय सहायता सम्मिलित है। वित्तीय संसाधन प्रभाग, केन्द्रीय योजना और साथ ही राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों दोनों की ही योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है।

4.8.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान वित्तीय संसाधन प्रभाग ने, केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना 2010-11 के लिए वित्तीय संसाधानों का आकलन कार्य शुरू किया। वार्षिक योजना 2010-11 तैयार करते समय वार्षिक योजना 2009-10 के निष्पादन का मूल्यांकन किया गया।

वार्षिक योजना 2010-11 केन्द्र

4.8.4 वर्ष 2010-11 के लिए केन्द्र का वार्षिक योजना परिव्यय 5,24,484 करोड़ रूपए निश्चित किया गया। केन्द्रीय योजना की वित्तीय पद्धति तालिका 4.8.1 में दर्शाई गई है:

तालिका 4.8.1

केन्द्र की वार्षिक योजना के वित्त पोषण की स्कीम

(करोड़ रूपए)

क्र.सं.	संसाधन	2009-10ब.अ.	2009-10सं.अ.	2010-11ब.अ.
1	चालू राजस्व से शेष (बीसीआर), बाह्य अनुदानों साहित	-59,161	-1,12,474	-21,387
1क	बाह्य अनुदान	2,136	3,078	2,060
2	ऋण-भिन्न पूँजी प्राप्तियों से शेष	-16,686	13,609	13,071
3	राजकोषीय घाटा	4,00,996	4,14,041	3,81,408
4	**योजना के लिए सकल बजटीय सहायता (1+2+3)**	**3,25,149**	**3,15,176**	**3,73,092**
5	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए सहायता	85,309	86,012	92,492
(कुल जीबीएस में %हिस्सा)		*(26.24%)*	*(27.29%)*	*(24.79%)*
6	**केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय सहायता (4-5)**	**2,39,840**	**2,29,164**	**2,80,600**
(कुल जीबीएस में %हिस्सा)		*(73.76%)*	*(72.71%)*	*(75.21%)*
7	सीपीएसई के आईईबीआर	2,080,81	1,96,427	2,43,884
8	**केन्द्रीय योजना परिव्यय (6+7)**	**4,47,921**	**4,25,591**	**5,24,484**

* पीएसई और स्थानीय निकायों के आईईबीआर सहित

वार्षिक योजना 2010-11 **(सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)**

4.8.5 सभी राज्यों और विधान सभा सहित संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना 2010-11 के लिए कुल संसाधन 402655.72 करोड़ रूपए बैठते हैं। योजना के वित्त पोषण की पद्धति तालिका 4.8.2 में दी गई है।

तालिका 4.8.2

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के समुच्चय योजना संसाधन

वित्त पोषण के स्रोत	2009-10		2010-11
	एपी	आरई/एलई	एपी
राज्यों के अपने संसाधन*	2,59,930.32	2,64,860.37	3,12,137.64
(% हिस्सा)	(75.0%)	(77.1%)	(77.5%)
केन्द्रीय सहायता	86,692.58	78,575.72	90,518.08
(% हिस्सा)	(25.0%)	(22.9%)	(22.5%)
समुच्चय संसाधन	3,46,622.90	3,43,436.09	4,02,655.72

*पीएसई और स्थानीय निकायों के आईईबीआर सहित

वार्षिक योजना 2011-12

4.8.6 सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में वार्षिक योजना 2011-12 के लिए वित्तीय संसाधन अनुमानों के संबंध में अधिकारिक स्तर चर्चाएं दिसम्बर 2010 में पूरी हो गई। योजना आयोग, केन्द्र के लिए जी बी एस को जनवरी 2011 में और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में वार्षिक योजना के आकार को अन्तिम रूप देने का कार्य वित्त वर्ष शुरू होने से पहले पूरा कर लेगा।

रिपोर्टें, समीक्षा टिप्पणियां व अन्य कार्यकलाप

- केन्द्रीय बजट 2011-12 में शामिल करने के लिए केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना 2011-12 के लिए सकल बजटीय सहायता (जी बी एस) को वित्त मंत्रालय के परामर्श से अन्तिम रूप देना।
- वार्षिक योजना 2011-12 को अन्तिम रूप देने के लिए योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच अनेक बैठकों के वास्ते राज्यों और योजना वित्त पोषण की वित्तीय स्थिति के संबंध में टिप्पणियां तैयार करना।
- वित्त मंत्रालय (आर्थिक सर्वेक्षण में शामिल करने के वास्ते) और भारतीय रिजर्व बैंक को उपलब्ध कराने के वास्ते राज्यों और योजना वित्त पोषण की वित्तीय स्थिति के संबंध में टिप्पणियां तैयार करना।
- बजट-पूर्व चर्चाओं में योजना आयोग की भागीदारी कार्यकलाप में समन्वय।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वित्तीय संसाधनों का आकलन करने के लिए विभिन्न कार्य दलों और संचालन समिति का गठन।
- विशेष श्रेणी राज्यों के संबंध में समूह की रिपोर्ट/सिफारिशों को अन्तिम रूप देना।
- लोक खर्च के सुचारू प्रबंधन के लिए उपाय सुझाने के वास्ते प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डा.सी.रंगराजन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया तथा समिति को संदर्भित पाँच टी ओ आर पर विचार-विमर्श प्रगति पर है।

केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम

4.8.7 वास्तविक समय आधार पर केन्द्र प्रायोजित स्कीमों और केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों के व्यय की जानकारी प्राप्त करने तथा एक सार्थक प्रबंधन सूचना पद्धति (एम आई एस) और निर्णय समर्थन पद्धति (डी एस एस) सृजित करने के लिए एक नई योजना स्कीम, यथा, योजना लेखांकन और लोक

वित्त प्रबंधन पद्धति (पी ए पी एफ एम एस) वर्ष 2008-09 में शुरू की गई। स्कीम को, योजना आयोग की एक योजना स्कीम के रूप में लेखा महानियंत्रक के कार्यालय (सी जी ए) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अभी तक परियोजना की कुछेक महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नवत हैं -

- सभी योजना स्कीमों को कवर करने के लिए पी ए पी एफ एम एस को केन्द्रीय सरकार के सिविल मंत्रालयों में प्रचालित किया गया है।
- योजना निधियां प्राप्त करने वाली सभी एजेन्सियां अब अपने बैंक ब्योरों के साथ पंजीकृत हैं। सभी राशि पी ए पी एफ एम एस के वेब पोर्टल पर सृजित मंजूरी आई डी के आधार पर जारी की जाती है।
- केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा वित्तीय मंजूरियों और उनकी अदायगी स्थिति का पता लगाना अब सम्भव है।
- योजना स्कीमों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से धन प्राप्त करने वाली सभी एजेन्सियों का केन्द्रीय डेटाबेस तैयार किया गया है।

4.8.8 कुछ राज्यों में प्रायोगिक रोल आउट से अनुभव और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) में दिए गए प्रस्तावों के आधार पर, सम्मिलित कार्यकर्ताओं के सभी स्तरों को कवर करते हुए संयोजकता के व्यापक नेटवर्क के साथ एक समग्र पद्धति खाका तैयार किया जाएगा।

4.9 स्वास्थ्य, पोषाहार और परिवार कल्याण

4.9.1 प्रतिबद्धताओं की समीक्षा करने और ग्यारहवीं योजना में प्रगति का संतुलित आकलन करने के लिए, क्षेत्रकीय डेटा का विश्लेषण करने के अलावा, अधिकारिक दस्तावेजों व अन्य रिपोर्टों की समीक्षा करने, क्षेत्र में विशेषज्ञों, कार्यान्वयन मंत्रालयों के नोडल विभागों और साथ ही इस विषय से डील करने वाले राज्य विभागों से भी परामर्श करने के लिए, मध्यावधि आकलन अभ्यास के एक भाग के रूप में "विश्व से आवाजों को सुनने" का भी निर्णय लिया गया। तदनुसार, योजना निष्पादन में कमी वाले क्षेत्रों का पता लगाया गया है तथा कार्यान्वयन मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए जाने के लिए मध्यावधि सुधारों का सुझाव दिया गया है। आगामी बारहवीं योजना के लिए स्वास्थ्य क्षेत्रक के लिए कार्यनीति तैयार करने की दिशा में उपाय किए गए हैं।

4.9.2 स्वास्थ्य, आयुष, परिवार कल्याण एवं पोषण प्रभाग की निम्नलिखित जिम्मेदारी है -

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) नामक अग्रणी कार्यक्रम के विशेष संदर्भ में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आयुष तथा पोषण से संबंधित नीति और कार्यनीति मार्गनिर्देश तैयार करना।
- स्वास्थ्य क्षेत्रक में अर्थात जानपदिकरोगवैज्ञानिक, जनांकिकीय, सामाजिक और प्रबंधकीय चुनौतियों में बदलती प्रवृत्तियों का मानीटरन।
- राज्य और केन्द्रीय क्षेत्रक-दोनों में चालू नीतियों, कार्यनीतियों और कार्यक्रमों की जांच करना और उपयुक्त फेर-बदलों और मध्य मार्ग में किए जाने वाले संशोधनों के सुझाव देना।
- सेवाओं की कार्यकुशलता और गुणवत्ता में सुधार करने के तरीकों के सुझाव देना।
- जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने/तथा त्वरित जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने के लिए जरूरी बुनियादी, नैदानिक तथा प्रचालनात्मक अनुसंधान के लिए प्राथमिकताएं तैयार करना।

- अंतर्क्षेत्रकीय मुद्दों की जांच करना और सेवाओं के अभिसरण के लिए उपयुक्त नीतियां विकसित करना ताकि जनता इस समय चालू कार्यक्रमों से इष्टतम लाभ उठा सके।
- इनमें से प्रत्येक क्षेत्रक के लिए अल्पकालिक, मध्यावधिक और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य और लक्ष्य तय करना।

4.9.3 यह प्रभाग निम्न में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व करता हैः

(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, आयुष, स्वास्थ्य अनुसंधान, एड्स नियंत्रण तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न समितियां।

(ii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, आयुष, स्वास्थ्य अनुसंधान, एड्स नियंत्रण तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित ईएफसी/एसएफसी।

(iii) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन आफ इंडिया आदि के वैज्ञानिक सलाहकार दल आदि।

4.9.4 स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण संसाधनों, अपेक्षित जनशक्ति और सामग्री सहित, शुरू किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निर्माण और उपकरण के मानक तथा चिकित्सीय अनुसंधान के विकास से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों में प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के संबंध में योजना आयोग को सलाह देने के लिए समय-समय पर विशेषज्ञ पैनलों का गठन किया जाता है।

कार्य दल चर्चाएं

4.9.5 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रभाग, वार्षिक योजना 2011-12 के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और साथ की केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ भी विस्तृत (कार्य दल) चर्चाएं आयोजित कर रहा है। चर्चा के प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र हैं : भौतिक तथा वित्तीय निष्पादन, प्रस्तुत समस्थाएं तथा परिव्यय को, राष्ट्रीय सांझा न्यूनतम कार्यक्रम (एन सी एम पी) में यथा निर्धारित जी डी पी के 2-3% तक बढ़ाना।

4.9.6 एक कार्यकलाप जो पूरे समीक्षाधीन वर्ष में जारी रहा वह योजना स्कीमों को जारी रखने से सम्बद्ध था, यथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा "आयुष" विभाग की स्कीमों के संबंध में एस एफ सी/ई एफ सी/सी सी ई ए प्रस्तावों का "सिद्धान्ततः" अनुमोदन और जाँच करना।

4.9.7 योजना आयोग में निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुएः

सिद्धान्ततः अनुमोदन

- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी एम एस एस वाई) के चरण III के अन्तर्गत मेडिकल कालेज संस्थानों का स्तरोन्नयन।
- केन्द्रीय प्रापण एजेन्सी (सी पी ए) की स्थापना।
- चेंगलपट्टु, चेन्नई, तमिलनाडु में एकीकृत वेक्सीन परिसर की स्थापना।
- स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की चार स्कीमें -
  (i) स्वास्थ्य अनुसंधान के प्रोन्नयन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास
  (ii) स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए मानव संसाधन विकास

(iii) महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए स्कीमें

(iv) अन्तर-क्षेत्रकीय अभिसरण और अनुसंधान शासन मुद्दों पर प्रोन्नयन और मार्गदर्शन के लिए सहायता-अनुदान स्कीमें

- "एम्स " नई दिल्ली के विस्तार की बजाए झज्जर, हरियाणा में "एम्स " जैसे संस्थान की स्थापना।

एस एफ सी प्रस्ताव

- डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में नई आपात ब्लाक इमारत का निर्माण।
- निगरानी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की दिशा में पी जी डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में छात्रों की दाखिला क्षमता 54% तक बढ़ाने के लिए वल्लभभाई पटेल वक्ष संस्थान का इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास।
- संस्थान में वेक्सीन सुविधा के डी पी टी समूह के विकास द्वारा केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली का पुनरूद्धार।
- आई सी एम आर मुख्यालय, अन्सारी नगर, नई दिल्ली में नई इमारत का डिजाइन और विकास।
- हेपेटाइटिस "बी " टीकाकरण को शामिल करने के लिए व्यापक प्रतिरक्षा कार्यक्रम (यू आई पी)।
- सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में जलन आघातों का राष्ट्रीय कार्यक्रम।
- अखिल भारत आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली के अन्सारी नगर कैम्पस से गुजरने वाले नाले को कवर करना - चरण II ।
- पूर्वोत्तर राज्यों में जिला स्तर पर "आयुष " अस्पताल स्थापित करना।
- भारतीय मेडिसिन फार्मास्युटीकल कारपोरेशन लि. (आई एम पी सी एल), भारत सरकार, अल्मोडा, उत्तराखण्ड।
- कर्नाटक में बेलगाँव में क्षेत्रीय मेडिकल अनुसंधान केन्द्र के निर्माण के लिए आई सी एम आर से प्रस्ताव।
- मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम (टी एच ओ ए) के कार्यान्वयन के लिए 2 वर्ष की कार्रवाई योजना - संशोधन तथा राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (एन ओ टी पी) शुरू करना।
- वल्लभभाई पटेल वक्ष संस्थान के सुदृढ़ीकरण के लिए संशोधित प्रस्ताव।
- केंसर अस्पताल, अगरतला, त्रिपुरा का स्तरोन्नयन।

ई एफ सी प्रस्ताव

- विद्यमान प्रमुख "आयुष " संस्थानों को अखिल भारत संस्थानों के रूप में स्तरोन्नत करने के लिए उन्हें सम्भालना।
- पूर्वोत्तर राज्यों में जिला स्तर पर एकीकृत "आयुष " अस्पतालों की स्थापना।
- अवरस्नातक स्तर पर फार्मास्युटीकल शिक्षा और प्रशिक्षण के सुदृढ़ीकरण के लिए "स्टार फार्मा कालेज " स्कीम।
- वल्लभभाई पटेल वक्ष संस्थान (वीपीसीआई), दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय का व्यापक विकास योजना

- निगरानी (ओवरसाइट) समिति की सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में "विद्यमान सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण" के लिए संशोधित प्रस्ताव।
- केन्द्रीय आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी और होम्योपेथी (एएसयू और एच) औषिध नियंत्रक के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तथा " आयुध " के लिए राज्य सरकार परीक्षण प्रोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण ।
- " आयुष " विभाग के अधीन भारतीय औषधि पद्धति (सीआईसीआईएसएम) के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद की स्थापना।
- जीनोम वैली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश में जैव-चिकित्सीय अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय पशु संसाधन सुविधा (एनएआरएफ) की स्थापना।
- केन्द्रीय प्रापण एजेन्सी की स्थापना।
- वृद्धों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के संबंध में संशोधित प्रस्ताव।
- राष्ट्रीय केसर नियंत्रण कार्यक्रम (एनसीसीपी)।
- राज्य सिविल अस्पताल, नहरलागुन, अरूणाचल प्रदेश का सुदृढ़ीकरण और स्तरोन्नयन।
- एनआरएचएम के अन्तर्गत " आयुष " अस्पताल और औषधालयों का विकास।
- ई-स्वास्थ्य पट्टल, टेलीमेडिसिन सहित।
- संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्व निधि सहायता क साथ औषधि-रोधी क्षयरोग के निदान, देखभाल और प्रबंधन के लिए सेवाओं में वृद्धि करना।
- " आयुष ", संस्थानों के विकास की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का संशोधन।
- वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान एकीकृत रोग निगरानी परियोजना (आईडीएसपी) के अन्तर्गत किए जाने वलो अनुमानित खर्च का प्रस्ताव।
- नर्सिंग सेवाओं (स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन) के उन्नयन/सुदृढ़ीकरण की स्कीम के अन्तर्गत उत्कृष्टता केन्द्रीय की स्थापना।
- फार्मेसी संस्थानों (स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन) का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण ।
- राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत "एड्स", टीबी और मलेरिया के लिए विश्व निधि (जीएफएटीएम) समर्थित गहन मलेरिया नियंत्रण परियोजना-II ।
- लोकोप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (एलजीबीआरआईएमएच), तेजपुर, असम का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन।
- अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई-मास्टर योजना इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास।
- राष्ट्रीय विरोलाजी संस्थान, पुणे में बहुप्रयोजन इमारत।

मंत्रिमंडल नोट

- भारतीय गणराज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और कोलम्बिया गणराज्य के सामाजिक संरक्षण मंत्रालय के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक करार पर हस्ताक्षर करना ।
- नर्सिंग सेवाओं (स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन) के उन्नयन/सुदृढ़ीकरण की स्कीम

के अन्तर्गत जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी (जीएनएम) स्कूलों की स्थापना।

- नर्सिंग सेवाओं (स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन) के उन्नयन/सुदृढ़ीकरण की स्कीम के अर्न्तगत आग्जिलियरी और मिडवाइफरी (एएनएम) स्कूलों की स्थापना।
- तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम।
- क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन एक्ट 2010 का अधिनियम और संवर्धन।
- ओबीसी आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए स्नातकोत्तर मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), चन्डीगढ़ का विस्तार।
- राष्ट्रीय अर्ध-चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एनआईपीएस), क्षेत्रीय अर्ध-चिकित्सा विज्ञान संस्थान (आरआईपीएस) की स्थापना और अर्धचिकित्सीय पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्य सरकार मेडिकल कालेजों को सहायता प्रदान करना।
- नए स्नातकोत्तर (पीजी) विषय प्रारंभ करने और केन्द्रीय धन के जरिए स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार मेडिकल कालेजों का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन।
- " एम्स " जैसे छः संस्थानों की स्थापना करने के लिए और 13 विद्यमान राजकीय मेडिकल कालेज संस्थानों के पीएमएसएसवाई चरण-I के अन्तर्गत उन्नयन के लिए लागत अनुमान प्राप्त हुए।
- विद्यमान केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्धा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली का विभाजन करके एक पृथक केन्द्रीय सिद्धा अनुसंधान परिषद की स्थापना।
- " आयुष " विभाग के अधीन तीन केन्द्रीय अनुसंधान परिषदों, नामतः सीसीआरएएस/सीसीआरयूएम/ सीसीआरएच में मेडिकल और गैर-मेडिकल वैज्ञज्ञिनकों के लिए पदोन्नति स्कीम का विस्तार, नामतः स्वास्थ्य विभाग (समूह "क" राजपत्रित गैर-मेडिकल वैज्ञानिक तथा तकनीकी पद-स्थानिक पदोन्नति-नियम 1990)।
- प्रधान मंत्री स्वास्थ्य योजना (पीएमएसएसवाई) के अन्तर्गत स्थापित किए जा रहे *एम्स* जैसे संस्थानों के लिए एक-एक सोसायटी का गठन।
- पीजीआईएमईआर, चन्डीगढ़ में न्यूरोलाजी विभाग में संकाय पदों का सृजन ।
- जेआईपीजीएमईआर, पुदुचेरी के कर्मचारियों द्वारा विकल्प चुनने की अवधि बढ़ाने के लिए जेआईपीजीएमईआर पुदुचेरी अधिनियम 2008 की धारा 28 (I) में संशोधन ।
- आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी (एएसयू) औषधियों क लिए फार्माकोपिआ मानकों के विकास के लिए भारतीय फार्माकोपिआ मेडिसिन आयोग (पीसीआईएम) की स्थापना।
- वर्ष 2010-11 के दौरान प्रायोगिक परियोजना आधार पर किशोर लड़कियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम को जारी रखना।
- केन्द्रीय राजकीय नर्सिंग कालेजों/स्कूलों में शिक्षकों के रूप में कार्यरत नर्स वैज्ञानिकों के मामले में अधिवार्षिकी की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करना।
- अर्ध-चिकित्सीय पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय अर्ध-चिकित्सीय विज्ञान संस्थान (एनआईपीएस), क्षेत्रीय अर्ध-चिकित्सा विज्ञान संस्थान (आरआईपीएस) की स्थापना करने और राज्य सरकार

मेडिकल कालेजों को सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल के लिए पूरक नोट।

- केंसर, मधुमेह, कार्डिओवसकुलर रोगों और पक्षाघात (एनपीसीडीसीएस) की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम।
- अपर सचिव-सह-महानिदेशक, केन्दीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर स्वास्थ्य देखरेख स्कीम, के पद का सहायक स्टाफ के साथ सृजन।
- " सोवा रिग्पा " में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद की स्थापना ।
- घरेलू कामगारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का विस्तार।
- देश में रक्त आधान सेवाओं को चुस्त बनाने के लिए राष्ट्रीय रक्त आधान प्राधिकरण की स्थापना ।
- निगरानी समिति (ओवरसाईट) की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली में विद्यमान सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण-केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में अनुसंधान) अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन।
- रोलिंग सतत चैनल परियोजना " एकीकृत परामर्श और परीक्षण, पीपीटीसीटी का उन्नयन और भारत में एचआईवी के साथ रह रहे लोगों के लिए देखरेख, सहायता और उपचार सेवाओं के लिए संदर्भित, हेतु विश्व निधि प्राप्त करना।
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरो विज्ञान संस्थान, बंगलौर को एक राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान बनाने के लिए एक विधान "का अधिनियमन ।
- एचआईवी/एड्स से संबंधित तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 99वें सत्र में अपनाई गई "वर्ल्ड आफ वर्क " से संबंधित आईएलओ सिफारिश संख्या 200।
- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी) का स्तरोन्नयन।
- तम्बाकू उतपाद पैकेजों पर चित्र के साथ चेतावनी।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अन्तर्गत प्रगति तथा अधिकार-प्राप्त कार्यक्रम समिति और एनआरएचएम के मिशन संचालन समूह के निर्णय-केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सूचनार्थ।

4.9.8 निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण बैठकें/प्रस्तुतीकरण आयोजित किए गए:

बैठकें

- डा. (श्रीमती) सईदा हमीद, सदस्य (स्वास्थ्य), योजना आयोग की अध्यक्षता में 5.1.2010 को एक बैठक-स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के वार्षिक योजना 2010-11 प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए।
- डा. (श्रीमती) सईदा हमीद, सदस्य (स्वास्थ्य), योजना आयोग की अध्यक्षता में 5.1.2010 को एक बैठक- "आयुष" विभाग के वार्षिक योजना 2010-11 प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए
- डा. (श्रीमती) सईदा हमीद, सदस्य (स्वास्थ्य), योजना आयोग की अध्यक्षता में 6.1.2010 को एक बैठक-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के वार्षिक योजना 2010-11 प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए।

- डा. सईदा हमीद, सदस्य (स्वास्थ्य), योजना आयोग की अध्यक्षता में एड्स नियंत्रण विभाग (राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन) की वार्षिक योजना 2010-11 प्रस्तावों पर विभाग के अधिकारियों के साथ 7.1.2010 को बैठक।

- प्रोफेसर अभिजीत सेन, सदस्य, योजना आयोग और डा.सईदा हमीद, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में आन्ध्र प्रदेश सरकार की आरोग्यश्री स्वास्थ्य बीमा स्कीम के संबंध में 8.1.2010 को एक बैठक।

- उपाध्यक्ष, योजना आयोग और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के बीच "एम्स " की आउटरीच ओपीडी और पीएमएसएसवाई के अन्तर्गत "एम्स " जैसे संस्थानों के संबंध में 24.2.2010 को बैठक।

- योजना आयोग ने डा. के श्रीनाथ रेड्डी, प्रधान, पब्लिक हैल्थ फान्डेशन आफ इण्डिया की अध्यक्षता में "यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज " पर एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समूह गठित किया है जिसकी पहली बैठक 18.10.2010 को योजना आयोग में आयोजित की गई।

- केसरी दाल और कच्चे सोयाबीन पर चल रहे अनुसंधान और मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव के संबंध में चर्चा करने के लिए डा. के. कस्तूरीरंगन, सदस्य (विज्ञान) और डा.(श्रीमती) सईदा हमीद, सदस्य (स्वास्थ्य), योजना आयोग की अध्यक्षता में एक बैठक 23.12.2010 को आयोजित की गई।

प्रस्तुतीकरण

- अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य देख रेख विशेषज्ञ के साथ भारत में ई-स्वास्थ्य फ्रेमवर्क (टेली-मेडिसिन सहित) के लिए एक विस्तृत कार्यनीति पर चर्चा करने के लिए एक प्रस्तुतीकरण डा. (श्रीमती) सईदा हमीद, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में 8.3.2010 को आयोजित किया गया ।

- स्वास्थ्य कार्यबल रिपोर्ट पर प्रोफेसर सुधीर आनन्द द्वारा एक प्रस्तुतीकरण, डा. (श्रीमती) सईदा हमीद, सदस्य, (स्वास्थ्य) योजना आयोग की अध्यक्षता में 28.5.2010 को आयोजित किया गया।

- "स्वास्थ्य के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र विशेष रिपोर्टर द्वारा रिपोर्ट " की सिफारिशों और निष्कर्षों पर सुश्री यशोधरा दासगुप्ता, समन्वयक, " सहयोग " द्वारा एक प्रस्तुतीकरण डा.(श्रीमती) सईदा हमीद, सदस्य (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में 23.8.2010 को आयोजित किया गया।

- तमिलनाडु सरकार के पूर्व मुख्य सचिव और राष्ट्रीय सलाहकार, " जनसंख्या स्थिरीकरण ", श्री टी.वी. एन्टोनी द्वारा " जनसंख्या स्थिरीकरण " पर एक प्रस्तुतीकरण उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में 10.9.2010 को आयोजित किया गया।

- पूर्व संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, श्री अमरजीत सिन्हा द्वारा " कुपोषण " के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण, उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में 14.9.2010 को आयोजित किया गया।

- एनआरएचएम के अधीन स्वास्थ्य सेवाओं के सामुदायिक आधारित मानीटरन और सामाजिक क्षेत्रकों तक उनका विस्तार करने की सम्भावना के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण, सदस्य-सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में 24.12.2010 को आयोजित किया गया।

4.10 आवासन तथा शहरी मामले प्रभाग

4.10.1 भारत में शहरों का जनसांख्यिकीय तथा आर्थिक महत्व बढ़ गया है और इसलिए उनकी तरफ जितना ध्यान अभी तक दिया जा रहा है उससे कही अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है। देश के जीडीपी में शहरों का योगदान 55-60% जितना अधिक रहा है। इसलिए हमें शहरों में उपयुक्त आधारिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान केन्द्रित करना होगा जिससे कि शहरों को रहने योग्य, और वहनीय बनाया जा सके। समावेशी विकास की कार्यनीति का एक प्रमुख तत्व यह होगा कि शहरी गरीब व्यक्ति को जल आपूर्ति, सफाई, जल निकासी परिवहन, वहनीय आवास आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं सुलभ कराने की दिशा में पूरे प्रयास किए जाएं।

4.10.2 हाल के दशकों में भारत में शहरीकरण के महत्त्वपूर्ण पहलू निम्नानुसार रहे हैं

(i) बड़े शहरों और समूहों में शहरी जनसंख्या के संकेन्द्रीण की प्रवृत्ति अधिक सुदृढ़ बनती जा रही है;

(ii) 1971-1981 और 1961-1971 के मुकाबले 1981-1991 तथा 1991-2001 के दौरान शहरीकरण में गिरावट आई है; तथा

(iii) विभिन्न राज्यों और शहरों में शहरीकरण की पद्धतियों में बड़ी भिन्नताएं हैं।

देश के भीतर अपेक्षित त्वरित आर्थिक उन्नति के चलते उदारीकरण की प्रवृत्ति के भविष्य में तीव्र होने की संभावना है। ऐसी आशा की जाती है 2021 तक की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत दिल्ली में 93 से बढ़कर 97.5, तमिलनाडु में 44 से बढ़कर 69, महाराष्ट्र में 42 से बढ़कर 52, पंजाब में 34 से बढ़कर 46, गुजरात में 37 से बढ़कर 45, कर्नाटक में 34 से बढ़कर 42 तथा हरियाणा में 29 से बढ़कर 41 हो जाएगा।

4.10.3 शहरी समूहनों और कस्बों की संख्या जो 1991 में 3768 थी वह 2001 में बढ़कर 5161 हो गई है। इसके अलावा इस शहरीकरण की विशषता हैः निर्वाचित निकायों को कार्यों का अधूरा हस्तान्तरण, समुचित वित्तीय संसाधनों की कमी, नगर स्वायत्तता की ओर बढ़ने की अनिच्छा, संपत्ति कराधान के मामले में पुरानी पद्धतियों का अनुपालन, उपभोक्ता प्रभार लगाने में हिचकिचाहट, बुनियादी सेवाओं, जैसेकि जल आपूर्ति और स्वच्छता आदि के प्रावधान में परोक्षतः नियंत्रित निकायों की असंतोषपूर्ण भूमिका। इसके अलावा जिला आयोजना समितियों और महानगर आयोजना समितियों के संबंध में 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अधीन अभिशासन अपेक्षाएं अनेक राज्यों में पूरी नहीं की गई हैं।

4.10.4 आवास और शहरी मामले (एचयूए) प्रभाग के ऊपर शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी), और आवास और शहरी निर्धनता उपशमन (एचयूपीए), मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित स्कीमों/कार्यक्रमों की आयोजना समन्वय, निर्माण, प्रोसेसिंग, जांच, विश्लेषण और मानीटरन आदि की जिम्मेदारी है। विस्तृत क्षेत्रक में शामिल हैं : सामाजिक आवास, शहरी विकास, शहरी परिवहन, शहरी निर्धनता उपशमन, मलिन बस्तियों का स्तरोन्नयन, आदि।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)

4.10.5 जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) एक सुधार से जुड़ा अग्रणी कार्यक्रम है जिसे 7 वर्ष की अवधि के लिए 3 दिसम्बर 2005 को शुरू किया गया था। ध्यानाकर्षण के वास्ते, 65 मिशन नगरों का चयन किया गया है जिनमें बड़े नगर, दस लाख से अधिक आबादी वाले शहर व ऐतिहासिक/सांस्कृतिक महत्व के शहर अथवा राज्य राजधानियाँ सम्मिलित हैं। प्रारम्भ में, 7 वर्षीय मिशन अवधि के लिए राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों

को 50,000 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता का पूर्वानुमान लगाया गया था। बाद में, 16084 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की व्यवस्था की गई। मिशन का उद्देश्य 65 मिशन नगरों का एकीकृत विकास प्राप्त करना है जिसके लिए प्रत्येक नगर द्वारा नगर के लिए एक दीर्घावधिक दूरदृष्टि के साथ अपनी नगर विकास योजना (सीडीपी) तैयार करना जरूरी है तथा उसके प्रयास इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना द्वारा समर्थित होने चाहिए। मिशन की एक अनिवार्य आवश्यकता, मिशन अवधि के दौरान शहरी सुधारों को कार्यान्वित करने की है। इसका उद्देश्य, सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) व्यवस्थाओं के माध्यम से, जहाँ कहीं व्यवहार्य है, परियोजनाओं के विकास, प्रबंधन, कार्यान्वयन और वित्त पोषण में निजी क्षेत्रक कार्यकुशलताओं का लाभ उठाना और उनहें शामिल करना भी है।

4.10.6 कार्यान्वयन की स्थितिः कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत हैः

- दिसम्बर तक, 58,297 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता प्रतिबद्धता के साथ 2730 परियोजनाएं अनुमोदित की गई जो कुल कार्यक्रम निधियों का लगभग 88% है। बदले में, यह केन्द्रीय सहायता, राज्यों और यूएलबी/एफआई द्वारा 51,015 करोड़ रुपए की पूरक प्रतिबद्धताओं द्वारा समर्थित है जो शहरी परियोजनाओं में नए प्रतिबद्ध निवेश का कुल 1,09,312 करोड़ रुपए बैठता है।
- 2730 अनुमोदित परियोजनाओं में से 206 परियोजनाएं यूआईजी और जेएनएनयूआरएम के यूआईडीएसएसएमटी घटक के अन्तर्गत दिसम्बर 2010 तक पूरी की गई। बीएसयूपी के अन्तर्गत, 2.46 लाख रिहायशी इकाइयां पूरी की गई तथा 3.32 लाख प्रगति के अधीन हैं।
- आईएचएसडीपी के अन्तर्गत, एक लाख रिहायशी इकाइयाँ पूरी की गई, 1.39 लाख अन्य प्रगति पर हैं।
- द्वितीय आर्थिक प्रोतसाहन पैकेज के भाग के रूप में जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत 65 मिशन नगरों के लिए बसों की खरीद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- 2092 करोड़ रुपए की अनुमत्य केन्द्रीय सहायता के साथ 15,260 बसों की मंजूरी प्रदान की गई।

4.10.7 शहरी सुधारः जेएनएनआरयूएम से, राज्यों और यूएलबी के अन्दर शहरी सुधारों की एक व्यापक प्रक्रिया शुरू करने में मदद मिली है। तथापि, सुधारों की गति और गहनता में तेजी लाए जाने की जरूरत है। कार्यक्रम के प्रथम पाँच वर्षों में, राज्य और यूएलबी स्तर पर कुछ सुधार प्रगति हुई है; यद्यपि बहुत से महत्त्वपूर्ण सुधार, जैसे कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को कार्यों का हस्तान्तरण, यूएलबी के लिए जलापूर्ति और स्वच्छता सौंपना, ओएण्डएम लागतों के उचित उपभोक्ता प्रभारों की वसूली, संग्रहण कार्यकुशलता तथा सम्पत्ति कर का कवरेज (85%) का बहुत से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/यूएलबी द्वारा कार्यान्वयन किया जाना शेष है।

4.10.8 वर्ष 2010-11 के लिए जेएनएनयूआरएम आवंटन की राशि 11399 करोड़ रुपए है। 2010-11 के लिए संघटक-वार आवंटन निम्न प्रकार हैः

(i) यूआईजी	-	6517 करोड़ रुपए
(ii) बीएसयूपी	-	2358 करोड़ रुपए
(iii) यूआईडीएसएसएमटी	-	1509 करोड़ रुपए
(iv) आईएचएसडीपी	-	1015 करोड़ रुपए

4.10.9 एचयूए प्रभाग के अधिकारी संबंधित मंत्रालयों की केन्द्रीय मंजूरी और मानीटरन समिति तथा समीक्षा समिति बैठकों में भाग लेते रहते हैं।

4.10.10 जेएनएनयूआरएम के प्रत्याशित परिणामः

(i) सुधरे शासन और सेवा प्रदान करने के लिए वित्तीय रूप से संधारणीय नगर,

(ii) शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं की सर्वसुलभ उपलब्धता,

(iii) शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही,

(iv) आधुनिक पारदर्शी बजट व्यवसथा, लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन पद्धतियां अपनाना।

मेट्रो परियोजनाएं

4.10.11 54.68 कि.मी. लम्बाई को कवर करते हुए डीएमआरसी चरण II को 8605.36 करोड़ रूपए की समग्र लागत से 2006 में मंजूरी प्रदान की गई। 3086 करोड़ रुपए की रोलिंग स्टाक लागत को शामिल करने पर चरण-II के लिए कुल जोड़ 11691.36 करोड़ रुपए था। परियोजना चालू हो गई हे, सिवाय कीर्ति नगर-अशोक पार्क संयोजन के एक छोटे से टुकड़े को छोड़कर। बाद में, भारत सरकार ने बंगलौर और चेन्नई में मेट्रो के लिए और कोलकाता मेट्रो के दूसरे चरण के लिए भी मंजूरी प्रदान कर दी है। हैदराबाद और मुम्बई मेट्रो, पीपीपी आधार पर मेट्रो पद्धतियों का विकास कर रहे हैं। वार्षिक योजना 2010-11 में सभी मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए 5778 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है।

शहरी गरीबी उपशमन

4.10.12 भारत में शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी की प्रतिशतता, जो 1993-94 में 32.3% थी, 2004-05 में कम होकर 25.7% हो गई (यूनिफार्म रीकाल पीरियड के आधार पर)। एनएएसओ 61वें चक्र से पता चलता है कि यद्यपि शहरी निर्धनता में प्रतिशतता की दृष्टि से कमी दर्ज की गई है तथापि निरपेक्ष दृष्टि से इस अवधि के दौरान 4.4 मिलियन व्यक्तियों की वृद्धि हुई है।

4.10.13 स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) 1997 में शुरू की गई। इस केन्द्र प्रायोजित स्कीम का उद्देश्य, स्वःरोजगार उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करके शहरी बेरोजगार, अल्प-बेरोजगार (शहरी गरीबी रेखा से नीचे) लोगों को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना; और मजदूरी रोजगार की व्यवस्था करना है। यह स्कीम शहरी गरीबों के लिए समर्पित है जिसका उद्देश्य एक एकीकृत पैकेज के रूप में स्वयंसेवी समूहों सहित शहरी गरीबों के लिए सामुदायिक जुटाव, रोजगार, दक्षता विकास और क्षमता निर्माण के मुद्दों का समाधान करना है। मार्च 2010 तक 3885 नगरों को कवर किया गया था तथा लघु उद्यम स्थापित करने, 85,335 स्वयंसेवी समूह गठित करने, 16.74 लाख शहरी गरीबों को दक्षता प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु तथा 3.83 लाख बचत और उधार समितियां गठित करने के लिए 10.53 लाख शहरी गरीबों की सहायतार्थ कुल 2728 करोड़ रूपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई। एसजेएसआरवाई के लिए वार्षिक योजना 2010-11 में 564 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

आवासन

4.10.14 ग्यारहवीं योजना के प्रारंभ में ईडब्ल्युएस और एलआईजी श्रेणियों के संबंध में अनुमानित आवासन कमी 24.71 मिलियन थी। इसमें 2007-2012 वर्षों के दौरान 1.82 मिलियन की आवश्यकता आवासन में अनुमानतः वृद्धि हुई जिससे ग्यारहवीं योजना अवधि के अन्त तक कुल संख्या 26.53 मिलियन हो गई। आवासन कमी को दूर करने के लिए सरकार ने अनेक पहलें की हैं जैसे

कि जेएनएनयूआरएम के बीएसयूपी और आईएचएसडीपी घटक तथा आवासन और शहरी निर्धनों के लिए ब्याज सब्सिडी स्कीम (आईएसएसएचयूपी)।

मलिन बस्ती और मलिन बस्ती पुनर्वास

4.10.15 **राजीव आवास योजनाः** स्कीम की घोषणा माननीय राष्ट्रपति द्वारा, देश को मलिन बस्ती मुक्त बनाने की दृष्टि के साथ जून 2009 में संसद में अपने अभिभाषण में की गई थी। आरएवाई का उद्देश्य उन राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करना है जो मलिन बस्तीवासियों को सम्पत्ति अधिकार देने के लिए इच्छुक हैं। योजना आयोग ने स्कीम के संबंध में अपनी सिद्धान्ततः मंजूरी प्रदान कर दी है। विभिन्न क्वार्टरों से टिप्पणियों और फीडबैक के आधार पर राजीव आवास योजना स्कीम का एक मसौदा तैयार किया जा रहा है। इसी बीच, आरएवाई के प्रारम्भिक कार्यकलापों के लिए मलिन बस्ती मुक्त नगर योजना स्कीम अनुमोदित की गई है तथा वार्षिक योजना 2010-11 में प्रारम्भिक कार्यकलाप आयोजित करने के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2010-11 के लिए आरएवाई के लिए 1200 करोड़ रुपए की एसीए का प्रावधान किया गया है।

अन्य कार्यकलाप

4.10.16 एचयूए प्रभाग ने विभिन्न नए प्रस्तावों की बारीकी से जॉच की जिनमें राजीव आवास योजना सम्मिलित है। मंत्रिमंडल नोटों, ईजीओएम नोटों, सीसीईए नोटों, ईएफसी/एसएफसी प्रस्तावों के संबंध में टिप्पणियां उपलब्ध कराई गई। प्रभाग ने, ग्यारहवीं योजना अध्याय के लिए एमटीए को और वार्षिक इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2009-10 को अन्तिम रूप देने के लिए व्यापक रूप से कार्रवाई आयोजित की । प्रभाग, बारहवीं पंच वर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण पत्र तैयार करने से सम्बद्ध था । नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार किया गया। प्रभाग, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना 2010-11 को अंतिम रूप देने से भी जुड़ा था। प्रभाग ने विभिन्न कार्यकलापों में भाग लिया जिनमें संसद प्रश्नों के उत्तर और पीएमओ/ मंत्रिमंडल सचिवालय/ वी आई पी संदर्भों, राष्ट्रपति के अभिभाषण, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट भाषण, अग्रणी कार्यक्रम जे एन एन यूआर एम/ मेट्रो परियोजनाओं के लिए आबंटन से संबंधित मुद्दों के लिए सामग्री/ सूचना तैयार करना सम्मिलित है।

4.10.17 प्रभाग ने, यू डी और एच यू पी ए मंत्रालयों के संबंध में वार्षिक योजना 2011-12 को अंतिम रूप देने के लिए कार्रवाई शुरू की।

4.11 उद्योग प्रभाग

4.11.1 उद्योग प्रभाग निम्नलिखित मंत्रालयों/ विभागों का नोडल प्रभाग हैः

- औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग
- कपड़ा मंत्रालय
- उर्वरक विभाग
- रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग
- भारी उद्योग विभाग
- लोक उद्यम विभाग
- उपभोक्ता मामले विभाग
- निगमित मामले मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय

4.11.2 उपरोक्त के अलावा, यह प्रभाग निम्नलिखित विभागों के संबंध में योजना स्कीमों के उद्योग घटक के कार्य की भी देखभाल करता हैः

- जैव-प्रौद्योगिकी विभाग
- परमाणु ऊर्जा विभाग
- वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग
- नौवहन विभाग
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

4.11.3 स्कीम-वार परिव्ययों को अंतिम रूप देने के लिए वार्षिक योजना चर्चाएं उपरोक्त मंत्रालयों/ विभागों के साथ आयोजित की गई। उद्योग प्रभाग के अंतर्गत आने वाले मंत्रालयों/ विभागों के संबंध में वार्षिक योजना 2010-11 के लिए गहन चर्चाएं आयोजित की गईं। उद्योग प्रभाग ने निवेश परियोजनाओं के लिए विभिन्न निर्णय निर्माण/ अनुमोदनों में भाग लिया। ई एफ सी/ पी आई बी के लिए निवेश प्रस्तावों की तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से जांच-पड़ताल की गई तथा आकलन नोट में शामिल करने के लिए टिप्पणियां प्रदान की गईं। भारत सरकार की इक्विटी के भाग को कम करने से संबंधित मामलों की जांच की गई तथा सी ओ एस/ सी सी ई ए बैठकों के लिए टिप्पणियां प्रदान की गईं। पीएसयू के पुनरुद्धार और पुनर्गठन प्रस्तावों की संवीक्षा/जांच-पड़ताल की गई तथा सी सी ई ए के विचारार्थ टिप्पणियां प्रदान की गईं। विभिन्न अन्य मुद्दों के संबंध में मंत्रिमंडल/ सी सी ईए/ सी ओ एस के लिए नोटों की प्रभाग में जांच की गई। प्रभाग ने विभिन्न राज्यों की वार्षिक योजनाओं से संबंधित बैठकों में भी भाग लिया।

4.11.4 उद्योग प्रभाग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण स्कीमें/कार्यक्रम थेः

- एन ए टी आर आई पी - आटोमोबाइलों के लिए परीक्षण सुविधा
- पी एस ई का पुनर्गठन
- औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर उन्नयन स्कीम
- भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम
- एकीकृत टेक्सटाइल पार्क के लिए स्कीम
- कपास प्रौद्योगिकी मिशन
- प्रौद्योगिकी उन्नयन और निधि स्कीम (कपड़े)
- उपभोक्ता संरक्षण और जागरूकता

4.12 अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रभाग

4.12.1 अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रभाग, भारत का विदेश व्यापार और अदायगी सन्तुलन, विदेशी निवेशों से संबंधित मुद्दों और योजना प्रक्रिया के संदर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित मुद्दों के अध्ययन के लिए जिम्मेदार है। प्रभाग, द्विपक्षीय और बहु-पक्षीय आर्थिक सहयोग से सम्बद्ध मुद्दों के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों के साथ समन्वय करता है। प्रभाग, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ), एशियाई विकास बैंक (ए डी बी), संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (अंकटाड) और विश्व व्यापार संगठन जैसे संगठनों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय तकनीकी सहयोग से संबंधित कार्यों को और साथ ही एशिया व प्रशान्त के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग (एस्केप) और क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई एसोसिएशन जैसी क्षेत्रीय व्यवस्थाओं को भी हेण्डल करता है। इस संदर्भ में प्रभाग अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रवृत्तियों और मुद्दों का विश्लेषण करने के कार्य में भी लगा है। प्रभाग, अन्य बातों के साथ-साथ विदेश मामले मंत्रालय और वाणिज्य विभाग (डी ओ सी) की योजना स्कीमों के अन्तर्गत स्कीमों/ परियोजनाओं/ कार्यक्रमों के लिए योजना आबंटनों की भी हेण्डलिंग करता है।

4.12.2 उपरोक्त कार्यकलापों के अतिरिक्त, आईई प्रभाग द्वारा वाणिज्य विभाग की विभिन्न योजना स्कीम से संबंधित मदें भी देखी जाती है।

वाणिज्य विभाग से संबंधित कार्य के अन्तर्गत विभिन्न योजना स्कीमें सम्मिलित हैं जैसेकि इन्फ्रास्ट्रक्चर, निर्यात के विकास के लिए राज्यों को सहायता (ए एस आई डी ई), कृषि और प्रसंस्करित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी ई डी ए), समुद्रीय उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम पी ई डी ए), निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम (ई सी जी सी), बाजार सुलभता पहल (एम ए आई), राष्ट्रीय निर्यात बीमा लेखा (एन ई आई ए), टी बोर्ड, रबड़ बोर्ड, काफी बोर्ड, मसाला बोर्ड व अन्य स्कीमें।

4.12.3 प्रभाग ने एमईए और डीओसी के लिए वर्ष 2007-08 हेतु वार्षिक योजना परिव्ययों प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जिसके लिए विदेश मंत्रालय और वाणिज्य विभाग के साथ परामर्श भी किया गया।

I. **उच्चस्तरीय बैठकों से संबंधित कागजातों से ईजीओएम, मंत्रीमंडल बैठक और सचिवों की समिति संबंधी बैठकें, अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रभाग द्वारा देखी गईं ।**

- डब्लू टी ओ से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए ईजीओएम आयोजित की गई।
- डब्लू टी ओ से समझौतों की मौजूदा संबंधी सूचना टिप्पण
- चाय, रबड़, मसाले और तम्बाकू के लिए फसल बीमा स्कीम पर टिप्पणियां ।
- व्यापार आर्थिक संबंध समिति की बैठकों के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त कार्यसूची टिप्पणियों की जांच की गई ।

II. **विभिन्न ड्राफ्ट, मंत्रिमंडलीय नोट्स की जांच की गई और उन्हें प्रस्तुत किया गया ।**

- काफी ऋण सहायता पैकेज 2009 पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंड़लीय समिति (सीईए) के लिए संक्षिप्त टिप्पण ।
- चाय, रबड़, तम्बाकू और मसालों पर जो कि 11 वीं पंचवर्षीय योजना की एक नई स्कीम है, के संबंध में फसल बीमा स्कीम पर मंत्रिमंड़लीय आर्थिक समिति हेतु टिप्पणियों की समीक्षा
- भारतीय गणराज्य और नॉर्वे किंगडम के बीच समझौता और नयाचार, दोहरे कर से बचने के लिए (डीटीएए) और राजकोषीय इवेशन के संरक्षण के जो आय पर कर के संबंध में है, अपेक्षित कार्रवाई की गई ।
- मंत्रियों के समूह (जीओएम) के लिए नोट्स तैयार किए ताकि वे उचित उपायों की सिफारिश कर सकें । इनमें शामिल हैं असुरक्षित क्षेत्रों जैसे चाय, काफी, काली मिर्च और प्लानटेशन में संरचनात्मक सुधार आदि हैं ।
- स्विस संघों और भारतीय गणराज्य के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे करों से बचने के लिए डीटीएए समझौतों को देखने के लिए नयाचार ।
- भारत गणराज्य सरकार और मुजैम्बिक गणराज्य सरकारके बीच समझौता और प्रोटोकॉल संबंधी मंत्रिमंड़लीय नोट का ड्राफ्ट तैयार किया । दोहरे करों से बचने के लिए एवं आय पर करों के संबंध में राजकोषीय इवेशन हेतु तैयार किए ।
- भारत गणराज्य सरकार और जाम्बिया गणतंत्र सरकार के बीच दोहरे करों से बचने के लिए एवं आय पर करों के संबंध में राजकोषीय इवेशन के संरक्षण के लिए समझौते के अनुच्छेद 26 के पैरा-2 को हटाने संबंधी मंत्रीमंडल नोट का प्रारूप ।
- भारत टायपी संघ (आईटीए), टायपी (ताईवान)और टायपी आर्थिक सांस्कृतिक

केन्द्र (टीईसीसी) नई दिल्ली के बीच समझौते के लिए भारत गणराज्य सरकार और वित्त मंत्रालय की ओर से, टायपी (ताईवान) के लिएआय पर कर के संबंध में राजकोषीय इवेशन के संरक्षण और दोहरे करों से बचने के संबंध में ।

- भारत गणराज्य सरकार और कोलंबिया गणराज्य के बीच आय पर राजकोषीय इवेशन के संरक्षण और दोहरे करों से बचने के लिए डीटीएए समझौता ।
- भारत गणराज्य सरकार और जॉर्जिया सरकार के बीच आय और पूंजी पर करों के संबंध में राजकोषीय इवेशन के संरक्षण और दोहरे करों से बचने के लिए समझौता ।
- भारत गणराज्य सरकार और जॉर्जिया सरकार के बीच आय और पूंजी पर करों के संबंध में राजकोषीय इवेशन के संरक्षण और दोहरे करों से बचने के लिए समझौता ।
- भारत गणराज्य सरकार और एसोटोनिया गणराज्य सरकार के बीच आय पर कर के संबंध में राजकोषीय इवेशन के संरक्षण और दोहरे करों से बचने के लिए समझौता और नयाचार ।
- भारत गणराज्य सरकार और यूरोग्वे आरिएंटल गणराज्य के बीच आय पर कर के संबंध में राजकोषीय इवेशन के संरक्षण और दोहरे करों से बचने के लिए समझौता और नयाचार ।
- भारत गणराज्य सरकार और माल्टा सरकार के बीच आय पर कर के संबंध में राजकोषीय इवेशन के संरक्षण और दोहरे करों से बचने के लिए समझौता और नयाचार ।

III. निम्नलिखित विषयों के संबंध में जांच रिपोर्टें तैयार की गईं तथा उन्हें प्रस्तुत किया गया ।

- नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वार्ता केन्द्र की स्थापना । द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय बैठक के लिए नोट तैयार किए गए जो कि यूएन-ईएससीएपी के 66 वें वार्षिक सत्र के संबंध में थे ।
- योजना आयोग और मंगोलियन राष्ट्रीय विकास एजेंसी के बीच संबंध ।
- मलेशिया में राज्य मंत्री के दौरे से संबंधित वार्ता बिन्दु तैयार करना ।
- इंटर गिफ्ट 2010, शो मैड्रिड में भारतीय सहभागिता और स्पर्धा का मूल्यांकन ।

IV. सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विदेश मंत्रालय और डीओसी से प्राप्त प्रस्तावों की जांच आईई प्रभाग द्वारा की गई।

- कोलकत्ता में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के केन्द्र की स्थापना के लिए डीओसी से प्राप्त हुई ईएफसी ज्ञापन की संशोधित लागत का अनुमान ।
- आईआईएफटी केरल केन्द्र के लिए ईएफसी ज्ञापन ।
- कॉफी के संबंध में संशोधित विकास सहायता स्कीम पर ईएफसी ज्ञापन ।
- भूटान में हाइड्रोइलैक्ट्रिक योजना पुनात्सांगचू-2 990 मेगावाट का कार्यान्वयन।
- भूटान में 720 मेगावाट मैगडीचू हाइड्रोइलैक्ट्रिकल परियोजना का कार्यान्वयन ।

V. बैठकें, जिनमें भाग लिया ।

- मसाला बोर्ड की बैठकें ।
- विदेश मंत्रालय (एमईए) के संबंध में वार्षिक योजना 2010-11 पर बैठक का कार्यवृत्त ।
- एसईजेड योजना के कार्यानवयन की समीक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श।
- पुनाथ, शांगचू हाइड्रो पावर मीटिंग ।
- एनडीआईसी मंगोलिया के अध्यक्ष के साथ योजना आयोग के सदस्य-सचिव की बैठक
- डॉ0 खैशुचचूलूम, मंगोलिया के एनडीआईसी अध्यक्ष के साथ सदस्य-सचिव योजना आयोग केदौरे संबंधी विचार-विमर्श ।
- डीओसी की बाजार पहुंच पहल उपसमिति संबंधी बैठक ।
- बाजार पहुंच पहल स्कीम को अधिकार प्राप्त समिति, डीओसी की बैठकें ।
- विदेश मंत्रालय और डीओसी के वर्ष 2009-10 के निष्पादन की समीक्षा करने के लिए वार्षिक समीक्षा बैठकें ।
- डीओसी और विदेश मंत्रालय के संशोधित अनुमानों को अंतिम रूप देने के लिए व्यय विभाग की बैठकें ।
- विदेश मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की वार्षिक समीक्षा बैठकें ।
- विदेश मंत्रालय और प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के प्रस्तावों पर सीएनई बैठकें ।

VI. मंगोलिया की राष्ट्रीय विकास व नवप्रवर्तन समिति (एनडीआईसी) और भारत के योजना आयोग के मध्य सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देना ।

VII. जांचे गए कागजात और प्रस्तुत की गईं टिप्पणियां

- कतिपय संवेदनशील क्षेत्रकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
- "बहु-ब्रांड खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश" के मुद्दे पर चर्चा पत्र
- सशक्त संघारणीय और संतुलित विकास संबंधी ढांचे के लिए भारत के जी-20 अन्योन्य मूल्यांकन प्रक्रिया (एमएपी) के राष्ट्रीय नीतिगत टेम्पलेट के प्रस्तुतिकरण को अद्यतन करना
- केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा एससीएसपी और टीएसपी के कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देशों को संशोधित करने के लिए कार्यबल की सिफारिशों के अनुसार, यह अनिवार्य है कि जनजातीय उप-योजनाएं और विशेष घटक योजनाएं विभिन्न मंत्रालयों की वार्षिक योजनाओं का अभिन्न अंग हों ।

VII डीओसी, विदेश मंत्रालय, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए), दोहरे करारोपण से परिवर्जन और आय संबंधी करों के संबंध में राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम संबंधी समझौतों, वीजा आवश्यकताओं से छूट संबंधी समझौता, प्रत्यपर्ण संधि, भारतीय विश्व कार्य परिषद अधिनियम, 2001 के संशोधन संबंधी प्रस्ताव, द्विपक्षीय निवेश प्रोत्साहन व संरक्षण समझौता, दोहा कार्य कार्यक्रम के अंतर्गत डब्लूटीओ वार्ताओं आदि से संबंधित **मंत्रिमडलीय टिप्पणियों** संबंधी सारांश ।

VIII **संसद प्रश्न-** उत्तर, अंतरण, तथ्यों की स्वीकार्यता ।

IX. योजना आयोग की वार्षिक योजना 2009-10 दस्तावेज के लिए बाहरी क्षेत्रक आयाम संबंधी मसौदा अध्याय ।

4.13 श्रम, रोजगार एवं जनसाधन प्रभाग

4.13.1 एल ई एम प्रभाग, रोजगार रणनीति, रोजगार से संबंधित नीतियों, मुद्दों, कल्याण और श्रम नीतियों और कार्यक्रमों, कार्मिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और जनसाधन आयोजना से संबंधित कार्यों को देखता है।

4.13.2 श्रम बल, कार्य बल, रोजगार और देश में बेरोजगारी के अनुमान, प्लानिंग एक्सरसाइज के अभिन्न अंग हैं। यह कार्य पंच वर्षीय योजना के लिए एल ई एम प्रभाग द्वारा किया जाता है। आकलन, एन एस एस ओ के सर्वेक्षणों पर आधारित होते हैं और उनके आधार पर रोजगार संबंधी अनुमान लगाए जाते हैं। एल ई एम प्रभाग पंच वर्षीय योजनाओं के लिए रोजगार और बेरोजगारी के अनुमान लगाने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग रोजगार रणनीति, रोजगार नीति एवं संबंधित अन्य मुद्दों को भी देखता है।

4.13.3 एल ई एम प्रभाग, अनुप्रयुक्त जनसाधन अनुसंधान संस्थान, जो कि एक स्वायत्त संस्थान है और प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कार्यों को देखता है, के मार्गदर्शन और प्रशासनिक नियंत्रण के लिए योजना आयोग में एक नोडल प्रभाग के रूप में कार्य करता है। प्रभाग, योजना आयोग का निम्नानुसार प्रतिनिधित्व करता है- (क) सामान्य परिषद (ख) कार्यकारी परिषद, और (ग) संस्थान के अनुसंधान कार्यक्रमों की स्थायी समिति। संस्थान को योजना आयोग द्वारा सहायता-अनुदान दिया जाता है। मानव संसाधन प्लानिंग और विकास, जिसमें अनुसंधान, परामर्श, सूचना प्रणाली, प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं, सेमिनार एवं संगोष्ठियों के क्षेत्र में विज़न और अवधारणा का विकास किया है। संस्थान, जनसाधन रूपरेखा इंडिया ईयर बुक प्रकाशित करता है जिसमें तकनीकी जनसाधनों पर समेकित सूचनाएं सम्मिलित होती हैं और इसके लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सहयोग भी करता है।

आर्थिक प्रोत्साहन उपायों की समीक्षा के लिए कार्यबल की रिपोर्ट

4.13.4 सचिवों की समिति के निर्णय के अनुसरण में प्रभाग ने योजना आयोग की ओर से, रिपोर्ट की गई नौकरियों की हानि, विशेष रूप से रोजगार-उन्मुख क्षेत्रकों में, से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए गठित कार्य बल की कार्यवाही और ऐसे उपायों के लिए सिफारिशें करने को हेण्डल किया जिन्हें सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सके। कार्य बल ने अपनी रिपोर्ट को अप्रैल 2010 में अंतिम रूप दिया तथा उसे मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा।

4.13.5 प्रभाग ने एनएसएस के 68वें चक्र के कार्य बल में प्रतिनिधित्व किया जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण के बारे में आवश्यक डेटा एकत्र करने के लिए प्रशिक्षण के क्षेत्र के कवरेज के संबंध में योजना आयोग के इनपुट एन एस एस ओ को उपलब्ध कराए गए।

4.13.6 प्रभाग ने, योजना आयोग के समाजार्थिक अनुसंधान प्रभाग द्वारा वित्तपोषण के लिए विभिन्न अकादमिक/ अनुसंधान संस्थानों से प्राप्त श्रम और रोजगार के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु विभिन्न प्रस्तावों की भी जांच की।

दक्षता विकास और प्रशिक्षण

4.13.7 दक्षता विकास मिशन को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक अग्रणी कार्यक्रम के रूप में विनिर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एन ए सी) ने दक्षता विकास मिशन को एक प्राथमिकतापूर्ण मद के रूप में विनिर्धारित किया है

तथा प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय दक्षता विकास मिशन के संबंध में एक स्थिति पत्र तैयार किया जा रहा है।

4.13.8 दक्षता विकास के संबंध में समन्वित कार्रवाई हेतु परिकल्पित निम्नवत तिहरी संस्थागत प्रणाली पूर्णतः प्रचालनात्मक हो गई हैः

1) दक्षता विकास के संबंध में प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय परिषद,
2) राष्ट्रीय दक्षता विकास समन्वय बोर्ड
3) राष्ट्रीय दक्षता विकास निगम

4.13.9 राष्ट्रीय दक्षता विकास समन्वय बोर्ड की स्थापना योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में की गई है जिसमें मानव संसाधन विकास, श्रम और रोजगार, ग्रामीण विकास, आवासन और शहरी गरीबी उपशमन और वित्त मंत्रालयों के सचिव सदस्य हैं। चार राज्यों के सचिव, बारी-बारी से, दो वर्ष की अवधि के लिए, तीन विख्यात शिक्षाविद विषय क्षेत्र विशेषज्ञ अन्य सदस्य हैं। सचिव, योजना आयोग, बोर्ड के सदस्य-सचिव हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय दक्षता विकास समन्वय बोर्ड (एन एस डी सी बी) की चौथी और पांचवीं बैठक क्रमशः 5 अप्रैल 2010 और 15 सितम्बर 2010 को आयोजित की गई।

4.13.10 "दक्षता विकास के संबंध में समन्वित कार्रवाई " के राष्ट्रीय पहल के अनुसार राज्य सरकारों से भी राज्य सरकारों के साथ अनेक अन्योन्यक्रियाओं की विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने के लिए दक्षता विकास हेतु अपने-अपने राज्य दक्षता विकास मिशन (एस एस डी एम) स्थापित करने का अनुरोध किया गया था। 28 राज्यों और छह संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय दक्षता विकास मिशन गठित किए हैं। दक्षता विकास के संबंध में पांच क्षेत्रीय सम्मेलन, बेंगालुरु, मुम्बई, नई दिल्ली, भोपाल और गुवाहाटी में जुलाई/ अगस्त 2010 मास में आयोजित किए गए।

4.13.11 योजना आयोग में प्रोफेसर कृष्णा कुमार की अध्यक्षता में "व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की स्थिति के संबंध में दृष्टिकोण विकसित करने" पर उप-समिति रिपोर्ट में की गई सिफारिश की जांच करने के लिए योजना आयोग के सदस्य डॉ. नरेन्द्र जाधव की अध्यक्षता में कार्य बल की बैठक आयोजित की गई।

जांच की गई स्कीमें/प्रस्ताव

4.13.12 प्रभाग ने, श्रम और रोजगार मंत्रालय से प्राप्त निम्नलिखित प्रस्तावों की जांच की और टिप्पणियां प्रस्तुत कीः

(i) फेक्ट्रीज अधिनियम, 1948

(ii) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

(iii) संविदा श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970

(iv) खान अधिनियम, 1952

(v) प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961

(vi) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

(vii) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

(viii) बागान श्रम अधिनियम, 1951

(ix) सड़क विक्रेताओं, इमारत और निर्माण कामगारों, घरेलू कामगारों और बीड़ी कामगारों को कवर करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर एस बी वाई) का महात्मा गांधी नरेगा लाभार्थियों तक विस्तार।

(x) एच आई वी/एड्स रोकथाम और अनौपचारिक/ प्रवासी कामगारों के लिए देखभाल सेवाओं के वास्ते चक्र 9 के अन्तर्गत (वापसी अदायगी के दायित्व के बगैर) एड्स, क्षयरोग और मलेरिया के संबंध में वैश्विक निधि (जी एफ ए

टी एम) से लगभग 35 मिलियन अमरीकी डालर का अनुदान।

(xi) रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 में संशोधन।

(xii) पी पी पी विधि के अंतर्गत 12 महिला क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान और 15 उन्नत प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना।

(xiii) वाम पंथ उग्रवाद द्वारा प्रभावित 33 जिलों में युवाओं का दक्षता विकास।

(xiv) "एन सी एल पी स्कीम के संशोधन" पर ई एफ सी प्रस्ताव।

(xv) "पी पी पी विधि के जरिए 1500 आई टी आई और 5000 एस डी सी की स्थापना " के संबंध में ई एफ सी प्रस्ताव।

(xvi) "पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में दक्षता विकास अवस्थापना का संवर्धन " और "जम्मू और काशमीर राज्य के 8000 युवाओं के दक्षता विकास" पर एस एफ सी प्रस्ताव।

4.14 बहुस्तरीय योजना (एम एल पी) प्रभाग

4.14.1 विनिर्धारित क्षेत्रों/ इलाकों को उनकी विशिष्ट भू-भौतिक संरचना और असंतोषजनक समाजार्थिक विकास, विकेन्द्रीकृत योजना और कार्यक्रमों के कारण पेश आने वाली विशेष समस्याओं के संबंध में विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच ए डी पी)/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू जी डी पी):

4.14.2 पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच ए डी पी) असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के नामोद्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यू जी डी पी), पश्चिमी घाट क्षेत्र के 175 तालुकों में कार्यान्वित किया जा रहा है जिनमें महाराष्ट्र (63 तालुक), कर्नाटक (40 तालुक), तमिलनाडु (33 तालुक), केरल (36 तालुक) और गोवा (3 तालुक) के भाग शामिल हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष केंद्रीय सहायता 90% अनुदान और 10% राज्य हिस्से के रूप में प्रदान की जाती है। एच ए डी पी के अंतर्गत उपलब्ध निधियां कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित नामोद्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों तथा पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्यु जी डी पी) के अंतर्गत शामिल तालुकों के बीच 60:40 के अनुपात में विभाजित की जाती हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं: जैव-विविधता के परिरक्षण और पर्वतीय पारिस्थितिकी के पुनरुद्धार पर बल देते हुए पारिस्थितिकी का परिरक्षण और बहाली करना। एच ए डी पी के अंतर्गत कवर हुए पर्वतीय क्षेत्रों के संबंध में उप-योजना दृष्टिकोण अपनाया गया है। संबंधित राज्य सरकारें, एच ए डी पी के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राज्य योजना और विशेष केन्द्रीय सहायता से निधियों के प्रवाह को मिलाकर कुल योजना तैयार करती हैं। डब्ल्यु जी डी पी के मामले में, स्कीम-वार दृष्टिकोण का पालन किया गया है क्योंकि सीमांकन के लिए तालुका एक इकाई है जिसके संबंध में राज्य योजना से निधियों के प्रवाह की मात्रा का अनुमान लगाना कठिन है।

4.14.3 पर्वतीय राज्यों और पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं पर गौर करने के लिए यह सुनिश्चित करने के वास्ते कि राज्यों और क्षेत्रों को अपनी विशिष्टताओं के कारण कठिनाई का सामना न

करना पड़े, उपाय सुझाने के वास्ते जनजातीय मामले मंत्रालय के पूर्व सचिव श्री जी.बी. मुखर्जी की अध्यक्षता में एक कार्यबल गठित किया गया था। कार्यबल की रिपोर्ट योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा 19 अगस्त 2010 को जारी की गई तथा भारतीय हिमालयाई क्षेत्र (आई एच आर) के सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों/ मुख्य सचिवों को सिफारिश की जांच करने और अपने विचार प्रेषित करने के लिए परिचालित की गई थी जिससे 12वीं पंच वर्षीय योजना तैयार करने में योजना आयोग को मदद मिलेगी।

4.14.4 वर्ष 2010-11 के दौरान, इन कार्यक्रमों के लिए 302.16 करोड़ रुपए के अनुमोदित आबंटन में से 24.11.2010 तक राज्य सरकारों को विशेष केन्द्रीय सहायता (एस सी ए) की पहली किस्त के अनुदान भाग के रूप में 203.92 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

4.14.5 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सत्रह राज्य सम्मिलित हैं, नामतः अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काशमीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल। कार्यक्रम के अंतर्गत, अनुमोदित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 100% अनुदान के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

4.14.6 कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीमा के निकट स्थित दूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष जरूरतों को पूरा करना है। कार्यक्रम को सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।

4.14.7 वार्षिक योजना 2010-11 के दौरान, 635 करोड़ रुपए के आबंटन के मुकाबले 13.12.2010 तक बी ए डी पी राज्यों के लिए 519.15 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी आर जी एफ)

4.14.8 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी आर जी एफ), पिछड़ेपन के कारणों का मानक सरकारी कार्यक्रमों की तुलना में और अधिक व्यापक ढंग से समाधान करने के लिए वित्त वर्ष 2006-07 में अनुमोदित की गई । इसका उद्देश्य अभिसरण में मदद करना तथा भारत निर्माण व राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों के मूल्य में वृद्धि करना है जिन्हें ग्रामीण अवस्थापना संबंधी जरूरतों को प्रत्यक्ष रूप से पूरा करने के लिए तैयार किया गया है किंतु जिनके लिए महत्त्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए पूरकता की जरूरत हो सकती है जिसकी पूर्ति बी आर जी एफ से हो सकती है। बी आर जी एफ का उद्देश्य जन भागीदारी के माध्यम से चुने गए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन द्वारा विनिर्धारित पिछड़े जिलों का संकेन्द्रित विकास करना है। गांव, मध्यवर्ती से लेकर जिला स्तर तक, संविधान के अनुच्छेद 243 जी की सच्ची भावना के साथ योजना तैयार और कार्यान्वित करने के लिए, पंचायती राज संस्थान (पी आर आई) जिम्मेदार हैं।

4.14.9 बी आर जी एफ के दो संघटक हैं, नामतः (i) 27 राज्यों के 250 जिलों को कवर करते हुए जिला घटक, जिन्हें पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है, और (ii) (क) बिहार व (ख) उड़ीसा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजनाएं, जिन्हें योजना आयोग द्वारा प्रशासित किया जा रहा है।

(i) जिला संघटक

4.14.10 बी आर जी एफ के जिला संघटक के अंतर्गत 250 जिले शामिल हैं जिसके अंतर्गत पूर्व राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर एस वी वाई) के अंतर्गत सम्मिलित सभी 147 जिले, पूर्व राष्ट्रीय खाद्य कार्य कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल 150 जिले और कतिपय समाजार्थिक परिवर्तनशीलों के आधार पर पिछड़े के रूप में अगस्त 2004 में योजना आयोग द्वारा स्थापित बढ़ते क्षेत्रीय असंतुलनों का समाधान करने के लिए अंतर-मंत्रालय कार्य समूह (आई एम टी जी) द्वारा विनिर्धारित 170 जिले शामिल हैं। ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना अवधि के दौरान इस घटक के लिए 4670 करोड़ रुपए का वार्षिक योजना आबंटन किया जा रहा है। वर्ष 2010-11 के दौरान इस आबंटन को बढ़ाकर, 5050 करोड़ रुपए कर दिया गया है जिसके मुकाबले अभी तक 3238.84 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। (30.12.2010)

(ii) विशेष योजनाएं

(क) बिहार

4.14.11 बिहार राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और राज्य के जन प्रतिनिधियों के साथ व्यापक रूप से परामर्श करने के बाद, विद्युत, सड़क संयोजकता, सिंचाई, वानिकी और वाटरशेड विकास जैसे क्षेत्रकों में सुधार लाने के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के आधार पर राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत बिहार के लिए कार्यान्वयन हेतु एक विशेष योजना तैयार की गई है। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान इस संघटक के लिए 1000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का आबंटन किया जा रहा है। वर्ष 2010-11 के दौरान इस आबंटन के बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है जिसके मुकाबले अभी तक 918.50 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

(ख) उड़ीसा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजना

4.14.12 उड़ीसा के के बी के क्षेत्र के अंतर्गत अविभाजित कालाहाण्डी, बोलंगीर और कोरापुट जिले सम्मिलित हैं जिन्हें अब आठ जिलों में पुनर्गठित कर दिया गया है, नामतः कालाहाण्डी, नौपाडा, बोलंगीर, सोनपुर, कोरापुट, नवरंगपुर, मलकांगिरी और रायगडा। योजना आयोग इस क्षेत्र के लिए 1998-99 से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रहा है। योजना और कार्यान्वयन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार को एक परियोजना आधारित दृष्टिकोण और नूतन सुपुर्दगी तथा मानीटरन पद्धति का इस्तेमाल करके एक विशेष योजना तैयार करने की सलाह दी गई थी । तदनुसार, राज्य सरकार वर्ष 2002-03 से के बी के जिलों के लिए विशेष योजना तैयार कर रही है। विशेष योजना के अंतर्गत सूखा से बचाव, आजीविका समर्थन, संयोजकता, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की मुख्य समस्याओं का समाधान करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। दसवीं योजना अवधि के दौरान इस संघटक के लिए 250 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का आबंटन किया गया था। विशेष योजना के अंतर्गत 130 करोड़ रुपए के वार्षिक आबंटन और पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी आर जी एफ) के जिला संघटक के अंतर्गत 120 करोड़ रुपए के वार्षिक आबंटन के साथ इतने ही आबंटन को ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान संरक्षित रखा जा रहा है।

4.14.13 वर्ष 2010-11 के दौरान, 130 करोड़ रुपए के आबंटन के मुकाबले अभी तक 97.50 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

एकीकृत कार्रवाई योजना

4.14.14 साठ चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों के लिए सरकार द्वारा 25.11.2010 को एकीकृत

कार्रवाई योजना (आई ए पी) अनुमोदित की गई है। स्कीम, 100% अनुदान आधार पर ए सी ए है। प्रारंभ में आई ए पी को 2010-11 और 2011-12 के दौरान क्रमशः 25 करोड़ रुपए के ब्लॉक अनुदान और 30 करोड़ रुपए प्रति जिले के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके लिए निधियां जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति के निपटान पर रखी गई हैं जिनमें जिले का पुलिस अधीक्षक और जिला वन अधिकारी सम्मिलित होता है।

4.14.15 आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सी सी ई ए) ने 25.11.2010 को आयोजित अपनी बैठक में, 2010-11 और 2011-12 के दौरान क्रमशः 25 करोड़ रुपए के ब्लॉक अनुदान और 30 करोड़ रुपए के प्रति जिले के साथ 60 जनजातीय और पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत कार्रवाई योजना (आई ए पी) अनुमोदित की है। सभी आठ के बी के जिलों को 60 जिलों की सूची में शामिल किया गया है। वर्ष 2010-11 के लिए एकीकृत कार्रवाई योजना के अंतर्गत 60 चुनिंदा जिलों के लिए 1500 करोड़ रुपए का पूरा आबंटन जारी कर दिया गया है।

4.14.16 जिला स्तरीय समिति को उसके द्वारा आकलित जरूरत के अनुसार विकास स्कीमों के लिए राशि खर्च करने की छूट दे दी गई है। कम्पनी द्वारा, सार्वजनिक अवस्थापना और सेवाओं के संबंध में ठोस प्रस्तावों को मिलाकर एक योजना तैयार की जानी है, जैसे कि स्कूल इमारतें, आंगनवाड़ी केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पेय जल आपूर्ति, ग्राम सड़कें, पी एच सी और स्कूल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर बिजली का प्रकाश आदि। इस प्रकार चुनी गई स्कीमों के अल्पावधि में परिणाम दिखाई देंगे। राज्य में विकास आयुक्त/ विकास का प्रभारी समकक्ष अधिकारी, व्यय की संवीक्षा करने और आई ए पी के मानीटरन के लिए जिम्मेदार है। आई ए पी का बृहद-स्तर मानीटरन, योजना आयोग के सदस्य-सचिव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाएगा।

4.14.17 आई ए पी के कार्यान्वयन के लिए मार्गनिर्देश जारी कर दिए गए हैं तथा वर्ष 2010-11 के लिए प्रत्येक जिले के लिए 25 करोड़ रुपए का आबंटन 8 दिसम्बर 2010 को राज्य सरकार को जारी कर दिया गया है। जिलों ने स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

पंचायती राज

4.14.18 विकास कार्यक्रमों की योजना तैयार, उनके निष्पादन और मानीटरन में समुदाय की भागीदारी आयोजना और प्रभावी कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए जरूरी है। दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। विकास कार्यक्रमों में समुदाय की भागीदारी के लिए पंचायती राज संस्थान एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में उभरे हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा स्पष्ट रूप से देश के अधिशासन में उनकी भूमिका की व्यवस्था की गई। राज्य सरकारों से उम्मीद की गई थी कि वे पंचायती राज पद्धति की प्रत्येक प्रणाली के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों के अनुरूप उन्हें पर्याप्त कार्य, कार्यकर्ता और वित्तीय संसाधन सौंपकर पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाएंगी।

4.14.19 पी आर आई की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित पंचायती राज मंत्रालय ने अपने-अपने कार्यकलाप क्षेत्र में पंचायतों की केन्द्रिकता को समझने की जरूरत तथा पी आर आई को अपने कार्यक्रमों में अधिकारिता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को संवेदीकृत बनाने में एक सक्रिय भूमिका निभाई है। संवैधानिक अधिदेश के अनुसार पी आर आई को कार्य सौंपने के लिए मंत्रालय ने अनेक उपाय किए हैं।

4.14.20 पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित प्रमुख स्कीम, पंचायती राज पद्धति में कार्यरत पंचायती राज कार्यकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से संबंधित है।

4.14.21 विभिन्न स्कीमों के लिए, पंचायत सशक्तीकरण और जवाबदेही, डी पी सी और जिला परिषदों के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, पंचायत महिला और युवा शक्ति अभियान, मिडिया और प्रचार आदि सहित, मंत्रालय की वार्षिक योजना 2010-11 के लिए 120 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

4.15 योजना समन्वय एवं प्रबंधन प्रभाग

4.15.1 यह प्रभाग, योजना आयोग के सभी प्रभागों के कार्यकलापों को समन्वित करता है। विशेष रूप से इस पर पंच वर्षीय योजनाओं, वार्षिक योजनाओं को तैयार करने के काम को समन्वित करने की जिम्मेदारी है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्रक की योजना के क्षेत्रकीय आबंटन, योजना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और संसदीय कार्य के समन्वय की जिम्मेदारी भी शामिल है। योजना आयोग की आंतरिक बैठकों, पूर्ण योजना आयोग की बैठकों और राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों का आयोजन और समन्वय भी योजना समन्वय प्रभाग द्वारा किया जाता है।

4.15.2 वर्ष 2010-11 के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों के अंतिम योजना परिव्यय को केंद्रीय बजट 2010-11 में शामिल किए जाने हेतु वित्त मंत्रालय को सिफारिश की गई। केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे पी सी एम डी द्वारा तैयार मार्गनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए वार्षिक योजना 2011-12 तैयार करें। विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के परिव्ययों को अंतिम रूप देने के लिए वार्षिक योजना 2011-12 चर्चाएं दिसम्बर 2010 और जनवरी 2011 में शुरू की गई थी।

4.15.3 प्रभाग ने, वार्षिक योजना दस्तावेज 2010-11 तैयार करने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के संबंध में सूचना और सामग्री संकलित और समेकित की।

4.15.4 दोनों सदनों के माननीय सांसदों के बीच वितरित करने के लिए प्रत्येक वर्ष लोकसभा और राज्य सभा के प्रकाशन काउन्टरों पर योजना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। वर्ष 2009-10 के लिए वार्षिक रिपोर्ट सदन के दोनों पटलों के प्रकाशन काउन्टरों पर 22 मार्च 2010 को प्रस्तुत की गई। वार्षिक रिपोर्ट 2010-11 तैयार करने का काम प्रगति पर है। रिपोर्ट के अंग्रेजी और हिन्दी रूपांतर विभागीय स्थायी समितियों को विचारार्थ अनुदान मांगे भेजे जाने से पहले सांसदों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। प्रतियों की अपेक्षित संख्या, संसद के दोनों पटलों पर प्रस्तुत करने के लिए संसद के दोनों सचिवालयों को भी भेजी जाएंगी।

4.15.5 वित्त विषयक स्थायी समिति द्वारा अनुदानों की मांग से संबंधित मांगी गई जानकारी योजना आयोग की वार्षिक योजना प्रस्तावों पर विचार किए जाने के लिए प्रदान की गई। लोक सभा के लाभ के कार्यालयों के संबंध में संयुक्त समिति द्वारा मांगी गई जानकारी भी लोक सभा सचिवालय को भेज दी गई।

4.15.6 योजना समन्वय प्रभाग ने, माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 23 मार्च 2010 को पूर्ण योजना आयोग की बैठक आयोजत की। योजना समन्वय प्रभाग ने राष्ट्रीय विकास परिषद की 55वीं बैठक माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 24.07.2010 को नई दिल्ली में आयोजित की। इस बैठक में मध्यावधि आकलन दस्तावेज पर चर्चा की गई और इसे अनुमोदित किया गया।

4.15.7 प्रेस सूचना ब्यूरो ने 26-27 अक्तूबर 2010 तक आर्थिक सम्पादक सम्मेलन का आयोजन किया। योजना समन्वय प्रभाग ने आर्थिक सम्पादक सम्मेलन 2010 का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन माननीय वित्त मंत्री ने 26.10.2010 को किया था, उससे संबंधित नवीनतम घटनाओं और नीतिगत मुद्दों के बारे में पृष्ठभूमि सामग्री का संकलन किया।

4.15.8 आलोच्य अवधि के दौरान योजना आयोग ने केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अर्ध-वार्षिक निष्पादन समीक्षा बैठकों का आयोजन करना जारी रखा। इन समीक्षाओं से, समय और लागत वृद्धि को कम करके स्कीमों और परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद मिलती है।

4.16 विद्युत और ऊर्जा प्रभाग

विद्युत यूनिट

- विद्युत मंत्रालय द्वारा मंत्रियों के अधिकार-प्राप्त समूह (ई जी ओ एम) के विचारार्थ परिचालित अनेक एजेण्डों के संबंध में सार तैयार किए गए। कुछेक प्रस्ताव, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, विद्युत मुद्दों संबंधी उप-समिति, विद्युत क्षेत्रक मुद्दों, ऊर्जा सुरक्षा मामलों के संबंध में बाह्य अन्योन्यक्रिया आदि से संबंधित थे।
- वर्ष 2010-11 के लिए "विद्युत क्षेत्रक के प्रमुख नीतिगत लक्ष्यों " पर अनुमोदन हेतु विद्युत मंत्रालय के परामर्श से सचिवों की समिति के लिए एक टिप्पणी तैयार करने के लिए इनपुट उपलब्ध कराए।
- सदस्य (ऊर्जा) द्वारा सचिव, विद्युत मंत्रालय के साथ मानीटरनयोग्य तिमाही-वार लक्ष्यों के संबंध में एक पृष्ठभूमि नोट तैयार किया।
- यूनिट ने सदस्य (ऊर्जा) की अध्यक्षता वाली विभिन्न समितियों में उनकी सहायता की, जैसे कि "ईंधन अवस्थापना समिति ", "राष्ट्रीय बिजली निधि " और एनटीपीसी द्वारा 660/800 मेगा वाट यूनिटों की थोक टेंडरिंग के माध्यम से "सुपर टेक्नोलाजी का प्रवेश "।
- इस यूनिट के अधिकारियों ने निष्पादन समीक्षा, क्षेत्रक की एम ओ यू बैठकों, त्वरित विद्युत विकास संबंधी संचालन समिति और सुधार कार्यक्रम (ए पी डी आर पी) तथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर जी जी वी वाई) की बैठकों में भाग लिया। इस यूनिट ने पहले से चली आ रही प्रमुख परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की जांच की और संबंधित मंत्रालयों को योजना आयोग के मतों से अवगत कराया।
- पूर्व सी ए जी श्री वी.के. शुंगलु की अध्यक्षता में एस ई बी की वित्तीय समस्याओं पर विचार करने और विशेषतः उनकी लेखांकन प्रथाओं की दृष्टि से संभावित सुधारात्मक उपाय विनिश्चित करने के लिए, "वितरण यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति " पर उच्च स्तरीय पैनल में भाग लिया।
- पूर्वोत्तर में पन-विद्युत के विकास में मार्गदर्शन तथा तेजी लाने के लिए एक उपयुक्त फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालय समूह में भाग लिया।
- विद्युत क्षेत्रक के लिए वार्षिक योजना अध्याय तैयार करना।
- यूनिट के अधिकारियों ने वित्तीय संसाधन और कार्य दल बैठकों, सेमिनारों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों में भाग लिया।

कोयला यूनिट

- मंत्रिमंडल सचिवालय की पहल पर सी सी आई के विचारार्थ अगले दस वर्षों में पूरे देश में कोयले की मांग के संबंध में मंत्रिमंडल नोट तैयार करना, जिसपर कार्रवाई चल रही है।
- कोयला यूनिट को, कोयला खनन व अन्य विकास परियोजनाओं से संबंधित पर्यावरणीय और विकासात्मक मुद्दों पर विचार करने के लिए, वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह (जी ओ एम) को सेवाएं प्रदान करने का काम सौंपा गया।
- चल रही प्रमुख कोयला और लिग्नाइट परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की जांच तथा योजना आयोग में सदस्य (ऊर्जा) की अध्यक्षता में आयोजित अर्ध-वार्षिक निष्पादन समीक्षा (एच पी आर) बैठकों में विचार करने के लिए मुद्दे तय करना।
- कोयला और लिग्नाइट क्षेत्रक के विकास से जुड़े वी आई पी संदर्भों/ संसदीय प्रश्नों/ संसदीय आश्वासनों व अन्य अंतर-क्षेत्रकीय नीतिगत मुद्दों की जांच।
- कोयला खनन परियोजनाओं व कोयला क्षेत्रक से सम्बद्ध अन्य नीतिगत मुद्दों के सी सी ई/ पी आई बी/ आई एम जी के प्रस्तावों की जांच करना और योजना आयोग के विचार संबंधितों को प्रेषित करना।
- प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से कोयला ब्लॉकों के आबंटन के लिए, थर्मल विद्युत संयंत्रों, सीमेंट संयंत्रों और स्पंज आयरन, अंतर-मंत्रालय समूह आदि के लिए कोयला स्थायी संयोजन समिति (दीर्घावधिक) के लिए पूल कीमत पद्धति की बैठकों में, निवेश निर्णय आदि लेने के संबंध में योजना आयोग के विचार प्रेषित करने के लिए भाग लिया।
- कोयला मंत्रालय की वार्षिक योजना तैयार करने के लिए डेटा का संकलन और विश्लेषण, वर्ष के लिए कोयला मांग तय करने के लिए मंत्रालयीय चर्चा और पिछले वर्ष के संबंध में कोयला उपभोक्ता क्षेत्रक व कोयला उत्पादक कम्पनियों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा।
- कोयला खनन में नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग और उसके उत्पादकता पर प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एस सी सी एल कमान कोयला क्षेत्रों का दौरा किया।
- यूनिट के अधिकारियों ने, विभिन्न अनुसंधान संस्थानों द्वारा कोयला व ऊर्जा क्षेत्रक के संबंध में आयोजित विभिन्न सेमिनारों में और क्षेत्रक की निष्पादन समीक्षा, एम ओ यू बैठकों में भाग लिया।
- कोयला यूनिट ने, कोयला और लिग्नाइट क्षेत्रक में प्रमुख परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति की जांच की तथा सदस्य (ऊर्जा) की अध्यक्षता में होने वाली ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा बैठकों में विचारार्थ मुद्दे प्रस्तुत कए।
- कोयला यूनिट ने, सदस्य (ऊर्जा) की अध्यक्षता में आयोजित ईंधन इन्फ्रास्ट्रक्चर समिति बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार चार उप-समितियां गठित की। इन चार समितियों से, नई विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयला आवश्यकताओं के आकलन मुद्दों, कैप्टिव खानों से उत्पादन बढ़ाने के मुद्दों और खानों में विद्युत संयंत्रों तक कोयले की हेण्डलिंग और ढुलाई में बाधाओं के मुद्दों की जांच करने के लिए कहा गया है। प्रधान सलाहकार (कोयला) की अध्यक्षता में एक उप-समिति, खानों, बंदरगाहों और विद्युत संयंत्रों तक कोयले की ढुलाई और हेण्डलिंग में बाधाओं की जांच करेगी।
- कोयला खनन परियोजनाओं के सी सी ई ए/ पी आई बी/ सिद्धांततः अनुमोदनों के प्रस्तावों व

कोयला क्षेत्रक से संबंध अन्य नीतिगत मुद्दों की जांच की गई।

- यूनिट के अधिकारयों ने, योजना आयोग के विचार प्रेषित करने के लिए थर्मल विद्युत संयंत्रों, सीमेंट संयंत्रों और स्पंज आयरन के संबंध में, स्थायी संयोजन समिति (दीर्घावधिक) संबंधी बैठक में भाग लिया।

पेट्रोलियम यूनिट

- प्रधान मंत्री को अवगत कराने हेतु सदस्य (ऊर्जा) के साथ, एकीकृत ऊर्जा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में नोट तैयार करना।
- ऊर्जा सुरक्षा मामलों के संबंध में बाह्य अन्योन्यक्रिया के समन्वयन में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मंत्रियों के समूह के लिए एजेण्डा नोट तैयार करना।
- एकीकृत ऊर्जा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में प्रगति की समीक्षा करने के संबंध में मंत्रिमंडल सचिव के अधीन मानीटरन के लिए बैठक के लिए एजेण्डा और कार्यवृत्त तैयार करना।
- डॉ. सौमित्र चौधरी, सदस्य, योजना आयोग के अधीन एथनोल की कीमत पद्धति के संबंध में विशेषज्ञ दल का समन्वय कार्य।
- योजना आयोग द्वारा डॉ. किरीट पारीख, पूर्व सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित निम्न कार्बन रणनीति संबंधी विशेष दल के विषय में कार्य।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रक के लिए 12वीं योजना के लिए दृष्टिकोण पत्र के संबंध में एक लेख तैयार किया।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रक के लिए वार्षिक योजना तैयार करना।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रक के लिए नीति और नीति सम्बद्ध मुद्दों के विषय में मंत्रिमंडल टिप्पणियों के संबंध में टिप्पणियां तैयार करना।
- संसदीय प्रश्न/वी आई पी संदर्भों पर कार्रवाई की।
- योजना आयोग के सदस्यों को, ऊर्जा स्रोतों की विश्व घटनाओं, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस व अन्य ऊर्जा संसाधनों की कीमतों और वाणिज्यिक गतिकी के संबंध में योजना आयोग के सदस्यों को अवगत कराया गया।

4.17 परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग (पी ए एम डी)

कार्य

4.17.1 भारत सरकार में परियोजना मूल्यांकन की पद्धति को संस्थागत बनाने के लिए योजना आयोग में परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग की स्थापना 1972 में की गई थी परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग के कार्य इस प्रकार से हैं;

- परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उनके तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए मार्गनिर्देश निर्धारित करना और फार्मेट विकसित करना।
- परियोजना और कार्यक्रमों को आंकने के लिए कार्य प्रणाली और प्रक्रिया में सुधार करने के उद्देश्य से अनुसंधान अध्ययन हाथ में लेना।
- सरकारी क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं और कार्यक्रमों के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन का काम हाथ में लेना।

- परियोजनाओं और कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए उचित प्रक्रिया निर्धारित करने में केंद्रीय मंत्रालयों की सहायता करना।

मूल्यांकन कार्य

4.17.2 प्रौद्योगिकी-आर्थिक मूल्यांकन के भाग के रूप में, परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग 50 करोड़ रुपए और उससे अधिक की लागत वाली योजना स्कीमों और परियोजनाओं का व्यापक रूप से मूल्यांकन करता है और योजना आयोग के विषय प्रभागों के साथ परामर्श करके आकलन टिप्पणियां तैयार करता है। पी ए एम डी द्वारा मूल्यांकन टिप्पणी जारी किए जाने के लिए निर्धारित समय-सीमा ई एफ सी/ पी आई बी ज्ञापन की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह है। पी ए एम डी द्वारा आकलन किए जाने से, प्रस्तावों के आकार और प्रकृति के आधार पर, सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी आई बी), व्यय वित्त समिति (ई एफ सी) और सार्वजनिक निवेश बोर्ड समिति (सी पी आई बी) द्वारा विचार किए जाने वाली स्कीमों/ परियोजनाओं के संबंध में निर्णय लेने में सुविधा होती है। प्रभाग ने रेल मंत्रालय के 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक की लागत वाले प्रस्तावों का भी मूल्यांकन किया है, जिनपर विस्तारित रेलवे बोर्ड (ई बी आर) द्वारा विचार किया जाता है। संशोधित लागत अनुमान (आई सी ई) प्रस्तावों का भी इस प्रभाग द्वारा मूल्यांकन किया जाता है ताकि लागत और समय में वृद्धि के कारकों का विश्लेषण किया जा सके।

4.17.3 मूल्यांकन फोरमों और अनुमोदन प्राधिकरण की वित्तीय सीमाएं निम्न प्रकार संशोधित कर दी गई हैं:

मूल्यांकन फोरम (सीमा - करोड़ रुपए में)

<25.0 सामान्य रूप से मंत्रालय

≥25.0 और <100.0 स्थायी वित्त समिति (एस एफ सी)

≥100.0 और 300.0 < व्यय वित्त समिति (ई एफ सी) - प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव की अध्यक्षता में।

≥300.0 सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी आई बी/ व्यय वित्त समिति (ई एफ सी) - सचिव (व्यय) की अध्यक्षता; जहां, वित्तीय प्रतिफल की मात्रा तय हो सकती है उन परियोजनाओं/ स्कीमों पर पी आई बी द्वारा व अन्यों पर ई एफ सी द्वारा विचार किया जाएगा।

अनुमोदन फोरम की सीमा (करोड़ रुपए)

<25.0 प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग का सचिव

≥25.0 और <100.0 - मंत्रालय/ विभाग का प्रभारी मंत्री

≥100.0 और <300.0 - मंत्रालय/ विभाग का प्रभारी मंत्री/ वित्त मंत्री

≥300.0 मंत्रिमंडल/आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंउल समिति (सी सी ई ए)

टिप्पणी: उपरोक्त वित्तीय सीमाएं परियोजना/ योजना के कुल आकार की दृष्टि से हैं, जिसमें बजटीय सहायता, आंतरिक संसाधन, विदेशी सहायता, ऋण आदि शामिल हो सकते हैं।

मुख्य बातें (2010-11)

- ✓ 1.4.2010 से 31.12.2010 की अवधि के बीच 587903.63 करोड़ रुपए के परिव्यय वाले ई एफ सी/ पी आई बी प्रस्तावों पर 125 मूल्यांकन टिप्पणियां जारी की जा चुकी हैं।
- ✓ अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2010 के दौरान पी ए एम डी में सिद्धांत रूप में स्वीकृति के 52 मामलों की जांच की गई और स्थायी समिति की 9 बैठकों में भाग लिया।
- ✓ विभागों/मंत्रालयों द्वारा समय तथा लागत बढ़ जाने की जांच करने और जिम्मेदारी तय करने के लिए स्थायी समितियों का गठन किया गया। पी ए एम डी के अधिकारियों ने स्थायी समिति

की 8 बैठकों में एक सदस्य के रूप में चर्चा की।

- ✓ अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2010 के दौरान सलाहकार (पी ए एम डी) अथवा पी ए एम डी के नामित अधिकारियों ने 54 ई एफ सी/ पी आई बी बैठकों में भाग लिया। पी ए एम डी ने अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2010 के दौरान 30 मंत्रिमंडल/ सी सी ई ए टिप्पणियों की जांच की।
- ✓ वार्षिक योजना दस्तावेज 2009-10 के लिए आपदा प्रबंधन पर एक नोट भी मई 2010 में तैयार किया गया।

सिद्धांततः प्रस्तावों की जांच-पड़ताल

4.17.4 योजना आयोग ने "सिद्धांततः" अनुमोदन पद्धति की समीक्षा की थी तथा 11वीं पंच वर्षीय योजना से नई योजना स्कीमों को शामिल करने के लिए विद्यमान "सिद्धांततः" अनुमोदन में संशोधन का सुझाव दिया, जिसे भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों को दिनांक 29 अगस्त, 2006 के यूओ नोट सं.एन-11016/4/2006 के द्वारा संशोशित मार्गनिर्देश जारी कर दिए गए। संशोधित मार्गनिर्देशों के अनुसार यदि स्कीम/ परियोजनाएं योजना दस्तावेज में उल्लिखित हैं और परियोजना/ स्कीम के लिए वित्तीय संसाधनों की पूर्ण रूप में व्यवस्था कर दी गई है तो उसके संबंध में योजना आयोग के "सिद्धांततः" अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी। किन्तु, यदि किसी स्कीम/ परियोजना को किसी विद्यमान स्कीम में अतिरिक्त संघटक को पर्याप्त प्रावधान के साथ पंच वर्षीय योजना में शामिल नहीं किया जा सका तो उसके संबंध में मंत्रालय/ विभाग द्वारा स्कीम/ परियोजना को योजना में शामिल करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों (ई एफ सी/पी आई बी/सी सी ई ए/ई बी आर आदि) की मंजूरी प्राप्त करने से पहले योजना आयोग का "सिद्धांततः" अनुमोदन आवश्यक होगा।

4.17.5 मंत्रालय/विभाग की योजना में शामिल किए जाने हेतु परियोजना/ स्कीम को समर्थ बनाने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के प्रस्तावों को (यदि लागत 50 करोड़ रुपए से अधिक है, तो व्यवहार्यता रिपोर्ट), योजना आयोग में विषय प्रभाग को "सिद्धांततः" अनुमोदन (सचिव से) हेतु सभी नई केंद्रीय क्षेत्रक तथा केंद्र प्रायोजित स्कीमों को, उनमें अंतर्निहित परिव्यय पर ध्यान दिए बिना, भेजना होता है। दिनांक 5 सितंबर 2005 के अ.शा.पत्र सं.12043/10/2005-पीसी के अनुसार विद्युत और कोयला परियोजनाओं के संबंध में योजना आयोग के "सिद्धांततः" अनुमोदन की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है।

4.17.6 पी ए एम डी ने योजना आयोग में प्रभागाध्यक्षों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं, जिनमें दिनांक 22 नवंबर 2007 के यू.ओ. संख्या ओ-14015/1/2006-पीएएमडी के अनुसार "सिद्धांततः" अनुमोदन के संबंध में प्रस्तावों की जांच करने के लिए प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। मार्गनिर्देशों में व्यवस्था है कि योजना आयोग के अन्य संबद्ध विषय प्रभाग के साथ परामर्श करके, सचिव, योजना आयोग का "सिद्धांततः" अनुमोदन मांगे जाने से पहले, जांच करेगा, जिसमें पी ए एम डी अनिवार्य रूप से शामिल होगा। 11वीं योजना प्रलेख में जो परियोजनाएं/स्कीमें सम्मिलित नहीं हैं, उनके संबंध में "सिद्धांततः" अनुमोदन आवश्यक है। "सिद्धांततः" अनुमोदन के लिए समय-सीमा चार सप्ताह है।

ई एफ सी/पी आई बी प्रस्तावों की जांच

4.17.7 योजना आयोग ने, परियोजना प्रस्तावों के मूल्यांकन में विलंब होने को कम करके यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभागों/मंत्रालयों से पी आई बी/ ई एफ सी ज्ञापन के प्राप्त होने के बाद 4 सप्ताहों में पी आई बी/ई एफ सी का फैसला हो जाए, पी ए एम डी ने दिनांक 22.11.2007 के यू.ओ. सं. ओ-14015/1/2006-पीएएमडी के अनुसार योजना आयोग में ई एफ सी/पी आई बी

प्रस्तावों की जांच-पड़ताल करने के लिए संशोधित प्रक्रिया जारी की। संशोधित प्रक्रिया की निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

(क) परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग, ई एफ सी/ पी आई बी ज्ञापन प्राप्त होने के बाद पी आई बी ई एफ सी के प्रबंध सलाहकार के रूप में कार्य करेगा और पी आई बी/ई एफ सी ज्ञापन में शामिल सूचना व प्राप्त अन्य सूचना के आधार पर, यह मूल्यांकन पूरा कर लेगा और पी आई बी/ ई एफ सी को प्रबंधन संबंधी सलाह देगा।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि पी ए एम डी द्वारा किया गया मूल्यांकन व्यापक और सार्थक हो, परियोजना प्राधिकारियों/ प्रशासनिक मंत्रालयों से अनुरोध किया गया है कि वे केवल ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करें, जो हर पहलू से पूरे हैं, तथापि जहां ई एफ सी/पी आई बी ज्ञापन में संगत सूचना नहीं दी गई है, तो पी ए एम डी ऐसी कमियों का विनिर्धारण करेगा और मंत्रालय/विभाग से ऐसी सूचना मंगाएगा।

(ग) पी ए एम डी द्वारा प्रबंध्यान सलाह देने के लिए अधिकतम सीमा पी आई बी/ ई एफ सी प्रस्ताव के प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह तय की गई है। यदि पी ए एम डी निर्धारित समय-सीमा (छह सप्ताह) के भीतर प्रस्ताव का मूल्यांकन करने में असफल होता है तो पी आई बी/ ई एफ सी की बैठक तय की जा सकती है और उनके विचार बैठक में प्राप्त किए जा सकते हैं।

4.17.8 वर्ष 2009-10 के दौरान प्रभाग में कुल 208179.56 करोड़ रुपए की लागत वाले 216 ई एफ सी/पी आई बी प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया। वर्ष 2010-11 (1.4.2010 से 31.12.2010 तक) में 587903.63 करोड़ रुपए की लागत वाले 125 ई एफ सी/ पी आई बी प्रस्तावों का मूल्यांकन कया गया, जिनमें नए और संशोधित लागत अनुमानों (आर सी ई) वाले प्रस्ताव भी शामिल थे।

2010-11 के संबंध में तथ्य और आंकड़े (अप्रैल-दिसम्बर, 2010)

क. मूल्यांकन की गई परियोजनाओं की संख्या : 125

ख. पूंजीगत लागत : 587903.63 करोड़ रुपए

ग. निम्न क्षेत्रकों की मूल्यांकित परियोजनाओं की संख्या:

- कृषि : 16 (1.64%)
- ऊर्जा और परिवहन : 35 (21.35%)
- उद्योग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी : 17 (3.92%)
- सामाजिक क्षेत्रक : 30 (66.3%)
- संचार : 6 (0.92%)
- अन्य : 21 (5.08%)

योग : 125 (100%)

मूल्यांकन प्राचलों की समीक्षा:

4.17.9 योजना स्कीमों/ परियोजनाओं की नोडल मूल्यांकन एजेंसी होने के नाते पी ए एम डी, समय-समय पर, मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय प्राचलों की समीक्षा भी करता है। "भारत में परियोजना मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय प्राचलों के अनुमान " के संबंध में एक अध्ययन मूल्यांकन प्राचलों, जैसे कि सामाजिक बट्टा दर, वित्तीय तथा आर्थिक आई आर आर, विदेशी मुद्रा पर सामाजिक प्रीमियम, छाया मजदूरी आदि का पुनः अनुमान लगाने के लिए एक अध्ययन, आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय से कराया गया था। अध्ययन रिपोर्ट में सिफारिशें सरकार के अनुमोदनार्थ वित्त मंत्रालय को भेज दी गई हैं।

4.17.10 वार्षिक योजना तैयार करना : पी ए एम डी, समग्र आयोजना प्रक्रिया के एक भाग के रूप में कार्मिक/लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, आपदा प्रबंधन सहित और कानून एवं न्याय मंत्रालय से

संबंधित वार्षिक योजना तैयार करने के कार्य में भी लगा है। पी ए एम डी ने योजना मंत्रालय की वार्षिक योजना 2011-12 परिव्ययों की जांच की और उन्हें अंतिम रूप दिया।

4.17.11 पी ए एम डी के अधिकारियों को राज्यों के अधिकारियों को परियोजना मूल्यांकन पद्धति में प्रशिक्षण प्रदान करने के वास्ते, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर आयोजित कार्यशालाओं में भेजा गया।

4.17.12 वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान जिन परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया (अप्रैल 2010-दिसम्बर 2010) उनका क्षेत्रकीय विभाजन संलग्न तालिका में दर्शाया गया है। प्रमुख क्षेत्रक समूहों से संबंधित जानकारी संक्षेप में नीचे तालिका 4.17.1 तथा तालिका 4.17.2 में दी गई है :

तालिका 4.17.1

मूल्यांकन की गई परियोजनाओं का क्षेत्रकीय विवरण

क्रम सं.	क्षेत्रक	2009-10			2010-11 (दिसंबर 2010 तक)		
		सं.	लागत (करोड़ रु.)	%	सं.	लागत (करोड़ रु.)	%
1.	कृषि	17	12781.45	6.2	16	9644.68	1.64
2.	ऊर्जा	19	19897.60	9.6	5	90276.16	15.35
3.	परिवहन	40	14527.26	7.0	30	35327.97	6.00
4.	उद्योग	27	15850.76	7.6	12	20866.14	3.54
5.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	18	4303.43	2.0	5	2266.42	0.38
6.	सामाजिक सेवाएं	51	117576.12	56.5	30	389498.84	66.25
7.	संचार #	11	10651.85	5.1	6	5411.31	0.92
8.	अन्य @	33	12591.11	6.0	21	34612.11	5.88
	जोड़	**216**	**208179.56**	**100**	**125**	**587903.63**	**100**

डाक, सूचना और प्रसारण, सूचना प्रौद्योगिकी सम्मिलित हैं।

@ गृह मंत्रालय और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, पर्यटन, वाणिज्य, पर्यावरण और वन, न्याय, जल संसाधन, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उपभोक्ता मामले, वित्त, रक्षा, प्रशासनिक सुधार, विदेश कार्य, योजना आयोग और कार्यक्रम कार्यान्वयन शामिल हैं।

तालिका 4.17.2

पी ए एम डी में मूल्यांकित ई एफ सी/पी आई बी प्रस्तावों की क्षेत्रक-वार संख्या और लागतें

क्र. सं.	क्षेत्रक	2009-10		2010-11 (दिसंबर 2010 तक)	
		संख्या	लागत (करोड़ रु.)	संख्या	लागत (करोड़ रु.)
1	**कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रक**	**17**	**12781.45**	**16**	**9644.68**
	ऊर्जा	**19**	**19897.60**	**5**	**90276.16**
2	विद्युत और कोयला	12	15193.10	4	89296.16
3	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस	2	2188.58	1	980.00
4	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	5	2515.92	0	0
	परिवहन	**40**	**14527.26**	**30**	**35327.97**
5	रेलवे	13	7702.50	7	23656.43
6	सतही परिवहन	24	6329.42	15	4762.31
7	नागर विमानन	2	416.19	5	6100.08
8	नौवहन (पोत परिवहन)	1	79.17	3	809.15
	उद्योग	**27**	**15850.76**	**12**	**20866.14**
9	उद्योग व एस एस आई	12	3121.87	4	961.83
10	इस्पात व खान	0	0	1	2112.72
11	पेट्रो रसायन एवं उर्वरक	6	7402.76	0	0
12	इलेक्ट्रॉनिक	0	0	0	0
13	वस्त्र	6	3175.55	6	17192.04
14	खाद्य प्रसंस्करण	3	2150.58	1	599.55
	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	**18**	**4303.43**	**5**	**2266.42**
15	बायो-टेक्नोलॉजी	3	781.05	2	322.00
16	विज्ञान व प्रौद्योगिकी	7	1743.28	1	216.00
17	वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान	4	1044.18	1	322.51
18	महासागर विकास	0	0	0	0
19	भू-विज्ञान	4	734.92	1	1405.91
	सामाजिक सेवाएं	**51**	**117576.12**	**30**	**389498.84**
20	मानव संसाधन विकास/संस्कृति	15	79184.42	4	241150.75
21	युवा मामले व खेल	6	1791.05	1	723.00
22	स्वास्थ्य	16	20720.68	14	5086.83
23	महिला व बाल विकास	4	12489.86	1	175.00

24	श्रम	1	88.33	3	7046.82
25	सामाजिक न्याय	2	366.00	4	8758.47
26	शहरी विकास	6	2592.02	1	50000.00
27	ग्रामीण विकास	1	343.76	2	76557.97
	संचार	**11**	**10651.85**	**6**	**5411.31**
28	सूचना एवं प्रसारण	5	1692.35	3	737.04
29	डाक	2	2653.66	0	0
30	सूचना प्रौद्योगिकी	2	215.84	3	4674.27
31	संचार	2	6090.00	0	`0
	अन्य	**33**	**12591.11**	**21**	**34612.11**
32	गृह कार्य एवं कार्मिक विभाग	6	2384.88	3	9337.99
33	पर्यटन	0	0	0	0
34	वाणिज्य	3	248.93	2	399.00
35	पर्यावरण एवं वन	5	922.02	4	7446.04
36	न्याय	0	0	1	918.41
37	जल संसाधन	2	5164.37	4	6808.92
38	पूर्वोत्तर क्षेत्र	11	2463.72	5	2187.56
39	उपभोक्ता मामले	3	573.79	0	0
40	वित्त/ कंपनी मामले	0	0	0	0
41	रक्षा	0	0	0	0
42	प्रशासनिक सुधार	0	0	0	0
43	अल्पसंख्यक आयोग	2	181.33	0	0
44	योजना आयोग	1	147.31	2	7514.69
45	विदेश मंत्रालय	1	504.76	0	0
	जोड़	**216**	**208179.56**	**125**	**587903.63**

4.18 भावी योजना प्रभाग

4.18.1 भावी योजना प्रभाग में प्रमुख कार्यकलाप

- भावी योजना प्रभाग के कार्य का संबंध योजना को समूचे रूप से वृहद-आर्थिक ढांचे में एकीकृत करना है, जिसमें संभावनाओं और बाधाओं की रूपरेखा दी गई हो और संभाव्यताओं, बाधाओं और महत्त्वपूर्ण मुद्दों के रूप में विकास का दीर्घकालिक दृश्य प्रस्तुत किया गया हो।

- यह प्रभाग, आयोग को योजना और नीति संबंधी मुद्दों में सहायता देता है, जो अर्थव्यवस्था के बहुविध क्षेत्रकों, जैसे कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचा, वित्तीय संसाधन, भुगतान, संतुलन, सामाजिक सेवाएं, जनांकिकी, गरीबी और रोजगार से संबंधित हैं। योजनाओं में अंतर्क्षेत्रकीय संगति लाने के लिए योजना, मॉडलों, उप-माडलों का उपयोग किया जाता है। प्रभाग में किए जाने वाले प्रयास से बचत, निवेश, आयात-निर्यात तथा साथ ही सामाजिक विकास संकेतकों, राजकीय वित्त आदि को प्रस्तुत करने संबंधी समग्र बृहद आर्थिक रूपरेखा (मैक्रो फ्रेमवर्क) तैयार करने में सहायता मिलती है।

4.18.2 प्रभाग अपनी नियमित कार्रवाइयों के एक अंग के रूप में:

- विकास की उपयुक्त कार्यनीति के लिए दीर्घकालिक उद्देश्यों के निहितार्थों का विश्लेषण करने के जरिए माध्यमिक और दीर्घावधिक योजनाओं के लिए एक समग्र ढांचा (फ्रेमवर्क) तैयार करता है।

- अंतर्कालिक (इंटर टेम्पोरल), अन्तर्क्षेत्रीय और अंतर्क्षेत्रकीय संदर्भ में चालू नीतियों और कार्यक्रमों की जांच करता है।

- योजना के उद्देश्यों और योजना आबंटन के बीच संगति, विकास की क्षेत्रीय आवश्यकताओं के साथ सरकारी क्षेत्र के परिव्यय के क्षेत्रीय विभाजन, वितरण की अनुरूपता, विभिन्न आय समूहों के लोगों के उपयोग के स्तर पर कीमतों की वृद्धि से पड़ने वाले प्रभाव, अर्थव्यवस्था में बचत, निवेश और विदेश व्यापार की प्रवृत्तियों, लोक निवेश के लिए अर्थव्यवस्था की विभिन्न घटनाओं के निहितार्थों का अध्ययन करता है।

- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा किए गए पारिवारिक उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों का उपयोग करके शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में अलग-अलग रज्य-वार गरीबी अनुपातों का मासिक प्रति व्यक्ति खपत व्यय (एम पी सी ई) के आधार पर अनुमान लगाना और गरीबी के सूचकों में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करना।

- विभिन्न समितियों, विशेषज्ञ समूहों और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा परिकलित वैकल्पिक गरीबी अनुपात और सूचकों की जांच करता है।

- आयोजन की प्रक्रिया, सरकारी क्षेत्रक के कार्यक्रम को सरकारी व्यय के योजना-भिन्न पक्ष से योजना पक्ष में अथवा विपर्ययेन अंतरित करने से संबंधित तकनीकी मुद्दों के बारे में योजना आयोग को अपने विचार तय करने में सहायता देता है।

- संसद, अर्थशास्त्रियों के मंच, राज्यों में आर्थिक आयोजन अभिकरणों, अन्य देशों से आए राष्ट्रीय योजना आयोगों के प्रतिनिधियों और सरकार के संबंधित नोडल मंत्रालयों के माध्यम से अन्य देशों एवं बहुराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा "आयोजन की प्रक्रिया" के बारे में उठाए गए मुद्दों के संबंध में योजना आयोग के प्रत्युत्तर तैयार करने में योगदान करता है।

- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और भारत के महापंजीयक के योजना प्रस्तावों के लिए योजना आयोग में नोडल प्रभाग है।
- "सार्क" विकास लक्ष्यों (एस डी जी) के लिए नोडल प्रभाग।
- मिलेनियम विकास लक्ष्यों (एम डी जी) के लिए नोडल प्रभाग।

4.18.3 प्रभाग, निम्नलिखित में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व करता है:

- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की शासी परिषद।
- भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की शासी परिषद।
- नेशनल अकाउंट्स ऑफ सी एस ओ की सलाहकार समिति।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग।
- आर्थिक विकास संस्थान (आई ई जी), नई दिल्ली की शासी परिषद।
- योजना और नीति अनुसंधान यूनिट (पी आर यू), भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की सलाहकार समिति, दिल्ली केन्द्र।
- संयुक्त राष्ट्र संघ के समाज विकास आयोग से संबंधित कार्य के लिए योजना आयोग में नोडल प्रभाग।
- विश्व बैंक सहाय्यित "भारत सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना" के राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो को सुदृढ़ करने की विशिष्ट आवश्यकता का घटक विनिर्धारण करने के लिए कार्य दल।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा गठित सहस्राब्दि विकास संकेतकों के संकलन और रिपोर्ट करने के संबंध में रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए अंतर-मंत्रालयीय विशेषज्ञ समिति।

4.18.4 प्रभाग के अधिकारी निम्नलिखित कार्यकलापों से सम्बद्ध रहे हैं:

- प्रोफेसर एस.आर. हाशिम की अध्यक्षता में शहरी क्षेत्रों में बी पी एल परिवारों का विनिर्धारण करने के लिए उपयुक्त क्रियाविधि की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन, पृष्ठभूमि नोट व अन्य सम्बद्ध तकनीक नोट करना।
- प्रोफेसर सुरेश डी. तेन्दुलकर की अध्यक्षता में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए क्रियाविधि की समीक्षा करने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट की जांच की और इस विषया पर और आगे विचार करने के लिए संक्षिप्त नोट तैयार किए।
- वृहद आर्थिक संगति रूपरेखा के अंदर वृहद-आर्थिक और साथ ही लक्ष्य वृद्धि करके क्षेत्रकीय प्राचलों के भी वृहद-आर्थिक माडल का विकास और अनुमान।
- संशोधित डब्ल्यु पी आई श्रृंखला (आधार 2004-05 = 100) के साथ अनुमानित आधार 2004-05 के साथ नई एन ए एस श्रृंखला के अनुरूप वृहद-आर्थिक समुच्चयों का पुनर्गठन।
- 2011-12 में आयोजित किए जाने वाले पारिवारिक खपत व्यय के संबंध में एन एस एस के 68वें चक्र के सर्वेक्षण डिजाइन की जांच की और एन एस एस ओ को योजना आयोग की टिप्पणियां प्रस्तुत की।
- एक नए आधार 2004-05 के साथ औद्योगिक उत्पादन सूचक (आई आई पी) के पुनरीक्षण के लिए प्रस्ताव की जांच की, प्रस्तावित नई श्रृंखला की जांच करने के लिए, योजना आयोग के सदस्य, श्री सौमित्र चौधरी की

अध्यक्षता में एक छोटा सा कार्यदल गठित किया। रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें आई आई पी 2004-05 श्रृंखला को अंतिम रूप देने से पहले सी एस ओ द्वारा आयोजित किए जाने वाले संशोधन का सुझाव दिया।

- सी एस ओ द्वारा आयोजित किए जाने वाले छठे आर्थिक सेन्सस के संबंध में प्रस्ताव का आकलन किया।
- एम पी एल ए डी एस के कार्यान्वयन के लिए मार्गनिर्देशों के संशोधन के संबंध में योजना आयोग की टिप्पणियां तैयार और जांच की।
- एम पी एल ए डी एस के संबंध में राज्य सभा उप-समिति में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व किया।
- एम डी जी, एस डी जी के अंतर्गत हुई प्रगति का समय-समय पर मानीटरन और उपाध्यक्ष व सदस्य, योजना आयोग के लिए संक्षिप्त नोट तैयार किया।
- संयुक्त राष्ट्र के विकास सहायता फ्रेमवर्क की मध्यावधि समीक्षा (2008-12) में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व किया।
- द्वितीय राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक तकनीकी नोट तैयार किया।
- नई दिल्ली में 7-10 फरवरी 2011 को आयोजित राष्ट्रमंडल सांख्यिकीविदों के 15वें सम्मेलन के लिए "सोसाइटी में प्रगति मापने" के संबंध में भारत का देशज पत्र तैयार किया।

4.18.5 अन्य समितियों का सदस्यः

- एन एस एस ओ के 68वें चक्र के संबंध में कार्य दल।
- छठे आर्थिक सेन्सस के संबंध में कार्य दल।
- औद्योगिक उत्पादन सूचक (आई आई पी) के संबंध में कार्य दल।
- भारतीय सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना के संबंध में स्थायी समिति।
- एम पी एल ए डी के संबंध में राज्य सभा उप-समिति।

4.19 ग्रामीण विकास प्रभाग

4.19.1 ग्रामीण विकास प्रभाग, गरीबी उपशमन, रोजगार सृजन कार्यक्रमों, परती भूमि तथा अवक्रमित भूमि के विकास से संबंधित मामलों पर योजना आयोग में एक नोडल प्रभाग है । यह प्रभाग, संबंधित विकासात्मक मुद्दों पर ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग और भू-संसाधन विभाग) के साथ भी नियमित रूप से वैचारिक आदान-प्रदान करता है ।

4.19.2 प्रभाग द्वारा ग्रामीण विकास विभाग और भू-संसाधन विभाग के संबंध में ईएफसी प्रस्तावों, मंत्रिमण्डल पत्रों की जांच की गई और उन्हें टिप्पणियां भेजी गईं । प्रभाग के अधिकारियों ने पीएएमडी के प्रतिनिधियों के साथ, ग्रामीण विकास विभाग और भू-संसाधन विभाग की ईएफसी की बैठकों में भाग लिया ।

4.19.3 वार्षिक योजना 2011-12 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और भू संसाधन विभाग (डीओएलआर) के वार्षिक योजना प्रस्तावों और बजट अनुमानों की ग्रामीण विकास प्रभाग द्वारा विस्तार से जांच की गई । इसके अलावा, ग्रामीण विकास क्षेत्रक के तहत वार्षिक योजना प्रस्तावों के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच की गई तथा उनके वार्षिक योजना परिव्ययों को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित राज्य सरकार अधिकारियों के साथ चर्चा आयोजित की गई ।

4.19.4 प्रभाग ने डीओआरडी और डीओएलआर के अधिकारियों के साथ ग्यारहवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन (एमटीए) पर चर्चा करने के लिए सदस्य (आरडी) की अध्यक्षता में बैठकें बुलाई तथा ग्यारहवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन संबंधी अध्याय तैयार किया।

4.19.5 प्रभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य भी किए जाते हैं :

- संसदीय प्रश्न, संसदीय सामग्री, वीआईपी संदर्भ, प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त संदर्भ और प्राप्त अन्य अभ्यावेदन
- ग्रामीण विकास मंत्रालय से इंदिरा आवास योजना निधियों के 3% तक सदुपयोग के लिए प्रशासनिक खर्च के रूप में प्राप्त ईएफसी प्रस्तावों की जांच
- योजना आयोग की एसईआर एकक से एमजीनरेगा पर प्राप्त अनेक अनुसंधान प्रस्ताव/सेमिनारों की जांच
- एसएफसी की सीटिंग की कार्यवाहियों पर सदस्य द्वारा की गई आख्यायों पर बिंदुवार उत्तर संसद अनुभाग को 12.10.2010 को भेजा गया।
- अनुदान मांगों पर स्थायी वित्त समिति द्वारा की गई टिप्पणियों को भी देखा गया।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों पर अनेक आरटीआई प्रकरणों को देखा और उपयुक्त जवाब दिए गए।
- योजना आयोग में 24 नवम्बर, 2010 को माननीय सदस्य श्री मीहिर शाह की अध्यक्षता में ग्राम पंचायतों की क्षमता निर्माण पर एक बैठक आयोजित की गई।
- आर्थिक संपादकों के सम्मेलन (ईईसी-2010) के लिए नोट्स तैयार किए गए।

4.19.6 प्रभाग के अधिकारियों को अन्यों के साथ-साथ निम्नलिखित अनेक समितियों में सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व प्राप्त हैं : (i) केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद्, (ii) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के तहत केंद्रीय स्तर समन्वय समिति, (iii) एसजीएसवाई विशेष परियोजनाओं के लिए परियोजना अनुमोदन समिति ; (iv) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई); (v) ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की व्यवस्था करने (पीयूआरए) संबंधी संचालन समिति; (vi) आई डब्ल्यू एम पी के अंतर्गत परियोजनाओं के अनुमोदनार्थ डी ओ एल आर की संचालन समिति ; (vii) डी आर डी ए प्रशासन स्कीम संबंधी विशेषज्ञ समिति ; (viii) विशेष अवस्थापना स्कीमों (एस आई एस) के अंतर्गत परियोजनाओं के अनुमोदनार्थ गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति । प्रभाग के वरिष्ठ सलाहकार, सलाहकारों और निदेशकों ने उपरोक्त समितियों की बैठकों में भाग लिया ।

4.20 विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रभाग

4.20.1 एस एण्ड टी प्रभाग, केंद्रीय वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों, नामतः विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी), वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी एस आई आर), सी एस आई आर सहित, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डी बी टी), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई-आर एंड डी), अंतरिक्ष विभाग (डी ओ एस) और मृदा विज्ञान विभाग (एम ओ ई एस) आदि के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से देश के समग्र विकास के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आधार को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । प्रभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियां पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना की तैयारी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के एस एंड टी कार्यक्रमों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित केन्द्रीय वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के योजना प्रस्तावों/ परियोजना/ स्कीमों आदि की जांच करना और

संसदीय प्रश्नों एवं अन्य मंत्रिमंडल के संदर्भित जवाब देना।

4.20.2 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का चौथा वर्ष होने के नाते इन मंत्रालयों/विभागों के अधिकांश नए कार्यक्रमों को वार्षिक योजना (2010-11) अवधि के दौरान अनुमोदित किया गया । इन विभागों के कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रमुख रूप से सामाजिक लाभ के लिए एस एण्ड टी का दोहन करने, विज्ञान में कैरियर हेतु युवा वैज्ञानिकों को आकर्षित करने और अनुसंधान संस्थानों/प्रयोगशालाओं और उद्योग के बीच संयोजनों को देश में सुदृढ़ करने पर बल दिया जाता है ।

4.20.3 वर्ष के दौरान शुरू की गई प्रमुख गतिविधियां बारहवीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए रही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर विशेषज्ञ समूह की उद्योग संघो के साथ बैठकें इसके भाग के रूप में आयोजित की गई ताकि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण तैयार किया जा सके, विकास के लिए उद्योग-अकादमियों की अंतर्गता बढ़ाई जा सके। प्रयोगशाला से प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग और प्रवाह बजार तक पहुंचाया जा सके ताकि समाज को व्यापक स्तर तक लाभ पहुंच सके और आर्थिक अर्जन हो सके, वैज्ञानिक संगठनों के बीच तालमेल को बढ़ाया जा सके। देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर एक उत्साहपूर्ण बैठक और इच्छित, धारणीय और अधिक समावेशी विकास को बारहवीं पंचवर्षीय योजना में हासिल करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है, के बारे में आयोजित की गई।

4.20.4 केंद्रीय वैज्ञानिक विभागों/एजेंसियों, नामतः परमाणु ऊर्जा विभाग (डी ए ई-आर ए डी), विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी), वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी एस आई आर), वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी एस आई आर) सहित, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डी बी टी) और मृदा विज्ञान मंत्रालय (एम ओ ई एस), के वार्षिक योजना (2011-12) प्रस्तावों की जांच की गई तथा वार्षिक योजना (2011-12) के लिए वित्तीय आवश्यकता का आकलन करने के लिए इन मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं/कार्यक्रमों, 2011-12 के दौरान प्रमुख उपलब्धियों, 2009-10 के दौरान संभावित उपलब्धियों, 2011-12 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों और उनकी वचनबद्ध देनदारियों के ब्यौरों पर गहराईपूर्वक चर्चा की गई। इसके बाद, वार्षिक योजना (2011-12) आवश्यकताओं का अंतिम अनुमान लगाने के लिए संबंधित विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभागों के सचिवों के साथ सदस्य स्तरीय बैठकें आयोजित की गईं ।

4.20.5 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रक से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वार्षिक योजना (2010-11) प्रस्तावों की विस्तारपूर्वक जांच की गई तथा एस एण्ड टी क्षेत्रक के अंतर्गत वार्षिक योजना 2010-11 परिव्ययों को अंतिम रूप देने के लिए उन पर कार्यदल की बैठकों में चर्चा की गईं । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एस एण्ड टी अवस्थापना को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनेक बहुमूल्य सुझाव दिए गए । चर्चाओं के दौरान, राज्य विशिष्ट का विनिर्धारण करने, निधियन हेतु केंद्रीय वैज्ञानिक मंत्रालयों को प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावों के निर्माण में वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकी विदों और शिक्षाविदों को शामिल करके स्थानीय विशेषज्ञता को प्रोत्साहित करने, केंद्रीय वैज्ञानिक मंत्रालयों/विभागों के साथ सतत रूप से विचार-विमर्श करके राज्य एस एण्ड टी परिषदों के कार्यकलापों को सुदृढ़ करने, विज्ञान के प्रति युवा प्रतिभा को आकर्षित करने पर प्रमुख रूप से बल दिया गया। स्थानीय विशेषज्ञता को विज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीविद् और शिक्षा विदों को केन्द्रीय वैज्ञानिक मंत्रालयों के परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय उनके सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए जो प्रस्ताव वित्त पोषण के लिए युवा

प्रतिभावों को विज्ञान तथा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों की गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए आ सकें।

4.20.6 नाभिकीय विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, महासागरीय विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, औद्योगिक विकास, आर एण्ड डी हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रोन्नयन आदि क्षेत्रों में अनेक ई एफ सी प्रस्तावों, मंत्रिमंडल प्रस्तावों, सचिवों की समिति के लिए नोट की 2010-11 के दौरान जांच की गई । जिन महत्वपूर्ण प्रस्तावों की जांच की गई उनमें शामिल हैं: नव प्रवर्त्तन न्यास (एनआईएफ) अहमदाबाद को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदान सहायता संस्थान में बदलता भारत में 4 इंडो-जर्मन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र (आईजीएसटीसी) की स्थापना करना, डाटा शेयरिंग और सुलभता हेतु राष्ट्रीय नीति, वैज्ञानिक और नवप्रवर्त्तन अनुसंधान अकादमी की स्थापना, आईस लैस अनुसंधान वैसल प्राप्त करना, कार्यान्वयन, प्रबंधन और प्रचालन पर अंतर्राष्ट्रीय संवैधानिक वैज्ञानिक ड्रीलिंग प्रोग्राम, आईसीडीपी और सीस्मोलॉजी नेशनल सेंटर, भारतीय मौसम विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और जिओसाईंस के बीच आईसीडीसी सदस्यों की ओर से समझौता ज्ञापन हैल्महॉट्ज सेंटर पॉट्सडम जीएफजैड अनुसंधान केन्द्र कोरिया मौसम प्रशासन (केएमए), कोरिया गण राज्य और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बीच पृथ्वी विज्ञान एवं सेवाओं के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन (एमओयू), एफ्रो एशियन क्षेत्र (आरआईएमईएस) के लिए क्षेत्रीय एकीकृत बहु-आपदा हेतु पूर्व चेतावनी प्रणाली पर सहयोग संबंधी समझौता।

4.21 अवसंरचना संबंधी समिति सचिवालय

4.21.1 ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान जी डी पी की औसतन 9% वृद्धि दर बनाए रखने के लिए अवसंरचना में लगभग 20,56,150 करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई है क्योंकि सरकारी क्षेत्रक संपूर्ण निवेश का वित्त पोषण करने में समर्थ नहीं होगा इसलिए ग्यारहवीं योजना के लिए कार्यनीति के अंतर्गत सीधे ही अथवा विभिन्न सार्वजनिक-निजी भागीदारियों के रूपों के माध्यम से भी निजी क्षेत्रक को प्रोत्साहन प्रदान किया गया ।

11वीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान अवसंरचना पर किया गया निवेश

4.21.2 अवसंरचना क्षेत्रक-वार ग्यारहवीं योजना के पहले 2 वर्षों के दौरान अवसंरचना निवेश, जिसकी तुलना मूल योजना प्रक्षेपणों से की गई है, में कुल निवेश तालिका में दर्शाई गई है। इसमें तीसरे वर्ष के लिए संसोधन भी दर्शाए गए हैं।

4.21.3 तालिका 4.21.1 से यह देखा जा सकता है कि ग्यारहवीं योजना के पहले दो वर्षों में अवस्थापना में कुल वास्तविक निवेश वर्ष-वार मूल पूर्वानुमानों को पार कर गया । 2007-08 में 2,70,273 करोड़ रुपए के प्रक्षेपित अनुमान के मुकाबले वास्तविक निवेश 3,03,807 करोड़ रुपए का हुआ जो 12.41% अधिक है । इसी प्रकार, 2008-09 में 3,59,192 करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश मूल पूर्वानुमानों से 11.69% अधिक है । 2009-10 के लिए संशोधित प्रक्षेपण निवेश रुपए 4,02,829 करोड़ किया गया। अवसंरचना सचिवालय योजना अवधि के लिए अवसंरचना में प्रक्षेपित निवेश संशोधित करके ग्यारहवीं योजना अवधि के मध्यावधि मूल्यांकन के एक भाग के रूप में अब यह 2054205 करोड़ रुपए कर दिया गया है जोकि आरंभिक लक्ष्य के करीब-करीब बराबर है। यह दूर संचार क्षेत्रक और तेल और गैस पाइप लाइन के लिए प्रत्याशित निवेश से अधिक निवेश के परिणामस्वरूप संभव हुआ है।

तालिका 4.21.1
अवस्थापना में क्षेत्रक-वार निवेश

(2006-07 कीमतों पर करोड़ रुपए)

क्षेत्रक	2007-08		2008-09		2009-10
	पूर्वानुमान	वास्तविक	पूर्वानुमान	वास्तविक	संशोधित
बिजली (एनसीई सहित)	81,954	111,134	1,01,553	117,093	125,958
सड़कें तथा पुल	51,822	42,741	54,789	48,108	54,638
दूरसंचार	31,375	31,900	38,134	52,295	64,206
रेलवे (एम आर टी एस सहित)	34,225	31,182	40,964	39,095	42,830
सिंचाई (डब्ल्यू एस सहित)	27,497	38,789	35,916	44,858	49,093
जलापूर्ति और स्वच्छता	19,298	19,110	22,781	19,939	21,941
बंदरगाह (अंतर्देशीय जलमार्गों सहित)	12,409	4,942	14,822	7,148	8,323
हवाईअड्डे	5,208	6,912	5,520	7,522	7,092
भण्डारण	3,777	906	4,098	1,281	1,669
तेल और गैस पाइपलाइन	2,708*	16,190	3,003*	21,854	27,080
जोड़	**2,70,273**	**3,03,807**	**3,21,579**	**3,59,192**	**4,02,829**

** प्रक्षेपण गैस पाईप लाइन क संबंध में ही है जबकि 2009-10 के लिए वास्तविक निवेश और संशोधित प्रक्षेपण तेल और गैस पाईप लाइन के लिए हैं*

नीतिगत पहलें

4.21.4 निजी भागीदारी के लिए एक समर्थनकारी परिवेश कायम करने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक पहलें की हैं । इनमें से कुछेक पहलों पर नीचे चर्चा की गई है: -

अवसंरचना संबंधी मंत्रिमंडल समिति:

4.21.5 समर्थनकारी नीतिगत रूपरेखा और पीपीपी परियोजनाओं के सुचारू मानीटरन के उद्देश्य से सरकार ने, ऐसी नीतियां शुरू करने के उद्देश्य से जिनसे विश्व श्रेणी की स्थापना एक समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित होगी, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सेवाएं प्रदान करने, ऐसी पद्धतियां विकसित करने के लिए जिनसे पीपीपी की भूमिका अधिकतम होगी तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थापित लक्ष्य प्राप्त हो जाएं, प्रमुख अवस्थापना परियोजनाओं की प्रगति का मॉनीटरन करने के लिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अगस्त 2004 में एक अवस्थापना संबंधी समिति (सी ओ आई) गठित की थी । इन पहलों को और बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2009 में अवसंरचना के संबंध में एक मंत्रिमंडल समिति की स्थापना की गई ताकि अवसंरचना के विकास के संबंध में की गई पहलों को और बढ़ावा दिया जा सके। सीसीआई नीतियों और परियोजनाओं को अनुमोदित कर उनकी समीक्षा करती है, अवसंरचना क्षेत्रकों में निवेश को बढ़ाने के लिए यह वित्तीय, संस्थागत एवं विधिक उपायों पर विचार कर निर्णय भी लेती है।

मॉडल दस्तावेज

4.21.6 नीतिगत रूपरेखा की एक महत्वपूर्ण विशेषता मॉडल दस्तावेजों को अपनाया जाना है, जैसे कि पी पी पी परियोजनाएं अवार्ड करने के लिए रियायत (कन्सेशन) करार व अन्य बोली दस्तावेज । क्योंकि पीपीपी परियोजनाओं के अंतर्गत विशिष्ट रूप से सार्वजनिक परिसंपत्तियों का हस्तांतरण अथवा पट्टे पर देना, एक एकाधिकारवादी परिवेश में सार्वजनिक यूटिलिटियों/सेवाओं का प्रचालन और/अथवा नियंत्रण, उपभोक्ता प्रभारों की वसूली के लिए सरकारी प्राधिकार का प्रत्यायोजन और सरकार द्वारा जोखिम और आकस्मिक देनदारियाँ बांटना सम्मिलित है इसलिए उन्हें सार्वजनिक परियोजनाओं के रूप में समझा जाना चाहिए जिसके अंतर्गत जवाबदेही सरकार के पास बनी रहेगी । सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि करने के उद्देश्य से निजी निवेश प्राप्त करने के लिए पीपीपी प्रक्रिया एकमात्र साधन है । इसलिए पीपीपी करारों की संरचना करने के लिए भागीदारियों की जटिल प्रकृति और उपभोक्ताओं व साथ ही राजकोष के हितों को संरक्षण प्रदान करने की जरूरत के कारण उच्च किस्म के विवेक की आवश्यकता है । करारों/कंसेशनों में अपर्याप्तताओं से, सरकारी राजकोष गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है, किराया (रेंट) प्राप्त करने और पीपीपी परियोजनाओं की सार्वजनिक रूप से आलोचना हो सकती है । इसलिए, मानक दस्तावेजों और प्रक्रियाओं पर निर्भरता से निर्णय निर्माण में और परियोजना को इस ढंग से अवार्ड करने में सुविधा मिलेगी जो निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी हो ।

4.21.7 योजना आयोग, इन क्षेत्रकों में प्रमुख अवसंरचना संबंधी क्षेत्रों का पता लगाने और पीपीपी परियोजनाओं की बोली लगाने व मानीटरन के लिए प्रयुक्त दस्तावेजों के मानकीकरण का कार्य जारी रखे हुए है । एक समर्थनकारी नीतिगत व विनियामक परिवेश उपलब्ध कराने के अलावा, इन मानकीकृत दस्तावेजों से, जिनका बड़ी संख्या में केंद्रीय और राज्य पीपीपी परियोजनाओं के लिए प्रयोग किया गया है, कार्यान्वयन स्तर पर क्षमता सुदृढ़ीकरण की अत्याधिक आवश्यकता की भी पूर्ति हो जाएगी । अवसंरचना के प्रोन्नयन और विकास को सुकर बनाने के लिए दिसम्बर 2009 तक योजना आयोग द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रकाशित किए गए हैं :

पीपीपी परियोजनाओं के लिए मॉडल रियायत करार (एम सी ए) :

- राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए एम सी ए
- राज्य राजमार्गों के लिए एम सी ए
- राजमार्गों के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए एम सी ए
- राष्ट्रीय राजमार्गों (छः लेन वाले) के लिए एम सी ए
- शहरी रेल मार्गस्थ पद्धतियों के लिए एम सी ए
- मेट्रो-भिन्न हवाई अड्डों के लिए एम सी ए
- ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए एम सी ए
- बंदरगाहों के लिए एम सी ए
- कंटेनर ट्रेन प्रचालनों के लिए एम सी ए
- रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए एम सी ए
- इंजिनों के लिए प्रापण-सह-अनुरक्षण करार

पीपीपी परियोजनाओं के लिए मॉडल बोली दस्तावेज

- पीपीपी परियोजनाओं के लिए पात्रता दस्तावेज के लिए माडल अनुरोध (आर एफ क्यू)
- पीपीपी परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव हेतु माडल अनुरोध (आर एफ पी)

- तकनीकी परामर्शदाताओं के चयन के लिए माडल अनुरोध (आर एफ पी)
- विधि सलाहकारों के चयन के लिए प्रस्ताव हेतु माडल अनुरोध (आर एफ पी)
- पारेषण परामर्शदाताओं के चयन के लिए प्रस्ताव हेतु माडल अनुरोध (आर एफ पी)
-

पीपीपी परियोजनाओं के लिए आकलन, अनुमोदन और सहायता के संबंध में मार्गनिर्देश

- अवसंरचना में पीपीपी के लिए वित्तीय सहायता (वी जी एफ स्कीम) के संबंध में मार्गनिर्देश
- पीपीपी परियोजनाओं के निर्माण, आकलन और अनुमोदन (पीपीपीएसी) के संबंध में मार्गनिर्देश
- भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी (आई आई एफ सी एल) के माध्यम से वित्त पोषण की स्कीम
- अवसंरचना में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के संबंध में मार्गनिर्देश

नीति दस्तावेज और रिपोर्ट

- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्वानुमानः अवसंरचना में निवेश
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना : अवसरंचना में निवेश
- अवसंरचना में निजी भागीदारी
- राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए वित्त पोषण योजना संबंधी कोर समूह की रिपोर्ट
- हवाई अड्डों के लिए वित्त पोषण योजना संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट
- बंदरगाहों के लिए वित्त पोषण योजना संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट
- अवसंरचना में पीपीपी परियोजनाओं का कंपेंडियम
- राज्य राजमार्गों में पीपीपी परियोजनाओं का कंपेंडियम

विनियमन

- पीपीपी परियोजनाओं के मानीटरन के लिए मार्गनिर्देश
- अवसंरचना के विनियमन के प्रति दृष्टिकोण
- ड्राफ्ट विनियामक सुधार विधेयक

विद्युत क्षेत्रक

- विद्युत क्षेत्रक में मुक्त सुलभता को प्रचालनरत बनाने के लिए कार्यदल की रिपोर्ट

राष्ट्रीय राजमार्ग

- एन एच ए आई की पुनर्संरचना संबंधी अन्तर-मंत्रालयी समिति की रिपोर्ट
- राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए चुंगी कर नीति की समीक्षा करने के संबंध में सचिवों की समिति की रिपोर्ट
- सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन संबंधी समिति की रिपोर्ट

रेलवे

- दिल्ली-मुम्बई और दिल्ली-हावड़ा-भाड़ा कॉरिडोरों संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट

बंदरगाह

- बड़े बंदरगाहों में पीपीपी परियोजनाओं के लिए टैरिफ पद्धति संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट
- बड़े बंदरगाहों की सड़क-रेल कनेक्टिविटी संबंधी सचिवों की समिति की रिपोर्ट
- कंटेनर फ्रेट स्टेशन और बंदरगाहों की सीमाशुल्क प्रक्रियाओं के संबंध में आई एम

जी की रिपोर्ट

- बंदरगाहों पर कार्गों के रूकने के समय को कम करने संबंधी - आई एम जी की रिपोर्ट

हवाई अड्डे

- एयर कार्गों और हवाई अड्डों में सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के सरलीकरण के संबंध में आई एम जी की रिपोर्ट
- हवाई अड्डा टर्मिनलों की क्षमता कें संबंध में मानदण्ड और मानकों के संबंध में आई एम जी की रिपोर्ट

सर्वोत्तम प्रथाएं

- परामर्शदाताओं का चयनः सर्वोत्तम प्रथाएं
- माडल आर एफ क्यु दस्तावेजों के संबंध में प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ ए क्यू)

4.21.8 योजना आयोग ने, वित्त पोषण जरूरतों की मात्रा और उनके वित्त पोषण के लिए संभावित स्त्रोतों का अनुमान लगाने के लिए विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रकों में वित्त पोषण योजनाओं को संशोधित करने के लिए अब एक कार्रवाई शुरू की है ।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पी पी पी ए सी)

4.21.9 केंद्रीय सरकार के सभी पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए एक कारगर, सुपरिभाषित सतत और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए 12 जनवरी 2006 को पीपीपी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) की स्थापना की गई थी जिसके अध्यक्ष सचिव, आर्थिक कार्य विभाग हैं तथा इसके संघटक सदस्यों के रूप में सचिव, योजना आयोग, संबंधित प्रशासनिक विभागों और व्यय तथा विधिक मामले विभागों के सचिव सम्मिलित हैं । 2009-10 में, सी ओ आई के सचिवालय में पीपीपीएसी के विचारार्थ लगभग 1,04,192,62 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ 122 परियोजनाओं का आकलन किया गया (सड़कें-104, नौवहन-14, शहरी अवसंरचना और पुलिस आवास -3 और लघु उद्योग -1)। वर्ष 2010-11 में 31 दिसम्बर 2010 तक, 53852 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ 44 परियोजनाओं का आकलन किया गया ।

तालिका 4.21.2

2010-11 के दौरान आकलित पीपीपी परियोजनाओं के क्षेत्रक-वार ब्यौरे

(दिसम्बर 2010 तक)

क्षेत्रक	परियोजनाओं की संख्या	निवेश (रुपए करोड़ में)
सड़कें	32	29,528
नौवहन	4	1,423
शहरी अवसरंचना/ पुलिस आवास	8	22,891
जोड़	**44**	**53,852**

4.21.10 केंद्रीय सरकार की परियोजनाओं के अलावा, पीपीपी आकलन यूनिट (पीपीपीएयू), अवस्थापना में पीपीपी के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम के अंतर्गत क्षमता अन्तर वित्त पोषण (वी जी एफ) के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परियोजनाओं का भी आकलन करता है । वी जी एफ स्कीम के अंतर्गत, केंद्रीय सरकार द्वारा पीपीपी परियोजनाओं के लिए परियोजना पूंजी लागत के 20% तक की सहायता मंजूर की जा सकती है जो प्रायोजक मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त परियोजना लागतों के 20% तक के अतिरिक्त अनुदान के अलावा है । वर्ष 2009-10 के दौरान अवस्थापना संबंधी सचिवालय के पीपीपीएयू द्वारा 14,956 करोड़ रुपए के निवेश वाली 36 पीपीपी परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया (सड़क क्षेत्रक-35, विद्युत संरचण-1)। वर्ष 2010-11 में, लगभग 18,089 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश

वाली 16 राज्य परियोजनाओं का आकलन किया गया । उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका 4.21.3

वी जी एफ के अनुदान के लिए (दिसम्बर 2010 तक) आकलित पीपीपी परियोजनाओं में परिकल्पित राज्य-वार/क्षेत्रक-वार निवेश

राज्य	परियोजनाओं की संख्या	निवेश (करोड़ रु.)
आंध्र प्रदेश *	1	11,814
हरियाणा	2	1,356
मध्य प्रदेश	7	859
महाराष्ट्र	1	291
राजस्थान	2	485
उत्तर प्रदेश	3	3,284
जोड़	**16**	**18,089**

* हैदराबाद मेट्रो परियोजना

भारतीय अवसंचरना वित्त कंपनी लिमिटेड (आई आई एफ सी एल)

4.21.11 जिन अवस्थापना परियोजनाओं के लिए विशिष्ट रूप से लंबी परिपक्वानावधि की जरूरत होती है उन्हें दीर्घावधि ऋण प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा योजना आयोग के परामर्श से एक पूर्णतः स्वामित्व वाला एस पी वी भारत इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि. (आई आई एफ सी एल) स्थापित किया गया । सी ओ आई के लिए सचिवालय, व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए स्कीम के साथ उनकी अनुरूपता की दृष्टि से सावधि ऋणों के लिए आई आई एफ सी एल को प्राप्त प्रस्तावों की जांच करता है । आई आई एफ सी एल, वाणिज्यिक व्यवहार्य परियोजनाओं की पूंजी लागतों के 20% तक सीधे ही उधार दे सकता है । यह दस वर्ष से अधिक अवधि के ऋणों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त भी उपलब्ध करा सकता है । प्रतिस्पर्द्धात्मक रूप से चुनी गई पीपीपी परियोजनाओं को आई आई एफ सी एल द्वारा उधार देने में प्राथमिकता प्रदान की जाती है । 31 दिसम्बर 2010 तक आई आई एफ सी एल द्वारा 168 प्रस्ताव अनुमोदित किए जैसा कि नीचे तालिका 4.21.4 में क्षेत्रक-वार ब्यौरे दिया गया है ।

तालिका 4.21.4

आई आई एफ सी एल द्वारा मंजूर ऋणों का क्षेत्रक-वार ब्यौरा

(31 दिसम्बर 2010 की स्थिति) (करोड़ रुपए)

क्षेत्रक	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	कुल ऋण	सकल मंजूरी
सड़कें	97	95,734	58,902	13,318
बंदरगाह	7	5,234	3,872	860
हवाई अड्डे	2	14,716	9,171	2,150
विद्युत	28	1,23,876	92,705	12,976
शहरी अवस्थापना	3	12,767	3,244	704
पीएमडीओ *	31	4,642	2,186	119
जोड़	**168**	**2,56,969**	**1,70,080**	**30,127**

* लिया गया नगर पालिका ऋण आब्लिगेशन

अवसंरचना वित्तपोषण पर उच्च स्तरीय समिति

4.21.12 मौजूदा विकास को धारणीय गति प्रदान करने के लिए भौतिक अवसंरचना के सृजन पर सरकार ने उच्च प्राथमिकता दी है ताकि समावेशी विकास को हासिल किया जा सके। पूर्व अनुमान बताते हैं कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग रुपए 41 लाख करोड़ (2006-07 की कीमतों पर) अवसरंचना संबंधी निवेश किया जाएगा। जबकि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संशोधित प्रक्षेपित निवेश रु. 20.54 लाख करोड़ था। बारहवीं योजना के दौरान लगभग आधा निवेश निजी क्षेत्रक द्वारा किया जाएगा और शेष आधा अधिकांश ठोस निवेश का वित्तपोषण सार्वजनिक क्षेत्रों के माध्यम द्वारा बाजार से उधार लेकर किया जाएगा। बृहद पूंजी संसाधनों जो अवसंरचना परियोजना के अनुरूप हो के प्रवाह हेतु नीतिगत प्रतिक्रियाएं विकसित करना होगा। मौजूदा रूपरेखा के संबंध में सिफारिश करने के लिए अवसरंचना वित्तपोषण पर एक उच्च स्तरीय समिति डॉ. राकेश मोहन पूर्व उपराज्यपाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में हाल ही में गठित की गई है।

विद्युत संवितरण में निजी सहभागिता पर कार्यदल

4.21.13 विद्युत संवितरण में आया संकट दर्शाता है कि संवितरण कंपनियों का नुकसान 2006-07 के दौरान रु.27,101 करोड़ था जो 2010-11 में बढ़कर लगभग रु. 60,000 करोड़ हो गया और वित्त आयोग ने प्रक्षेपित किया है कि यह नुकसान 2014-15 में रु. 116,000 करोड़ हो जाएगा। 2002-03 के दौरान विद्युत की अधिकतम कमी लगभग 12.2% थी जो बढ़कर 2009-10 में 13.3% हो गई। इस क्षेत्रक में स्पर्धा और प्रचालन संबंधी कार्य कुशलता लाने के लिए निजी क्षेत्रक के माध्यम से व्यापक निवेश की जरूरत है अतः विद्युत संवितरण में निजी सहभागिता लाने के लिए, विशेष रूप से सार्वजनिक निजी सहभागिता के माध्यम से एक रूपरेखा विकसित करने की जरूरत है, जिसके एक कार्यदल 9 नवम्बर 2010 को श्री बी.के. चतुर्वेदी, सदस्य योजना आयोग, की अध्यक्षता में गठित की गई। कार्य दल जिसकी सेवाएं अवसंरचना के सचिवालय द्वारा की जा रही है वह निजीकरण से संबंधित अनुभवों, फ्रेंचाइज और अन्य प्रकार के निजी सहभागिता की समीक्षा करेगा और संवितरण प्रणालियों के संवर्धन और आधुनिकीकरण हेतु बारहवीं योजना के दौरान जरूरी निवेश का आकलन करेगा, और संवितरण प्रणाली में निजी निवेश के संबंध में आने वाली नियमित बाधाओं की पहचान करेगा यदि कोई हो और उन्हें दूर करने के लिए विशिष्ट सिफारिशें करेगा और निजीकरण के लिए विभिन्न मॉडल पर विचार करेगा और राज्यों के लिए अपनाए जाने के लिए अनुकूल मॉडल्स की सिफारिश करेगा।

पीपीपी के माध्यम से स्कूली शिक्षा

4.21.14 मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा पर एक गोल मेज का गठन किया था, ताकि स्कूली शिक्षा से संबंधित सुधारों के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा सके और मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा इस गोल मेज के एक उप समूह का गठन, उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सलाहकार की अध्यक्षता में किया गया, ताकि पीपीपी के माध्यम से 2500 स्कूलों की स्थापना के लिए स्कीम तैयार की जा सके। प्रस्तावित यह स्कीम ग्रामीण ब्लॉकों में 6000 स्कूलों की स्थापना करने की पहल का एक भाग है। पीपीपी माध्यम से 2500 स्कूलों की स्थापना की योजना व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार की गई थी, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित परामर्श संबंधी 4 गोल मेज बैठकें भी शामिल है। इस स्कीम का प्रधान उद्देश्य है कि मॉडल स्कूल स्थापित किए जाए,

विशेष रूप से वंचित रहे परिवारों के बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा पर पहुँच सुनिश्चित हो सके। इस स्कीम के लिए एक ईएफसी नोट सरकार के विचाराधीन है।

पीपीपी माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल

4.21.15 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में देश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए पीपीपी माध्यम अपनाए जाने का विचार किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद योजना आयोग आवश्यक रूपरेखा विकसित कर रहा है। त्वरित गति से सार्वजनिक निजी सहभागिता के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार करने के लिए अस्पतालों की स्थापना हेतु एक स्कीम विकसित की हैं। कुछ राज्य सरकारों हेतु एक स्कीम विकसित की हैं। कुछ राज्य सरकारों ने भी इस संबंध में कुछ पहलें हैं।

पीपीपी के माध्यम से भण्डारण

4.21.16 देश में खाद्यान्नों के भण्डारण के लिए पीपीपी मॉडल्स के विकास हेतु पहलकारी कदम उठाए हैं। प्रोफेसर अभिजीत सेन, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया है, ताकि आधुनिक सीलोज के निर्माण के लिए एक मॉडल विकसित किया जा सके और सीलोज की दृष्टि से क्षमता का आकलन किया जा सके। भण्डारण क्षमता से संबंधित अध्ययन के लिए और इस संबंध में निजी सहभागिता के लिए ठेका संबंधी रूपरेखा विकसित करने के लिए परामर्शदाताओं की पहचान की गई है। आधुनिक भंडारण क्षमता से संबंधित अध्ययन योजना आयोग द्वारा शुरू करा दिया है और शीघ्र ही इसकी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

अन्य पहलें

4.21.17 अवसंरचना सचिवालय पीपीपी माध्यम से राज्य मार्ग क्षेत्रक में केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए एनआईएचई, नोएडा में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित कर रहा है। । सचिवालय ने पीपीपी माध्यम से राज्य राजमार्ग पर एक सम्मेलन भी आयोजित किया है और दूसरा सम्मेलन भी इन क्षेत्रकों में पीपीपी को बढ़ावा देने के लिए विद्युत संचरण में पीपीपी के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया है। सचिवालय ने उनमें सुधार के लिए विभिन्न पणधारियों के साथ परामर्श करके राज्य राजमार्गों के लिए मॉडल रियायती समझौते के विभिन्न प्रावधानों और ईएफसी मॉडल के लिए समीक्षा का कार्य भी कर रहा है और सचिवायलय के अधिकारीगण विभिन्न बैठकों जैसे रियायती मॉडल संबंधी समझौतों को अंतिम रूप देने के संबंध में अंतर-मंत्रालयी चर्चाओं, सीओएस बैठकों और अवसंरचना क्षेत्रकों से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों की बैठकों में भाग ले रहे हैं। सचिवायलय ने 2010-11 के लिए अवसंरचना क्षेत्रकों हेतु मॉनीटरण लक्ष्यों और कीर्तिमानों के लिए प्रारूप अवसंरचना की मंत्रिमंडल समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए किए हैं, जिनका मॉनीटरण तिमाही आधार पर योजना आयोग द्वारा किया जा रहा है।

4.22 समाजार्थिक अनुसंधान अध्ययन

4.22.1 सामाजार्थिक अनुसंधान प्रभाग विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थानों को अनुसंधान करने और संगोष्ठियों, सम्मेलनों के आयोजन के लिए सहायता अनुदान की स्कीम से संबंधित है, जो योजना आयोग के कार्यक्रमों और नीतियां के लिए संगत हों ।

4.22.2 2009-10 के दौरान 166.69 लाख रुपए के सहायता-अनुदान जारी किए गए जिनमें अध्ययनों के लिए 125.91 लाख रुपए, सेमिनारों/

कार्यशालाओं के लिए 40.78 लाख रुपए सम्मिलित हैं । वर्ष 2009-10 के लिए संशोधित अनुमान 210.00 लाख रुपए था ।

4.22.3 वर्ष 2009-10 के दौरान 16 अध्ययनों और 20 सेमिनारों के लिए सहायता-अनुदान हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किए गए । 2009-10 के दौरान 19 चल रहे अध्ययनों के संबंध में अंतिम रिपोर्टें इस वर्ष ही प्राप्त हुईं। इनकी सूची संलग्नक 4.22.1 में दी गई है ।

4.22.4 2010-11 (दिसम्बर 2010 तक) के दौरान 125.35 लाख रुपए का सहायता-अनुदान जारी किया गया जिसमें 69.38 लाख रुपए अध्ययनों के लिए और 55.97 लाख रुपए सेमिनारों/कार्यशालाओं के लिए थे ।

संलग्नक-4.22.1

योजना आयोग की एसएआर स्कीम के तहत वर्ष 2009-10 के दौरान निम्नलिखित अध्ययन पूरे किए गए

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान/अनुसंधानकर्त्ता
1.	उत्तर प्रदेश में खस्ताहाल वाले छोटे उद्योगों की समस्या उनमें सुधार के लिए सुनवाई रणनीतियां	विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ - 226007
2.	भारत में एसएचसी की सफलता और असफलता और सफलता के प्रतिमान	समुदाय और वातावरण में स्वैच्छिक प्रचालन (वाइस), नई दिल्ली
3.	भारत के सार्वजनिक क्षेत्रक में असहाय व्यक्तियों को रोजगार देना - उभरते मुद्दे औरप्रवृत्तियां/ असहाय व्यक्ति अधिनियम, 1995 के विशेष संदर्भ में मूल्यांकन	असहाय और पुनर्स्थापन अध्ययन समिति नई दिल्ली
4.	भारत में प्रमुख समूहों के लिए कारक उत्पादकता और विपणन अधिक्यता - उड़ीसा राज्य का विश्लेषण	भारतीय प्रशासनिक स्टॉफ महाविद्यालय, हैदराबाद
5.	ग्रामीण उत्तरांचल में स्थापित लोगों पर ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का प्रभाव	जी.बी. पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, पटना
6.	बिहार में युवा दस्तकारों की स्थिति : बिहार में बृहद स्तर पर स्वरोजगार के सृजन हेतु दस्तकार क्षेत्रक की क्षमता का आकलन	बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान, पटना
7.	भारत में कैपीटल एक्सप्रैशन की विविधता को बढ़ावा देना - केन्द्रीय संगीत नाट्य अकादमी के प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन	संकल्प, एकीकृत सहभागिता विकास के लिए अखिल भारतीय संगठन, नई दिल्ली
8.	आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और गुजरात में परिवारों को आबंटित भूमि का सदुपयोग और इसकी वर्तमान स्थिति	ग्रामीण विकास के लिए हरियाली सेंटर, 32/11, जाकिर नगर पश्चिम ओखला, नई दिल्ली - 110025
9.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपीज) को प्रभाव मूल्यांकन उड़ीसा के केबीके जिलों में गरीब और हासिये पर रहने वाले लोगों के जीवन यापन संबंधी हस्तक्षेप	ग्रामीण विकास केन्द्र, ओसीएचसी कम्पलैक्स, खखेल नगर, भुवनेश्वर - 751001
10.	भारत में भूजल की स्थिति	जल संसाधन विकास और प्रबंधन केन्द्र, लेनीयाद्री कोउआप, हाउसिंग सोसाइटी, सस रोड, पाशन, पूणे - 411021
11.	भारत में एसएमई कलस्टर समावेशी विकास के लिए हस्तक्षेप क्षेत्रों का पता लगाना	औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, इंस्टीच्यूशनल एरिया, वसंत कुंज नई दिल्ली - 110070
12.	सहभागी स्तरीय योजना के लिए पद्धति विकसित करना (संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के संदर्भ में)	सामाजिक विज्ञान संस्थान, 8, नेलसन मंडेला रोड, वसंत कुंज, नई दिल्ली - 110076
13.	जलनीति और प्रबंधन तथा जलनीति तैयार करने में सहायता के लिए आवश्यक जल कानून सुधार के मुद्दों का विधिक प्रभाव और विवक्षाएं	डॉ. रामास्वामी आर. अय्यर, पूर्व सचिव (जल संसाधन मंत्रालय) ए-10, सरिता विहार, नई दिल्ली - 110076

14.	पश्चिम बंगाल में स्थानीय आयोजना और वित्त के विकेन्द्रीकरण की सीमा	ग्रामीण विकास सेवा संस्थान पूर्व उदयरायपुर, टटेपाड़ा, जिला 24 परगना (उत्तर) पश्चिम बंगाल - 700129
15.	चिकित्सा औषधियों और सेवाओं पर आउट ऑफ पॉकिट खर्च उत्तर पद्रशे और राजस्थान के दो राज्यों का प्रकरेण अध्ययन	आर्थिक विकास संस्थान दिल्ली, विश्व विद्यालय एफ-51, फेज-4, आया नगर एक्टेशन आदर्श एन्कलेव, नई दिल्ली - 110047
16.	झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्यों में पीआरआई और महिला सहभागिता के अंतगर्त बोटम अप प्लानिंग का प्रभाव	जनजातीय महिला विकास समिति, एफ-51, फेज-4, आया नगर एक्सटेंशन, आदर्श इन्कलेव, नई दिल्ली -110047
17.	महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पीपीपी के माध्यम से चुनिंदा आईटीआई(ज) को क्रमोन्नत करने के क्षेत्र के मूल्यांकन का आकलन	महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषद, (एमईडीसी) वाई.बी. चौहान केन्द्र, नरिमन पोईंट, मुम्बई 21
18.	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अनु. जनजातियों के लिए वन ग्राम विकास कार्यक्रमों का प्रभाव अध्ययन	नोबल सामाजिक और शिक्षा सोसाइटी, 303 अखिल एपार्टमेंट, आईएस महल के पीछे नेहरू नगर तिरूपति - 517507 (आ. प्र.)
19.	भारत में सिंचाई का भविष्य	डॉ. तुशार शाह, वरिष्ठ फैलो, अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (आईडब्ल्यूएमआई) आनंद (गुजरात)

4.22.5 10 अध्ययनों और 31 सेमिनारों के लिए अनुदान सहायता का प्रस्ताव 2010-11* के दौरान अनुमोदित किए गए थे, जिन्हें संलग्नक 4.22.2 और 4.22.3 पर दर्शाया गया है।

संलग्नक- 4.22.2

2010-11* के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान अध्ययनों को अनुमोदित किया गया।

क्र.सं.	अध्ययन शीर्ष	संस्थान/अनुसंधानकर्त्ता
(1)	(2)	(3)
1.	हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में सिविल अधिकार अधिनियम 1995 और उत्पीड़न अधिनियम 1289 के कार्यान्वयन के विशेष संदर्भ में एससी/एसटी के विरूद्ध अपराध और उत्पीड़न	समाज आर्थिक और शैक्षिक विकास समिति (सीड्स), आरएफजैड 754/29, राजनगर - 2, पालम कालोनी, नई दिल्ली
2.	भारत में मौजूदा स्वास्थ्य बीमा मॉडल्स का आलोचनात्मक मूल्यांकन	भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य फाउंडेशन (पीएचएफआई), नई दिल्ली
3.	ग्रामीण राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्यप्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए समाजिक कल्याण संबंधी प्रभावोत्पादकता का अध्ययन	सोनाली पब्लिक शिक्षा समिति, गुना (म.प्र.)
4.	पीसीपीएन अधिनियम 1994 और 2002 के संशोधन के संबंध में मध्य प्रदेश के दो जिलों, जहां जहां लड़कियों का अनुपात अधिकतम और न्यूनतम है, वहां नवजात लड़कियों को मार देने संबंधी मुद्दों के विश्लेषण पर तुलनात्मक अध्ययन	संसाधन एकीकरण और विकास कार्य समिति, जोधपुर
5.	बाजार पहुँच संवर्धन के माध्यम से ग्रामीण मछुवारों के एसएचजी(ज) का समाज आर्थिक सशक्तिकरण।	तमिलनाडु वैटरिनरी एंड एनिमल सांइस यूनिवर्सिटी, तुतुकुडी
6.	भारत में बाल श्रम संघर्ष - आंध्र प्रदेश में इम्पिरिकल अध्ययन	काकेतिया विश्वविद्यालय वारंगल, आंध्र प्रदेश
7.	उत्तर प्रदेश में कृषि प्रसंस्करण उद्योग - उभरती संरचना और विकास क्षैमता	गिरी विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ
8.	ग्रामीण पंजाब में महिलाओं का प्रजनन स्वास्थ्य, एवं सिविकल अधिकार लुधियाना का अध्ययन	लुधियाना नागरिक स्वास्थ्य परिषद, लुधियाना
9.	संधारणीय विकास पर अनुसंधान प्रस्ताव भारत के खनन क्षेत्रक में उभरते मुद्दे	औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली
10.	धारणीय एजेंसियों के माध्यम से राज्यों द्वारा निधि का सदुपयोग - प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के तरीके पर विचार केन्द्र द्वारा राशि जारी करने का समय एवं पद्धति	राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान 18/2 सत्संग विहार मार्ग, इंस्टीच्यूशनल एरिया, जेएनयू के पास) नई दिल्ली - 110067

*** 31 दिसम्बर, 2010 तक**

संलग्नक- 4.22.3

2010-11* के दौरान निम्नलिखित संगोष्ठियां अनुमोदित की गई हैं

क्र.सं.	सेमिनार का शीर्ष	संस्थान का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	भारत में किशोरियों का सशक्तिकरण।	विकास अनुसंधान और कार्य हेतु बी.एल. के लखनऊ,
2.	महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण दिवस मनाना।	सामाजिक विज्ञान संस्थान, वसंतकुज, नई दिल्ली
3.	स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सामुदायिक सहभागिता।	आंचलिक विकास परिषद, बालेश्वर
4.	परियोजना संबंधी जागृति कार्यक्रम और औषधिय पौधों की खेती की क्षमता ।	डुबानी फाउंडेशन (सार्वजनिक हित न्यास) सी2/92 सेक्टर 36 जिला गौतम बुद्ध नगर नोएडा 201-303
5.	डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देना और डेयरी उद्यम।	अनौपचारिक ऑडिट एवं सतत् शिक्षा संस्थान, केरल
6.	अवसरंचना वित्त।	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर
7.	मिजोरम के लोगों को स्वरोजगार के लिए लाने हेतु योजना आयोग से मिलकर प्रायोजिता के अंतर्गत उन्हें लेने के लिए एक दिवसीय जाग्रति कार्यक्रम ।	भारतीय लघु उद्योग परिषद, कोलकाता
8.	कृषि और विविध क्षेत्रकों पर सूक्ष्म वित्त पोषण रणनीतियों का प्रभाव।	**विवेकानंद सेवा केन्द्र - ओ-शिशु उद्यान, पश्चिम बंगाल**
9.	वरिष्ठ नागरिकों के देखभाल और कल्याण के जाग्रति।	**अंतरराष्ट्रीय लौंगीविटी केन्द्र भारत-पूणे**
10.	कार्य और स्वास्थ्य की दुनिया में जेंडर और विकास - खेती क्षेत्रक में महिला कर्मकारों पर ध्यानकेन्द्रण।	महिला कार्य एवं स्वास्थ्य पहलें, नई दिल्ली
11.	मुस्लिम महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना आयोग की भूमिका।	संभावी समाजसेवी संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़
12.	i) कृषि विविधीकरण ii) मत्स्य पालन और अक्वाकल्चर क्षेत्रक के लिए भारत में नीतिगत रूपरेखा पर अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस और एक्सपो स्पेशल सिंपोजिया।	भारतीय मछुआरा संघ द्वारा सीआईएफई मुम्बई
13.	पंचायती राज संस्थान और राज्य योजना में इसके एकीकरण के तहत विकेन्द्रीत योजना विकास और आयोजना का महत्व।	ग्रामीण विकास के लिए टूटेपाड़ा सोसाइटी, पश्चिम बंगाल
14.	प्रारूप नियामक सुधार विधेयक।	उपभोक्ता एकता और न्यास समिति जयपुर
15.	महाराष्ट्र के गढ़ चिरौली और गोंदिया जिलों हेतु एकीकृत विकास के लिए रणनीतियां।	डॉ. पंजाब राव देशमुख विस्तार शिक्षा निदेशालय, कृषि विद्यापीठ, कृषि विश्वविद्यालय, अकोला (महाराष्ट्र)
16.	कृषि विपणन के लिए 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन।	भारतीय कृषि विपणन सोसाइटी नागपुर
17.	पंचायती राज अधिनियम 1993 के माध्यम से शारीरिक रूप मैला उठाने वाले समुदाय का विस्थापन की	समाधान, कामेश्वरी निवास, विनादानंद झा कालोनी, मधुबनी, बिहार

	संभावना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005	
18.	प्रो. डी.टी.लाकडावाला मेमोरियल व्याख्यान 2010 - धारणीय विकास और नेतृत्व पर श्रृंखला में 11वां	सामाजिक विज्ञान संस्थान 8 नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज नई दिल्ल 110070
19.	जलवायु परिवर्तन और परम्परागत संस्कृति, असुरक्षा और अडप्टेशन	अमिटी विश्वविद्यालय, सेक्टर 125 नाएडा, गौतमबुद्ध नगर (यूपी)
20.	विस्थापन और स्थापन : भावी समाधान	**राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला 769008 (उड़ीसा)**
21.	तृतीय कृषि नेतृत्व बैठक एवं नेतृत्व पुरस्कार 2010	कृषि और ग्रामीण विकास केन्द्र, 502 रोहित हाउस, 3 टालस्टाय मार्ग,नई दिल्ली 110001
22.	सार्वजनिक नीति और भारतीय सुधार के बाद के डिलीवरी - भावी चुनौतियां	श्री विवेकानंद महाविद्यालय (दिल्ली विश्वविद्यालय) वेनिटों जोरेज मार्ग, धौला कुआं नई दिल्ली
23.	पश्चिम उड़ीसा की परम्परागत संस्कृति को पुनर्विष्कार	भारतीय एकीकृत समाज कल्याण एजेंसी (विश्वा) संभलपुर उड़ीसा
24.	क्षमता निर्माण कार्यशाला - जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए कृषि को मुख्य धारा में लाना और जलवायु परिवर्तन के स्थानीय प्रभावों पर काबू पाने के लिए अडप्टेशन	सार्वजनिक नेतृत्व के लिए अंतरराष्ट्रीय स्कूल (आईएसपीएल), नवरंगपुरा, डाकघर अहमदाबाद (गुजरात)
25.	नदी प्रबंधन (आईडब्ल्यूआरएम - 2010) नई दिल्ली	भारतीय जल संसाधन सोसाइटी, आईआईटी रूढ़की
26.	एशिया और पैशिफिक अध्ययन के लिए भारतीय संघ का पांचवां अर्द्ध वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन	सिक्किम विश्वविद्यालय गंगटोक
27.	अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस	ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, दरबारी सेठ ब्लॉक, आईएचसी कंप्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली
28.	भारतीय श्रम आर्थिक समिति का 52वां वार्षिक सम्मेलन (आईएसएलई)	भारतीय श्रम अर्थव्यवस्था सोसाइटी, अर्थशास्त्र विभाग कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़
29.	उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिला कर्मकारों का सशक्तिकरण	एम विकास के लिए लोक सशक्तिकरण, सर्वोदय नगर, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
30.	इनपुट-आउटपुट अनुसंधान एसोशिएशन पर 15वां राष्ट्रीय सम्मेलन (आईओआरए)	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
31.	नई तालिम - चुनौतियां और भावी कार्य जिसे 12 और 13 फरवरी, 2011 को पुरूलिया पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाना है।	माझीहीरा राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्थान, पुरूलिया, पश्चिम बंगाल

*** 31 दिसम्बर, 2010 तक**

4.22.6 2010-11* के दौरान प्रगति पर चल रही 12 अध्ययनों के संबंध में अंतिम रिपोर्टें प्राप्त हो गई है। इन्हें संलग्न 4.22.4 पर सूचीबद्ध किया गया है।

4.22.7 कुल 190 अध्ययन रिपोर्टों को अभी तक योजना आयोग की वेबसाइट पर रख दिया गया है ताकि अनुसंधान में इसका व्यापक उपयोग हो सके तथा योजना विकास में भी इसका इस्तेमाल हो सके।

संलग्नक- 4.22.4

2010-11* के दौरान निम्नलिखित अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं।

क्र.सं.	अध्ययन का शीर्षक	संस्थान/अनुसंधानकर्त्ता
1.	बंगलोर शहर में ट्रेडिशनल रिटेलर्स के संबंध में संगठित खाद्य रिटेलिंग के विकास का प्रभाव	सेंट जोसेफ वाणिज्यिक महाविद्यालय, 163 ब्रिगेड रोड, बैंगलोर - 560025
2.	मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित बंधुआ श्रम प्रणाली अधिनियम 1976 के अंतर्गत बंधुआ मजदूर पुनर्स्थापन योजना	समाजार्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी, आरएफजेड 754/29, राजनगर II पालम कालोनी नई दिल्ली 110045
3.	भारती कृषि विकस -1980-83 और 1990-93 के दशक के दौरान भारतीय कृषि निष्पादन, उदारता अवधि के बाद 2001-02 से 2004-05	प्रो. जी.एस. भल्ला सामाजिक विज्ञान स्कूल, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) नई दिल्ली 67
4.	स्थानीय बजटिंग और लोक आयोजना - राजस्थान और केरल में पीआरआई(ज) का अध्ययन	बजट केन्द्र और शासन जवाबदेही - ए-11, द्वितीय तल, नीतिबाग खेलगांव मार्ग, नई दिल्ली 110049
5.	उड़ीसा के कंधमाल और केबीके जिलों में बदलता समाजार्थिक दशाएं और भौगोलिक रूप से कटे जनजातीय समुदाय का जीवन यापन	अमीटी स्कूल ऑफ नेचुरल रिसोरसेज एंड सस्टेनबल डवलपमेंट बी ब्लॉक अमीटी यूनीवर्सिटी कैम्पस एक्सप्रेस हाइवे सेक्टर 125 नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 201303
6.	भारत में टिम्बर डिटरमिनेंट्स की आपूर्ति	डब्ल्यूडब्ल्यूएफ सचिवालय, 172 - बी, लोदी इस्टेट नई दिल्ली 110003
7.	उड़ीसा में मातृ-मृत्यु : एक एपीमेडियोलॉजीकल अध्ययन	माई हार्ट, आरपी 115, पांडव नगर, टंका पानी रोड, भुवनेशवर 751018
8.	आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, गुजरात और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज एक्सटेंशन (पेसा) अधिनियम 1996 की स्थिति पर एक रिपोर्ट	पी.आर. मेमोरियल फाउंडेशन, डीडीए फ्लैट, # 210 पॉकेट 13 द्वारका फेज I नई दिल्ली 110045
9.	भारत में सड़क उपभोक्ता कर	फाउंडेशन फॉर पब्लिक इकॉनिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली 110052
10.	सरकार और ग्रामीण भारत का विकास	मेजर डी.एस. बिस्ट सेवानिवृत, निदेशक केन्द्रीय हिमालयन संस्थान देहरादून
11.	जनजातीय महिलाओं का प्रवास : इसके समाजार्थिक प्रभाव - छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के संबंध में एक गहन अध्ययन	क्षेत्रीय अनुसंधान एवं विश्लेषण सोसाइटी, 511/18 सिविल लाइन्स गुड़गांव 122001
12.	हिमाचल प्रदेश के पवर्तीय क्षेत्रों में खाद्य पोषनीयता और जीवन यापन सुरक्षा के लिए धारणीय उत्पादन उत्पादन प्रणाली	सीएसके, एचपी कृषि विश्वविद्यालय कृषि अर्थशास्त्र विभाग एक्टेंशन एजुकेशन एवं रूरल सोसियोलॉजी, पालनपुर 176062 (हिमाचल प्रदेश

*** 31 दिसम्बर, 2010 तक**

4.22.8 योजना आयोग को अध्ययन रिपोर्टें हार्ड प्रतियों मे और साथ ही सीडी/फ्लापी में भी प्राप्त होती हैं । सहज सुलभता हेतु तथा विचारों के आदान-प्रदान और बेहतर उपयोग हेतु इन रिपोर्टों को योजना आयोग की वेबसाइट पर डाल दिया जाता है । रिपोर्टों की प्रतियां, केंद्र और राज्यों में तथा योजना आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा विकास योजना और कार्यक्रमों की प्रक्रिया में कार्रवाई और चर्चा तथा उपयोगार्थ केन्द्र/राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों के बीच और आगे सम्प्रेषण हेतु भेजी जाती है ।

4.22.9 अध्ययनों की सहायता के लिए समाजार्थिक अनुसंधानों की स्कीम के कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश और योजना प्रणाली में अन्वेषण अक्टूबर 2009 में शुरू किए गए। ध्यानकेन्द्रण/योजना आयोग के विषय प्रभागों को द्वारा दिए गए विषयों पर 2010-11 के लिए अनुसंधान अध्ययन प्रस्ताव सरकारी वैबसाइट और समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से अध्ययन शुरू किए जा सकें।

4.23 राज्य योजना प्रभाग

4.23.1 योजना आयोग में राज्य योजना प्रभाग को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं और पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देने में सहायता करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। यह प्रभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के निर्माण से संबंधित सभी कार्यकलापों का समन्वय करता है जैसे कि मार्गनिर्देश जारी करना, योजना का आकार तय करने के लिए उपाध्यक्ष और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों/राज्यपालों/उप राज्यपालों के बीच बैठकों का आयोजन और साथ ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्रीय परिव्ययों को अंतिम रूप देने के लिए यह प्रभाग विशिष्ट स्कीमों/परियोजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मंजूर करने से संबंधित मामलों, बाह्य सहाय्यित परियोजना प्रस्तावों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संशोधित परिव्ययों पर भी कार्रवाई करता है। अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा योजना आयोग के बारे में भेजे गए अंतर्राज्यीय और केन्द्र राज्य से संबंधित मामलों तथा वित्त आयोग की सिफारिशों पर भी इस प्रभाग में कार्रवाई की जाती है। यह प्रभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के योजना परिव्ययों और व्यय से संबंधित विस्तृत सूचना का एक संग्रह स्थल है।

4.23.2 वर्ष 2010-11 के दौरान, उपरोक्त कार्य करने के अलावा प्रभाग ने वीआईपी संदर्भों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित संसद प्रश्नों, वार्षिक योजना परिव्ययों, संशोधित परिव्ययों, व्यय और वाह्य सहायित परियोजनाओं आदि से संबंधित कार्य भी किया।

वार्षिक योजना 2010-11

4.23.3 वर्ष 2009-10 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं (2010-11) पर चर्चा करने के लिए उपाध्यक्ष के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित की गई ताकि अनुमोदित योजना राज्यों के बजटों को सामयिक और उपयोगी इनपुट उपलब्ध कराए जा सकें।

4.23.4 वर्ष 2010-11 के लिए बजट अनुमानों में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में कुल92492.00 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे। जिसमें से 21728.00 करोड़ रुपए सामान्य केन्द्रीय सहायता के रूप में, 1000.00 करोड़ रुपए अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में, 4500.00 करोड़ रुपए विशिष्ट योजना सहायता के रूप में 3613.50 करोड़ रुपए पर्वतीय क्षेत्रों, आदिवासी सब-प्लान, सीमा क्षेत्र आदि के लिए विशिष्ट केन्द्रीय सहायता के रूप में, 9551.25 करोड़ रुपए विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त

केन्द्रीय सहायता के रूप में 1200.00 करोड़ रुपए बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखार मिटाने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में और शेष 50899.25 करोड़ रुपए विशिष्ट कार्यक्रमों यथा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ), जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) आदि एसीए के रूप में था। योजना के उद्देश्यों के अनुसार प्राथमिक क्षेत्रों में निवेश सुनिश्चित कराने के लिए चुनिंदा योजनाओं/परियोजनाओं के अंतर्गत परिव्ययों को चिह्नित करने की प्रथा बरकरार रखी गई।

राज्य विकास रिपोर्ट (एसडीआर)

4.23.5 विकास की रूपरेखा पर एक गुणवत्तापूर्ण संदर्भ दस्तावेज उपलब्ध कराने तथा राज्यों की विकास दर में तेजी लाने हेतु कार्यनीति बनाने के उद्देश्य से योजना आयोग, राज्य सरकारों तथा स्वतंत्र संस्थानों और विशेषज्ञों के समन्वय से राज्य विकास रिपोर्ट तैयार किए जा रहे हैं। इस योजना हेतु 50वां वर्ष पहल के अंतर्गत धन प्राप्त हो रहा है।

4.23.6 दिसम्बर 2010 तक इक्कीस राज्य विकास रिपोर्ट जारी की जा चुकी है। ये अरूणाचल प्रदेश, असम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल है। दो एसडीआर गोवा और मध्य प्रदेश की प्रकाशनाधीन है। आठ एसडीआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

द्वीप विकास प्राधिकरण (आईडीए)

4.23.7 प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित द्वीप समूह विकास प्राधिकरण और उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में इसकी स्थायी समिति के सचिवालय के रूप में द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण कार्य करता है। द्वीप समूह विकास प्राधिकरण द्वीप समूहों के पर्यावरणीय संरक्षण के सभी पहलुओं और उनकी तकनीकी व वैज्ञानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों और लक्षद्वीप के एकीकृत विकास हेतु नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में निर्णय लेता है और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और प्रभाव की प्रगति की समीक्षा करता है।

4.23.8 प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आईडीए की 12वीं बैठक 19 जनवरी 2009 को हुई थी। इस बैठक में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में प्रगति पर चर्चा की गई और सचिवों की समिति को निदेश दिया गया कि वे द्वीप समूह के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा करे और समय-सीमा तय करें। मंत्रिमंडल सचिव के तहत सचिवों की समिति ने 8 जून, 2009 को लक्षद्वीप की और 3 जुलाई, 2009 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की। आईडीए की पिछली बैठक में चर्चित मुद्दों पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और संघ क्षेत्र प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को आगे की समीक्षा हेतु संकलित किया जा रहा है।

4.23.9 आईडीए की स्थायी समिति की अब तक बारह बैठकें हो चुकी है। स्थायी समिति की 12वीं बैठक 26 जुलाई, 2010 को हुई थी।

4.24 पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

4.24.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत आठ राज्य शामिल हैं। ये हैं असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। कई कारणों जैसे दुष्कर भौगोलिक स्थिति, अनियत कृषि जलवायु क्षेत्र, परिवहन कठिनाइयाँ एवं प्राकृतिक आपदाएं आदि के चलते इस क्षेत्र का विकास

प्रभावित रहा है। मानव पूंजी और प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से यद्यपि इस क्षेत्र में भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का नितांत अभाव है जिसके चलते आर्थिक विकास प्रभावित है। हालांकि विविध योजनाओं के तहत इस क्षेत्र के आर्थिक एवं इन्फ्रास्ट्रक्चरल विकास के लिए विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधी अवरोधों के समापन, न्यूनतम बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने और निजी निवेश के लिए उपयुक्त परिवेश के सृजन हेतु कई योजनाएं बनी हैं। विगत वर्षों में यद्यपि, प्रगति हासिल हुई है परंतु कई प्रमुख विषमताओं का समाधान होना बाकी है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए विशेष पहल

4.24.2 क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं और महत्वपूर्ण स्तरों पर सरकारी निवेश की जरूरतों को ध्यान में रखकर पूर्वोत्तर राज्यों को विशष्ट श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया है और इन राज्यों को पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजनाओं के तहत केन्द्रीय योजना सहायता उदारता पूर्वक उपलब्ध करायी जा रही है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 11वीं योजना का प्रक्षिप्त व्यय तथा वार्षिक योजना 2007-08, 2008-09, 2009-10 और 2010-11 में अनुमोदित व्यय को तालिका 4.24.1 में दर्शाया गया है।

4.24.3 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रक्षिप्त व्यय से यह स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक शेयर का आवंटन असम (32.25%) और मेघालय (12.37%) को दिया गया, उसके बाद त्रिपुरा (11.92%), मणिपुर (10.98%) और अरूणाचल प्रदेश (10.64%) को हुआ है। वर्ष 2007-08 से 2010-11 के दौरान वार्षिक योजना का अनुमोदित व्यय 86.34% तक बढ़ गया है।

4.25 परिवहन प्रभाग

4.25.1 परिवहन प्रभाग, मुख्य रूप से देश में बढ़ती यातायात मांग को पूरा करने के लिए परिवहन क्षेत्र के संबंध में आयोजना और विकास की प्रक्रिया में शामिल है। यह परिवहन नेटवर्क में उचित अंतर-माडल मिश्रण प्राप्त करने के लिए परिवहन को भिन्न-भिन्न माध्यमों के संबंध में समग्र बजटीय

तालिका 4.24.1

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रक्षिप्त व्यय तथा वार्षिक योजना के लिए अनुमोदित व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	11वीं योजना प्रक्षिपत व्यय	वार्षिक योजना का अनुमोदित व्यय			
			2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1.	अरूणाचल प्रदेश	7901.00	1320.00	2065.00	2100.00	2500.00
2.	असम	23954.00	3800.00	5011.51	6000.00	7645.00
3.	मणिपुर	8154.00	1374.31	1660.00	2000.00	2600.00
4.	मेघालय	9185.00	1120.00	1500.00	2100.00	2230.00
5.	मिजोरम	5534.00	850.00	1000.00	1250.00	1500.00
6.	नागालैंड	5978.00	900.00	1200.00	1526.27	1500.00
7.	सिक्किम	4720.00	691.14	852.00	1045.00	1175.00
8.	त्रिपुरा	8852.00	1220.00	1450.00	1680.00	1860.00
	कुल	**74278.00**	**11275.45**	**14738.51**	**17701.27**	**21010.00**

आयोजना से भी संबंधित है। शुरू किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलाप इस प्रकार हैं : -

- यात्री एवं माल यातायात की परिवहन सेवाओं के संबंध में मांग का आकलन।
- विभिन्न प्रकारों की विद्यमान क्षमता का आकलन और योजना के लिए संसाधनों की आवश्यकता का अनुमान
- सरकारी प्रयास के पूरक के रूप में आधारभूत और परिवहन सेवाओं में निजी क्षेत्र से निवेश की भूमिका निर्धारण।
- देश में परिवहन क्षेत्र की समग्र योजना।
- परिवहन के विभिन्न माध्यमों के संबंध में वार्षिक योजना परिव्यय को अंतिम रूप देना।
- राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के संसाधनों का आकलन करना।
- बड़ी परिवहन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना।

4.25.2 कैलेंडर वर्ष 2010 के दौरान परिवहन प्रभाग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यकलाप इस प्रकार हैं : -

- वार्षिक रिपोर्ट में इन्फ्रास्ट्रक्चर 2009-10 पर "परिवहन क्षेत्र "नामक एक अध्याय को अंतिम रूप दिया गया।
- 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि आकलन के लिए परिवहन क्षेत्र नामक अध्याय को अंतिम रूप दिया गया।
- वार्षिक योजना2010-11 के लिए राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के वित्तीय संसाधनों का आकलन किया गया जिसके अंतर्गत यात्रियों और भाड़ा सेवा प्रचालन संबंधी भौतिक एवं वित्तीय प्राचल शामिल हैं। उपक्रमों को अपना निष्पादन सुधारने के लिए उपाय करने के सुझाव दिए गए।
- वार्षिक योजना 2011-12 के लिए कुछेक राज्यों के बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना प्रस्तावों पर चर्चा की गई तथा व्यापक रूप से जांच के बाद सिफारिशें की गई।
- राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में वार्षिक योजना 2011-12 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और व्यापक रूप से चर्चा के बाद सिफारिशें की गई।
- केन्द्रीय मंत्रालयों की वार्षिक योजना 2011-12 के प्रस्तावों पर चर्चा की गई और व्यापक जांच के बाद सिफारिशें की गई।
- रेलवे, सड़क, परिवहन तथा राजमार्ग, नौवहन और नागर विमानन के केन्द्रीय मंत्रालयों से प्राप्त निवेश प्रस्तावों पर व्यय वित्त समिति (ईएफसी), लोक निवेश बोर्ड (पीआईबी) तथा रेल के विस्तारित बोर्ड (ईबीआर) द्वारा विचार किए जाने से पहले उनका परियोजना मूल्यांकन तथा प्रबंधन प्रभाग के सहयोग से जांच की गई।
- विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने के लिए मानीटरन पद्धति के रूप में छमाही निष्पादन समीक्षा (एचवाईपीआर) बैठकों की प्रद्धति आरंभ की गई है।
- निर्माण उद्योग विकास परिषद के शासी बोर्ड की बैठकों में भाग लिया गया।
- विविध समितियों/दलों की बैठकों में भाग लिया गया। इनमें एसआरडीपी-एनई की उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी), अंतर मंत्रिमंडलीय समूह, एनएचडीपी के अंतर्गत उप विषयों हेतु सुपुर्दगी विधि बीओटी (टॉल) से बीओटी (वार्षिकी) में बदलने के संबंध में (एमओआरटीएच), भारत निर्माण ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर समिति, और

पीएमजीएसवाई पर अधिकार प्राप्त समिति हैं।

- वर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के बोर्ड की कई बैठकें आयोजित की गई। कार्यसूची मदें जिनमें ठेका प्रदान करने के लिए एनएचडीपी के विभिन्न खंडों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शामिल थी, जांच के लिए प्राप्त हुई तथा एचएचआई बोर्ड बैठकों में निर्णय लेने के लिए टिप्पणियां इनपुट के रूप में प्रस्तुत की गई।
- विभिन्न अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रस्तावों की समीक्षा की गई।

4.26 पर्यटन प्रकोष्ठ

4.26.1 पर्यटन प्रकोष्ठ मुख्य रूप से पर्यटन क्षेत्र के विकास, आयोजन और प्रोत्साहन की प्रक्रिया में लगा है जिससे देश में पर्यटन का संतुलित और संधारणीय विकास सुनिश्चित हो सके। यह पर्यटन क्षेत्र से संबंधित नीतिगत मुद्दों के निर्माण/कार्यान्वयन से भी संबंधित है जिससे कि इसे देश की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के प्रति और अधिक प्रतिक्रियाशील बनाया जा सके। 2010-11 के दौरान आयोजित महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नरूपेण हैं :

- देश में पर्यटन क्षेत्र का समग्र आयोजन
- पर्यटन क्षेत्र के लिए वार्षिक योजना परिव्यय को अंतिम रूप देना
- प्रमुख पर्यटन परियोजनाओं/योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना
- सरकारी प्रयासों को पूरक बनाने के लिए अवस्थापन औरपर्यटन सेवाओं में निजी क्षेत्र के निवेश की भूमिका का निर्धारण।

4.26.2 पर्यटन प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए गए :

- पर्यटन क्षेत्र अध्याय को वार्षिक योजना 2010-11 दस्तावेज में अंतिम रूप दिया गया।
- राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में वार्षिक योजना 2011-12 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और व्यापक रूप से चर्चा के बाद सिफारिशें की गई।
- पर्यटन मंत्रालय की वार्षिक योजना 2011-12 के प्रस्ताव पर चर्चा हुई एवं व्यापक रूप से जांच के बाद सिफारिश की गई।
- 31.3.2011 के बाद भी पर्यटन मंत्रालय में अपर सचिव के एक नियमित पद के सृजन के प्रस्ताव की जांच हुई और टिप्पणी दी गई।
- आवास अवस्थापना के लिए प्रोत्साहन स्कीम को जारी रखने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटन की सुविधा तथा सुरक्षा संगठन की नई स्कीम लागू करने की जांच की गई और टिप्पणियां प्रस्तुत की गई।
- पर्यटन मंत्रालय से प्राप्त निवेश प्रस्तावों की स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) व्यय वित्त समिति (ईएफसी) और सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा जांच किए जाने से पहले जांच की गई।
- पर्यटन क्षेत्र के संबंध में अर्धवार्षिक निष्पादन समीक्षा बैठक (एचवाईपीआर) विभिन्न पर्यटन क्षेत्र की परियोजनाओं/स्कीमों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आयोजित की गई।
- राज्य योजना प्रभाग से प्राप्त विभिन्न अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रस्तावों की जांच की गई और पर्याप्त रूप से टिप्पणियां की गई।

4.27 ग्राम तथा लघु उद्यम

4.27.1 ग्राम तथा लघु उद्यम प्रभाग निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के लिए नोडल प्रभाग हैं :

- लघु, छोटे और मझोले उद्यम मंत्रालय
- कपड़ा मंत्रालय -हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशमपालन, विद्युत करघा और ऊन।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

4.27.2 उक्त मंत्रालयों/विभागों के साथ वार्षिक योजना चर्चाएं की गई जिसमें गहनतापूर्वक चर्चा और सदस्य-स्तरीय चर्चा शामिल है जिनके फलस्वरूप स्कीमवार परिव्ययों को अंतिम रूप दिया गया।

4.27.3 विभिन्न योजनाओं की प्रगति और संसाधनों के उपयोग के आकलन हेतु उक्त मंत्रालयों/विभागों की अर्धवार्षिक बैठकों (एचपीआर) का आयोजन किया गया।

4.27.4 ग्राम तथा लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 11वीं योजना का मध्यावधि आकलन सदस्य (वीएसई) की अध्यक्षता में किया गया।

4.27.5 11वीं याजना के मध्यावधि आकलन को सुविधाजनक बनाने के लिए, हथकरघा और हस्तशिल्प के संबंध में संकुल और परामर्श समूह बैठक के संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई। वीएसई प्रभाग ने हथकरघा और हस्तशिल्प विभाग द्वारा आयोजित 5 स्थानों पर क्षेत्रीय परामर्श में भाग लिया। एकीकृत हथकरघा संकुल विकास स्कीम का

तालिका 4.27.1

ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 2010-11 के दौरान (आरई) प्रमुख कार्यक्रम परिव्यय के साथ।

क्र.सं.	कार्यक्रम	परिव्यय 2010-11 (करोड़ रुपए में)
1.	प्रौद्योगिकी समर्थन संस्थानों और कार्यक्रमों की गुणवत्ता (एमओएमएसएमई)	336.00
2.	ऋण समर्थन कार्यक्रम (एमओएमएसएमई)	222.70
3.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	906.00
4.	खादी सुधार कार्यक्रम	192.00
5.	खादी और ग्रामोद्योगों को अनुदान	362.00
6.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास	137.50
7.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/ आधुनिकीकरण	81.00
8.	हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण	170.00
9.	एकीकृत हथकरघा विकास स्कीम	125.00
10.	हथकरघा और हस्तशिल्प का विपणन और निर्यात प्रोन्नयन	57.00
11.	बाबा साहब अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना	72.82
12.	एकीकृत शिल्पकार व्यापक कल्याण	84.11
13.	रेशम पालन में उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम	275.00

आकलन करने के लिए मेसर्स क्राफ्ट रिवाइवल ट्रस्ट, नई दिल्ली द्वारा अध्ययन कराया गया। मंत्रिमंडल/सीसीईए/सीओएस के लिए टिप्पणियों की समीक्षा की गई।

4.27.6 सिद्धांततः अनुमोदन, एसएफसी और ईएफसी प्रस्तावों को तकनीकी आर्थिक दृष्टि से जांच की गई तथा ईएफसी के मामले में आकलन टिप्पणी में शामिल करने हेतु टिप्पणियों प्रदान की गई। विभिन्न मंत्रालयों द्वारा वीएसई क्षेत्र में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों आदि की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास स्कीमों/कार्यक्रमों की जांच की गई।

4.27.7 विभिन्न राज्य सरकारों से संबंधित अनेक बैठकों में भाग लिया जैसे कि वार्षिक योजना 2010-11 और अर्धवार्षिक निष्पादन समीक्षा।

4.28 स्वैच्छिक कार्रवाई प्रकोष्ठ

4.28.1 देश के विकास में स्वैच्छिक क्षेत्र की भूमिका सर्वविदित है। स्वैच्छिक संगठन (वीओ) देश के कोने कोने में अपनी पहुंच रखते हैं और आमजन से घुले मिले होने का लाभ पाते हैं। इसलिए आज इन्हें सरकारी योजनाओं के कार्यकर्त्ता के रूप में नहीं बल्कि इन्हें जागरूकता का प्रसारक एवं विकास हिस्सेदार के रूप में माना जाने लगा है।

4.28.2 जुलाई 2007 में स्वैच्छिक क्षेत्र पर एक राष्ट्रीय नीति अधिसूचित की गई। स्वैच्छिक क्षेत्र की राष्ट्रीय नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- स्वैच्छिक संगठनों के लिए एक अनुकूल वातावरण सृजित करना जिससे इनके उद्यम को प्रेरित करे और उनकी प्रभावोत्पादकता एवं सुरक्षा तथा स्वायतत्ता को प्रोत्साहन मिले।
- स्वैच्छिक संगठनों के लिए विधिवत रूप से आवश्यक वित्तीय संसाधनों को देश एवं विदेश से गतिशीलता प्रदान करना।
- सरकार द्वारा प्रणालियों की पहचान करना जो स्वैच्छिक संगठनों के साथ मिलकर पारस्परिक विश्वास व सम्मान के बुनियादी सिद्धांत पर एक साथ काम कर सकें; और
- स्वैच्छिक संगठनों के अभिशासन और प्रबंधन की पारदर्शी और जवाबदेही प्रणालियाँ अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना।

स्वैच्छिक क्षेत्रक 2007 पर राष्ट्रनीति के अनुसार तीन विशेषज्ञ समूह निम्नलिखित विषयों पर गठित किए गए हैं :

- विकेन्द्रीत निधिकरण के अनुभव की समीक्षा करना और केन्द्रीय एजेंसियों को अनुकूल सिफारिश करना।
- स्वैच्छिक संगठनों के पंजीकरण हेतु एक साधारण और उदार केन्द्रीय कानून लागू करने की संभाव्यता की जांच करना जो कि एक अखिल भारतीय स्तर के वैकल्पिक विधान के रूप में उपयोग में लाया जा सके।
- एक स्वतंत्र, राष्ट्र स्तरीय स्वयं सेवी एजेंसी के विकास को प्रोत्साहित कर बाद में उसे मान्यता देना और स्वैच्छिक संगठनों के लिए प्रमाणन प्रौद्योगिकियों का विकास करना।

4.28.3 समूह की विशेषज्ञता का लाभ उठाने और बेहतरीन रूप से ध्यान केन्दित करने के लिए तीन कार्यदल गठित किए गए हैं, प्रत्येक समूह के लिए एक। सदस्यों के बीच से एक विशेषज्ञ समूह बनाया जाएगा जो मुद्दों को गहराई से देखेगा और उचित सिफारिश करेगा।

4.28.4 एनजीओ भागीदारी पद्धति, एक वेब आधारित पोर्टल का डिजाइन, विकास किया गया है तथा योजना आयोग द्वारा प्रमुख सहभागी मंत्रालयों के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के सहयोग से प्रचालित किया गया। इसका उद्देश्य वी.ओ./एनजीओ जिन्होंने पोर्टल पर हस्ताक्षर किए हैं; के डेटाबेस से जनता को सूचित किया जा सके। इससे एनजीओ को :

- पूरे देश के वीओ/एनजीओ के बारे में ब्यौरा मिलेगा
- महत्वपूर्ण मंत्रालयों/विभागों की अनुदान योजनाओं का ब्यौरा

4.28.5 करीब 34,348 वीओ/एनजीओ ने एनजीओपीएस पर हस्ताक्षर किए हैं (10.1.2011 की स्थिति)।

4.28.6 स्वैच्छिक कार्रवाई प्रकोष्ठ विभिन्न विकास संबद्ध विषयों पर वीओ/एनजीओ/सीएसओ द्वारा की गई पहल पर सिविल सोसाइटी विंडो के अंतर्गत प्रस्तुतिकरण भी आयोजित करता है जो कि नीचले संगठनों के योगदान और प्रभावोत्पादकता की हिस्सेदारी के लिए एक मंच प्रदान करता है। इन प्रस्तुतियों को आगे व्यापक, उपयोग हेतु दस्तावेज के लिए प्रसारित किया जाता है। वर्ष 2010 के दौरान योजना आयोग द्वारा निम्नलिखित सिविल सोसाइटी प्रस्तुतियां आयोजित की गईं :

- मातृत्व लाभ स्कीम के मूल्य को बढ़ाना, डॉ. अरूण गुप्ता, बीपीएनआई, दिल्ली द्वारा 16 अप्रैल, 2010 को बच्चों को माताओं द्वारा स्तनपान पर विशिष्ट परामर्श/सेवा दी गई।
- श्री राजेश टंडन, अध्यक्ष, पीआरआईए, दिल्ली द्वारा 20 मई, 2010 को "भारत में मुस्लिम स्वैच्छिक संगठनों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियाँ"।
- डॉ. वंदना प्रसाद, राष्ट्रीय संयोजक, पीएचआरएन दिल्ली द्वारा 2 जून, 2010 को डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी प्रसूति सहायता स्कीम।
- 22 जुलाई, 2010 को "लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन और पर्यावरण से संबंधित मुद्दे।
- 18 नवम्बर 2010 को हाशिए पर रहने वाले समुदायों द्वारा की गई प्रगति (सेम्स वर्क्स, ट्रांसजेंडर, एमएसएम और और इंजेक्टिंग ड्रग्स यूजर्स पर वकालत और अनुसंधान पर केन्द्र द्वारा दी गई प्रस्तुति।

4.28.7 "प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक 2009 और एमपीओ(ज) पर इसका प्रभाव" पर प्रस्तावित बैठक 19 अप्रैल, 2010 को योजना आयोग में की गई। कुछ प्रमुख एनजीओ जिनके पास डीटीसी की क्षेत्रकीय जानकारी है, को इस मुद्दे पर परिचर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था।

4.29 जल संसाधन प्रभाग

4.29.1 योजना आयोग के जल संसाधन प्रभाग को जल संसाधनों से संबंधित योजना, कार्यक्रमों और नीतियों के निर्माण और मानीटरन की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ बड़ी, मझौली और लघु परियोजनाएं, बाढ़ नियंत्रण (समुद्र कटावरोधी कार्यों सहित) और कमान क्षेत्र विकास सम्मिलित है । यह प्रभाग ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता तथा ठोस अवशिष्ट प्रबंधन की योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियो के लिए भी जिम्मेदार हैं ।

सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और कमान क्षेत्र विकास

(i) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2010-11 के निर्माण का कार्य पूरा किया गया । इसके साथ ही जल

संसाधन मंत्रालय और पेयजल आपूर्ति विभाग की वार्षिक योजना 2010-11 को भी पूरा किया गया । विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2011-12 का निर्माण प्रगति पर है ।

(ii) जल संसाधन मंत्रालय और पेयजल आपूर्ति विभाग के लिए आऊटकम बजट को संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया।

(iii) बारहवीं योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और प्रभाग ने एक स्टीयरिंग समिति और 8 कार्य समूह विभिन्न उप क्षेत्रकों के लिए बनाए हैं। स्टीयरिंग समिति की पहली बैठक 25.11.2010 को आयोजित की गई।

(iv) प्रभाग के सभी अधिकारियों ने रणनीतिक मैट्रिक्स के लिए क्षेत्र की सामग्री तैयार करने में सहभागी बने हैं और बारहवीं योजना में सामना किए जाने वाली चुनौतियों के पहचान की रिट्रीट में सहयोग दिया है।

(v) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए मध्यावधि मूल्यांकन हेतु जल संसाधन का अध्याय तैयार किया गया और जुलाई 2010 में आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद में अनुमोदन मिल गया है।

(vi) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में शिथिलता के लिए जल संसाधन प्रभाग ने प्रक्रिया करते हुए जल संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार मंत्रिमंडल नोट (जो कि सचिव योजना आयोग की अध्यक्षता में एआईबीपी पर कार्यदल पर आधारित था, पर अपनी टिप्पणियां भी दी हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा मई 2010 में संशोधन भी कर दी हैं।

(vii) योजना आयोग ने 69 बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और 59 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं और 13 ईआरएम परियोजनाओं, इस प्रकार 141 परियोजनाओं के लिए निवेश की संपुष्टि कर दी है। परियोजनाओं की सूची संलग्नक पर दी गई है।

(viii) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत 2009-10 में रुपए 9700.00 करोड़ (अनुदान) के मुकाबले 2010-11 के दौरान रुपए 11500.00 (अनुदान) का आवंटन (बजट अनुमान) हेतु किया है।

(ix) केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों का अनुमानित मूल्यांकन (क) नदी प्रबंधन गतिविधियां और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य (ख) जल संसाधन विकास स्कीमों की जांच पूरी की गई।

(x) दिसम्बर 2010 में जल संसाधन प्रभाग के एक अधिकारी ने केन्द्रीय दल के सदस्य के रूप में तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया।

(xi) वार्षिक योजना 2010-11 के लिए सिंचाई संबंधी अध्याय पूरा कर लिया गया है।

जलापूर्ति एवं स्वच्छता

(i) पेयजल आपूर्ति विभाग की वार्षिक योजना 2010-11 पूरी की गई विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना का कार्य पूरा किया गया। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण स्वच्छता, शहरी जल आपूर्ति, शहरी मल निकास के लिए वार्षिक योजना 2011-12 का कार्य प्रगति पर है।

(ii) "पेयजल, स्वच्छता और स्वच्छ रहने की दशाओं" पर अध्याय तैयार किया गया जिसे वार्षिक योजना दस्तावेज 2010-11 में शामिल किया जाना है।

(iii) प्रभाग के सभी अधिकारियों ने रणनीतिक मैट्रिक्स के लिए क्षेत्र की सामग्री तैयार करने में सहभागी बने हैं और बारहवीं

योजना में सामना किए जाने वाली चुनौतियों के पहचान की है। प्रभाग के एक अधिकारी ने बारहवीं योजना दृष्टिकोण पत्र को तैयार करने के लिए शहरीकरण के प्रबंधन पर चुनौति दल के सदस्य हैं और यह मामला प्रगति पर है।

(iv) बारहवीं योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और "ग्रामीण घरेलू जल एवं स्वच्छता " और "शहरी और औद्योगिक जलापूर्ति एवं स्वच्छता " पर कार्य समूह गठित किए जा चुके हैं और कार्य प्रगति पर है।

(v) "ग्रामीण पेयजल " और "ग्रामीण स्वच्छता " पर सैक्शन ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए मध्यावधि मूल्यांकन की तैयारी की जिसे जुलाई 2010 में आयोजित एनडीसी की मिटिंग में अनुमोदन मिल गया है।

(vi) 2010-11 के दौरान आठ पेयजल आपूर्ति प्रस्तावों को, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता/विशेष योजना सहायता के तहत निधि जारी करने से पहले जल संसाधनों की दृष्टि से तकनीकी जांच की गई।

(vii) दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें नामतः "राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) " और "समग्र स्वच्छता अभियान (टीएससी) " का कार्यान्वयन ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता की दृष्टि से पूरे देश में किया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)

(i) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति भारत सरकार द्वारा 2005 में शुरू किए गए "भारत निर्माण " के 6 घटकों में एक है। इस कार्यक्रम के तहत व्याप्ति में ली गई सभी बस्तियों को 2012 तक सुरक्षित पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराना है। भारत निर्माण चरण - I (2005-06 से 2008-09) के तहत लक्ष्य रखा गया था कि अभी कवर न की गई 55067 बस्तियों को कवर की जाए तथा 3.31 लाख बकाया रही और 2.17 लाख गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को भी कवर किया जाए। कुल 54440 व्याप्ति में न ली गई बस्तियों, 358862 शिलिप बैक बस्तियों और 50168 गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को कवर किया गया। भारत निर्माण का दूसरा चरण 2009-10 से 2011-12 प्रगति पर है।

(ii) केन्द्र सरकार केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों जैसे

तालिका 4.29.1

एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत 2009-10 से 2010-11 तक लक्ष्य/उपब्धियां

(बस्तियों की संख्या)

	कवर न की गई बस्तियां	श्लिप बैक बस्तियां	जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियां
2009-10 **लक्ष्य**	586	1,23,408	34,595
उपलब्धियां	377	1,19,444	32,734
2010-11	376	80,342	41,094
लक्ष्य उपलब्धियां	147	37,383	8,564

स्रोत : पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय *31 दिसम्बर 2010 तक

"राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)" के माध्यम से देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती रही है। रुपए 9000 करोड़ का योजना परिव्यय वर्ष 2010-11 के दौरान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) के बजट में एनआरडीडब्ल्यूपी के लिए किया गया। जिसमें से रुपए 6421.18 करोड़ (71.35%) दिसम्बर 2010 तक जारी कर दिया गया है।

(iv) जल संसाधन प्रभाग में ग्यारहवीं योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के सुधार हेतु मंत्रिमंडल नोट के प्रारूपण नोट पर भी टिप्पणियां की थी जिसका अनुमोदन हो गया है।

समग्र स्वच्छता अभियान (टीएससी)

(i) भारत सरकार समग्र स्वच्छता अभियान (टीएससी) का संचालन करती है जो एक व्यापक कार्यक्रम है और सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्व्च्छता की सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं जिससे खुले में मलत्याग की परंपरा को समाप्त किया जा सके और स्वच्छ वातावरण बनाया जा सके। वर्ष 2010-11 के दौरान डीडीडब्ल्यूएस के बजट में टीएससी हेतु रुपए 1580 करोड़ का परिव्यय रखा गया। दिसम्बर 2010 तक कुल 1074 करोड़ (67.97%) रुपए की राशि जारी कर दी गई थी।

(ii) अभियान के तहत स्कीम के शुरू होने से भौतिक उपलब्धियां हैं : 7.26 करोड़ निजी घरेलू शौचालयों, 10.44 लाख स्कूल प्रसाधनों, 20084 स्वच्छता परिसरों और 3,51,584 आंगनवाड़ी प्रसाधनों का निर्माण किया गया।

(iii) जल संसाधन प्रभाग ने स्कूल प्रसाधनों और आंगनवाड़ी शौचालयों जो समग्र स्वच्छता अभियान (टीएससी) के अंतर्गत बनाये जाते हैं की यूनीक लागत में संशोधन हेतु आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय परिषद (सीसीईए) के लिए ड्राफ्ट नोट को प्रक्रिया में लेते हुए उस पर टिप्पणियां दी थी जिनका अनुमोदन हो गया है।

(iv) जल संसाधन प्रभाग ने ईएफसी ज्ञापन पर प्रक्रिया करते हुए टिप्पणियां दी और उसके बाद समग्र स्वच्छता अभियान (टीएससी) के तहत निजी घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) के निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि में संशोधन के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय परिषद के ड्राफ्ट नोट पर टिप्पणियां की।

संलग्नक- I

पहली जनवरी 2010 से 31 दिसम्बर 2010 तक की अवधि के दौरान प्रदान की गई बाढ़ नियंत्रण, बड़ी और मझौली सिंचाई, विस्तार पुनरूद्धार, और आधुनिकीकरण परियोजनाओं की निवेश मंजूरी

क्र.सं.	संपुष्टि की तारीख	योजनाओं के नाम	अनुमानित लागत (रु.)	राज्य
1	25/2/2010	पुलिचिंतला बांध परियोजना (बड़ी), आंध्र प्रदेश सहित कृष्णा डेल्टा आधुनिकीकरण के निवेश की मंजूरी (वर्ष 2008-09 के मूल्य आधार पर कृष्णा डेल्टा आधुनिकीकरण पर स्थापना लागत 2411.25 करोड़ रुपए और पुलिचिंतला बांध परियोजना की 1273.25 करोड़ रुपए तथा दोनों को मिलाकर कुल 3684.50 करोड़ रुपए की स्थापना लागत)	3684.50 करोड़	आंध्र प्रदेश
2	2/2/2010	दोयांग नदी के विभिन्न पहुंच (नागुरा और नरेशपुर क्षेत्र) स्थलों पर कटाव-रोधी कार्य योजना की निवेश मंजूरी अनुमानित लागत पर	12.1452 करोड़	असम
3	6/4/2010	ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से "गाखिरखाइती तथा इसके समीपवर्ती क्षेत्रों के बचाव हेतु योजना (भूमि स्पर्स और बुलहेड का निर्माण) निवेश मंजूरी। अनुमानित लागत रुपए	19.06 करोड़	असम
4	6/4/2010	असम के कामरूप जिले के गोरोईमारी मेजरटाप क्षेत्र के सीएच 27.8 किमी से सीएच 31.9 किमी. के दायरे में गुमी से काल टोली तक एल/बी पर बी/डाइक के बचाव संबंधी ए/ई कार्यों की निवेश मंजूरी	27.97 करोड़	असम
5	6/4/2010	असम के कामरूप जिले में आरजी रेलवे लाइन से आरए रेलवे लाइन तक के दोनों तटों सहित पुथीमारी तटबंध को उंचा उठाना तथा मजबूत बनाने की योजना की निवेश मंजूरी (आर/बी पर च 21 किमी से च 36 किमी और एल/बी पर च 18 किमी. से च 35 किमी.)	30.23 करोड़	असम
6	13/12/2010	असम के नागांव और मोरीगांव जिलों में कोपिली नदी के दोनों तटों पर चराईहागी से तुकलैतुप तक (एल/बी), वसुन्धरी से किलिंग कोपिली जंकशन तक (एल/बी) और छपरमुख से अहोतगुरी अमसोई पीडब्ल्यूडी रोड तक (आर/बी) सहायक डाइक की आर/एस योजना के मामले में निवेश की मंजूरी। वर्ष 2009-10 के मूल्य-आधार पर अनुमानित लागत 110.72 करोड़ रुपए	110.72 करोड़	असम
7	15/12/2010	असम के रोह मोरिया के बचाव संबंधी तात्कालिक	59.9129 करोड़	असम

		उपायों की योजना की निवेश मंजूरी		
8	16/3/2010	दिखोमुख से मुकालोनी (दिखोमुख और रूपाही मुख क्षेत्र) तक के क्षेत्रको ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से बी/डाइक के बचाव की योजना की निवेश मंजूरी	14.6855 करोड़	असम
9	16/3/2010	राष्ट्रीय राजमार्ग 37 से जोकाइचक तक मितांग बांध के दोनों किनारों को ऊंचा तथा मजबूत करने की योजना की निवेश मंजूरी	13.9083 करोड़	असम
10	10/3/2010	बटेश्वर स्थान पम्प नहर परियोजना, बिहार	389.31 करोड़	**बिहार**
11	10/3/2010	658.12 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आधार मूल्य 2009 पर पुनपुन बराज स्कीम (संशोधित बड़ी) बिहार की निवेश मंजूरी	658.12 करोड़	बिहार
12	17/3/2010	बिहार में महानन्दा नदी के निचले भूखंड के विद्यमान बाएं व दाएं तटबंधों को उंचा तथा मजबूत करने की निवेश मंजूरी	149.688 करोड़	बिहार
13	12/5/2010	"बटाना जलाशय परियोजना " (संशोधित बड़ी) की 113.81 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत (आधार मूल्य 2009) की योजना की निवेश मंजूरी	113.81 करोड़	बिहार
14	26/5/2010	पश्चिमी कोशी नहर परियोजना (भारत का अंश), बिहार की 1307.21 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत (नवम्बर 2007 का आधार मूल्य) योजना की निवेश मंजूरी	1307.21 करोड़	बिहार
15	21/6/2010	नेपाल बेनीफिट स्कीम 2009 गंडक परियोजना (मेजर-ईआरएम) बिहार की अनुमानित लागत 171.81 करोड़ रुपए (आधार मूल्य 2009) वाली योजना की निवेश मंजूरी	171.84 करोड़	बिहार
16	6/7/2010	बिहार में कमला बलान नदी के बाएं व दाये तटबन्धों का 11.42 किमी. तक का विस्तारीकरण और बांए तट के उपर 5 किमी. के ब्रिक सोलिंग रोड तथा कमला तटबंध के विस्तारित हिस्से के दो स्थलों पर बचाव कार्य हेतु निवेश की मंजूरी	56.1154 करोड़	बिहार
17	6/7/2010	गंगा नदी के बाएं तटबंध पर (1) गुप्ता तटबन्ध के निकट रामदिरी सिहामा कटाव क्षेत्र (2) गुप्ता लखमिनीया तटबंध के निकट (3) सनहा गोरगामा तटबंध के निकट कटाव रोधी कार्य और (4) गोगरी नारायणपुर तटबंध, नया गांव रिंग बंध और अखा खजरैता रिंग बंध को उपर उठाने और मजबूत करने संबंधी निवेश की मंजूरी	29.3260 करोड़	बिहार
18	6/7/2010	बिहार में बूढ़ी गंडक के बायां तटबंध को अखराघाट ब्रिज के यू/एस पर मीनापुर से विजय छपरा (0.0 से 18.4 किमी.) और अखराघाट ब्रिज डी/एस से समस्तीपुर जिले की सीमा तक (0.0 से 45.5 किमी.)	22.4088 करोड़	बिहार

		उपर उठाने और मजबूत करने संबंधी निवेश की मंजूरी		
19	6/7/2010	झीम और जमूरा नदियों (अधवारा ग्रूप) के किनारे बाएं तट पर सोनबरसा बाजार से सोनबरसा गांव तक (25.70 किमी.) और तट (26.06 किमी.) के अनुमानित खर्च 64.52108 करोड़ रुपए पर तटबंध निर्माण की निवेश मंजूरी	64.52108 करोड़	बिहार
20	22/7/2010	महानंदा नदी के दाहिने तटबंध पर गोविन्दपुर के पास लावा चौकिया पहारपुर की दरार बन्दी 20.98 किमी. लम्बी (सीएच 688) सहित कटाव रोधी कार्य और महानन्दा नदी के दाहिने तटबंध पर आजम नगर रिंग बंध को 0.0 किमी. से 2.58 किमी (84.50 सीएच) उच्चा उठाना तथा मजबूत करने संबंधी निवेश की मंजूरी	11.1742 करोड़	बिहार
21	2/8/2010	बिहार में सोन नदी के दाएं तथा बाएं तटबंधों को उंचा उठाने तथा मजबूत करने संबंधी योजना की निवेश मंजूरी। अनुमानित लागत 26.71 करोड़ रुपए	26.71 करोड़	बिहार
22	2/8/2010	बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में गंडक नदी के बाएं तट पर तिरहुत तटबंध के पास पहाड़पुर मनोरथ की कटाव-रोधी योजना की निवेश मंजूरी। अनुमानित लागत 7.5883 करोड़ रुपए	7.5883 करोड़	बिहार
23	2/8/2010	गंगा नदी के दाहिने तट के महावीर घाट के डी/एस (पटना सिटी सब डिवीजन) और बख्तियारपुर के पास रामनगर दियारा (बाढ़ सबडिवीजन) के बचाव कार्य के निवेश की मंजूरी। अनुमानित लागत 11.00 करोड़ रुपए	11.00 करोड़	बिहार
24	2/8/2010	बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी के बाएं तट पर बुद्धूचक और बिंद टोली गांव के पास के डी/एस विक्रमशिला सेतु के स्पर संख्या 8 और 9 के निर्माण संबंधी निवेश की मंजूरी। अनुमानित लागत 8.4983 करोड़ रुपए।	8.4983 करोड़	बिहार
25	2/8/2010	बिहार में गंगा नदी के बाएं तट पर दानापुर में तीन बेड बार सहित कसीमचक गांव से पानापुर (बिंद टोली) तक 1450 मीटर लम्बाई में कटाव-रोधी कार्य की निवेश मंजूरी। अनुमानित लागत 8.1763 करोड़।	8.1763 करोड़	बिहार
26	4/11/2010	बिहार में पूर्वी गंडक नहर (बड़ी संशोधित) के पुनरूद्धार की योजना की निवेश मंजूरी। अनुमानित लागत 684.78 करोड़ रुपए (आधार मूल्य 2009	684.78 करोड़	बिहार
27	8/2/2010	पंजाब में शाहपुरकंडी बांध परियोजना (संशोधित बड़ी) के लिए निवेश मंजूरी। अनुमानित लागत	2285.81 करोड़	चंडीगढ़
28	10/5/2010	छत्तीसगढ़ में कोसर तादा सिंचाई परियोजना (संशोधित मध्यम) की निवेश मंजूरी। अनुमानित लागत	154.6497 करोड़	**छत्तीसगढ़**

		154.6497 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2009)		
29	22/6/2010	छत्तीसगढ़ में करानाला सिंचाई परियोजना (नई मध्यम की निवेश मंजूरी। अनुमानित लागत 99.1913 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2009)	99.1913 करोड़	छत्तीसगढ़
30	9/7/2010	छत्तीसगढ़ में सूतिया पत सिंचाई परियोजना (संशोधित मध्यम) की निवेश मंजूरी। अनुमानित लागत 98.62 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2009)	98.62 करोड़	छत्तीसगढ़
31	9/7/2010	छत्तीसगढ़ में गुहमारिया नाला सिंचाई परियोजना (नई मध्यम) की निवेश मंजूरी। अनुमानित लागत 47.7886 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2009)	47.7886 करोड़	छत्तीसगढ़
32	25/8/2010	छत्तीसगढ़ में खरूंग टैंक परियोजना (बड़ी ईआरएम नई) की निवेश मंजूरी। अनुमानित लागत 101.04 करोड़ रुपए। मूल्य आधार (2008-09)	101.04 करोड़	छत्तीसगढ़
33	6/12/2010	छत्तीसगढ़ में मनियारी टैंक परियोजना (बड़ी ईआरएम नई) की निवेश मंजूरी। अनुमानित लागत 159.95 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2008-09)	159.95 करोड़	छत्तीसगढ़
34	3/3/2010	गोआ राज्य के बिचोलीम तालुक में बलवंत नदी के बहाव मार्ग की सुव्यवस्था तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी उपायों की निवेश मंजूरी। अनुमानित लागत 14.89 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2009-10)	14.89 करोड़	**गोवा**
35	6/5/2010	जाम नगर, द्वारका के संगम नारायण मंदिर से लेकर गायत्री मंदिर तक तालूका में समुद्री लहरों से बचाव एवं कटाव-रोधी के रूप में दीवार निर्माण की निवेश मंजूरी	7.9431 करोड़	**गुजरात**
36	20/5/2010	गुजरात में अनुमानित लागत 39,240.45 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2008-09) की सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना (संशोधित बड़ी) की निवेश मंजूरी	39,240.45 करोड़	गुजरात
37	20/10/2010	गुजरात में डावरी, नेश्करंज और डांडी में समुद्री कटाव-रोधी कार्यों की निवेश मंजूरी। अनुमानित लागत 11.85 करोड़ रुपए	11.85 करोड़	गुजरात
38	30/4/2010	जम्मू व कश्मीर में तावी नदी के बांए तट पर स्थित सिद्धा पुल के नीचे बसे सिद्धा शहर और आसपास के क्षेत्रों के बचाव हेतु प्रोजेक्शन कार्य के निर्माण की निवेश मंजूरी	14.66 करोड़	जम्मू व कश्मी
39	6/5/2010	जम्मू व कश्मीर में रणवीर कैनल परियोजना (संशोधित बड़ी) के आधुनिकीकरण की निवेश मंजूरी। अनुमानित लागत 176.89 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2008-09)	176.89 करोड़	जम्मू व कश्मी
40	12/5/2010	जम्मू व कश्मीर में राजपोरा लिफ्ट सिंचाई योजना (संशोधित मध्यम) की निवेश मंजूरी। अनुमानित लागत 70.20 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2009)	70.20 करोड़	जम्मू व कश्मी

41	12/5/2010	जम्मू व कश्मीर में ट्राल लिफ्ट सिंचाई योजना (संशोधित मध्यम) की निवेश मंजूरी। अनुमानित लागत 140.76 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2009)	140.76 करोड़	जम्मू व कश्मी
42	12/7/2010	जम्मू व कश्मीर में झेलम नदी के बाढ़ खतरों से निपटने हेतु श्रीनगर तथा अन्य जिलों में तात्कालिक कार्य की निवेश मंजूरी। अनुमानित लागत 97.46 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2010)	97.46 करोड़	जम्मू व कश्मी
43	27/7/2010	जम्मू व कश्मीर में मुख्य रवि नहर और इसकी वितरण नेटवर्क परियोजना के पुनरूद्धार व आधुनिकीकरण कार्य (नई बड़ी ईआरएम) की निवेश मंजूरी। अनुमानित लागत 62.27 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2008-09)	62.27 करोड़	जम्मू व कश्मी
44	12/8/2010	जम्मू व कश्मीर में लार नहर (मध्यम ईआरएम) के आधुनिकीकरण की निवेश मंजूरी। अनुमानित लागत 42.72 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2009)	47.72 करोड़	जम्मू व कश्मी
45	12/8/2010	जम्मू व कश्मीर में ग्रीम टू नहर (मध्यम) के आधुनिकीकरण की निवेश मंजूरी। अनुमानित लागत 99.09 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2009)	99.09 करोड़	जम्मू व कश्मी
46	12/8/2010	जम्मू व कश्मीर में जैनगिर नहर सिंचाई परियोजना (ईआरएम मध्यम) के आधुनिकीकरण की निवेश मंजूरी। अनुमानित लागत 73.51 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2009)	73.51 करोड़	जम्मू व कश्मी
47	11/6/2010	झारखंड में उपरी शांख जलाशय योजना की निवेश मंजूरी। अनुमानित लागत 141.19 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2006)	141.19 करोड़	झारखंड
48	6/7/2010	झारखंड में पंचखेरों जलाशय योजना (मध्यम संशोधित) की निवेश मंजूरी। अनुमानित लागत 75.69 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2007)	75.69 करोड़	झारखंड
49	22/1/2010	कर्नाटक में उपरी कृष्णा (चरण II) संशोधित बड़ी मल्टीपर्पस परियोजना (सिंचाई अंश) की निवेश मंजूरी	3959.80 करोड़	**कर्नाटक**
50	22/1/2010	कर्नाटक के जिला गुलवर्ग में उपरी कृष्णा (चरण I) परियोजना (बड़ी संशोधित) की निवेश मंजूरी	6891.59 करोड़	कर्नाटक
51	1/2/2010	कर्नाटक के मालाप्रभा परियोजना (संशोधित बड़ी) की निवेश मंजूरी	1383.48 करोड़	कर्नाटक
52	8/6/2010	शुद्धिकरण - कर्नाटक के बीदर जिले में करंजा सिंचाई परियोजना (संशोधित बड़ी) की निवेश मंजूरी (आईसी नं. 862009)	532.00 करोड़	कर्नाटक
53	3/9/2010	कर्नाटक में चन्द्रमपल्ली परियोजना (ईआरएम-मध्यम नई) के आधुनिकीरकण हेतु निवेश परियोजना। अनुमानित लागत 14.93 करोड़ रुपए। 2007-08 में चालू हुई और 2009-10 तक जारी रही।	14.93 करोड़	कर्नाटक
54	5/1/2010	केरल में मालमपुझा सिंचाई परियोजना (ईआरएम) की निवेश मंजूरी। अनुमानित लागत 11.08 करोड़ रुपए।	11.08 करोड़	**केरल**

		मूल्य आधार 2008		
55	10/3/2010	केरल में चित्तुर पुझा सिंचाई परियोजना (ईआरएम) की निवेश मंजूरी। अनुमानित लागत 34.57 करोड़ रुपए। मूल्य आधार 2008।	34.57 करोड़	केरल
56	5/5/2010	केरल के कूतनाद क्षेत्र के 14 पदसेखरम ग्रुप I (धान खेत) में बाढ़ प्रशमन योजना की 24.70 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर (मूल्य आधार 2009-10) निवेश की मंजूरी।	24.70 करोड़	केरल
57	5/5/2010	केरल के कूतनाद क्षेत्र के पदसेखरम ग्रुप 2,5 (धान खेत) में बाढ़ प्रशमन योजना की 7.187 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर (मूल्य आधार 2009-10) निवेश की मंजूरी।	7.187 करोड़	केरल
58	30/7/2010	केरल के कयाल क्षेत्र के 4 पदसेखरम (धान खेत) में बाढ़ के पानी का व्यावस्थापन तथा कूतनाद क्षेत्र के ग्रुप 9,5 पदसेखरन में बाढ़ प्रशमन कार्य को 118.913 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर (मूल्य आधार 2009-10) निवेश की मंजूरी।	118.913 करोड़	केरल
59	25/2/2010	बनसागर नहर परियोजना यूनिट II (संशोधित बड़ी) के 2143.65 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2009) की अनुमानित लागत पर निवेश की मंजूरी	2143.65 करोड़	मध्य प्रदेश
60	11/3/2010	मध्य प्रदेश में बरियारपुर लेफ्ट बैंक परियोजना (संशोधित बड़ी) को 477.26 करोड़ रुपए की लागत पर निवेश की मंजूरी।	477.26 करोड़	मध्य प्रदेश
61	22/3/2010	मध्य प्रदेश में उपरी बेड़ा सिंचाई परियोजना (संशोधित मध्यम) का 224.4179 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2009-10) की लागत पर निवेश की मंजूरी	224.4179 करोड़	मध्य प्रदेश
62	25/3/2010	मध्य प्रदेश में सिंध नदी परियोजना चरण II (संशोधित बड़ी) का 2045.74 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2009) की अनुमानित लागत पर निवेश की मंजूरी	2045.74 करोड़	मध्य प्रदेश
63	25/3/2010	मध्य प्रदेश में सिंहपुर सिंचाई परियोजना (नई मध्यम) का 200.52 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2009) की अनुमानित लागत पर निवेश की मंजूरी	200.52 करोड़	मध्य प्रदेश
64	25/3/2010	मध्य प्रदेश में बाह मिडियम सिंचाई परियोजना (संशोधित मध्यम) का 250.33 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2009) की अनुमानित लागत पर निवेश की मंजूरी	250.33 करोड़	मध्य प्रदेश
65	12/4/2010	मध्य प्रदेश में सागर सिंचाई परियोजना (संशोधित मध्यम) का 239.99 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2009) की अनुमानित लागत पर निवेश की मंजूरी	239.99 करोड़	मध्य प्रदेश
66	14/6/2010	मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बहुद्देशीय परियोजना (संशोधित बड़ी) का 3182.77 करोड़ रुपए (मूल्य	3182.77 करोड़	मध्य प्रदेश

		आधार 2009) की अनुमानित लागत पर निवेश की मंजूरी		
67	20/7/2010	मध्य प्रदेश में माही सिंचाई परियोजना (संशोधित बड़ी) का 490.39 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2009) की अनुमानित लागत पर निवेश की मंजूरी	490.39 करोड़	मध्य प्रदेश
68	2/8/2010	मध्य प्रदेश में जोबत सिंचाई परियोजना (संशोधित मध्यम) का 230.61 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2009) की अनुमानित लागत पर निवेश की मंजूरी	230.60 करोड़	मध्य प्रदेश
69	27/9/2010	ओमकारेश्वर बहुद्देशीय परियोजना यूनिट II नहर एवं जल वितरिकाओं (संशोधित बड़ी) का 2504.80 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2009) की अनुमानित लागत पर निवेश की मंजूरी	2504.80 करोड़	मध्य प्रदेश
70	5/12/2010	मध्य प्रदेश में उपरी नर्मदा सिंचाई परियोजना (नई बड़ी) का 683.93 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2009) की अनुमानित लागत पर निवेश की मंजूरी	683.93 करोड़	मध्य प्रदेश
71	29/01/2010	महाराष्ट्र में गुल नदी मध्यम परियोजना (संशोधित) की निवेश मंजूरी	96.61 करोड़	महाराष्ट्र
72	9/2/2010	महाराष्ट्र में धोम बल्कवादी सुरंग सिंचाई परियोजना (संशोधित बड़ी) का 848.89 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2008-09) की अनुमानित लागत पर निवेश की मंजूरी	848.89 करोड़	महाराष्ट्र
73	23/2/2010	महाराष्ट्र में महाराष्ट्र और गोवा के संयुक्त प्रयास से बनी तिलारी सिंचाई परियोजना का 11612.15 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2008-09) की लागत पर निवेश की मंजूरी	1612.15 करोड़	महाराष्ट्र
74	5/3/2010	महाराष्ट्र में कदकपूर्ण नदी परियोजना (बड़ी संशोधित) का 917.95 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2008-09) की निवेश मंजूरी	917.95 करोड़	महाराष्ट्र
75	24/2/2010	महाराष्ट्र में लोभर दुधना सिंचाई परियोजना (संशोधित बड़ी) का 1349.50 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2008-09) की अनुमानित लागत पर निवेश की मंजूरी	1349.50 करोड़	महाराष्ट्र
76	11/3/2010	महाराष्ट्र में तराली सिंचाई परियोजना (बड़ी संशोधित) पर 870.90 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2008-09) के निवेश की मंजूरी	870.90 करोड़	महाराष्ट्र
77	12/4/2010	महाराष्ट्र में घूंघशी बराज मिडियम सिंचाई परियोजना का 170.15 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2008-09) की अनुमानित लागत संबंधी निवेश की मंजूरी	170.15 करोड़	महाराष्ट्र
78	12/4/2010	महाराष्ट्र में उपरी पेन गंगा परियोजना (बड़ी संशोधित) का 3038.42 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2008-09) की अनुमानित लागत संबंधी निवेश की मंजूरी	3038.42 करोड़	महाराष्ट्र

79	16/7/2010	महाराष्ट्र में उपरी मनार मिडियम सिंचाई परियोजना (संशोधित) का 424.50 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2008-09) की अनुमानित लागत संबंधी निवेश की मंजूरी	424.5 करोड़	महाराष्ट्र
80	17/7/2010	महाराष्ट्र में पूर्ण बराज -2 (नेर धमना) मिडियम सिंचाई परियोजना का 179.275 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2008-09) की अनुमानित लागत संबंधी निवेश की मंजूरी	179.275 करोड़	महाराष्ट्र
81	5/12/2010	महाराष्ट्र में शेलगांव बराज मिडियम सिंचाई परियोजना का 446.49 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2008-09) की अनुमानित लागत संबंधी निवेश की मंजूरी	446.49 करोड़	महाराष्ट्र
82	15/9/2010	मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के संयुक्त उद्यम से 1407.09 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत (मध्य प्रदेश के लिए 657.86 करोड़ एवं महाराष्ट्र के लिए 749.33 करोड़ रुपए) (मूल्य आधार 2009) से तैयार "राजीव सागर (बावनथाड़ी) योजना (संशोधित बड़ी) संबंधी निवेश की मंजूरी	(म.प्र.)749.33 करोड़ + (महा.)1707.19 करोड़	महाराष्ट्र+ मध्य प्रदेश
83	1/1/2010	एक संशोधित अनुमानित लागत के साथ डोलाइथाबी मिडियम सिंचाई परियोजना की निवेश मंजूरी	215.52 करोड़	मणिपुर
84	12/4/2010	मणिपुर में 381.28 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत (मूल्य आधार 2009) से तैयार खुगा बहुद्देशीय परियोजना (सिंचाई पार्ट संशोधित मध्यम) पर निवेश की मंजूरी	381.28 करोड़	मणिपुर
85	13/4/2010	मणिपुर के थाउबल बहुउद्देश्यी परियोजना (संशोधित) पर 982.00 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2008-09) की अनुमानित लागत संबंधी निवेश की मंजूरी	982.00 करोड़	उड़ीसा
86	5/2/2010	अनुमानित लागत पर उड़ीसा में लोअर इन्द्र सिंचाई परियोजना (बड़ी संशोधित) की निवेश मंजूरी	1182.23 करोड़	उड़ीसा
87	5/2/2010	उड़ीसा में अनुमानित लागत पर सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना (बड़ी संशोधित)	4049.93 करोड़	उड़ीसा
88	24/2/2010	उड़ीसा में टेल नदी के बाएं आयकट और संगदा नदी के दाएं आयकट वाली उपरी इन्द्रावती विस्तार परियोजना (बड़ी संशोधित) का 564.77 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2008) की अनुमानित लागत संबंधी निवेश की मंजूरी	564.77 करोड़	उड़ीसा
89	10/3/2010	उड़ीसा में 474.05 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत (मूल्य आधार 2009) तेलेनगिरी मिडियम सिंचाई परियोजना की निवेश मंजूरी	474.05 करोड़	उड़ीसा
90	16/3/2010	उड़ीसा में 1041.80 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2009) की अनुमानित लागत पर लोअर सकतेल सिंचाई परियोजना (बड़ी संशोधित) की निवेश मंजूरी	1041.80 करोड़	उड़ीसा
91	19/8/2010	उड़ीसा में 62.32 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2009)	62.32 करोड़	उड़ीसा

		की अनुमानित लागत पर ब्राहमणी पद्धति के लिए बाढ़ बचाव कार्य योजना की निवेश मंजूरी		
92	14/9/2010	उड़ीसा में 1958.34 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2009-10) की अनुमानित लागत से रेनगली सिंचाई उपपरियोजना एलबीसी-II (संशोधित बड़ी) की निवेश मंजूरी	1958.34 करोड़	उड़ीसा
93	22/1/2010	यानम (पुडूचेरी) में बाढ़ बचाव कार्य हेतु निवेश की मंजूरी (अनुमानित लागत)	139.67 करोड़	पांडिचेरी
94	12/4/2010	346.62 करोड़ रुपए (मूल्य आधार जनवरी 2008) की लागत से होशियारपुर से बालाछौर (पंजाब) तक कांडी नहर विस्तार योजना चरण II के निवेश की मंजूरी	346.62 करोड़	पंजाब
95	9/7/2010	राजस्थान में 2481.79 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2009) की अनुमानित लागत से नर्मदा नहर परियोजना (संशोधित बड़ी) की निवेश मंजूरी	2481.79 करोड़	राजस्थान
96	31/12/2010	राजस्थान में गंग कैंसिल सिस्टम (संशोधित बड़ी) के आधुनिकीकरण मामले में 621.42 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत (मूल्य आधार 2008-09) पर निवेश की मंजूरी	621.42 करोड़	राजस्थान
97	15/1/2010	तमिलनाडु के थानजोर, नागापट्टिनम और क्यूडालोग जिलों में कोलीडम (कोलेरून) नदी पर बाढ़ बचाव कार्य हेतु निवेश मंजूरी/अनुमानित लागत	375.90 करोड़	तमिलनाडु
98	6/5/2010	तमिलनाडु के क्यूडालोर और विल्लूपुरम जिलों में वेलार घाटी में विस्तृत बाढ़ नियंत्रण प्रबंधन कार्य हेतु निवेश मंजूरी। अनुमानित लागत	164.32 करोड़	तमिलनाडु
99	6/5/2010	तमिलनाडु के पेनायर, गैडिलम, उपानार, परावनार और क्यूडालोर जिले की दक्षिणी मलातार से पनरूटी और क्यूडालोर शहरों हेतु व्यापक बाढ़ बचाव कार्य संबंधी निवेश मंजूरी/अनुमानित लागत	68.41 करोड़	तमिलनाडु
100	6/7/2010	तमिलनाडु के तिरूवल्लुवर जिले में नापालयम से समुद्र तक कोर्टालयर नदी पद्धति में बाढ़ बचाव कार्य हेतु 14.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत (मूल्य आधार 2009-10) की निवेश मंजूरी	14.50 करोड़	तमिलनाडु
101	24/2/2010	दक्षिण त्रिपुरा जिला/खंड V के सबरूम सब-डिवीजन अंतर्गत हरबताली से अमलीघाट तक भारत के तट के बचाव हेतु फेनी नदी के तट पर कटाव रोधी कार्य के लिए निवेश की मंजूरी। अनुमानित लागत।	9.0911 करोड़	**त्रिपुरा**
102	24/2/2010	दक्षिण त्रिपुरा जिला/खंड I के सबरूम सब-डिवीजन अंतर्गत जलाई से बेलताली तक भारतीय किनारे के प्रमुख स्थलों के बचाव हेतु फेनी नदी के तट पर कटाव रोधी कार्य के लिए निवेश की मंजूरी।	11.6157 करोड़	त्रिपुरा

		अनुमानित लागत।		
103	25/3/2010	विषय : 98.711 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत (मूल्य आधार 2008) पर त्रिपुरा में मानू सिंचाई परियोजना (मध्यम) की निवेश मंजूरी	98.711 करोड़	त्रिपुरा
104	25/3/2010	91.64 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत (मूल्य आधार 2008) पर त्रिपुरा में खोआई सिंचाई परियोजना (मध्यम) की निवेश मंजूरी	91.64 करोड़	त्रिपुरा
105	25/3/2010	83.01 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत (मूल्य आधार 2008) पर त्रिपुरा में गुमती सिंचाई परियोजना (मध्यम) की निवेश मंजूरी	83.01 करोड़	त्रिपुरा
106	22/1/2010	पूर्वी गंगा नहर परियोजना (संशोधित बड़ी) के मामले में निवेश की मंजूरी। अनुमानित लागत।	892.44 करोड़	उत्तर प्रदेश
107	26/2/2010	उत्तर प्रदेश के जेपी नगर, शाहजहांपुर, मेरठ और बुलंद शहर जिलों में गंगा नदी पर दाहिने और बाएं किनारों पर बाढ़ बचाव कार्य योजना की निवेश मंजूरी	32.4170 करोड़	उत्तर प्रदेश
108	25/3/2010	11.65 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बुधावल, चमरावाला, जैतपुर, गाकरपुर, काजीपुर, मुश्तापुर आदि गांवों के बचाव हेतु काहो, कोशी और रामगंगा नदियों पर बाढ़ बचाव कार्य हेतु निवेश की मंजूरी	11.65 करोड़	उत्तर प्रदेश
109	7/4/2010	उत्तर प्रदेश के बागपत और गौतमबुद्ध नगर जिलों में हिंडोन नदी के बाएं और दाहिने तटों पर बाढ़ बचाव कार्य हेतु निवेश की मंजूरी	14.3220 करोड़	उत्तर प्रदेश
110	16/4/2010	उत्तर प्रदेश में 7270.32 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत (मूल्य आधार 2008-09) से सरयू नहर परियोजना (बड़ी संशोधित) निवेश मंजूरी।	7270.32 करोड़	उत्तर प्रदेश
111	23/4/2010	उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में यमुना नदी के दाहिने तट पर आरडी 0.00 किमी. से 3.00 किमी. में सोंधीबन्स से गयासुदीनपुर टैटबंध तक के गांवों के लिए बाढ़ बचाव कार्य के लिए निवेश मंजूरी। अनुमानित लागत।	14.1555 करोड़	उत्तर प्रदेश
112	7/6/2010	उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खेरी और सीतापुर जिलों में सारदा नदी के बाएं व दाएं तट पर बसे कई संवेदनशील गांवों के बचाव हेतु कटाव-रोधी कार्यों की निवेश मंजूरी	25.04 करोड़	उत्तर प्रदेश
113	7/6/2010	उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी और सीतापुर जिलों में घाघरा नदी के दाहिने तट पर बसे कई संवेदनशील गांवों के बचाव हेतु कटाव-रोधी कार्यों की निवेश मंजूरी	30.40 करोड़	उत्तर प्रदेश
114	7/6/2010	उत्तर प्रदेश के जेपी नगर और बिजनौर जिले में गंगा नदी के बांए तट पर शेरपुर गांव से गांव तक तटबंध	33.23 करोड़	उत्तर प्रदेश

		निर्माण परियोजना की निवेश मंजूरी		
115	11/6/2010	उत्तर प्रदेश में मुज्जफरनगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा जिलों में यमुना नदी के बाएं तटों पर बाढ़ बचाव कार्यों की निवेश मंजूरी	43.80 करोड़	उत्तर प्रदेश
116	11/6/2010	उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में यमुना नदी पर बाढ़ बचाव कार्यों की निवेश मंजूरी	28.113 करोड़	उत्तर प्रदेश
117	11/6/2010	उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर और गोरखपुर जिलों में राप्ती नदी के बाएं व दाहिने तटों पर बाढ़ बचाव कार्यों की निवेश मंजूरी। अनुमानित लागत 68.89 करोड़ रुपए है।	68.89 करोड़	उत्तर प्रदेश
118	6/7/2010	उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सुआवन नाले का 30.00 किमी. से लेकर 82.00 किमी. तक में पुनरूद्धार कार्य की निवेश मंजूरी। अनुमानित लागत 13.59 करोड़ रुपए है।	13.59 करोड़	उत्तर प्रदेश
119	19/7/2010	उत्तर प्रदेश में 135.17 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत (मूल्य आधार जनवरी 2010) से हरदोई ब्रांच सिस्टम (बड़ी संशोधित ईआरएम) की सिंचाई तीव्रता में सुधार कार्य की निवेश मंजूरी।	135.17 करोड़	उत्तर प्रदेश
120	2/8/2010	उत्तर प्रदेश में 423.45 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत (मूल्य आधार 2009) से कछनोदा बांध परियोजना की निवेश मंजूरी।	423.45 करोड़	उत्तर प्रदेश
121	16/11/2010	उत्तर प्रदेश में बनबासा में शारदा बैरेज के उपरी तथा नीचले हिस्से में शारदा नदी के दायें तट पर बाढ़ से बचाव/कटाव-रोधी कार्य के मामले में 14.9842 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत (मूल्य आधार 2009-10) संबंधी निवेश की मंजूरी	14.9842 करोड़	उत्तर प्रदेश
122	18/11/2010	उत्तर प्रदेश में 332.12 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत (मूल्य आधार 2008-09) से बदायूं सिंचाई परियोजना (बड़ी-नई) के निवेश की मंजूरी	332.12 करोड़	उत्तर प्रदेश
123	1/12/2010	उत्तर प्रदेश में 52.29 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर और देवरिया जिले में राप्ती नदी के बाएं और दाहिने तट पर बाढ़ बचाव कार्य की निवेश मंजूरी।	52.29 करोड़	उत्तर प्रदेश
124	5/12/2010	उत्तर प्रदेश में 652.58 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत (मूल्य आधार 2008-09) से कन्हार सिंचाई परियोजना (बड़ी-बड़ी) की निवेश मंजूरी	652.58 करोड़	उत्तर प्रदेश
125	5/12/2010	उत्तर प्रदेश में 3148.91 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत (मूल्य आधार 2008-09) से बनसागर नहर परियोजना (बड़ी संशोधित) की निवेश मंजूरी	3148.91 करोड़	उत्तर प्रदेश
126	6/12/2010	उत्तर प्रदेश में 217.12 करोड़ रुपए की अनुमानित	217.12 करोड़	उत्तर प्रदेश

		लागत (मूल्य आधार 2009-10) से पश्चिमी गंडक कैनल सिस्टम (बड़ी ईआरएम) की क्षमता को पुनः प्रतिष्ठित करने संबंधी निवेश की मंजूरी		
127	5/1/2010	उत्तराखंड में नन्धोर और इसकी सहायक नदियों से छोरगलिया एवं सीतारहंग क्षेत्रों को बचाने के लिए नैनीताल और उद्यम सिंह नगर जिलों में बाढ़ नियंत्रण योजना। अनुमानित लागत।	1423.872 करोड़	उत्तराखंड
128	14/1/2010	उत्तराखंड में सेभलखलिया, ढेला, लक्ष्मीपुर पट्टी, बनशेखर कला, रायपुर और जगन्नाथपुर गांवों के बचाव हेतु ढेला और इसकी सहायक नदियों पर बाढ़ बचाव कार्य। अनुमानित लागत	5.0539 करोड़	उत्तराखंड
129	14/1/2010	उत्तराखंड में धरमपनी खैरना, छुकुम और मोहन, रामनगर शहर, अजीतपुर, नस्तनगर, बैठखेरी, गोबरा और जोगीपुरा गांव के बचाव कार्य हेतु और इसकी सहायक नदियों पर बाढ़ बचाव कार्य। अनुमानित लागत	7.26 करोड़	उत्तराखंड
130	30/9/2010	उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में बलवाली से गंगा नदी पर दायां मार्जिनल बांध का 20.6949 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत (संशोधित) से निर्माण की निवेश मंजूरी।	20.6949 करोड़	उत्तराखंड
131	9/3/2010	कलियाघई कपलेश्वरी बाघाई योजना की निवेश मंजूरी	650.38 करोड़	पश्चिम बंगाल
132	12/3/2010	पश्चिम बंगाल के उत्तर व दक्षिण चौबीस परगना जिले में आये भीषण चक्रवात आयला से सुन्दरवन एवं आस पास के क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त तटबंधों का पुनरूद्धार, सुधार और पुनर्निर्माण हेतु 1339.50 करोड़ रुपए की निवेश मंजूरी	1339.50 करोड़	पश्चिम बंगाल
133	2/7/2010	पश्चिम बंगाल के उत्तर व दक्षिण चौबीस परगना जिले में आये भीषण चक्रवात आयला से सुन्दरवन एवं आस पास के क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त तटबंधों का पुनरूद्धार, सुधार और पुनर्निमार्ण हेतु 5032 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की निवेश मंजूरी।	5032 करोड़	पश्चिम बंगाल
134	2/8/2010	पश्चिम बंगाल में 1976 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत (मूल्य आधार 2008) से टाटकों सिंचाई परियोजना (मध्यम संशोधित) की निवेश मंजूरी।	19.76 करोड़	पश्चिम बंगाल
135	13/9/2010	सुव्यवस्थित परिवहन एवं बाढ़ प्रबंधन के मद्दे नजर बीएसएफ ब्रीज से गाइघाटा थानान्तर्गत कालांक्षी से 140.415 किमी. की दूरी पर समान सीमा भूखंड पर इच्छाभति नदी में पंक-निष्काषन - (गाइघाटा थानार्न्तगत बारनबेरिया से रीच तक 120.00 किमी) कार्य जिसकी अनुमानित लागत 38.23 करोड़ रुपए	38.23 करोड़	पश्चिम बंगाल

		है, की निवेश मंजूरी		
136	29/9/2010	8.8784 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से ब्लाक व थाना बामनगोला, जिला माल्दा के बीओपी टालटली में मौजा नंदी नादहा के गांव नंदी नादहा में पुनरभावा नदी के आर/बी पर तटबंध बचाव कार्य की निवेश मंजूरी।	8.8784 करोड़	पश्चिम बंगाल
137	29/9/2010	उत्तर दिनाजपुर जिले में 7.921 करोड़ रुपए की लागत से कुल 2080 मीटर की लम्बाई में भारत-बंगलादेश सीमा पर ग्वालगाछ, नंदन गाछ ओर बार गारूई बीओपी कैम्प (आर/बी) थाना इस्लामपुर (चकलागढ़ के पास) और प्रस्तावित ग्वालिनगांव बीपीओ कैम्प (आर/बी), थाना करनदिघी और बसतपुर बीओपी कैम्प के पास (एल/बी) थाना रायगंज में नागर नदी के दोनों तटों के बचाव कार्य की निवेश मंजूरी।	7.921 करोड़	पश्चिम बंगाल
138	29/9/2010	13.3032 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मालदा जिले के ब्लॉक व थाना बाभनगोला में बीओपी तलतली के पास मौजा नंदीनदहा के तलतली गांव में पुनरभावा नदी के आर/बी पर तट बचाव कार्य की निवेश मंजूरी (लंबाई 400मी. + 800मी. =1200मीटर)।	13.3032 करोड़	पश्चिम बंगाल
139	11/11/2010	माल्दा जिले में 11.0625 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1000 मी की लंबाई में ब्लाक व थाना बामनगोला अंतर्गत खूतादाहा बीओपी अंतर्गत खूतादाहा गांव में पुनरभावा नदी के आर/बी पर तट बचाव कार्य की निवेश मंजूरी।	11.0625 करोड़	पश्चिम बंगाल
140	11/11/2010	माल्दा जिले में 11.1594 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1000 मी की लंबाई में ब्लाक व थाना बामनगोला अंतर्गत बटाली बीओपी के बटाली गांव में पुनरभावा नदी के आर/बी पर तट बचाव कार्य की निवेश मंजूरी।	11.1594 करोड़	पश्चिम बंगाल
141	16/12/2010	पश्चिम बंगाल में 2988.61 करोड़ रुपए (मूल्य आधार 2008) से तिस्ता बराज परियोजना चरण-I के स्तर I के पहले चरण (संशोधित परियोजना) की निवेश की मंजूरी।	2988.61 करोड़	पश्चिम बंगाल

4.30 महिला और बाल विकास

4.30.1 योजना आयोग में महिला और बाल विकास प्रभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय के निकट सहयोग से कार्य करता है और ग्यारहवीं योजना के दस्तावेज़ में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के साथ राष्ट्र में महिलाओं और बच्चों की समग्र उत्तरजीविता, विकास, सुरक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। वर्ष 2010-11 के दौरान प्रभाग के प्रमुख कार्यकलापों को निम्न पैराग्राफों के सारांश में दिया गया है।

4.30.2 इस चर्चा की विस्तृत प्रक्रिया पूरी होने के बाद ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि मूल्यांकन के भाग के रूप में महिलाओं के लिए एजेंसी और बाल अधिकारों पर अध्याय तैयार किया गया। प्रभाग ने बारहवीं योजना दृष्टिकोण पत्र के लिए चुनौतियों के पहचान हेतु आयोजित परामर्शों में भाग लिया। वार्षिक योजना दस्तावेज 20009-10 के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण और बाल विकास के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण पर आधारित और चालू नीतियों तथा कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए, वार्षिक योजना दस्तावेज़ में शामिल करने हेतु महिला और बाल विकास पर भी अध्याय तैयार किया है।

4.30.3 प्रभाग ने महिला और बाल विकास मंत्रालय की वार्षिक योजना 2010-11 के लिए प्रस्तावों की जांच की है और वित्तीय कार्य के दौरान स्कीम-वार वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन किया है। प्रभाग ने मंत्रालय की वार्षिक योजना 2010-11 को अन्तिम रूप देने के लिए सदस्य स्तर की बैठकों हेतु पूर्व जानकारी भी तैयार की है। प्रभाग ने विभिन्न राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों की वार्षिक योजना 2010-11 को अंतिम रूप देते समय राज्य के मुख्य मंत्रियों के साथ अपनी बैठकों में उपाध्यक्ष के प्रयोग के लिए महिला और बाल से संबिंधत मुद्दों के बारे में पूर्व जानकारी तैयार की। इसके बाद प्रभाग ने प्रत्येक राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र की वार्षिक योजना 2010-11 के लिए महिला और बाल विकास क्षेत्र से संबंधित परिव्यय को अंतिम रूप देने के लिए राज्य-वार कार्यकारी समूहों की बैठकें आयोजित की।

4.30.4 प्रभाग ने संसद प्रश्नों का कार्य किया और योजना आयोग के अन्य विषय प्रभागों तथा मंत्रालयों/ विभागों को उन संसद प्रश्नों के उत्तर तैयार करने के लिए संगत सूचना प्रदान की, जो उन्हें प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार प्रभाग में अति विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त पत्रों का निपटान किया गया। प्रभाग ने आर्थिक सर्वेक्षण 2009-10, महिलाओं और बच्चों से संबंधित, संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण, प्रधान मंत्री के स्वतंत्रता दिवस पर भाषण और वित्त मंत्री के बजट भाषण आदि में शामिल करने के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान की और उपाध्यक्ष, योजना आयोग और क्षेत्रक प्रभारी सदस्य के लिए भाषण और संदेश तैयार किए।

4.30.5 प्रभाग ने योजना आयोग का प्रतिनिधित्व किया और महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित बाल वेश्यावृत्ति और महिलाओं तथा बच्चों का अवैध व्यापार संबंधी केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति के साथ चर्चा की। प्रभाग ने 2009-10 के दौरान, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लैंगिक बजटिंग पर केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों को जागरूक करने के लिए कार्यशालाओं को आयोजित करने में पहल लेने में सक्रियता से भाग लिया। प्रभाग ने राष्ट्रीय महिला कोष के शासी निकाय, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के साधारण निकाय और राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान के साधारण निकाय और कार्यकारी परिषद् के सदस्य के रूप में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व भी किया। प्रभाग ने, महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुसंधान सलाहकार समिति और 'स्ट्रैप' परियोजना की संस्वीकृति समिति में भी भाग लिया। प्रभाग ने, राष्ट्रीय बाल नीति, 1974 की समीक्षा करने के लिए

सलाहकार समूह में भाग लिया। प्रभाग ने, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लैंगिक समानता और सामाजिक बुराइयों से संघर्ष करने के लिए सरकारी कार्यक्रमों के अभिसरण और समन्वय और महिला तथा बाल विकास मंत्रालय द्वारा गठित लघु पोषण/ कुपोषण पर काबू पाने के लिए कार्रवाई हेतु उपाय सुझाने के लिए कार्यदल की बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया।

4.30.6 महिला और बाल विकास क्षेत्रक के बारे में अनुसंधान अध्ययनों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि के लिए जो प्रस्ताव समाजार्थिक अनुसंधान प्रभाग के माध्यम से प्राप्त हुए थे, उनकी जांच की गई और उन पर टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं

4.30.7 प्रभाग ने वर्ष के दौरान परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग के साथ निकट सहयोग से **सबला** के लिए ईएफसी के ज्ञापनों, किशोर बालिकाओं के सशक्तीकरण के लिए राजीव गांधी स्कीम, इसने **सबला** पर मंत्रिमंडल के लिए नोट के मसौदे का भी मूल्यांकन किया/ विश्लेषण किया और तदनुसार टिप्पणियां कीं। यह स्कीम बलात्कार की शिकार हुई महिलाओं के लिए रेस्टोरेटिव न्याय दिलाने संबंधी स्कीम संबंधी वित्तीय सहायता की जांच की और पुष्टि प्रदान की।

4.30.8 प्रभाग ने नई स्कीमों - किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी स्कीमों (सम्बला), बलात्कार की शिकार हुई महिलाओं के लिए न्याय दिलाने हेतु इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग स्कीम हेतु वित्तीय सहायता के संबंध में आंतरिक योजना आयोग और पूर्ण योजना आयोग के विचार और अनुमोदन हेतु आवश्यक जांच की और कार्य सूची के कागजात तैयार किए।

4.30.9 प्रभाग ने यौन शोषण के विरूद्ध महिलाओं का संरक्षण विधेयक 2010 पर मंत्रिमंडल नोट संबंधी टिप्पणियों को अंतिम रूप दिया।

4.30.10 प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा योजना आयोग के लिए भारत की पोषण संबंधी चुनौतियों के समाधान पर बहुपणधारी रिट्रीट आयोजित करने को अनिवार्य किया, ताकि विभिन्न पणधारियों समूहों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया जा सके। नेतृत्व दलों की डिजाइन कर उनका गठन जून, 2010 में किया गया ताकि मल्टी स्टेकहोल्डर रिट्रीट संभव हो सके, ताकि शुरूआत और डिजाइन इनसे लेकर कार्रवाई हेतु सिफारिशें की जा सके और भारत की पोषण संबंधी चुनौतियों के संबंध में प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद के सामने उन्हें संयोजित कर प्रस्तुत किया जा सके। इसे 7-8 अगस्त 2010 को योजना आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस दो दिवसीय परामर्श में 16 राज्यों से 200 से भी अधिक सहभागियों ने विमर्शों में हिस्सा लिया। और इस से विविध पणधारियों समूहों के प्रतिनिधित्व ने एक साथ मिलकर चर्चा की। प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य हैं - आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, महिला और बाल विकास मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों राज्य सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, विकास भागीदारें एकादमियों, एनजीओ(ज) पंचायती राज प्रतिनिधित्व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों, आशा कार्यकर्त्ताओं और विशेषज्ञों ने इस रिट्रीट में भाग लिया।

4.30.11 पोषण रिट्रीट की सिफारिशों में शामिल है - तीन वर्ष से कम आयु वाले महत्वपूर्ण और असुरक्षित बच्चों पर अधिक ध्यानकेन्द्रण करना,

विकेन्द्रीकरण, अधिक मांत्रा में सामुदायिक स्वामित्व सुनिश्चित करना, कार्यान्वयन में उदारता, संबंधित क्षेत्रकों और फ्लैगशिप कार्यक्रमों में विविधिकरण जैसे एनआरएचएम, समग्र स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, एमजीएनआरईजीएस, सर्व शिक्षा अभियान आदि। पोषण संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए की गई सिफारिशों को योजना आयोग के सदस्य सचिव द्वारा प्रधानमंत्री की परिषद को प्रस्तुत किया गया। प्रधानमंत्री की परिषद द्वारा किए गए निर्णयों में शामिल हैं - आइसीडीएस का सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन, उच्च बोझ वाले चुनिंदा 200 जिलों में मातृ और बाल अल्पोषण के समाधान के लिए एक बहुक्षेत्रकीय कार्यक्रम तैयार करना, राष्ट्रव्यापी सूचनाएं जारी करना, शिक्षा और संचार अभियान, विभिन्न क्षेत्रकीय कार्यक्रमों - स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, स्कूली शिक्षा, कृषि, खाद्य और सार्वजनिक वितरण आदि पर सुदृढ़ पौषणिक ध्यानकेंद्रण करना। योजना आयोग इन निर्णयों के संबंध में उत्तरोत्तर रूप् से सहायता एवं अनुपालन की समीक्षा कर रहा है, जिस में संबंधित मंत्रालयों के साथ संबंधित सदस्य द्वारा नवम्बर/दिसम्बर के पूर्व में समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती है जिसकी अध्यक्षता संबंधित सदस्य और सह-अध्यक्षता सदस्य सचिव द्वारा की जाती है।

4.30.12 प्रभाग ने "एनजैंडरिंग पब्लिक नीति " ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) तैयार करने के दौरान महिला अर्थशास्त्रीयों के कार्य समूह के कार्य की रिपोर्ट और"बाल पोषण " पर एक अध्ययन रिपोर्ट" वो प्रकाशित कीं।

4.30.13 महिला और बाल विकास क्षेत्रक के लिए फ्लैगशिप कार्यक्रम हैं : एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम (आईसीडीएस) इस क्षेत्रक के लिए फ्लैगशिप स्कीम है। एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों और के समग्र विकास और बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं और प्रसव धारण करने वाली महिलाओं की स्वास्थ्य शिक्षा और उचित पोषण के लिए यह योजना 1975 में शुरू की गइ थी इस समय 33 परियोजनाएं थी और 4891 आंगनवाड़ी केन्द्र थे। इसमें सतत रूप से नए क्षेत्रों की ओर विस्तार हो रहा है और अब भारत सरकार के साथ इसका सार्वजनीकरण हो गया है और अब तक 7676 परियोजनाओं और 14 लाख एडब्ल्यूसी(ज) को अनुमोदन दिया जा चुका है, जिसमें मांग आधार पर 20,000 आंगनवाड़ी(ज) शामिल हैं। आईसीडीएस स्कीम के सार्वजनिकरण के अलावा सरकार ने अनेक अन्य कदम उठाए हैं जैसे मौजूदा हस्तक्षेपों के वित्तीय मानदण्डों में संशोधन, जिसमें पूरक पोषणिक और पूरक पोषण के खाद्य मानदंडों में संशोधन नए डबल्यूएचओ विकास मानदंड लागू करना आदि। इसके अलावा, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2009-10 से केन्द्र और राज्यों के बीच निम्न अनुपात में लागत की हिस्सेदारी भी शुरू कर दी है।

(i) पूर्वोत्तर के लिए एसएनपी सहित सभी घटकों के लिए 90:10

(ii) पूर्वोत्तर के अलावा अन्य सभी राज्यों के लिए एसएनपी के लिए 50:50 और अन्य सभी घटकों के लिए 90:10

4.30.14 स्कीम के उत्तरोत्तर विकास के साथ ही बजटीय आवंटन भी बढ़ा है। 2010-11 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय में आईसीडीएस का आवंटन रु. 8700 करोड़ था। 2010-11 के दौरान रु. 6707 करोड़ 20.12.2010 तक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आईसीडीएस के लिए जारी किए गए। मंजूर की गइ कुल 7073 परियोजनाओं में से 30.9.2010 की स्थिति के अनुसार 6615 प्रचालन में थी, और डब्ल्यूसी(ज) की संख्या 13.67 लाख थी। 30.9.2010 की स्थिति के अनुसार 11.95 लाख एडब्ल्यूसी(ज) प्रचालन में थे। 11वीं योजना का मध्यावधि मूल्यांकन आईसीडीएस में सुधार का इच्छुक है, ताकि इसे प्रभाव प्रचालित बनाया जा सके और व्याप्ति को और न बढ़ाया जाए। अपितु गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के साथ पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

आंगनवाड़ी केन्द्रों के उचित वित्तपोषण के लिए उसे एक ऐसे भवन में बनाया जाना चाहिए जहां एक रसोई शिशु अनुकूल शौचालय, पेयजल सुविधा और बच्चों में खेलने हेतु पर्याप्त स्थल हो, बर्तन, बजन कररने की मशीन चटाई और आईएफए टेबल्स हो। प्रत्येक एडब्ल्यूसी को एक फ्लैक्सी फण्ड दिया जा रहा है, जो ग्राम समिति के प्रशासन में होता है।

4.31 प्रशासन एवं अन्य सेवाएं

4.31.1 प्रशासन

4.31.1.1 योजना आयोग का स्तर भारत के एक विभाग का स्तर है, इसलिए कार्मिक और प्रशिक्षण के नोडल विभाग के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी किए गए समस्त अनुदेश तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए विभिन्न सेवा नियमावली के तहत प्रावधान भी योजना आयोग में कार्यरत कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं। प्रशासन, सामान्यतया इन मार्गदर्शी सिद्धांतों और विभिन्न सेवा नियमों के अनुसार कार्य करता है। योजना आयोग प्रशासन, योजना आयोग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की जीवन-वृत्ति आकांक्षाओं के प्रति भी संवेदनशील रहा है और इस संबंध में समय-समय पर पर्याप्त कार्रवाई करता रहा है। इसके साथ ही प्रशासन अपनी स्टाफ संख्या को सही आकार देने की अपेक्षा की ओर भी विशेष ध्यान देता है और सिविल पदों में सीधी भर्ती के इष्टतमीकरण पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करता है। योजना आयोग ने स्नातकोत्तर/ अनुसंधान मांगों को योजना प्रक्रिया में अवगत करने के लिए एक इनटर्नशिप स्कीम भी प्रारंभ की है।

4.31.2 जीवन-वृत्ति प्रबंधन कार्यकलाप

4.31.2.1 वित्त वर्ष 2010-11 (अप्रैल से दिसम्बर) के दौरान योजना आयोग के 51 अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं/ संगोष्ठियों/ बैठकों आदि में योजना आयोग/ भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा विभिन्न देशों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजा गया। कॅरियर प्रबंधन, इस अवधि के दौरान उपाध्यक्ष के दस विदेश दौरों और योजना आयोग के सदस्यों के 24 दौरों में भी सहयोग दिया।

4.31.2.2 इस अवधि के दौरान, बीच के स्तर के 15 अधिकारयों को विदेशों में विभिन्न प्रशिक्षण/ कार्यशालाओं/ सम्मेलनों में भाग लेने के लिए भेजा गया। योजना आयोग और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के आई ई एस, आई एस एस, जी सी एस, आदि के लगभग 27 अधिकारियों को आर्थिक मामले विभाग, सांख्यिकी विभाग, आर बी आई-सी ए बी, पुणे तथा विभिन्न अन्य सरकारी और स्वायत्त संस्थानों/ संगठनों द्वारा देश में विभिन्न स्थानों पर प्रायोजित/ आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भेजा गया। इसके अलावा, सी एस एस, सी एस सी एस और सी एस एस एस के लगभग 72 अधिकारियों/ स्टाफ को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), नई दिल्ली द्वारा आयोजित अनिवार्य व अन्य विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजा गया।

4.31.2.3 उपरोक्त अवधि के दौरान, योजना आयोग ने भारतीय रेलवे विद्युतीय इंजीनियरी (आईआरएसईई), नासिक के परिवीक्षार्थियों, तंजानिया योजना आयोग के प्रतिनिधिमंडल के लिए परिचय कार्यक्रम आयोजित किया।

4.31.3 संगठन और पद्धति तथा समन्वय अनुभाग

ओ एंड एम समन्वय कार्य

4.31.3.1 वर्ष 2009-10 के दौरान सभी अनुभागों/ प्रभागों का ओ एंड एम निरीक्षण करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के सभी 15 फील्ड कार्यालयों का भी निरीक्षण करने की योजना तैयार की गई है।

4.31.3.2 निम्नलिखित गतिविधियां भी शुरू की गई

- योजना मंत्रालय की अनुदान मांगों के संबंध में वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का समन्वय और संकलन।
- योजना आयोग और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन में वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन।
- विभिन्न आवधिक विवरणियों का मंत्रिमंडल सचिवालय, संघ लोक सेवा आयोग/ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग आदि के लिए संकलन/ समेकन और प्रस्तुतीकरण।

लोक/ स्टाफ शिकायत समाधान तंत्र

4.31.3.3 योजना आयोग अपने दिन-प्रतिदिन के कामकाज में जनता के साथ कोई पारस्परिक संवाद नहीं करता है। फिर भी, आयोग ने जनता की ओर से कर्मचारियों की शिकायतों से निपटने के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार एक शिकायत समाधान तंत्र की स्थापना की है। परामर्शदाता (प्रशासन) शिकायत निदेशक के रूप में कार्य करता है और उसकी सहायता निदेशक/ उप सचिव के स्तर के तीन स्टाफ शिकायत अधिकारी करते हैं। स्टाफ की शिकायतों से निपटने वाले अधिकारयों के पास कर्मचारी जा सकते हैं, जो उनकी शिकायतों को सुनते हैं और ऐसी शिकायतें तत्काल दूर की जाती हैं।

4.31.4 हिन्दी अनुभाग

4.31.4.1 हिन्दी अनुभाग द्वारा वार्षिक योजना 2009-10, ग्यारहवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन तथा राष्ट्रीय विकास परिषद की कार्यसूची, कार्यवृत्त एवं संबंधित सामग्री के अनुवाद का पर्यवेक्षण एवं संपादन किया गया ।

4.31.4.2 योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों/ अनुभागों से राजभाषा अधिनियम 1963 अनुच्छेद 3(3) के तहत प्राप्त दस्तावेजों/ कागज़ातों का हिन्दी अनुवाद भी किया । इसके अलावा अनुभाग द्वारा संसदीय आश्वासनों, प्रश्नों, स्थायी समिति से संबंधित सामग्री, अनुदान मांगों, वार्षिक रिपोर्ट, मंत्रिमंडलीय नोट, नयाचार एवं अन्य समझौता ज्ञापनों, परिपत्रों और प्रारूपों आदि का अनुवाद भी किया ।

4.31.4.3 योजना आयोग के अधीनस्थ कार्यालयों और प्रभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति हिन्दी रिपोर्टों और वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा करते हुए संकलन करके उसकी रिपोर्ट राजभाषा विभाग को भेजी गई ।

4.31.4.4 योजना आयोग एवं अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रेरित किया गया । हिन्दी अनुभाग द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए 3 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गईं एवं उनकी हिन्दी में काम करने की झिझक को दूर करते हुए सरकारी कार्य हिन्दी में करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया गया ।

4.31.4.5 योजना आयोग में विभिन्न प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग को त्वरित गति प्रदान करने के लिए प्रयास किए गए तथा क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय मुम्बई और चैन्ने तथा पीईओ भुवनेश्वर में राजभाषा निरीक्षण किया गया ।

4.31.4.6 हिन्दी भाषा, हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाओं के सदुपयोग के लिए जोर दिया गया। योजना आयोग के कम्पयूटरों से हिन्दी में ई-मेल एवं अन्य सरकारी सूचनाएं भी प्रेषित की गईं ।

4.31.4.7 योजना आयोग में "कौटिल्य पुरस्कार योजना" भी लागू की गई है ताकि मूल रूप से हिन्दी टिप्पण व आलेखन को बढ़ावा दिया जा सके तथा योजना आयोग के तकनीकी विषयों के संबंध में स्तरीय हिन्दी को बढ़ावा दिया जा सके।

4.31.4.8 "हिन्दी दिवस" के अवसर पर 14 सितम्बर को माननीय गृहमंत्री एवं मंत्रिमंडलीय सचिव के संदेशों को सभी अनुभागों एवं योजना आयोग के अधीनस्थ कार्यालयों में परिचालित किया गया तथा राजभाषा नीति, अधिनियम एवं अन्य प्रावधानों के बारे में जानकारी को सुदृढ़ करने के लिए एक राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया ।

4.31.4.9 योजना आयोग एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में उत्साह के साथ 14-28 सितम्बर, 2010 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया । इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे हिन्दी टंकण, हिन्दी निबंध, हिन्दी टिप्पण व आलेखन, हिन्दी वाद-विवाद आदि का सफल आयोजन किया गया । प्रतियोगिताओं में विजयी रहे कार्मिकों को माननीय योजना राज्य मंत्री द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले कर्मचारियों को भी सांत्वना पुरस्कार दिए गए ।

4.31.5 पुस्तकालय और प्रलेखन केन्द्र

4.31.5.1 योजना आयोग का पुस्तकालय योजना आयोग के सभी स्टाफ सदस्यों, योजना भवन में स्थित कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, ई ए पी, पश्चिमी घाट सचिवालय, यू आई डी और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के स्टाफ को संदर्भ सेवा और पुस्तकें प्रदान करने की सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। इसने भारत सरकार के लगभग सभी पुस्तकालयों को अंतः पुस्तकालय ऋण सेवाएं भी मुहैया की हैं। अन्य विभागों के अधिकारयों तथा संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में पंजीकृत शोधकर्ताओं को परिसर के भीतर परामर्श सुविधा प्रदान की गई।

4.31.5.2 पुस्तकालय ने अपने लगभग सभी क्रियाकलापों का कंप्यूटरीकरण कर दिया। इन क्रियाकलापों के लिए अब एक पुस्तकालय आटोमेशन साफ्टवेयर यथा लिबसिस प्राइमा 5.7.2 का प्रयोग किया जा रहा है। पुस्तकालय में इंटरनेट सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके जरिए आयोग के अधिकारियों को सूचना प्रदान की जाती है।

4.31.5.3 पुस्तकालय अपने प्रकाशन भी निकाल रहा है, जैसे कि (i) **डाकप्लानः** पुस्तकालय में प्राप्त होने वाली चुनी हुई पत्रिकाओं से निकाले गए/ चुने हुए लेखों की मासिक सूची; (ii) नई पुस्तकों की सूचीः पुस्तकालय में शामिल की गई पुस्तकों की सूची; (iii) पुस्तकालय द्वारा मंगाई जा रही पत्र/ पत्रिकाओं की एक सूची। पुस्तकालय ने योजना आयोग के अधिकारयों की मांग पर ग्रंथसूची भी उपलब्ध कराई।

4.31.5.4 रिपोर्टाधीन अवधि में पुस्तकालय के संग्रह में अंग्रेजी की 550 और हिंदी की 17 पुस्तकें जोड़ी गई हैं। इसके अतिरिक्त, पुस्तकालय में 180 पत्रिकाएं प्राप्त हुई। पुस्तकालय ने संदर्भ संबंधी लगभग 5000 प्रश्नों के उत्तर में जानकारी प्रदान की और प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया। लगभग 6,000 पाठक पुस्तकालय में परामर्श और संदर्भ कार्य के लिए आए।

4.31.6 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र - योजना भवन यूनिट - योजना आयोग

4.31.6.1 अधिकांश सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आधारित हार्डवेयर, साफ्टवेयर, भंडारण/बैक-अप सेवाएं, नेटवर्क संबंधी अवसंरचनात्मक आवश्यकताएं, वीडियो कान्फ्रेंसिंग संबंधित अवसंरचना, वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) और डाटाबेस विकास/सॉफ्टवेयर संबंधी सभी जरूरतें, योजना आयोग के विभिन्न विभागों से संबंधित है।

आधारित संरचना का सचिवालय (एस ओ आई) नवप्रवर्त्तन और अवसंरचना सूचना पर प्रधान मंत्री के सलाहकार एवं आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी), भारतीय अनन्य पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का संबंधित कार्य भी राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा भी की जाती है। योजना भवन की एकक योजना आयोग में ही स्थित है। चालू वित्त वर्ष 2010-11 में दिसम्बर, 2010 तक की उपलब्धियों निम्न प्रकार सूचीबद्ध हैं :

I. अवसंरचना विकास

(i) **हार्डवेयरः** हार्डवेयर की जरूरी कम्प्यूटर आवश्यकता और एन आई सी एन ई टी (इंटरानेट और इंटरनेट संबंधी नेटवर्क) का समर्थन योजना आयोग, आधारित संरचना का सचिवालय (एस ओ आई) और प्रधान मंत्री की आर्थिक परामर्शदात्री परिषद् को प्रदान किया जाता है। नई प्राप्तियों को न्यूनतम 4जीबी रैम, 17"/19" टी एफ टी प्रदर्शन प्रणाली और डी वी डी राइटर के साथ नवीनतम पी-IV कोर-2 डुओ प्रणाली के अनुरूप मानकीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय के मार्गनिर्देशों के अनुसार उप सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए नवीनतम खाका वाली नोटबुक उन अधिकारियों को भी दी जा रही है, जिनके कार्य को प्रभाग के प्रमुख ने उचित ठहराया है और जिन्हें सचिव, योजना आयोग से अनुमोदन मिला है।

(ii) **लैनः** स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (लैन) को पी जी सी आई एल 34 एम बी पी एस आप्टिकल फाइबर संपर्क और 34 एम बी पी एस फाइबर लिंक से लोड बैलेंसिंग के साथ एनआईसीईटी और इंटरनेट जोड़ा गया है। पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड (पी जी सी एल) की मौजूदा पट्टाशुदा लाइन को योजना भवन प्रयोक्ताओं के लिए एड-आन 34 एमबीपीएस एमटीएनएल अतिरिक्त फाइबर कनेक्टिविटी के साथ 10 एमबीपीएस से 34 एमबीपीएस के रूप में स्तरोन्नत कर दिया गया है। एल सी से आर सी पैच कोडों के माध्यम से सभी स्विचों को आप्टिकल फाइबर संयोज्यता से जोड़कर आंतरिक लैन का भी स्तरोन्नयन कर दिया गया है। आंतरिक नेटवर्किंग को वीएलएएनएस के माध्यम से स्तरोन्नयन कर दिया गया है और प्राक्सी नए ले आउट के अनुसार अधिक तेज और सुरक्षित नेटवर्क संयोज्यता सहित पुनः संरूपित कर दी गई है और सभी एनआईसी कार्यस्थलों पर इस समय योजना आयोग के एल 2 स्वीचों का प्रबंध किया गया है। इस समय योजना आयोग के इंटरनेट नेटवर्क अवसंरचना में लगभग 650 ग्राहक, विभिन्न सर्वर और नेटवर्क प्रिंटर हैं।

(iii) **'वीलैन' कार्यान्वयनः** प्रत्येक तल पर बेहतर, तेज ओर सुरक्षित नेटवर्क के लिए 'वीलैन' को योजना भवन में कार्यान्वित कर दिया गया है तथा सभी कंप्यूटरों को एक नेटवर्क नेबरहुड में एकीकृत करने के वास्ते उसके लिए 'वीलैन' पर एक वेब-आधारित नेटशेयर अनुप्रयोग विकसित किया गया है ताकि फाइलों/ फोल्डरों का आदान-प्रदान किया जा सके; स्पैम/ वायरस आक्रमण को रोकने तथा इसे एक सुरक्षित नेटवर्क बनाने के लिए प्रत्येक मंजिल पर अप्रयुक्त पोर्टों को निष्क्रिय कर दिया गया।

(iv) **वाई फाई समर्थित वायरलैस इंटरनेट एक्सेस नेटवर्क कनेक्टिविटीः** पहले चरण में, 'वीलैन' 4400 सीरीज़ नियंत्रक के माध्यम से 'सिस्को' प्रबंधित एक्सेस पाइंटों के जरिए विज्ञान भवन में पहली और दूसरी मंजिल के प्रयोक्ताओं के लिए एक कुशल

आधुनिकतम तीव्र और सुरक्षित 'वाई फाई' समर्थित वायरलैस इंटरनेट एक्सेस नेटवर्क स्थापित किया गया है, जिससे कि सभी वरिष्ठ अधिकारी बैठकों में भाग लेते समय अपने लैपटाप पर डाटा आसानी से प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही, पहली और दूसरी मंजिल पर सभी समिति कक्ष पूर्णतः 'वाई फाई' हैं। इस कंट्रोलर का यह लाभ है कि इन एक्सेस पाइंटों का प्रबंधन किसी भी निश्चित पूर्व-परिभाषित पाइंट से किया जा सकता है, जहां इसे नेटवर्क पर दूरस्थ वायरलैस के जरिए कायम किया जा सकता है। एलएपी सिस्को यूनिफाइड वायरलैस नेटवर्क आर्किटेक्चर का भाग है। सम्पर्कता के लिए किसी को भी मैक एड्रैस से जुड़ना होता है, सुरक्षित उपभोक्ता आईडी/पासवर्ड प्राप्त करना होता है और तब ही उसे नैटवर्क से सम्पर्कता मिल सकती है। इसके साथ, उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री, सदस्यों, सभी प्रधान सलाहकारों/ वरिष्ठ सलाहकारों, सलाहकारों के चेंबर और पहली व दूसरी मंजिल पर समिति कक्ष पूर्णतः 'वाई फाई' समर्थित हैं।

(v) **'निकनेट' के साथ वीपीएन (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क) संयोज्यता का सुदृढ़ीकरणः** वी पी एन पर फाइल अंतरण प्रोटोकाल (एफ टी पी) का प्रयोग करके योजना आयोग के प्रशासनिक नियंत्रण में वेबसाइटों के स्थानीय रूप से दूरस्थ अपडेशन के लिए वी पी एन (विशुद्धतः निजी नेटवर्क) संयोज्यता भी स्थापित कर दी गई है।

(vi) **'निकनेट' पर डेस्कटाप 'एक्जीक्यूटिव वीडियो कान्फ्रेंसिंग सिस्टम' (ई वी सी एस) की स्थापना करना - एनआईसी की एक ई-शासन पहल**

भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों में आयोजित की जा रही ई-शासन पहल को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करती है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी नूतनताओं और इनके कार्यान्वयन से हमारे दिन-प्रतिदिन के कार्यों के निष्पादन की विधियों में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। यह प्रौद्योगिकी वीडियो कान्फ्रेंसिंग जैसे विकल्पों की व्यवस्था करके यात्राओं की जरूरत का स्थान ले रही है। तुरन्त निर्णय लेने को सुगम बनाने के लिए राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के सभी मुख्य सचिवों/ प्रशासकों तथा भारत सरकार के सभी सचिवों के डेस्कों पर कार्यकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग सिस्टम (ई वी सी एस) स्थापित करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त के अनुसार, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के 35 मुख्य सचिवों/ प्रशासकों और भारत सरकार के 97 सचिवों के डेस्कों पर 'निकनेट' पर कार्यकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग पद्धति (ई वी सी एस) पहले ही स्थापित कर दी गई है जिससे कि अंतरमंत्रालयी परामर्शों और तुरन्त निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न न हो। ई वी सी एस से जुड़े किसी भी व्यक्ति द्वारा पाइंट से पाइंट तक वीडियो कान्फ्रेंसिंग शुरू की जा सकती है और एनआईसी, दिल्ली के माध्यम से बहु-पाइंट वीडियो कान्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की जा रही है।

वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रौद्योगिकी अब सम्मेलन कक्षों से बाहर आ गई है। यहां यह पारंपरिक रूप से सीमित थी। इसका श्रेय वीडियो कान्फ्रेंसिंग उपस्करों की औसत कीमत में भारी कटौती और नेटवर्क ढांचे और बैंडविड्थ क्षमताओं में कुल मिलाकर हुए सुधार को जाता है। 'निकनेट' नामक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के विद्यमान आई पी आधारित नेटवर्क ढांचे का उपयोग,

उत्तम कोटि की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए आवश्यक उच्च गति बैंडविड्थ (2 एम बी पी एस) की व्यवस्था करने के लिए किया गया है।

प्रमुख तकनीकी चुनौती एक ही वर्चुअल बैठक में पूरी नेटवर्क विश्वसनीयता के साथ और यह सुनिश्चित करते हुए ई वी सी एस नेट पर संचार सुरक्षित है, सभी राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 35 मुख्य सचिवों/ प्रशासकों को जोड़ने की है। एक अन्य तकनीकी चुनौती 'निकनेट' पर सेवा की कोटि कार्यान्वित करने की है, जो आईपी नेटवर्क पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग जैसे रियल टाइम अनुप्रयोगों पर अमल करने के लिए बहुत जरूरी है।

संचार के लिए कम लागत वाले निकनैट से एनआईसी योजना भवन एकक ने उसे कार्यान्वित करने की पहल की है ताकि शीर्षस्थ अधिकारी आईपी पर संचार की बेहतर प्रणाली का उपयोग कर सकें, उपयोग के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रदर्शन भी किया गया है। यह परियोजना मौजूदा आईपी आधारित नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्यान्वित की है। संचार के लिए निकनैट की लागत भी कम पड़ती है। कलेन्डर वर्ष के दौरान उपाध्यक्ष योजना आयोग, सदस्य और सदस्य सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की विडिया कांफ्रेंसिंग कराई और इस सेवा व्यापक स्तर पर उपयोग किया जा रहा है। वामपंथी जिलों, सुनामी पुनर्वास, अन्य मामलों के संबंध में अनेक अवसरों पर राज्यों के मुख्य सचिवों से मल्टि कांफ्रेंसिंग कराई गई। ईवीसीएस की अत्यधिक सफलता को देखते हुए यही विषय मंत्रिमंडल सचिव के निदेश पर सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) तक निकनेट के माध्यम से सफलता के साथ पहुँचाई गई और वे भी सुरक्षित वातावरण में इसका उपयोग कर रहे हैं।

(vii) **इंटरनेट और मेल सुविधाः** इंटरनेट और ई-मेल की सुविधाओं के लिए समर्थन योजना आयोग, अवस्थापना सचिवालय (एसओआई), ई ए सी, अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आई ए एम आर), नरेला और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सभी अधिकारियों को दिया गया है। योजना आयोग के मेल खातों का अद्यतन और नियमित अनुरक्षण किया जाना जारी है। संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों को निकनेट टेलीकंप्यूटिंग प्रोग्राम के अंतर्गत उनके निवास स्थान पर कंप्यूटर प्रणालियां अर्थात डेस्कटाप/ लैपटाप तथा ब्राड बैंड संयोज्यता प्रदान कर दी गई है।

(viii) प्रणाली संचालन : मौजूदा प्राक्सी सर्वर को अधुनातन आई एस ए 2004 सर्वर के साथ स्तरोन्नत कर दिया गया है। सभी सर्वरों अर्थात प्राक्सी सर्वर, डाटाबेस सर्वर, पीसी सर्वर, एंटी वायरस और पैच मैनेजमेंट सर्वर का संचालन किया गया तथा वह चल रहा है। सर्वरों के बचाव और सुरक्षा के लिए समय-समय पर सभी सर्वरों के लिए आधुनिक सेवा पैक, सिक्युरिटी पैच तथा एंटी वायरस अपडेट्स स्थापित किए गए हैं।

(ix) **प्रयोक्ता सहयोगः** योजना आयोग के प्रयोक्ताओं को तथा विज्ञान भवन में प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति (ई ए सी) को, जब कभी आवश्यक होता है,

तकनीकी सहयोग (हार्डवेयर/ साफ्टवेयर की सेवाएं प्रदान की जाती हैं जैसे कि एंटीवायरस पैकेज, इंटरनेट और नेटवर्क संयोज्यता के लिए प्रयोक्ता की मशीन का समरूपण, ई-मेल आदि जैसे विभिन्न साफ्टवेयरों की स्थापना) प्रदान किया जाता है । प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में विज्ञान भवन में आयोजित आधारभूत ढांचे संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन और 2010-11 के दौरान विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक और हाल ही में पूर्ण योजना आयोग की पिछली बैठक में आवश्यक सहायता प्रदान की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद् की सभी बैठकों में उद्घाटन और समापन भाषण के सत्र का एन आई सी द्वारा इंटरनेट पर सजीव वेबकास्ट भी किया गया जिससे किसी भौतिक अथवा भौगोलिक सीमाओं के बिना यह राष्ट्रीय घटना विश्व के सभी कोनों में पहुंच सके।

(x) **सेंट्रलाज्ड एंटी वायरस साल्यूशनः** योजना भवन, ई ए सी और एन के सी में ट्रेंड माइक्रो - आफिस स्केन इंटरप्राइज एडीशन साफ्टवेयर वर्जन 9.205.1002 के साथ एंटी-वायरस सोल्यूशन हेतु एक अद्यतन सेंट्रलाइज सर्वर स्थापित किया गया है। नेटवर्क में वर्म्स को फैलने से रोकने के लिए योजना आयोग में एक **पेच मैनेजमेंट** सर्वर भी स्थापित कर दिया गया है। सर्वर और ग्राहकों पर एंटी-वायरस और पैचेज का नियमित अद्यतनीकरण/ स्तरोन्नयन किया गया है। रोजमर्रा के आधार पर संक्रमित मशीन पर निगरानी रखी गई है तथा वायरस की समय-समय पर सफाई की गई है।

(xi) **योजना आयोग में 'योजना के लिए मल्टी लेयर जी आई एस (ज्योग्राफिकल इंफारमेशन सिस्टम) हेतु स्पेटिअल डाटा इनफ्रास्ट्रक्चर' के लिए आधारित ढांचे की स्थापना :** योजना आयोग में स्थित एन आई सी यूनिट जी आई सी के क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक सहायता दे रहा है। : *एन आई सी - योजना भवन यूनिट, योजना आयोग ने योजना आयोग के सभी अधिकारियों के लिए वीडयो-वॉल पर राष्ट्रीय जी आई एस पोर्टल को दिखाने की भी व्यवस्था की। योजना भवन में आयोजित वार्षिक योजना पर चर्चा के दौरान राज्यों के मुख्य मंत्रियों को जी आई एस के क्रियाकलाप भी दिखाए गए।* उल्लेखनीय है कि योजना आयोग ने दो जी आई एस परियोजनाएं शुरू की हैं, अर्थात

(क) स्पेशिअल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मल्टी-लेयर जी आई एस फॉर प्लानिंग (राष्ट्रीय जी आई एस)।

(ख) कंप्यूटर एडिड डिजिटल मैपिंग ऑफ सिक्स मेगा सिटीज।

इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा आयोजित किया जाता है। उपरोक्त प्रोजेक्ट 'नेशनल जी आइ एस वेब पोर्टल' के रूप में 'फ्रेमवर्क सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर' सृजित करने में समर्थ है जिससे बहु-स्रोतों से डाटा की हिस्सेदारी और लोवरएज के स्थान का लाभ उठाने में सुविधा मिलती है। विशिष्ट जी आई एस सेवाएं, जिनसे योजना और ई-शासन प्रोसेस में सम्मिलित विभिन्न पणधारियों (स्टेकहोल्डर्स) की जरूरत के अनुसार और अधिक प्रथागत बनाया जा सकता है।

II. वेब आधारित एम आई एस और डाटाबेस

1. केन्द्रीय योजना मानिटरिंग सूचना पद्धति (सी पी एल ए एन - एम आई एस)

यह एक वेब-आधारित सूचना पद्धति है जिसे योजना आयोग द्वारा एन आई सी योजना भवन यूनिट को विकास के लिए सौंपा गया है जिससे कि सभी मंत्रालयों/ विभागों द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक और केन्द्र प्रायोजित योजना और ग्यारहवीं योजना की चर्चा के लिए आनलाइन डाटा प्रविष्टि/ अद्यतन बनाने का काम किया जा सके। यह अनुप्रयोग आंकड़े लेने और सूचना को ऑनलाइन अद्यतन करने के लिए प्रचालनरत है। लगभग 70 मंत्रालयों/विभागों के प्रयोक्ताओं का सृजन किया गया है। सभी मंत्रालय/विभाग वित्त वर्ष 2010-11 के लिए इस पैकेज के माध्यम से जीबीएस के आंकड़ों को ऑनलाइन अद्यतन कर रहे हैं। परिणामी बजट 2010-11 के अनुसार परिव्यय और परिणाम/लक्ष्य (2010-11) का विवरण और अद्यतन वार्षिक उपलब्धि, विशेष रूप से देशज संसाधनों द्वारा अथवा विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित करने के लिए परियोजनाओं/ कार्यक्रम, जो स्कीम समाप्त कर दी गई है अथवा जिन्हें मिला दिया गया है, आदि का ब्योरा इस एम आई एस के जरिए सृजित किया जाएगा। इसके लिए एक वेब-आधारित एम आइ एस डिजाइन और विकसित की गई है अर्थात यू आर एल - http://pcserver.nic.in/cplan

इसे चालू वार्षिक योजना (2011-12) पर चर्चा के लिए योजना आयोग की आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया गया। प्रस्ताव, जिसमें विभिन्न स्कीमों/ कार्यक्रमों के लिए योजना व्यय दिया गया है, बाहरी और घरेलू संसाधन घटक दिए गए हैं, 11वीं योजना के लिए आंतरिक और बाहरी बजटीय संसाधन का पी एस ई-वार प्राक्कलन दिया गया है, को प्रस्तुत करने के लिए इनपुट प्रोफार्मा को 08 परिशिष्टों (12 फारमेट) में मानकीकृत किया गया है। विकास शीर्ष-वार योजना परिव्यय आदि साइट में उपलब्ध किया गया है जिससे प्रयोक्ता फारमेट को डाउनलोड कर सकें और सभी 12 प्रोफार्मा के लिए ऑनलाइन डाटा प्रविष्टि कर सकें/ माड्यूल को अद्यतन बना सकें। सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग में निम्नलिखित सुविधाएं हैं:

- प्रमाणीकरण के साथ पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है। तीन प्रकार के प्रयोक्ता हैं, प्रशासन जो प्रयोक्ता का प्रोफाइल, मंत्रालय/ विभाग के लिए मास्टर सारिणी बनाता है अथवा गलत प्रविष्टि को लोप करता है; योजना आयोग का प्रयोक्ता जो विभिन्न मंत्रालय/ प्रभाग का काम देखता है, वह विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों द्वारा भरी गई सूचना की स्थिति को देखता है। 66 मंत्रालय/ विभाग स्तर के प्रयोक्ता ऑनलाइन सूचना को अद्यतन करते हैं।
- तीन विभिन्न किस्म के प्रयोक्ता उपकरण होते हैं, जो प्रयोक्ता-आई डी के विशेषाधिकार पर निर्भर हैं।
- इस पद्धति के एक्सेल टेबुलर फार्म में सभी परिशिष्टों को डाउनलोड करने की सुविधा है। बाद में डाटा का एक्सेल फारमेट में अपलोड किया जा सकता है अथवा डाटाबेस में आनलाइन प्रविष्टि/ सीधे अद्यतन

माड्यूल, अर्थात ऑनलाइन अद्यतन का प्रयोग किया जाता है।

- योजना आयोग के लिए मंत्रालय और विभाग-वार प्रश्न/रिपोर्ट, तिथि और समय-वार अद्यतन स्थिति रिपोर्ट भी उपलब्ध है।

इनपुट के लिए अनुप्रयोग पहले ही कार्यरत है और आनलाइन सूचना को अद्यतन किया जा रहा है। 71 मंत्रालयों/ विभागों के डाटा वार्षिक योजना 2011-12 के लिए अद्यतन कर लिए गए हैं। 31 दिसम्बर, 2009 तक लगभग 42 मंत्रालयों/ विभागों ने 2011-12 की वार्षिक योजना के लिए इनपुट से एम आई एस को अद्यतन कर दिया गया है।

2. वामपंथी उग्रवादी जिलों के लिए निगरानी सूचना पद्धति (एम आई एस-एल डब्ल्यू ई डी)

वामपंथी उग्रवादी जिलों के लिए निगरानी सूचना पद्धति (एम आई एस) वेब-आधारित अनुप्रयोग है जिससे विभिन्न कार्यक्रमों की आनलाइन निगरानी रखने की सुविधा मिलती है। यह उल्लेखनीय है कि वामपंथी उग्रवाद (एल डब्ल्यू ई) पर एक कार्यबल मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में 12 फरवरी, 2008 को गठित हुआ था, जिसका उद्देश्य अधिक व्यापक तरीके से नक्सल समस्या से निबटने के लिए विकास और सुरक्षा के समन्वित प्रयासों को बढ़ावा देना है। योजना आयोग वामपंथी उग्रवाद से पीड़ित 33 जिलों के लिए एकीकृत कार्यवाही को तेजी से अंतिम रूप दे रहा है। कार्यबल द्वारा निम्न क्षेत्रों की पहचान की गई है:

(i) सड़क मार्ग संपर्क
(ii) शिक्षा
(iii) स्वास्थ्य
(iv) विद्युतीकरण
(v) स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए, 10 अन्य क्षेत्रों की पहचान की गई।

उपरोक्त क्षेत्र (v) के संबंध में जिलों ने पेय जल आपूर्ति, आंगनवाड़ी केन्द्र, पुलिस के लिए स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण और जिला/ ब्लॉक स्तर पर स्टाफ के लिए आवास, पंचायत भवनों का निर्माण आदि से संबंधित परियोजनाओं/ निर्माण कार्य की पहचान की है। निगरानी सूचना पद्धति को मासिक प्रगति के लिए आवधिक अद्यतन किया जाता है।

इस पद्धति का अध्ययन किया गया है और अनुप्रयोग की डिजाइनिंग पर काम हो रहा है और इसे दो महीने में कार्यान्वित किया जाएगा। वामपंथी उग्रवाद वाले 33 जिलों के लिए क्षेत्रक स्कीमों पर निगरानी रखने के लिए एम आई एस एक पोर्टल विकसित किया गया है और उसे क्रियान्वित किया गया है। यह पद्धति मासिक आधार पर निगरानी रखने के लिए अत्यधिक निगरानी आवश्यकता हेतु पहचाने गए 12 क्षेत्रकों के संबंध में जिला-वार भौतिक और वित्तीय प्रगति को बताती है। आनलाइन पर http://pcserver.nic.in/Iwe से एम आई एस पोर्टल को देखा जा सकता है।

एम आई एस को इन 33 जिलों से संबंधित जनगणना 2001 जनांकिकीय और सुविधाएं डाटाबेस से संबद्ध करने से अधिक व्यापक भी बनाया गया है। यह पद्धति वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में नौ तरह की मूल सुविधाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय जल, संचार, मनोरंजन की सुविधाएं, बैंकिंग, डाक-तार और टेलीफोन, बिजली की

सप्लाई और संपर्क सुविधा से संबंधित जिला और गांव स्तर पर जानकारी 35 वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों में प्रदान करती है।

3. व्यय वित समिति को मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत परियोजनाओं की निगरानी - (एम आई एस-ई एफ सी)

परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन प्रभाग (पी ए एम डी), योजना आयोग केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं और स्कीमों को सरकारी विनिवेश बोर्ड अथवा व्यय वित्त समिति द्वारा निवेश के लिए अनुमोदन/ निर्णय जो परियोजना के आकार और लागत पर निर्भर होती है, के लिए विचार करने से पूर्व विषय प्रभाग के परामर्श पर मूल्यांकन करता है। इस समय यह प्रभाग केन्द्रीय क्षेत्र की 25 करोड़ रुपए या इससे अधिक की लागत वाली सभी परियोजनाओं/ स्कीमों का मूल्यांकन करता है। पी ए एम डी द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकन में मोटे तौर पर विभिन्न पहलू होते हैं, जैसे आवश्यकता और औचित्य, योजना के साथ संपर्क, मांग आपूर्ति, तकनीकी व्यवहार्यता, परियोजना प्राधिकारियों की संगठनात्मक, प्रबंधकीय और वित्तीय क्षमता, लागत प्राक्कलन पर विश्वसनीयता, परियोजना/ स्कीमों की वित्तीय और आर्थिक लाभप्रदाता।

ई एफ सी/ पी आई बी के लिए वेब-आधारित प्रबंधन सूचना पद्धति विकसित की गई है जिससे जारी मूल्यांकन नेट की स्थिति का पता चल सकता है और जो ई एफ सी/ पी आई बी के पास मूल्यांकन के लिए लंबित है, केंद्रीय क्षेत्र की कितनी परियोजनाएं और स्कीम प्रौद्योगिकी - आर्थिक मूल्यांकन के लिए लंबित हैं और सरकारी क्षेत्र की कितनी बृहत परियोजनाओं और कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाना है ताकि सरकार उन पर निवेश के बारे में निर्णय ले सके। जनवरी, 2008 से जारी किए गए मूल्यांकन नोट के बारे में जानकारी अपलोड की गई है और ई एफ सी/ पी आई बी के पास अभी कितने लंबित हैं, इसे भी अपलोड किया गया है। इस पद्धति में दो क्षेत्र जनता और प्रशासक हैं। जनता का क्षेत्र रिपोर्ट को देखना है और प्रशासक का क्षेत्र रिकार्ड की प्रविष्टि करनी है, उसे अद्यतन करना है, लोप करना है और उसे वापस लाना है। यू आर एल का http://pcserver.nic.in/efc का प्रयोग करके पद्धति को देखा जा सकता है। मूल्यांकन नोट के लिए जारी इनपुट और ई एफ सी/ पी आई बी के पास लंबित प्रस्ताव भी अद्यतन है। परियोजना का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है और उसमें मंत्रिमंडल, सी सी ई ए और अवस्थापना संबंधी समिति आदि से संबंधित परियोजनाओं को शामिल किया गया है।

4. पकाया हुआ मध्याह्न भोजन (सी एम डी एम) : एक मूल्यांकन अध्ययन - वेब आधारित आंकड़ा विश्लेषण प्रणाली

पकाया हुआ मध्याह्न भोजन स्कीम के कार्यान्वयन के मूल्यांकन हेतु एक सर्वेक्षण कराया गया है और पूर्व परिभाषित 10 फारमेट्स के जरिए राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव के विभिन्न स्तरों पर लाभार्थियों को ध्यान में रख कर विभिन्न विषयों, जैसे

- निधि प्रवाह और उपयोग
- खाद्यान्न उपयोग
- लाभार्थी ब्योरा आदि

के बारे में आंकड़े एकत्र किए गए हैं। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी ई ओ),

योजना आयोग द्वारा स्कीम के लिए मूल्यांकन रिपोर्टें तैयार करने में की मदद के लिए यह परियोजना तैयार की गई है। वेब आधारित पकाया हुआ मध्याह्न भोजन प्रणाली के लिए आंकड़ा विश्लेषण प्रणाली (डाटा एनेलेसिस सिस्टम फॉर सी एम डी एम) को ग्राम शेड्यूल के लिए तैयार किया गया है। आंकड़े और इनपुट शेड्यूल आने पर इस प्रणाली का उपयोग कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी ई ओ) की आवश्यकतानुसार मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने हेतु किया जाता है।

5. ग्रामीण सड़कों संबंधी मूल्यांकन अध्ययन के लिए आंकड़ा विश्लेषण प्रणाली - भारत निर्माण फ्लैगशिप कार्यक्रम का एक घटक

भारत निर्माण के ग्रामीण सड़क घटक के कार्यान्वयन की सफलता का अनुमान लगाने और उस कार्यान्वयन में बाधाओं, आदि, यदि कोई हों, का पता लगाने के लिए योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा देशव्यापी सर्वेक्षण किया गया है।

विभिन्न विषयों जैसे वित्तीय कार्य-निष्पादन, और नई संयोज्यता, बस्तियां क्षेत्र विस्तार, लम्बाई, क्षेत्र का विस्तार, गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र का स्तर और प्रभाविकता, पूर्व पारिभाषित सात शेड्यूल जैसे राज्य, जिला, ब्लॉक, सड़क, बस्ती, लाभार्थी और फोकस समूह के जरिए विभिन्न स्तर पर लाभार्थी ब्योरा आदि के वास्तविक कार्य-निष्पादन के आंकड़े एकत्र किए गए हैं।

एकत्रित आंकड़ों का डाटाबेस बनाने और उन आंकड़ों के कम्प्यूटरीकृत विश्लेषण के बारे में संबंधित प्रभाग के अनुरोध पर ग्रामीण सड़क मूल्यांकन संबंधी वेब-आधारित आंकड़ा विश्लेषण प्रणाली के अध्ययन का प्रस्ताव किया गया है और प्रणाली के विकास हेतु आरंभिक चर्चा कर ली गई है। इस मूल्यांकन अध्ययन के लिए वर्ष 2009 में निम्नलिखित कार्य किए गए:

- लाभार्थी शेड्यूल के डेटाबेस डिजाइन का काम पूरा हो गया।
- बस्ती (हेबीटेशन) शेड्यूल का डाटाबेस डिजाइन का काम पूरा हो गया और साफ्टवेयर तैयार करने का काम चल रहा है।
- ब्लॉक स्तर शेड्यूल डाटा से रिपोर्टें तैयार करने हेतु साफ्टवेयर का काम पूरा हो गया। साफ्टवेयर के परीक्षण चल रहे हैं।
- राज्य और जिला स्तर शेड्यूल आंकड़ों से रिपोर्टें तैयार करने हेतु साफ्टवेयर विकसित करने का काम चल रहा है।
- ब्लॉक और बस्ती (हेबीटेशन) स्तर पर रिपोर्टों में पी ई ओ की आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने हेतु साफ्टवेयर में परिवर्तन कर लिया गया है।

6. समग्र स्वच्छता अभियान (टीएससी)- फ्लैगशिप कार्यक्रम का घटक के मूल्यांकन अध्ययन हेतु आंकड़ा विश्लेषण प्रणाली

"समग्र स्वच्छता अभियान पर पीईओ योजना आयोग द्वारा मूल्यांकन अध्ययन करवाया गया ताकि विभिन्न उपभोक्ता समूहों में परिष्कृत स्वच्छता सेवाओं के वातावरण पर प्रभाव, समाज आर्थिक पहुँच एवं स्वास्थ्य की दशा का आकलन तथा स्वच्छता सेवाओं के प्रभाव की अवधि का पता लगाया जा सके और देश में टीएससी के बेहतरीन कार्यान्वयन सहायता के लिए महत्वपूर्ण

प्रमाण उपलब्ध करवाए जा सके। इस अध्याय के लिए देश-व्यापी सर्वेक्षण किया गया और पांच विभिन्न अनुसूचितयों के माध्यम से विभिन्न स्तरों से आंकड़े एकत्र किए गए।

सर्वेक्षण में एकत्रित किए गए आंकड़ों के विश्लेषण के लिए आईटी संबंधी सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी एनआईसी को दी गई। प्रणाली के इस अध्ययन द्वारा वेब आधारित आंकड़ा विश्लेषण प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसके दो भाग होंगे - राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, विभिन्न आरईओ(ज) और पीईओ(ज) से इंटरनेट पर योजनपा आयोग में केन्द्रीय डेटाबेस हेतु ग्रामीण स्वच्छता मार्ट अनुसूचियां तैयार करना और आंकड़ों के विश्लेषण हेतु वेब आधारित विश्लेषण मोड्यूल तैयार करना। क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालयों और कार्यक्रम मूल्यांकन कार्यालयों को संबंधित राज्यों के संबंध में उनके कार्यालयों से आंकड़ा प्रविष्ट का कार्य उनके कार्यालयों में करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए नई पहल की जा रही है। ताकि विकेन्द्रित वातावरण में प्रणाली या कार्यान्वयन किया जा सके। राज्यों से आंकड़ों की प्रविष्टि के लिए सॉफ्टवेयर में संशोधन किया गया। घरेलू अनुसूची के आंकड़ों की प्रविष्टियां विभिन्न राज्यों और पीईओ मुख्यालय द्वारा की जा रही है। घरेलू पहचान, पारिवारिक प्रोफाइल, घर की सुविधाओं, सफाई सुविधाओं, जागृति, सहायता, और आरएसएस/पीसी, खुले में मल त्याग, आईएचएचएल का अनुरक्षण और स्कूलों में स्वच्छता, समाज-आर्थिक लाभ और प्रणाली के बारे में लाभार्थियों के सुझाव आदि के बारे में मोड्यूल रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है।

7. राज्य वित्त संबंधी आंकड़े - एम आई एस

वर्ष 1980 के बाद से सभी राज्यों/ संघीय क्षेत्रों के राजस्व और व्यय संबंधी राज्य वित्त आंकड़ों के लिए आनलाइन डाटा प्रविष्टि/ अद्यतन और पुनः प्राप्ति प्रणाली के विकास हेतु योजना आयोग के वित्तीय संसाधन प्रभाग द्वारा एनआईसी, योजना भवन यूनिट को सौंपी गई एक वेब-आधारित मानीटरिंग सूचना प्रणाली है। राज्य वित्त संबंधी डाटाबेस का प्रभाव केन्द्र और राज्यों के बीच; और राज्य तथा स्थानीय सरकारों के बीच वित्तीय अधिकारों के बंटवारे से संबंधित केन्द्र और राज्यों की संघीय वित्त व्यवस्था पर और अन्तर-कार्यक्षेत्र के कारण मामलों और करों के सरलीकरण के लिए भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। डाटाबेस का मुख्य रूप से ध्यान निम्निलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर होगाः

- सरकारी वित्त
- मैक्रो इकोनोमिक्स विशेष रूप से वित्तीय, धन संबंधी तथा वाणिज्यिक नीति
- माइक्रो इकोनोमिक्स विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र और नगरीय आर्थिक स्थिति और उद्योग का अध्ययन
- योजना और विकास
- आर्थिक सिद्धांत और प्रक्रिया

डाटाबेस में ये शामिल हैं -

- राजस्व प्रबंधन
- व्यय प्रबंधन, सभी राज्य और संघीय क्षेत्र ।

सिस्टम डिजाइनिंग तथा ले आउट का काम पूरा हो गया और वेब आधारित अनुप्रयोग का कार्य प्रगति पर है। योजना और गैर-योजना परिव्यय, व्यय आदि के लिए पुनः प्राप्ति माड्यूल विकसित हो गए हैं और

परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

8. 'काम्प्रीहैंसिव डी डी ओ और ई-सर्विस बुक कार्यान्वयन' - एन आई सी का एक ई-शासन टूलः

छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सितम्बर, 2008 महीने से योजना आयोग में सुचारु रूप से वेतन वितरण के लिए एन आई सी-योजना भवन यूनिट ने केन्द्रीकृत सी डी डी ओ पैकेज को योजना आयोग में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। एन आई सी-योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को योजना आयोग के सभी प्रशासनिक और लेखा सैक्शनों में पूर्णरूपेण स्वीकार किया गया है। इससे पूर्व मास्टर रिकार्ड को ले जाने तथा सी डी डी ओ पैकेज के कार्यान्वयन हेतु योजना भवन में विभिन्न डी डी ओ के लिए सी ओ एम पी डी ओ सफलतापूर्वक दो सर्वरों में लगाया गया। निम्नलिखित मॉड्यूल कार्यान्वित किए गएः

वर्ष के दौरान योजना आयोग के परामर्शदाताओं सदस्यों के लिए पेरोल वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित की गई है जो एएसपी नेट एसक्यूएल सर्वर 2005 पर बैक एण्ड पर है। एनआईसी की योजना भवन स्थित इकाई केंद्रीय सीडीडीओ पैकेज के माध्यम से पहले ही तनख्वाह/वेतन का संवितरण तैयार कर रही है। क्योंकि परामर्शदाता और कुछेक कर्मचारी निर्धारित तनख्वाह लेते हैं कोम्प डीडीओ एप्लीकेशन के मौजूदा कार्य क्षेत्र में परामर्शदाताओं के वेतन बिल तैयार करना संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसकी कुछ सीमाएं हैं। इसका उपयोग परामर्शदाताओं/सदस्यों की तनख्वाह तैयार करने के लिए किया जाता है और प्रत्येक माह उनकी तनख्वाह की पर्ची तैयार की जाती है। इस साइट का उपयोग ईसीएस (इलेक्ट्रानिक क्लियरेंस प्रणाली) जनरेट करने के लिए वेतन बिलों के लिए टेक्स्ट फाइल तैयार करने के लिए किया जाता है। सीडीडीओ पैकेज के कार्यान्वयन से सभी कार्मिकों को ईसीएस प्रणाली से वेतन मिलता है। और चैक से भुगतान नहीं होता है, जो योजना आयोग के लेखा और प्रशासन अनुभाग के लिए सफलता की कहानी है और उन्होंने यह लक्ष्य योजना आयोग की एनआईसी इकाई के माध्यम से प्राप्त किया है। निम्नलिखित माड्यूल भी कार्यान्वित किए गए है : -

सामान्य भविष्य निधि (जी पी एफ) मॉड्यूलः इस प्रक्रिया के लिए प्रत्येक कर्मचारी को सामान्य भविष्य निधि की लेखा संख्या (एकाउंट नंबर) आबंटित की गई है और साथ ही सामान्य जानकारी दी गई है। पहली बार रनिंग एडवांस ब्यौरे भरने के साथ-साथ वित्तीय वर्ष आंकड़ा और ओपनिंग बैलेंस एंट्री करके रिकास्टिंग केल्कुलेशन किया गया है। अंत में रिकास्ट शीट निकलती है, जो वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए जी पी एफ विवरण होता है। जी पी एफ विवरण इंटरा योजना पोर्टल पर उपलब्ध है। वर्ष 2009-10 के वित्तीय वर्ष के लिए जी पी एफ आंकड़ा डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

इन्क्रीमेंट माड्यूलः छठे वेतन आयोग के अनुसार जुलाई, 2009 से इन्क्रीमेंट मॉड्यूल भी शामिल होना चाहिए। जुलाई, 2009 के वेतन से इन्क्रीमेंट मॉड्यूल प्रभावी हो गया है।

आय कर (इनकम टैक्स) मॉड्यूलः इस प्रक्रिया का उद्देश्य विशिष्ट वित्तीय वर्ष हेतु कर्मचारियों का समेकित विवरण/ वार्षिक आय विवरण तैयार करना है। कर केल्कुलेशन शीट के साथ कर्मचारियों को विवरण दिया जाता है ताकि आयकर में अधिकतम छूट के लिए वे अधिक बचत कर पाएं।

ई-सर्विस बुकः ई-सर्विस बुक के सुचारु कार्यान्वयन हेतु एन आई सी-योजना आयोग यूनिट प्रयोक्ताओं को अपेक्षित सभी तकनीकी तथा अन्य सहायता देता है। योजना आयोग से नोडल अधिकारी होने के नाते एन आई सी यूनिट ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित कई कार्यशालाओं में भी भाग लिया। कर्मचारियों की ई-सर्विस बुक में आंकड़े दर्ज किए जाते हैं ताकि यह पूरी तरह प्रभावी हो जाए।

9. **कार्यालय प्रक्रिया आटोमेशन (ओ पी ए) :** योजना आयोग के उपाध्यक्ष के निदेशानुसार योजना भवन में केंद्रीकृत डायरी/ डिस्पैच तथा फाइल मानीटरिंग प्रणाली बनाने के लिए योजना आयोग के सभी प्रभागों में ओ पी ए को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। एन आई सी-योजना भवन यूनिट ने इस कार्य के लिए अनेक कार्यशालाएं, हैंड्स आन-ट्रेनिंग मॉड्यूल तथा प्रयोक्ता को निजी प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराई और उन्हें ओ पी ए प्रणाली के लाभ के बारे में जानकारी दी। की गई गतिविधियों में ये शामिल हैं:

1. योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक दिन की कार्यशाला लगाई और ओ पी ए प्रणाली का आनलाइन प्रदर्शन किया।
2. प्रशिक्षण और दिक्कतें दूर करनाः नये प्रयोक्ताओं के अनुरोध पर उन्हें नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है और जब भी प्रयोक्ताओं को जरूरत हो, उनहें तकनीकी समस्याओं को सुलझाने में मदद दी जाती है।
3. नियमित प्रशासनिक कार्य किया जाता है, जिसमें शामिल है - नये सेक्शन/ अधिकारियों की प्रविष्टि, कर्मचारियों की पदोन्नति, पदनाम परिवर्तन तथा प्रयोक्ता की आवश्यकतानुसार एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में स्थानांतरण के ब्योरे को अद्यतन करना।
4. **सी आर यू डाक लाना - जे जानाः** योजना आयोग की सेंट्रल रजिस्ट्री की जरूरत के अनुसार सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट से योजना आयोग के विभिन्न कमरों में डाक लाने-जे जाने की जानकारी रखने के लिए एक वेब-आधारित अनुप्रयोग विकसित किया गया है। इसे ओ पी ए पैकेज के साथ जोड़ा गया है।

10. **कागज रहित सरकार के लिए ई-ऑफिस-ऑनलाईन सॉफ्टवेयर उपस्कर का कार्यान्वयन**

ई-ऑफिस का कार्यान्वयन - डिजीटल वर्क प्लेस सौल्शन - जो कि कागत रहित कार्यालय की ओर एक बड़ा कदम है जिससे स्कैनिंग रजिस्ट्रिंग और फाइल सृजन के साथ आगे पत्राचार करने, टिप्पण संदर्भ लेना, पत्राचार संबद्धता अनुमोदन के लिए प्रारूप और फाइलों का अंतिम आवागमन एवं प्राप्तियां आदि कार्यों में सहायता मिलेगी। अनुभागों के लिए फाइल शीर्ष एकीकरण, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना डीएससी प्रमाण पत्रों का सृजन एवं पंजीकरण, ई-मेल सृजन सभी कर्मचारियों के किया जा सकता है। इस कार्य का

समन्वय और समीक्षा में इसके योगदान और इन कार्यों के मॉनीटरण में भी इससे सहायता मिली है जिससे कार्यान्वयन प्रक्रिया में तेजी आई है।

जब श्री मंटेक सिंह अहलूवालिया, उपाध्यक्ष, योजना आयोग ने वित्त संसाधन प्रभाग द्वारा प्रस्तुत फाइल को क्लीयर किया तो उसके बाद से योजना आयोग में इसका कार्यान्वयन सफलता पूर्वक शुरू हो गया। एफआर अनुभाग द्वारा प्रस्तुत फाईल सलाहकार (एफआर) को मार्क की गई थी जिसे आगे उपाध्यक्ष को भेजा गया। उपाध्यक्ष ने स्वयं इस अप्लीकेशन को महसूस किया और इस पर टिप्पणी करते हुए इसे सलाहकार (एफआर) को अग्रेषित कर दिया। आज की तारीख में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं और डिजीटल सुरक्षा प्रमाण पत्र (डीएससी) लगभग 500 कर्मचारी के लिए सृजित किए जा चुके हैं और वे व्यावहारिक प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके साथ ही योजना आयोग के 40 प्रभागों/अनुभागों के लिए कार्यान्वयन की प्रक्रिया जारी है। योजना आयोग के 20 नोडल अधिकारियों/स्टाफ के लिए एक प्रशिक्षण भी आयोजन किया गया था। जब कभी आवश्यक अवसंरचना तैयार हो जाएगी, ऐसा लगता है कि सभी प्रभाग इसी चालू वित्त वर्ष के दौरान ई-ऑफिस का उपयोग करने लगेंगे।

11. योजना प्रशासन के लिए एमआईएस (योजना प्रशा.) : यह वैब आधारित जी2ई प्रणाली है (http://pcserver/yojanaadm) ताकि योजना आयोग के प्रशासन अनुभागों से संबंधित गतिविधियों के रिर्काड्र्स की कम्प्यूटरीकरण की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। प्रशा.V अनुभाग में कार्यान्वयन हेतु तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। निम्नलिखित मोड्यूल्स विकसित कर लिए गए है और उन्हें प्रणाली से जोड़ दिया गया है।

एडिट बेसिक इन्फोर्मेशन : यह एक नया मोड्यूल प्रणाली में जोड़ा गया है। इस सैक्शन में उपभोक्ता विभाग के ब्यौरों में सुधार कर सकता है। इस सैक्शन में उपभोक्ता विभिन्न डिविजन सृजित कर सकता है और पदनामों और समूहों में सुधार कर सकता है। रिपोर्टिंग माह में सुधार की डेटा संरचना में एचबीए/एलटीसी से संबंधित फील्ड जोड़ कर इसके क्षेत्र में और विस्तार किया जा सकता है। इस प्रणाली के विभिन्न मोड्यूल हैं

i. **वेतन वृद्धि डेटाबेस :** योजना भवन में कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के ब्यौरों के लिए यह वैब आधारित प्रणाली विकसित की गई है। यह मौजूदा वेतन, मौजूदा वेतन की तारीख, भावी वेतन आदि के बारे में कर्मचारी के रिकार्ड का रख रखाव करती है। यह कर्मचारी के रिकार्ड को दर्शाती है जिसे विशिष्ट माह में अद्यतन किया जा सके। यह कर्मचारियों के वैयक्ति वेतन वृद्धि के आदेश हैडर के लिए वेतन वृद्धि की रिपोर्ट तैयार करती है और विभाग और प्रभारी के अनुसार फूटर भी तैयार करती है। यह सर्वर पर वेतन प्रबंधन प्रणाली से संबंधित आंकड़ों को अद्यतन करती है, जो अनुभाग V के लिए कार्यान्वित की जाती है। इस मोड्यूल में एक नया सैक्शन "वेतन वृद्धि प्रमाण पत्र तैयार करना " और जोड़ा गया है। इस में उपभोक्ता कर्मचारियों के समूह के लिए वेतन वृद्धि का माह चुन कर वेतन वृद्धि प्रमाण पत्र तैयार कर सकता है।

ii. अवकाश प्रबंधन सूचना प्रणाली (लीव एमआईएस): योजना आयोग के कर्मचारियों के अवकाश की रिकार्ड रखने के लिए यह वैब आधारित प्रणाली है। यह आंकड़ा प्रविष्टि, अद्यतनीकरण और विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कर्मचारी की रिपोर्टें तैयार करती है। मंजूरी के पूर्व रिपोर्टिंग अधिकारी अवकाश की स्थिति की जानकारी ले सकता है। वैयक्तिक अवकाश की जानकारी लेने के लिए भी एक मोड्यूल विकसित किया गया है। कर्मचारियों के नए समूह के लिए आंकड़ा प्रविष्टि मोड्यूल (वैयक्तिक स्टाफ) उपलब्ध करवाया गया है और कर्मचारियों के समूह को चुनने का विकल्प दिया गया है। प्रणाली के द्वारा तैयार किया गया अवकाश संबंधी आदेश ईमेल के माध्यम से योजना आयोग के सभी कर्मचारियों में परिचालित किया जाता है।

- **तैनाती विवरण :** यह कमरा सं., फोन सं. जिस अधिकारी/प्रभाग/कमरा जहां तैनाती हैं, वहां का फोन, तैनाती की अवधि आदि का रिकार्ड रखती है पिछली तैनाती सहित कर्मचारियों की तैनाती का रिकोर्ड रखने के बारे में योजना आयोग के भीतर ही डेटाबेस में रिकार्ड का रख-रखाव करती है, जिससे नियमित और दैनिक आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की अधिकतम सेवाओं के सदुपयोग में सहायता मिलती है।

- **पेंशन पाने वालों के ब्यौरे :** पेंशन मोड्यूल विकसित किया गया है और इसे योजना/प्रशासन से जोड़ा गया है। इसमें आंकड़ा प्रविष्टि, अद्यतनीकरण, फील्ड के किसी भी संयोजन की पूछ-ताछ का विकल्प है, ताकि तीव्रता से डेटा रिट्रावल हो सके। इसका उद्देश्य है कि पैंशन प्रक्रिया की सभी गतिविधियों को कम्प्यूटरीकृत किया जाए। इससे रिकार्ड के रख-रखाव तीव्रता से सूचना लेने में सहायता मिलेगी। पेंशन मोड्यूल के लिए आंकड़ा प्रविष्टि और रिपोर्ट जनरेटिंग स्क्रीन डिजाइन कर ली गई है।

- **मास्टर अपडेट मोड्यूल :** कर्मचारियों के पदनाम, नामों के अद्यतन करने के लिए यह मोड्यूल जोड़ा गया है और इससे वेतन माह भी अद्यतन किए जा सकेंगे। नीचे की गहन सूची से नाम के चयन पर आधारित इससे कर्मचारी के रिकार्ड को अद्यतन रखा जा सकता है। इसमें नए कर्मचारियों को जोड़ने स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को एडिट करने और अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाने की सुविधा भी रखी गई है।

11. केन्द्रीकृत ए सी सी रिक्ति मानीटरिंग प्रणाली (ए वी एम एस) - एन आई सी द्वारा डिजाइन तथा विकसित ई-शासन टूल:

एन आई सी मुख्यालय में लगाई गई यह एक वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत मानीटरिंग प्रणाली है, जिस को एन आई सी द्वारा चालू किया गया है जिससे ए सी सी की सहमति प्राप्त किए जाने वाले मामलों की सामयिक प्रक्रिया पूरी करने में सहायता मिलेगी। यह प्रणाली http://avms.gov.in पर उपलब्ध है। एन आई सी-योजना भवन यूनिट ने योजना आयोग के संबंधित नोडल अधिकारी को इसका डाटाबेस अद्यतन करने में सहायता प्रदान की।

12. सरकारी आवास प्रबंधन प्रणाली (जी ए एम एस):

जी ए एम एस को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए योजना आयोग के सभी

लेखा अनुभागों को आवश्यक सहायता दी गई। जी ए एम एस एक आनलाइन लाइसेंस फीस कलेक्शन और मानीटरिंग प्रणाली है।

13. लोक शिकायत दूर करने तथा मानीटरिंग की केन्द्रीकृत प्रणाली (सी पी ग्राम्स) :

सी पी ग्राम्स संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रशासनिक प्रभाग के अधिकारियों और एन आई सी यूनिट के अधिकारयों ने भाग लिया। इस प्रणाली को लागू करने के लिए योजना आयोग के प्रशासनिक अनुभागों को आवश्यक सहायता दी गई।

14. पेंशन शिकायत दूर करने और मानीटरिंग की केन्द्रीकृत प्रणाली (पेनग्राम्स):

एन आई सी के सहयोग से पेंशन तथा पेंशन प्राप्तकर्ता कल्याण प्रभाग ने विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के सरकारी/ पेंशन संबंधी शिकायतें दूर करने वाले अधिकारियों के लिए पेंशन संबंधी शिकायत दूर करने और मानीटरिंग की केंद्रीकृत प्रणाली (सीपेनग्राम्स) का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। पेंशन प्राप्त करने वालों की सभी शिकायतों की मानीटरिंग के प्रयोजन से इन शिकायतों को भारत सरकार के पेंशनर पोर्टल में डाल कर इस प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए पहल की गई है।

15. योजना आयोग व्यय मानीटरिंग प्रणाली (पीसी-ईएमएस) :

यह योजना के योजना व्यय और गैर-योजना व्यय दोनों को मानीटर करने के लिए एम आई एस है। इसका मांग और अनुदान के साथ समेकन है और इसे कार्यान्वित किया गया है। इस साफ्टवेयर को इंटेगरेटिड फाइनेंस एकाउंट (आई एफ ए) प्रभाग के लिए तैयार किया गया है और इसका प्रयोग मासिक व्यय और अनुदानों की मांग को मानीटर करने के लिए किया जाता है। इस एम आई एस द्वारा अनुदानों की मांग; योजना बजट लिंक तथा अन्य वक्तव्यों, जिनमें बजट अनुमानों और पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार योजना और गैर-योजना विवरण का कार्य किया जाता है। इस प्रणाली द्वारा विभिन्न रिपोर्टें तैयार करते हैं।

16. ग्राम योजना सूचना प्रणाली (वी पी आई एस) - सुविधाएं :

मानीटरिंग के लिए 'फोर्थ टीयर टूल' को सुदृढ़ करने के लिए जनता के प्रयोग हेतु सभी मंत्रालयों/ विभागों ने ग्राम योजना सूचना प्रणाली (वी पी आई एस) को डिजाइन, विकसित तथा कार्यान्वित किया है। यह एक वेब आधारित पुनः प्राप्ति प्रणाली है, जो 31.03.1999 को ग्राम स्तर जनगणना आंकड़ों पर आधारित है, जिन्हें जनगणना 2001 आंकड़ों के साथ एकत्रित किया गया और भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किया गया था। इस प्रणाली में नौ विभिन्न सुविधाएं हैं, जिनमें हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय जल, डाक-तार, टेलीफोन, संचार साधनों की उपलब्धता, समाचार पत्रों की उपलब्धता, बैंकिंग, मनोरंजन और सांस्कृतिक सुविधाएं, संयुक्तता और बिजली आपूर्ति की उपलब्धता आदि। यह प्रणाली दो भागों में आंकड़े दिखाती है - एक टेबुलर व्यू और दूसरे क्रिस्टल रिपोर्ट व्यू के रूप में। इसे एन ई टी में विकसित किया गया है और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, 2005

का प्रयोग किया गया है। इसका यू आर एल http://pcserver.nic.in/vips है।

17. ग्राम योजना सूचना प्रणाली (वी पी आई एस) जनांकिकी :

यह भी एक वेब आधारित रिट्रीवल प्रणाली है, जो भारत सरकार के जनगणना-2001 आंकड़ों पर आधारित है । इस प्रणाली के द्वारा भारत के सभी गांवों की जनांकिकी (डेमोग्राफिक) विश्लेषणात्मक जानकारी को रिट्रीव किया जाता है। राज्य पुनः प्राप्ति के लिए डायनमिक कुऐरी ईंजन और डेमोग्राफिक डाटा के विश्लेषण करके इस एम आई एस को विकसित किया गया है।

18. जिला योजना सूचना प्रणाली (डी पी आई एस) :

यह वेब आधारित सूचना प्रणाली है, जिसे जिला योजना के लिए डिजाइन, विकिसत तथा कार्यान्वित किया गया है, जो जनगणना-2001 के संबंध में भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल तथा सुविधाओं के आंकड़ों पर आधारित है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल यासुविधाओं या इनके मिले-जुले रूप के बारे में पूछताछ की जा सकती है। यह योजना के विशेष घटक योजना (एस सी पी) और आदिवासी उप योजना (टी एस पी) जिनमें अनुसूचित जातियों/ जनजातियों के लिए योजनाओं पर बल दिया गया है, के काम में सहायता की प्रणाली है। यह प्रणाली यू आर एल के माध्यम से पर http://pcserver.nic.in/dpis उपलब्ध है।

19. आनलाइन कम्पलेंट रजिस्ट्रेशन मेकेनिज्म - योजना सेवाः

ई-शासन परियोजना के अधीन योजना आयोग की आवश्यकताओं के अनुरूप योजना सेवा के लिए वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली को डिजाइन और विकसित किया गया है, जिसके द्वारा सेवाओं के बारे में आनलाइन रजिस्ट्रेशन तथा मानीटरिंग किया जा सकता है। इस प्रणाली द्वारा योजना आयोग के सभी कम्प्यूटर प्रयोक्ताओं द्वारा नेटवर्क वर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर की शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं और योजना भवन में नियुक्त हार्डवेयर अनुरक्षण इंजीनियर उन शिकायतों को कम से कम समय में अच्छी तरह से दूर कर सकते हैं।

20. 'राष्ट्रीय सम विकास योजना' संबंधी एम आई एस (आर एस वी वाई) :

एक वेब आधारित सूचना प्रणाली है, जो विभिन्न स्कीमों के ब्यौरों के बारे में राज्य, जिला, ग्राम और क्षेत्र-वार सूचना उपलब्ध कराती है। वास्तविक और वित्तीय प्रगति के लिए डाटा प्रविष्टि/ अद्यतन करने, मिटाने और पुनः लिखने हेतु मॉडयूल तैयार किया गया है। प्रयोक्ता प्रमाणीकरण हेतु, जिसमें राज्य-वार, जिला-वार प्रयोक्ता सृजन (यूजर क्रिएशन), प्रयोक्ता रूपभेद (यूजर मोडिफिकेशन) शामिल हैं, एक वेब प्रशासन मॉड्यूल भी विकसित किया गया है। रिपोर्ट भी तैयार की जा सकती है क्योंकि इसे क्रिस्टल रिपोर्ट राइटर का प्रयोग करके विकसित किया गया है। एम आई एस में निम्नलिखित मॉड्यूल डाले गए हैं:

(क) विशेष रूप से नक्सल प्रभावी जिलों के बारे में रिपोर्ट

(ख) सर्च मॉड्यूल विकसित किया गया है, जिसमें प्रयोक्ता 'टाइप ऑफ वर्क' एंटर करके सभी राज्यों और जिलों में उस किस्म के कार्य की जानकारी ले सकता है।

21. हार्डवेयर इन्वेंटरी प्रबंधन प्रणाली (एच आई एम एस):

आयोग के लिए विकसित नई हार्डवेयर इन्वेंटरी प्रबंधन प्रणाली में साफ्टवेयर विकास, समेकन और कार्यान्वयन की व्यवस्था है। इस प्रणाली के पैकेज के जरिये योजना द्वारा खरीदी गई और प्रयोग की जाने वाली सभी हार्डवेयर इन्वेंटरी मदों के लिए यह वेब आधारित प्रणाली है और सभी नई आने वाली मदों, भण्डारित मदों तथा सौंदों के ब्यौरों के बारे में सूचनाएं मिल सकती हैं।

22. भारत निर्माण सहित फ्लैगशिप कार्यक्रमों के सभी घटकों संबंधी एम आई एसः

यह भारत निर्माण सहित फ्लैगशिप कार्यक्रमों के सभी 14 घटकों के संबंध में सिंगल विंडो वेब आधारित एम आई एस है, जिसे फ्लैगशिप कार्यक्रमों के विभिन्न घटकों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति का अध्ययन करके और आपस में जोड़कर डिजाइन और विकसित किया गया है और योजना भवन में इसे कार्यान्वित किया गया है और यह बाहर से यू आर एल का प्रयोग करके http://pcserver.nic.in/flagship पर उपलब्ध है। किसी विशेष अवधि के दौरान महीने-वार और वर्ष-वार फ्लैगशिप कार्यक्रमों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति को जोड़कर यह साइट सूचना उपलब्ध कराती है।

23. 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण हेतु परियोजना प्रबंधन प्रक्रिया ट्रेकर (पीएमपीटी)

इस स्ट्रेटजी मैट्रिक्स का कार्यान्वयन करने के लिए एक अप्लीकेशन डिजाइन की गई है और उसका विकास किया गया है यह 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र तैयार करने के लिए एक नवप्रवर्त्तन कार्य होगा जिसके तहत एक संयोजित वातावरण में सभी अधिकारियों को एकल या कलस्टर सेल दस कॉलम की मैट्रिक्स आवंटित की जाएगी जिसमें विभिन्न क्षेत्रकों के लिए देश में प्रभावशाली मुद्दों का प्रतिनिधित्व होगा एवं लक्ष्यों परिवर्तनीय परिणामों के लिए 34 पंक्तियों को प्रतिनिधित्व देते हुए नौ गतिविधियों को अद्यतन किया जाएगा जो संबंधित प्रकोष्ठों के लिए दृष्टिकोण पत्र के तैयार करने से संबंधित हैं। टीएमपीटी अप्लीकेशन्स को आंतरिक रूप से यथासमय विकसित किया गया और इसे योजना आयोग स्थित एनआईसी एकक द्वारा 340 प्रकोष्ठों के परियोजना मॉनीटरण, 34/10 मैट्रिक्स जो 10 प्रमुख गतिविधियों पर आधारित है तथा प्रत्येक सदस्य और उपाध्यक्ष से संबंधित हैं और यह 34 उप विषयों के संबंध में हैं ताकि बारहवीं योजना 2012-17 के दृष्टिकोण पत्र को अंतिम रूप दिया जा सके। इसे पूर्ण सफलता के साथ विकसित किया गया है और योजना आयोग के सभी कर्मचारियों द्वारा इसे सक्रियता के साथ उपयोग में लाया जा रहा है। यह मेट्रिक्स की मॉनीटरण गतिविधि परियोजनाओं का ऑन-लाईन अद्यतनीकरण है। वस्तुतः योजना की प्रस्तुति से पहले योजना आयोग सामान्यतः एक दृष्टिकोण पेपर जिसमें प्रमुख लक्ष्य रखे जाते हैं। और उनको पूरा करने में कौन सी चुनौतियां सामने आती है और कथित इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए किन अवधारणाओं को अपनाया जाना है, का इसमें समावेश है। दृष्टिकोण पत्र मंत्रिमंडल और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी

शामिल हैं। इस प्रक्रिया में एक समावेशी और सहभागी अवधारणा को विकसित करने के लिए योजना आयोग ने निर्णय लिया है कि दृष्टिकोण पत्र को वेब आधारित परामर्श प्रक्रिया को अपनाया जाएगा जिसमें सभी इच्छुक व्यक्ति भाग ले सकते हैं। हमने एक बहुआयामी रणनीति मैट्रिक्स का विकास किया है जिसमें कुछ प्रमुख ऐसे क्षेत्रों को दर्शाया गया है जिनका इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। हम किसी या सभी क्षेत्रों में आपकी टिप्पणियों को आमंत्रित करते हैं इसमें कोई भी इच्छुक व्यक्ति भाग ले सकता है। हमें देश के बेहतरीन भविष्य हेतु योजना बनाने में सहायता करें - यह बारहवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र का स्लोगन होगा। बारहवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र के लिए बेव पेज 4 अक्टूबर 2010 को माननीय उपाध्यक्ष, योजना आयोग द्वारा जारी किया गया। इस लॉंज को समाचार पत्र और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में कवर किया गया जिसमें उपाध्यक्ष बेवपेज के माध्यम से नेवीगेशन की प्रक्रिया का सीधा प्रदर्शन दे रहे हैं।

24. योजना आयोग के उपाध्यक्ष के लिए एम आई एसः

यह एम आई एस विशेष रूप से योजना आयोग के उपाध्यक्ष के लिए ही डिजाइन तथा तैयार किया गया है। जैसे ही नई जानकारी मिलती है, इसे अपडेट किया जाता है। यह एम आई एस उपाध्यक्ष को वार्षिक राज्य योजनाओं, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संबंधी अपडेटिड डाटा, डब्ल्यू टी ओ संबंधी मामलों तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था संबंधी मामलों की नवीनतम जानकारी देता है। इस एमआईएस से 1990-91 से लेकर आज तक, स्वीकृत परिव्यय और व्यय के संबंध में, पिछले वर्षों में प्रतिशत उन्नति, तुलनात्मक विवरण और प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्राप्त जी एस डी पी की जानकारी भी मिलती है। डाटाबेस में अन्य जानकारियों में भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राजस्व, व्यय, वित्तीय घाटे, कृषि जी डी पी अनुमान, जी आई एन आई को-एफिसिएंट, राज्य-वार पावर टी एण्ड डी हानियां, केन्द्र और राज्यों के वित्तीय घाटे, गरीबी संबंधी आंकड़े एफ डी आई और डब्ल्यू टी ओ संबंधी आंकड़े, चुनिंदा देशों जी 20 देशा कें अनुमान की जी डी पी और उनका तुलनात्मक अध्ययन आदि जानकारियां शामिल हैं। संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ वार्षिक योजना के बारे में चर्चाओं के दौरान तथा राज्यों और विदेश यात्राओं के समय यह एम आई एस उपाध्यक्ष को जानकारियां दे कर सहायता करता है। यह यू आर एल से http://pcserver.nic.in/dchmis पर उपलब्ध है।

25. मिनिमम स्पेटिअल डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर मल्टी-लेयर्ड जी आई एस एप्लीकेशनः

योजना आयोग द्वारा प्रायोजित तथा एन आई सी की सहायता से एक नई केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम (सी एस) "स्पेटिअल डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर मल्टीलेयर्ड जियोग्राफिकल इन्फारमेशन सिस्टम फॉर प्लानिंग " योजना आयोग में चालू है। स्पेशिअल डाटा और जी आई एस एप्लीकेशन सेवा अब जी2जी में एन आई सी के जरिये योजना आयोग में भी उपलब्ध है। एन आई सी एच क्यू के मिरर सर्वर अर्थात सन फायर की वी 440 सर्वर सन

सोलारिस को भी चालू किया गया है और यू आर एल का प्रयोग करके इसे http://plangis/website/nsdb/viewer.htm पर आसानी से देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, सन-सोलोरिस सर्वर का एन एस डी बी डाटाबेस है। अंतरिक्ष विभाग ने भी योजना आयोग में अपना मिरर साइट लगाया है और योजना आयोग में इन्ट्रा योजना पोर्टल के माध्यम से इन लेयर्स को देखा जा सकता है। अंतरिक्ष विभाग सर्वर की निम्नलिखित लेयर्स हैं:

- गोल्डन क्वाड्रिलेटरलः राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला सड़कें, गांव/ कच्ची सड़कें (अनमेटल्ड रोड), रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे।
- नदियां, जलाशय, वाटरशेड लेवल्स, भूमि उपयोग; वनस्पतियां टाइप; भू-उत्पादकता; भूमि ढलान; भूमि गहराई, भूमि की बनावट; भू-क्षरण आदि।

डाटा स्त्रोत में ये शामिल हैं:

- जनगणना 2001 डाटा, प्राथमिक जनगणना सारांश और सुविधा डाटाबेस।
- कृषि विज्ञान केन्द्रों से संबंधित डाटा, खादी और ग्राम उद्योग
- एन आर एस ए आदि से प्राप्त डाटा
- निम्नलिखित यू आर एल का प्रयोग करके यह सर्वर देखा जा सकता हैः http://g2g-isro/website/isro/India

योजना आयोग में एन आई सी-वाई बी यू यूनिट ऐसी सभी जी आई एस एप्लीकेशन्स का संरक्षक है, जहां मिरर-साइट कार्यरत है और योजना आयोग के लिए डिजीटाइज्ड नक्शे बनाए गए हैं। बड़ी संख्या में बनाए गए नक्शों और डाटाबेसों को योजना आयोग में एन आई सी-वाई बी यू यूनिट स्थानीय रूप से देखभाल कर रहा है और योजना के विभिन्न प्रयोक्ताओं को बड़ी संख्या में इनपुट प्रदान करता है।

26. गैर-सरकारी संगठन भागीदारी प्रणाली (एन जी ओ पी एस) :

योजना आयोग के निदेशानुसार गैर-सरकारी संगठनों के आनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एन जी ओ/ वी ओ के वर्तमान डाटाबेस को एन जी ओ भागीदारी प्रणाली में डाल दिया गया है। भारत के योजना आयोग ने सभी स्वयंसेवी संगठनों (वी ओ)/ गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओ) को इस प्रणाली पर हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित किया था, जिसे निम्नलिखित मंत्रालयों/ विभागों/ सरकारी निकायों के साथ परामर्श करके विकसित किया गया है ताकि इन निकायों की विभिन्न स्कीमों हेतु सरकारी अनुदानों के लिए अनुरोध के संबंध में सरकार से बातचीत के समय इन वी ओ/ एन जी ओ को सुविधा हो सकेः

- संस्कृति मंत्रालय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- जनजाति कार्य मंत्रालय
- महिला और बाल विकास मंत्रालय
- उच्च शिक्षा विभाग
- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन ए सी ओ)
- लोक कार्यवाही और ग्रामीण प्रौद्योगीकी प्रगति परिषद (कापार्ट)
- केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सी एस डब्ल्यू बी)

सभी वी ओ/ एन जी ओ से अनुरोध है कि वर्तमान वी ओ/ एन जी ओ का डाटाबेस बनाने और भागीदार मंत्रालयों/ विभागों/ सरकारी निकायों की विभिन्न स्कीमों के लिए अनुदान हेतु जानकारी प्राप्त करने के लिए वे पोर्टल http://ngo.india.gov.in में हस्ताक्षर कर दें (एक बार)। भारत की राष्ट्रपति ने 4 जून, 2009 को संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए, अपने भाषण में 100 दिवसीय वचनबद्धता में एन जी ओ भागीदारी प्रणाली का प्रस्ताव किया था।

इस प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया गया है और इसके लिए योजना आयोग में कई बैठकें आयोजित की गईं ताकि एन जी ओ भागीदारी प्रणाली लागू करने के लिए विभिन्न मामलों को सुलझाया जा सके और इस प्रणाली में एन जी ओ की जानकारी आनलाइन एकत्र की जा सके। आज तक अर्थात दिसम्बर के अंत तक लगभग 34,000 एन जी ओ ने पोर्टल के साथ आनलाइन हस्ताक्षर किए हैं और अनेक एन जी ओ ने अनुदान के लिए आनलाइन आवेदन किए हैं। एन आई सी- वाई बी यू में प्रशासक के लिए इंटरफेस विकसित किया है। एन जी ओ/ वी ओ द्वारा पूछताछ के लिए लगभग 3500 ई-मेल के और फोन काल के उत्तर दिए गए। इस प्रणाली में सर्च, एफ ए क्यू और एन जी ओ पी एस पोर्टल में एन जी ओ/ वी ओ द्वारा किए गए हस्ताक्षरों की पुष्टि/ या हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित करने हेतु आटोमेटिड मेल भेजने के मॉड्यूल में यूजर आई डी तथा पासवर्ड जैसी सुविधाएं भी हैं।

27. संसद प्रश्नोत्तर का डाटाबेसः

संसद में पूछे गए प्रश्न और उनके दिए गए उत्तर का एक वेब-आधारित डाटा बेस, जिसका कार्य योजना आयोग का संसद अनुभाग देखता है, इंटरानेट साइट http://pcserver.nic.in/parliament पर उपलब्ध है। वेबसाइट को पुनः डिजाइन किया गया है और विभिन्न सत्रों के दौरान योजना आयोग के बारे में संसद में पूछे गए प्रश्न और उनके तैयार किए गए उत्तर वेब फारमेट में डाले गए और अपेक्षित कोडिफिकेशन के बाद श्रेणी-वार और प्रभाग-वार अपेक्षित जानकारी के लिए उनके डाटाबेस को अपडेट किया गया है। वेबसाइट पर एक नया मोड 'क्विक सर्च' बनाया गया है। संसद के सभी सत्रों में योजना आयोग के बारे में संसद में पूछे गए प्रश्न और उनके तैयार किए गए उत्तर इस साइट पर उपलब्ध हैं। सभी सत्रों में 1997 से लेकर आज तक 3500 प्रश्न पूछे गए और योजना आयोग ने उनके उत्तर तैयार किए।

28. वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रबंधन प्रणाली (ए सी आर) :

योजना आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के अनुरक्षण हेतु यह एम आई एस विकसित किया गया है, जो स्थानीय सर्वर http://pcserver/acr पर उपलब्ध है। आवश्यकतानुसार की गई पूछताछ के आधार पर अनेक रिपोर्टें तैयार हुई हैं। मल्टी यूजर एनवायरमेंट के लिए आनलाइन डाटा एंट्री और अपडेशन मॉड्यूल भी बनाए गए हैं। उन्हें नियमित रूप से अद्यतन (अपडेशन) किया जाता है। आज तक 7,000 वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की जानकारी उपलब्ध है और साइट को इन्ट्रा योजना पोर्टल http://intrayojana.nic.in के साथ जोड़ा गया है। वर्ष 2010 के दौरान लगभग 1100

ए सी आर के इनपुट एम आई एस में अपडेट किए गए हैं।

29. वित्तीय संसाधन प्रभाग के लिए एम आई एसः

इंटरानेट पर आंतरिक प्रयोग के लिए "फाइनेंशियल रिसोर्स ब्रीफ" उपलब्ध है, जो राज्य-वार मासिक जानकारी के लिए एक वेब आधारित पुनः प्राप्ति (रिट्रीवल) प्रणाली है। प्रयोक्ता के लिए यह प्रमाणीकरण की भी सुविधा है। उन राज्यों के वित्तीय संसाधन संक्षेप, जिनके बारे में इनपुट उपलब्ध हैं, अपलोडिड किए गए हैं। डाटाबेस के यूजर-इंटरफेस में रूपभेद करके इसे अधिक 'यूजर फ्रेंडली' बनाया गया है।

30. वित्तीय संसाधन और आंकड़ा प्रबंधन के लिए वेबसाइट - वित्तीय संसाधन प्रभाग की सहायताः

एन आई सी (वाई बी यू) ने योजना आयोग के वितीय संसाधन (एफ आर) प्रभाग के लिए एक वेब आधारित अनुप्रयोग का डिजाइन किया है और उसे विकसित किया है, जो इंटरानेट पर उपलब्ध है। यह साइट अब पूरी तरह लागू हो गया है और सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के वित्तीय आबंटन, परिव्यय, व्यय ब्यौरों, केंद्रीय वित्तीय संसाधनों के बारे में मेक्रो और माइक्रो ब्यौरों के बारे में जानकारी उपलब्ध करा कर इसकी विषय वस्तु को बढ़ाया जा रहा है। रूप भेद (मोडिफिकेशन) किया गया तथा अधिक वेब पेज जोड़े गए हैं और अपलोड किया गया है और इस एम आई एस में सभी जानकारी एक ही स्थान पर है और योजना आयोग के सभी प्रयोक्ताओं के लिए यह यू आर एल के जरिए http://pcserver.nic.in/frmis पर उपलब्ध है।

31. राज्य योजनाओं और आंकड़ा प्रबंधन के लिए वेबसाइट - राज्य योजना प्रभाग की सहायताः

आंतरिक प्रयोग के लिए किसी भी समय 'यूजर फ्रैंडली' ढंग से इंटरापोर्टल पर विभिन्न रिपोर्टों, अनुच्छेदों, इनपुट, डाटा डिपोजिटरी तथा विभिन्न प्रभागों के संबंधित सभी जानकारी लेने के लिए राज्य योजना प्रभाग हेतु एक वेब आधारित अनुप्रयोग डिजाइन किया गया है। इस साइट में सभी पंच वर्षीय योजनाओं, वार्षिक योजनाओं और उनके सेक्टर तथा उप सेक्टर परिव्यय, योजना आयोग में तथा राज्य/ संघ क्षेत्र स्तर पर तैयार किए गए। योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए राज्यों/ संघ क्षेत्रों के संक्षेपण और मुख्य मंत्री स्तर पर वार्षिक योजना चर्चाओं के दौरान राज्यों द्वारा प्रस्तुतीकरणों आदि का डाटा एक ही स्थान पर उपलब्ध है।

32. योजना संसाधन - इंटरा योजना पोर्टल पर विषय-वस्तु (कंटेंट) तथा आंकड़ा प्रबंधनः

योजना आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लिए गए इस निर्णय के अनुसार कि योजना आयोग के सभी प्रशासनिक और तकनीकी प्रभागों के लिए योजना संसाधन का कॉलम रखा जाए, इंटरा योजना पोर्टल के कंटेंट मेनेजमेंट में (i) उपाध्यक्ष का कार्यालय, योजना आयोग, (ii) वित्तीय संसाधन प्रभाग, (iii) योजना आयोग का राज्य योजना प्रभाग (iv) पुस्तकालय प्रभाग के बारे में जानकारी शामिल करके इसे अधिक व्यापक किया गया है। इन प्रभागों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और यूजर आई

डी/ पासवर्ड दिए जा रहे हैं ताकि प्रयोक्ता स्वयं अपलोडिंग कर सकें और पोर्टल के कंटेंट मेनेजमेंट फ्रेमवर्क के अंतर्गत पोर्टल पर स्वयं संसाधनों का प्रबंधन कर सकें। वित्तीय संसाधन प्रभाग के सभी अधिकारियों के समक्ष कंटेंट मैनेजमेंट का प्रस्तुतीकरण किया गया।

III. नेशनल पोर्टल ऑफ इण्डिया तथा अन्य वेब साइट के कंटेंट्सः

योजना आयोग से संबंधित बहुत से दसतावेज़ों को इण्डिया पोर्टल में डाला गया है ताकि इसके कंटेंटस को और व्यापक बनाया जाए (http://india.gov.in)

वेबसाइट का अपडेशन और अनुरक्षण (मेनटेनेंस) : योजना आयोग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत 2009-10 की अवधि के दौरान निम्नलिखित वेबसाइटों को अद्यतन बनाया गया और अनुरक्षित किया गयाः

- योजना आयोग वेबसाइट http://planningcommission.gov.in
- राष्ट्रीय ज्ञान आयोग वेबसाइट http://knowledgecommission.gov.in
- अवसंरचना सचिवालय (एस ओ आई) वेबसाइट http://infrastructure.gov.in
- प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ई ए सी) वेबसाइट http://eac.gov.in
- अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आई ए एम आर) वेबसाइट http://iamrindia.gov.in
- पीआईआईआई पर प्रधानमंत्री के सलाहकार का कार्यालय (http://iii.gov.in)
- भारतीय राष्ट्रीय नवप्रवर्त्तन परिषद (http://innovation.gov.in)

1. योजना आयोग की वेबसाइटः

योजना आयोग वेबसाइट अर्थात http://planningcommission.gov.in को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। विभिन्न पेजों के हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के पाठ भी तैयार करके वेबसाइट में अपलोड किए गए हैं। योजना आयोग की वेबसाइट को पुनः डिजाइन करके आकर्षक बनाया गया है और कंटेंट्स को अच्छी प्रकार वर्गीकृत किया गया है ताकि वे अधिक यूजर फ्रेंडली हों। नवीन रूप में वेब साइट में निम्नलिखित अतिरिक्त फीचर जोड़े गए हैं:

- नौवहन - अधिक सरल (सिम्पलर)
- कृषि; शिक्षा; रोजगार; स्वास्थ्य; खनिज; उद्योग; अवसंरचना; ग्रामीण विकास; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; सामाजिक न्याय तथा अन्य सेक्टरों पर विशेष ध्यान दिया गया।
- मीडिया और प्रेस रिलीज; इन्टर्नशिप; ईएफसी/ पी आई बी स्टेट्स टेंडर्स की विशेष कवरेज
- एक बार में ही फ्लैगशिप कार्यक्रमों और मूल्यांकन अध्ययनों की मानीटरिंग
- रिपोर्टों को आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है और दो से अधक बार क्लिक नहीं करना पड़ता।

2. आर्थिक सलाहकार समिति (ई ए सी) की वेबसाइट :

आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ने इच्छा व्यक्त की कि परिषद की अलग वेबसाइट हो। तदनुसार साइट रजिस्टर करा लिया गया और 27 अक्तूबर, 2006 को आर्थिक सलाहकार परिषद के सचिव द्वारा एक अलग वेबसाइट http://eac.gov.in को शुरू किया गया है। सरकार ने आर्थिक

मामलों के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागृति पैदा करने के उद्देश्य से आर्थिक सलाहकार परिषद् का गठन किया है। यह वेबसाइट ई ए सी द्वारा की गई पहल की जानकारी को लिंक करने (जोड़ने) और सरकारी नीतियों के बारे में प्रमुख पहल की जानकारी को सिंगल विंडो के जरिये उपलब्ध कराने के लिए है।

3. अवसंरचना सचिवालय (एस ओ आई) की वेबसाइटः

माननीय वित्त मंत्री द्वारा 20 मई, 2006 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अवसंरचना सचिवालय के लिए एक नई वेबसाइट http://infrastructure.gov.in शुरू की गई है। एन आई सी (वाई बी यू) ने इस साइट को शुरू करने हेतु एस ओ आई को पूरी मदद दी है और योजना भवन में एन आई सी यूनिट इस प्रभाग को पूरी मदद दे रहा है ताकि इस वेबसाइट का समय पर अपडेशन हो और कंटेंट्स भी व्यापक हो जाए।

4. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की वेबसाइटः

'**राष्ट्रीय ज्ञान आयोग**' की वेबसाइट श्री सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में http://knowledgecommission.gov.in को सरकारी तौर पर GOV.in डोमेन के अंतर्गत शुरू किया गया। इस साइट को शुरू करने में एन आई सी (वाई बी यू) ने पूरी मदद की है और समय पर अपडेशन के लिए तथा कंटेंट्स बढ़ाने के लिए लगातार मदद कर रहा है। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान भी साइट को अधिक व्यापक बनाया गया है। प्रधानमंत्री के पीआईआईआई संबंधी सलाहकार श्री सैम पित्रोदा से साइट और पोर्टल http://innovationcouncil.gov.in और http://innovation.gov.in को योजना भवन में एक बैठक के दौरान 9 सितम्बर, 2010 को शुरू किया। दोनों साइटों को एनआईसी द्वारा डिजाइन, विकसित और कार्यान्वित किया जा रहा है। यह बैठक योजना आयोग, योजना भवन के समिति कक्ष 122 में आयोजित की गई। योजना आयोग में एनआईसी यूनिट ने दोनों गतिविधियों को पूर्ण करने में समिति कक्ष से बीसी सुविधा की पूरी आवश्यक सहायता दी।

5. जनसाधन अनुसंधान संस्थान (आई ए एम आर) की वेबसाइटः

अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आई ए एम आर), नरेला, जो योजना आयोग का एक स्वायत्तशासी संस्थान है, की वेबसाइट सरकारी तौर पर gov.in डोमेन के अंतर्गत शुरू की गई है। इस साइट को शुरू करने में एन आई सी (वाई बी यू) ने पूरी सहायता दी है और इसके समय पर अपडेशन तथा कंटेंट्स व्यापक बनाने के लिए लगातार सहायता दे रहा है। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान भी इसे अधिक व्यापक बनाया गया है।

- क्योंकि शुरू की गई और शुरू की जाने वाली सभी वेबसाइटों के लिए यह अनिवार्य है कि वेब एप्लीकेशन में उनका 'वल्नरेबिलिटी ऑडिट' हो, इसलिए उपरोक्त सभी साइटों के संबंध में सुरक्षा ऑडिट का अनुपालन किया गया है।

- योजना आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, आर्थिक सलाहकार परिषद (ई ए सी) तथा आई ए एम आर के ई-मेल अकाउंटस का नियमित रूप से अनुरक्षण और अपडेशन होता है।

IV योजना आयोग की ई-शासन एप्लीकेशन

1. इन्ट्रा-योजना पोर्टल

(http://intrayojana.nic.in)

एन आई सी (वाई बी यू) ने योजना आयोग के कर्मचारियों हेतु सभी जी2ई/ जी2जी एप्लीकेशन के लिए इंटरा योजना पोर्टल को विकसित और कार्यान्वित किया है ताकि विभिन्न जानकारियों को एक स्टाप वेब आधारित पोर्टल में समेकित किया जा सके और सर्विस का समाधान हो सके। इसे ओपन स्टेंडर्ड पर बनाया गया है और 'लीनेक्स', 'प्लोन' और 'जोप' साफ्टवेयर का प्रयोग किया गया है। पोर्टल की मूल्यवान जानकारी से समृद्ध किया गया है और इसमें कंटेंट और दस्तावेज प्रबंधन, केंटेंट्स की व्यक्तिगत डिलीवरी, कार्य-प्रवाह है। इससे वास्तव में समय की बचत होती है। प्रयोक्ता सर्च करके सर्वर पर सिंगल लॉग-इन द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बहु-प्रकार की जानकारी ले सकता है।

इन्ट्रायोजना के कंटेंट्स का प्रबंधन - योजना आयोग का इंटरानेट पोर्टल - वर्ष के दौरान पोर्टल के प्रबंध में निम्नलिखित कंटेंट्स लिए गए -

(क) नये प्रयोक्ताओं का सृजन (क्रिएशन)

(ख) जो प्रयोक्ता योजना आयोग से सेवानिवृत्त हो गए / या चले गए हैं, उनकी हैसियत का अपडेशन

(ग) इंटरा योजना पोर्टल में अपलोड किए गए केंद्रीय राज्य योजना और पुस्तकालय प्रभाग के कंटेंट्स

(घ) महीने के लिए पे-रोल और जी पी एफ डाटा का अपलोडिंग

(ङ) अनुरोध प्राप्त होने पर कंटेंट्स की अपलोडिंग

(च) पे-रोल साफ्टवेयर के सुचारु संचालन के लिए तकनीकी मदद

(छ) एनआईसी, योजना भवन यूनिट द्वारा विकसित नये एम आई एस सूचना प्रणाली के लिए हाइपर लिंक्स की व्यवस्था

(ज) कार्यालय प्रक्रिया आटोमेशन (ओ पी ए) प्रबंधन, आदि

2. सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 :

आर टी आई अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु योजना आयोग ने एक वेब आधारित प्रणाली विकसित की है। इसमें संबंधित दस्तावेज/ सूचना अपलोड की जाती है। आर टी आई अधिनियम से संबंधित पूछताछ और उत्तर प्रक्रिया सर्वर पर इंटरानेट पर उपलब्ध है। यह साइट शुरू की गई है और योजना आयोग के होम पेज से इसे जोड़ा गया है।

3. पी ए ओ कम्पेक्ट साफ्टवेयरः

एन आई सी ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयो/ विभागों के प्रयोग हेतु विभिन्न अदायगियों और लेखाओं के कम्प्यूटरीकरण के लिए वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली साफ्टवेयर '**पी ए ओ काम्पेक्ट**' शुरू की है। विंडो 2003 सर्वर, जिस पर यह साफ्टवेयर एप्लीकेशन लगाया गया , देखभाल एन आई सी (वाई बी यू) करता है और योजना आयोग के वेतन तथा लेखा कार्यालय को सभी जरूरी सहायता दी जाती है।

4. वार्षिक योजना दस्तावेजों की तैयारीः

इन-हाउस, एन आई सी-योजना आयोग यूनिट इस अवधि के दौरान योजना समन्वय

प्रभाग (पी सी) की वार्षिक योजनाओं, मध्यावधि मूल्यांकन, वार्षिक रिपोर्टों तथा पंच वर्षीय दस्तावेजों आदि की तैयारी में मदद कर रहा है।

5. प्रशिक्षणः

कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षणः सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति जागृति में वृद्धि करने के लिए कम्प्यूटर संबंधित विषयों पर योजना आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए योजना भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें कम्प्यूटर के बेसिक्स, विंडों आधारित माइक्रोसाफ्ट आफिस टूल्स/ एप्लीकेशन्स जैसे माइक्रोसाफ्ट वर्ड, एक्सेल, ई-मेल, पावर प्वाइंट, हिन्दी साफ्टवेयर, इंटरनेट आदि तथा अन्य पैकेजों का प्रयोग शामिल थे। वर्ष 2009-10 के दौरान निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गएः

(क) योजना आयोग के कर्मचारियों के बच्चों के लिए पांच दिवसीय 'बेसिक कम्प्यूटर एवेयरनेस' कार्यक्रम। इसमें 50 अधिकारियों ने इसमें भाग लिया।

(ख) समूह 'घ' के कर्मचारियों को कंप्यूटर (फेमिलियर) की बुनियादी जानकारी और डायरी/ डिस्पैच और फाइलों के आवागमन (ओपीए) संबंधी प्रशिक्षण। योजना आयोग के लगभग 80 समूह 'घ' कर्मचारियों को वर्गों में कवर किया गया, उन्होंने प्रशिक्षण में भाग लिया ताकि वे आफिस ऑटोमेशन उपकरणों की विभिन्न विशेषताओं के बारे में आसानी महसूस कर सकें।

(ग) ई-कार्यालय जो कि ई-शासन उपस्कर डिजीटल कार्यस्थल के लिए है और यह योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों के लिए है के कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण दिया गया।

प्रमुख गतिविधियों का विश्लेषणात्मक लेखा - एनआईसी (योजना आयोग इकाई)
एनआईसी द्वारा आईटी सहयोग (आवदेनों की संख्या) - योजना आयोग इकाई

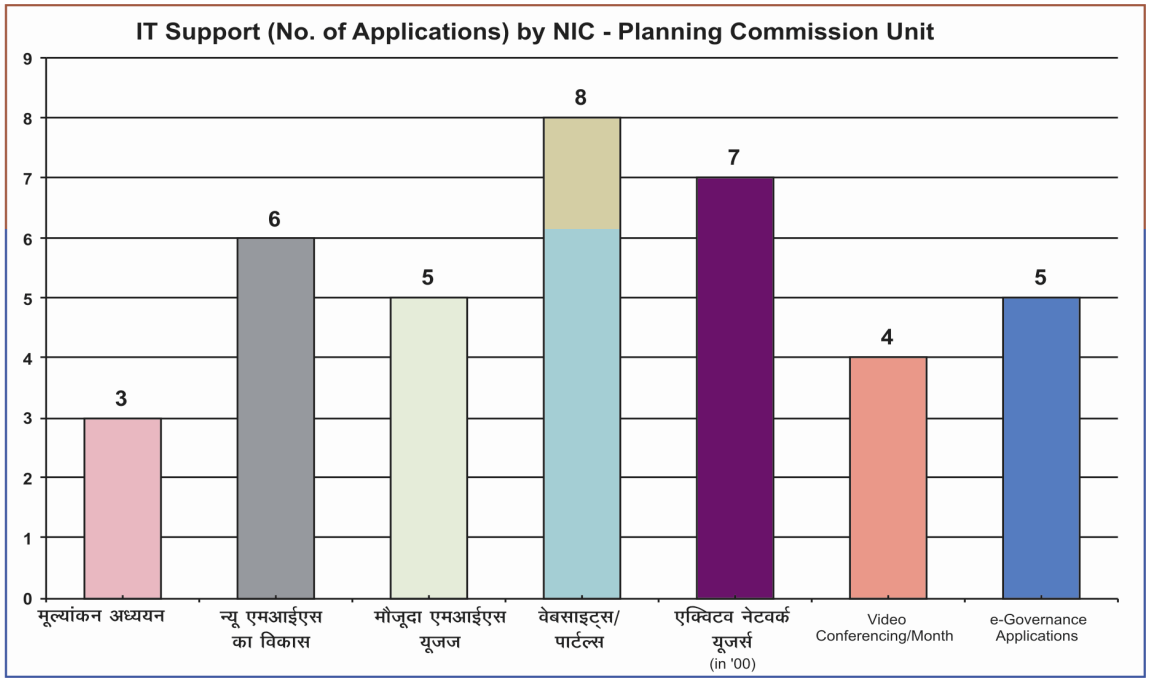

4.31.7 विभागीय अभिलेख कक्ष

4.31.7.1 कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल, सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 1993 और सार्वजनिक अभिलेख रिकार्ड अधिनिमय 1997 के अनुसार में विभागीय अभिलेख कक्ष योजना आयोग के रिकार्ड का रख-रखाव करता है। बड़े और भारी भरकम रिकार्डों के बावजूद, इसे सावधानी पूर्वक रखा जा रहा है।

4.31.7.2 कुल 1071 फाइलों (2010 के दौरान 583 फाइलों और 2009 के दौरान 588 फाइलों के मूल्यांकन) कि सिफारिश उनके स्थायी संरक्षण के लिए की गई। जिन्हें संरक्षण हेतु नेशनल अर्काइव ऑफ इंडिया को भेज दिया गया।

4.31.7.3 कुछ आवधिक रिपोर्ट जैसे बंद समितियों की सूचना, क श्रेणी की फाइलों की सूक्ष्म फाईलिंग और अर्द्ध वार्षिक विवरणियां योजना आयोग के सभी प्रभागों, अनुभागों और आरईओ और पीईओ को सूचना लेने के लिए परिचालित की गई। अपेक्षित सूचना पूरी करने के लिए विभिन्न प्रभागों/अनुभागों/आरईओ/पीईओ को अनुस्मारक भेजने के लिए विशेष प्रयास किए गए ताकि प्राप्त सूचना को नेशनल अर्काइव ऑफ इंडिया, नई दिल्ली को भेजी जा सके।

4.31.7.4 लगभग 400 गैर चालू रिकार्ड 25 सालों से नेशनल अर्काइव ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में मूल्यांकन हेतु रखे गए हैं।

4.31.8 योजना आयोग क्लब

4.31.8.1 श्री आर. के. कौल संयुक्त सलाहकार, योजना आयोग की अध्यक्षता में मार्च, 2009 से वर्तमान प्रबंधन समिति गतिविधियां आयोजित करती आई है। योजना आयोग ने खेल एवं अन्य गतिविधियों के लिए प्रबंधन समिति को मार्गदर्शन देकर प्रोत्साहित किया है।

क्रिकेट

4.31.8.2 योजना आयोग से क्रिकेट टीम अंतरमंत्रालयी खेल कूद के भेजी गई तथा अभ्यास के लिए खेल के मैदान भी बुक कराए गए। हमारी क्रिकेट टीम द्वारा खेल-कूद प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन दिखाया।

टेबल टेनिस

4.31.8.3 योजना आयोग से पांच सदस्यों की एक टेबल टेनिस की टीम अंतरमंत्रालयी खेलकूद के लिए भेजी गई और लॉजिस्टिक सहायता जैसे अच्छे स्पर्धा में टेबल टेनिस बल्लों का अभाव होते हुए भी यह टीम सेमीफाइनल स्तर तक पहुँची।

अंतर मंत्रालयी खेल-कूद

4.31.8.4 योजना आयोग महिला एथलीट श्रीमती जगरानी मिंज ने डिस्कस थ्रो और जेबलिन थ्रो के लिए अंतरमंत्रालयी वार्षिक खेलकूद समारोह जो 7-8 जनवरी, 2010 को हुआ था में सवर्ण पदक प्राप्त किया।

वार्षिक खेल-कूद समारोह

4.31.8.5 20 जनवरी 2010 को विनय मार्ग खेल के मैदानों पर वार्षिक खेलकूद समारोह हुआ जहाँ विभिन्न खेलकूद विधाएं जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, लम्बी कूद, डिस्कस थ्रो, जेबलिंग थ्रो, हैमर थ्रो आदि विभिन्न युवा और अग्रणी युवा और महिला दोनों के लिए आयोजित किया गया। बच्चों की दौड़ भी आयोजित की गई। विशेष विधाएं जैसे म्यूजिक

चेयर, लेमन रेस भी महिलाओं और बच्चों के लिए आयोजित की गई। चिकित्सा सहायता की व्यवस्था भी की गई ताकि किसी अनपेक्षित घटना का सामना किया जा सके। क्लब का एक पुनर्संशोधित ध्वज संयुक्त सचिव (प्रशासन) श्री टी.के. पाण्डे द्वारा फहराया गया।

आंतरिक खेलकूद स्पर्धाएं

4.31.8.6 पिताम्बर पंत ट्राफी के लिए आंतरिक टेबल टेनिस खेलकूद और आंतरिक टेबल टेनिस और वार्षिक नॉक आउट्स दोनों एकल और डबल तथा कैरम और वार्षिक नॉक आउट्स एकल और डबल सफलता के साथ संबंधित कप्तान और उपकप्तान द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित कराए गए। श्री सतीश गुनियाल ने अपने स्वर्गीय भाई श्री हरिश गुनियाल के याद में एक ट्रॉफी का दान दिया। यह टेबल टेनिस के लिए एक रनिंग ट्रॉफी होगी।

4.31.8.7 कल्ब के सर्वोत्तम प्रयास के बावजूद भी उचित कोट के अभाव में बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित नहीं की जा सके।

भ्रमण दौरे

4.31.8.8 22-25 जनवरी 2010 के दौरान क्लब ने शिमला का एक भ्रमण दौरा आयोजित किया। रहने की व्यवस्था ग्रॉड होटल शिमला में की गई सहभागियों ने कुफरी और जाखू मंदिर का दौरा किया और हिमाचल प्रदेश के मनोरम दृश्यों का लाभ उठाया और इस दौरे की सराहना की। 16 से 19 अप्रैल 2010 के दौरान नैनीताल का एक अन्य भ्रमण दौरा भी किया गया तथा उनके ठहरने की व्यवस्था की गई। सहभागियों ने भीमताल, नौखुशिया ताल और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा किया। सहभागियों के लिए इस दौरे को यादगार बनाने के लिए सभी प्रयास किए गए। सभी ने इस यात्रा का आनंद उठाया और उसकी सराहना की।

वार्षिक समारोह

4.31.8.9 योजना आयोग का वार्षिक समारोह 9.6.2010 को कमरा कक्ष सं. 122, योजना भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। श्रीमती सुधा पिल्ले, सदस्य सचिव, योजना आयोग इसमें मुख्य अतिथि थी और श्री टी.के. पाण्डे, संयुक्त सचिव, प्रशासन, गेस्ट ऑफ ऑनर थे। मुख्य अतिथि और गेस्ट ऑफ ऑनर द्वारा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में विजयी रहे कार्मिकों को पुरस्कार प्रदान किए गए तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए योजना आयोग के कलाकारों को सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए भी पुरस्कृत किया गया। इस समारोह के कार्यक्रमों की सभी के द्वारा प्रसंशा की गई।

4.31.9 कल्याण एकक

4.31.9.1 योजना आयोग की कल्याण इकाई कर्मचारियों के कल्याण संबंधी कार्य देखती हैं। इसके द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों को आस्था मेडिकल सेंटर के माध्यम से प्राथमिक उपचार सहायता उपलब्ध कराई गई। 19 नवम्बर, 2010 को आस्था मेडिकल सेंटर के बंद हो जाने पर कल्याण इकाई ने आयुर्वेदिक परामर्श सेवाएं तथा योजना आयोग के कर्मचारियों का नियमित रूप से 19.4.2010 से 4 से 5 बजे के दौरान दवाइयों का वितरण भी किया।

4.31.9.2 आपात स्थिति जैसे - दुर्घटना/अन्य स्थितियों में कर्मचारियों को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाती है और उन्हें चिकित्सा हेतु अस्पताल भी ले जाया जाता है। योजना आयोग के प्रतिनिधि के रूप में सहायक कल्याण अधिकारी विषम परिस्थिति में मरने वाले कर्मचारियों के परिवारों से मिलने भी जाते हैं और यथासंभव सहायता भी उपलब्ध कराते हैं। कल्याण एकक मृतक के परिवार को तुरंत अंतरिम सहायता पहुंचाती

है, जो योजना आयोग में कार्यरत थे और विषम परिस्थिति में मर जाते हैं। कल्याण एकक योजना आयोग की कर्मचारी कल्याण निधि समिति के सदस्य की मृत्यु पर उनके परिवार को तुरंत रु. 25,000 की वित्तीय राहत पहुंचाती है। इसके अलावा चिकित्सा सहायता के लिए रु. 4000 योजना आयोग के कर्मचारी कल्याण निधि समिति के सदस्यों को प्रदान किए जाते हैं। विषम परिस्थिति में मरने वाले कर्मचारियों के लिए कार्यालय में शोक सभाएं आयोजित की गई। यह अधिवर्षिता की आयु पर सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों के लिए विदाई पार्टी भी आयोजित करती है। कल्याण एकक कार्यालय के कर्मचारियों को वैयक्तिक और इंटर - वैयक्तिक मामलों में उनके परिवारों और उनके आवास पर परामर्श भी दती है। कल्याण एकक की जिम्मेदारी है कि वह प्लानिंग क्लब को प्रति वर्ष कर्मचारियों के लिए खेलकूद, साहित्यिक/सांस्कृतिक/भ्रमण दौरों के लिए सहायता अनुदान उपलब्ध कराए।

4.31.9.3 इसके अलावा, कल्याण एकक निम्नलिखित राष्ट्रीय दिवसों का आयोजन भी करती हैः-

- शहीद दिवस
- आतंक विरोधी दिवस
- सद्भावना दिवस
- कौमी एकता दिवस
- झंडा दिवस और साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए निधि की व्यवस्था।
- सशस्त्र बल झण्डा दिवस और निधि जुटाने की व्यवस्था।

4.31.9.4 इसके अलावा मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान 1 जनवरी, 2010 से जनवरी, 2011 के दौरान कल्याण एकक ने निम्नलिखत गतिविधियां/ समारोह आयोजित किए हैं -

- खेल कूद
- चिकित्सा सहायता/फर्स्ट एड, अस्पताल भेजना आदि
- सेवा निवृत्त होने वाले कार्मिकों को विदाई सभाओं का आयोजन।
- शोक सभाओं का आयोजन।
- कौमी एकता, सद्भावना, आंतक विरोधी दिवस आदि का आयोजन आदि
- सशस्त्र बल झण्डा दिवस, कौमी एकता झण्डा दिवस पर निधि जुटाना।
- अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए योजना आयोग के आस्था चिकित्सा केंद्र पर स्वास्थ्य/ जांच शिविरों का आयोजन।

योजना आयोग क्लब

4.31.9.5 कर्मचारियों में खेलकूद, साक्षरता और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रसार को बढ़ाने की दृष्टि से एक योजना आयोग क्लब स्थापित किया गया है। सचिव/सदस्य-सचिव, योजना आयोग इस क्लब के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इस क्लब की गतिविधियों का प्रबंधन एक कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है जिसका चुनाव प्रतिवर्ष क्लब के सदस्यों द्वारा किया जाता है 30 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार योजना आयोग क्लब के कुल सदस्यों की संख्या 449 थी जबकि योजना आयोग के स्टॉफ की कुल संख्या (पीईओ/पीएओ) को मिलाकर 1 अप्रैल, 2010 को 1338 थी। प्रति सदस्य वार्षिक सदस्यता शुल्क रु. 20 रखा गया है। वर्ष 2010-11 के लिए जीएफआर नियम संख्या 215 के दिशा निर्देशों के अनुसार कुल 7,58,807 रुपए मंजूर की गई थी।

4.31.9.6 क्लब के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

- योजना आयोग में कार्यरत कर्मचारियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना।
- बहिरंग खेलों आंतरिक खेलों और अन्य प्रकार के मनोरंजन के लिए सुविधाएं मुहैया कराना।
- सामान्य रूचि के मामलों के लिए विचार-विमर्श हेतु मंच प्रदान करना।
- उपर्युक्त लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उनके अनुकूल अन्य गतिविधियां शुरू करना या कार्यकारी समिति द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयों के अनुसार गतिविधियां आयोजित करना।

4.31.9.7 1 अप्रैल, 2009 से जनवरी 2010 के दौरान योजना आयोग क्लब ने निम्नलिखित सपोर्टिंग/भ्रमण दौरों में भाग लिया।

- 6 से 11 अप्रैल, 2009 के दौरान जयपुर, अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा, उदयपुर और माउंटआबू के भ्रमण दौरे किए गए।
- 22 से 25 जनवरी, 2010 के दौरान क्लब ने शिमला का भ्रमण दौरा आयोजित किया। सहभागियों ने कुफ्री और जाखू मंदिर का दौरा किया और हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक मनोरम दृश्य और वातावरण का आनंद उठाया।
- 16 से 19 अप्रैल, 2010 के दौरान क्लब ने नैनीताल का भ्रमण दौरा आयोजित किया और राज्य अतिथि गृह में ठहरे। सभी सहभागियों ने भीमताल, नौखुशिया ताल और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा किया।

योजना आयोग क्लब का वार्षिक समारोह

4.31.9.8 योजना आयोग क्लब का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह 9.6.2010 को 10.30 बजे समिति कक्ष संख्या 122, योजना भवन में श्रीमती सुधा पिल्लै, सदस्य-सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में आयोजित किया गया जिसमें श्री टी.के. पाण्डे ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लेते हुए 2009-10 के दौरान विभिन्न खेल स्पर्धाओं के विजयी कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह में योजना आयोग/पीईओ के सभी अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि/अतिथियों ने सभी सदस्यों की उपलब्धियों की सराहना की और कहा भविष्य में भी इस उत्साह को कायम रखा जाए।

अंतर-मंत्रालयी एक्वाटिक टूर्नामेंट

4.31.9.9 यह खेलकूद 29-30 अगस्त 2009 को आयोजित किया गया और योजना आयोग से श्री ओमप्रकाश ने 2009-10 के दौरान आयोजित अंतर-मंत्रालयी एक्वाटिक टूर्नामेंट में भाग लिया तथा 50 मीटर फ्री स्टाइल दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया एवं 100मी. फ्री-स्टाइल दौड़ में अच्छा निष्पादन दिखाया।

कैरम

4.31.9.10 अंतरमंत्रालयी कैरम टूर्नामेंट में कैरम के 6 खिलाड़ियों की टीम ने भाग लिया जिसमें उन्होंने टीम स्पर्धा और एकल खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया।

4.31.10 चार्ट, मैप और उपस्कर एकक

4.31.10.1 योजना आयोग की चार्टर्स, नक्शा और उपस्कर एकक दैनिक कार्यों और साथ ही विभिन्न बैठकों और संगोष्ठियों के लिए तकनीकी एवं उपस्कर सहायता उपलब्ध कराती है और कार्यालय के अन्य आंतरिक और बाह्य कार्यों के लिए सहायता करती है। एकक के पास निम्नलिखित आधुनिक उपस्कर हैं, जिन से कार्यालय की जरूरतों को पूरा किया जाता है:-

- इन्टरनैट संपर्कता के साथ लैपटॉप।
- बैठकों की अनुसूचियों, प्रस्तुतियों और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रदर्शन के लिए प्लाज्मा स्क्रीन ऑडियो वीडियो प्रणाली।
- रंगीन लैजर प्रिंटर
- स्कैनर्स
- टीवी और वीसीआर
- पेज मेकर 6.5, 7 फोटोशॉप 6,7 और कोरल ड्रॉ सोफ्टवेयर 10,11 एवं 12 सहित पैंटियम-4 कंप्यूटर्स।
- ओवर हैड प्रौजेक्टर्स, स्लाइड प्रौजेक्टर्स।
- कलर फोटो कापीयर्स
- लैमीनेशन मशीन
- हैवी ड्यूटी फोटो कापीयर्स एवं डिजीटल स्कैनर कम प्रिंटिंग मशीन
- स्पायरल बाइंडिंग स्ट्रिप बाइंडिंग और पिन बाइंडिंग के साथ बाइंडिंग मशीन।

4.31.10.2 एकक द्वारा वर्ष 2009-10 के दौरान किए गए प्रमुख कार्यों का सारांश इस प्रकार हैः-

- योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा वर्ष के दौरान प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक योजना, एंजेन्डरिंग सार्वजनिक नीति (प्रमुख अर्थशास्त्रियों के कार्य समूही द्वारा किए गए कार्यों पर एक रिपोर्ट पंचवर्षीय योजना 2007-12), आर्थिक प्रोत्साहन उपायों की समीक्षा हेतु कार्यदल की रिपोर्ट, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के लिए रोजगार पर तकनीकी नोट, श्रम और रोजगार प्रक्षेपण जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के लिए बनाए गए थे पर कार्यसमूह की रिपोर्ट पके हुए मध्याह्न भोजन का निष्पादन मूल्यांकन, सर्व शिक्षा अभियान का मूल्यांकन अध्ययन भारत निर्माण के घटक ग्रामीण सड़कों के मूल्यांकन अध्ययन, राजीव गांध राष्ट्रीय पेयजल मिशन संबंधी अध्ययन त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम पर अध्ययन रिपोर्ट आदि के मुख्य पृष्ठ की डिजायन तैयार की।
- योजना आयोग का संगठनात्मक चार्ट (हिंदी व अंग्रेजी) तैयार किया।
- योजना आयोग द्वारा वर्ष में नियमित रूप से आयोजित बैठकों/सेमिनार जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद पूर्ण आयोग की बैठक अन्य राष्ट्रीय और आंतरिक बैठके जो वर्ष के दौरान योजना आयोग द्वारा की गई और डिस्प्ले कार्ड बनाए।
- भवन, अवसंरचना, चुनौतियों, अवसरों और राज्य राजमार्गों में पीपीपी तकनीकी परामर्शदाताओं के विज्ञापन, विद्युत संचरण में पीपीपी आदि के संबंध में आयोजित संगोष्ठियों के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन हेतु डिजाइन तैयार की गई।
- योजना राज्य मंत्री, उपाध्यक्ष, योजना आयोग, प्रधान सलाहकारों और योजना आयोग के अधिकारियों के उपयोग के लिए बैठकों/सेमीनारों हेतु रंगीन ट्रांसपेरंसीज तैयार कीं।
- हिंदी पखवाड़ा, भारत के विभिन्न भागों में आयोजित हिंदी कार्यशालाओं, राजभाषा संगोष्ठियों और योजना आयोग की विभिन्न अन्य गतिविधियों के लिए हिंदी प्रमाण-पत्रों की डिजाइन तैयार की और उनका मुद्रण किया।
- उपाध्यक्ष, योजना राज्यमंत्री और सचिव के उपयोग के लिए आमंत्रण पत्रों पर कैलीग्राफिक कार्य किया।

- योजना आयोग कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन/पश्चिमी घाट के सेवा निवृत अधिकारियों के लिए पहचान पत्र तैयार किए और उन्हें लैमिनेट किया।
- कार्यालय दस्तावेजों को स्कैन और मुद्रण कार्य ।
- विभिन्न फोटो का स्कैन कार्य।
- योजना भवन में आने वाले आगन्तुकों के लिए तथा कार और स्कूटर पार्किंग के लिए पार्किंग लेबल (स्टीकर्स) तैयार किए।
- हैवी ड्यूटी फोटो कॉपियर, डिजिटल स्कैनर सह प्रिंटर (कलर और मोनो) के प्रापण हेतु विनिर्देश।

4.31.11 सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ (सी एवं आई प्रभाग)

4.31.11.1 योजना आयोग में सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ की स्थापना अक्तूबर, 2005 में की गई थी। यह योजना आयोग के भूतल पर स्थित "सूचना द्वार" में कार्यरत है। योजना आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर अलग से संयोजन "आरटीआई " अधिनियमन का प्रावधान है। सूचना द्वार के विजीटरों/आगन्तुकों की सुविधा के लिए क्वैरीज का समाधान ऑनलाइन किया जाता है। अप्रैल 2010 से जनवरी, 2011 की अवधि तक आरटीआई प्रकोष्ठ में 210 पूछताछ की गईं और जनवरी, 2011 तक 203 का निपटान किया गया।

अध्याय - 5
कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन में निष्पादन मूल्यांकन

5.1 "भारत में आयोजना की अवधारणा शुरू होने से ही वैविध्यपूर्ण भू-जलवायु स्थितियों से युक्त एक विशिष्ट स्थिति में तथा भारतीय राज्यों की बहुविध समाजार्थिक विशेषताओं के चलते कार्यान्वयन के लिए विकासात्मक स्कीमें और कार्यक्रमों की योजना कैसे तैयार की जाए- यह बात योजना निर्माताओं और नीति निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती रही है, जो हमेशा ही सेवा सुपुर्दगी में सुधार करने के बारे में चिंतित रहे। फिर भी, पीईओ के संस्थापकों का एक दूरदृष्टिपूर्ण उद्देश्य मूल्यांकन परिणामों के माध्यम से विकास आयोजना और कार्यान्वयन में सुधार करना था जो विकास स्कीमों और कार्यक्रमों के प्रत्याशित लाभार्थियों की मदद करने में सार्वजनिक हस्तक्षेप के बारे में आधार स्तरीय वास्तविक परिलक्षित करने मात्र था, जिनका उपयोग योजना आयोग और सेवाओं की डिलीवरी में सुधार के लिए किया जाएगा।"

पीईओ का संगठनात्मक इतिहास

5.2 तदनुसार, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों तथा अन्य गहन क्षेत्र विकास स्कीमों का मूल्यांकन करने के विशिष्ट उद्देश्य से योजना आयोग के सामान्य मार्गदर्शन तथा निदेशों के तहत, एक स्वतंत्र संगठन के रूप में अक्तूबर, 1952 में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन स्थापित किया गया था। मूल्यांकन पद्धति को पहली पंचवर्षीय योजना में पद्धतियों और तकनीकों का विकास करके तथा तीसरी योजना (1961-66) और चौथी योजना (1969-74) के दौरान राज्यों में मूल्यांकन तंत्र स्थापित करके और परिपक्व व सुदृढ़ किया गया। विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कृषि, सहकारिता, ग्रामोद्योग, मत्स्य उद्योग, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, सार्वजनिक वितरण, आदिवासी विकास, सामाजिक वानिकी इत्यादि योजना कायक्रमों/स्कीमों के विस्तारीकरण से, पीईओ द्वारा किए जा रहे मूल्यांकन कार्य का धीरे-धीरे अन्य महत्वपूर्ण केन्द्र प्रायोजित स्कीमों तक विस्तार किया गया।

पीईओ के कार्य और उद्देश्य

5.3 कार्यक्रम मूलयांकन संगठन (पीईओ) योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के कहने पर प्राथमिकतापूर्ण कार्यक्रम/स्कीमों का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन अध्ययन, कार्य-निष्पादन, कार्यान्वयन प्रक्रिया, आपूर्ति प्रणालियों की प्रभाविता और कार्यक्रमों/स्कीमों के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए तैयार किए जाते हैं। ये अध्ययन प्रकृति से नैदानिक होते हैं और इनका उद्देश्य ऐसे कारणों का पता लगाना है जिनकी वजह से विभिन्न कार्यक्रम सफल तथा/अथवा असफल हुए और इसके साथ ही मध्यावधिक सुधार करके तथा भावी कार्यक्रमों के बेहतर डिजाइन करना इनका उद्देश्य है।

5.4 सामान्य रूप से पीईओ द्वारा निष्पादित मूल्यांकन कार्य के उद्देश्यों में विकास कार्यक्रमों की प्रकियाओं और प्रभावों का उद्देश्यपरक आकलन, कार्यान्वयवन के विभिन्न चरणों पर सफलताओं और असफलताओं के क्षेत्रों का विनिर्धारण, सफलताओं और असफलताओं के कारणों का विश्लेषण, विस्तार विधियों की जांच तथा उनके संबंध में लोगों की प्रतिक्रिया और नए कार्यक्रमों स्कीमों के निर्माण और कार्यान्वयन में भावी सुधार के लिए सबक सीखना

सम्मिलित है। इस दृष्टि से मूल्यांकन को काफी विशिष्ट और एक ओर प्रगति तथा समीक्षा के विश्लेषण से पृथक और दूसरी ओर स्कीमों और कार्यों के निरीक्षण, चेकिंग और संवीक्षा से पृथक समझा गया है।

सेवा डिलीवरी में सुधार के लिए सहभागी अवधारणा

5.5 पीईओ सीधे प्रेक्षणों नमूना सर्वेक्षणों और समाज विज्ञान अनुसंधान विधियों के माध्यम से बाह्य मूल्यांकन आयोजित करता है। इस प्रकार पीईओ द्वारा आयोजित मूल्यांकन अध्ययन प्रगति की रिपोर्ट करने अथवा प्रशासनिक मंत्रालयों, विभागों में किए जा रहे कार्यों की चेकिंग और संवीक्षा से भिन्न है। फिर भी मूल्यांकन के सभी स्तरों पर योजनाकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों के विचारों को लेने का प्रयास किया जाता है जिससे कि निष्कर्षों और पीईओ के पाठों को और अधिक उपयोगी बनाया जा सके।

पीईओ का संगठनात्मक ढांचा

5.6 पीईओ मुख्यतः एक फील्ड स्तरीय संगठन है जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष के समग्र प्रभार के अधीन है। इसका तीन स्तरीय ढांचा है जिसका मुख्यालय योजना आयोग, नई दिल्ली में है। मध्य स्तर पर क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय है जिनका प्रतिनिधत्व मूल्यांकन कार्यालय द्वारा किया जाता है जबकि इसकी अगली कड़ी फील्ड यूनिट है जो परियोजना मूल्यांकन कार्यालयों के नाम से जाने जाते हैं।

पीईओ मुख्यालय

5.7 पीईओ मुख्यालय में संगठन की अध्यक्षता सलाहकार (मूल्यांकन) द्वारा की जाती है जिनकी सहायता के लिए निदेशक/उपसलाहकार और अन्य सहायक जनसंसाधन प्रत्येक निदेशक/उपसलाहकार अध्ययनों की डिजाइन बनाने, अध्ययन संचालित कराने और पीईओ की क्षेत्रीय इकाईयों के माध्यम से एकत्रित आंकड़ो का विश्लेषण करना है जिसे वे सलाहकार (मूल्यांकन) के समग्र मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में करते हैं।

पीईओ की क्षेत्रीय ईकाईयां

5.8 पीईओ की 15 क्षेत्रीय ईकाइयां -7 क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (आरईओ) और 8 परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (पीईओ) हैं, ग्रामीण और घरेलू स्तरीय प्राथमिक आंकड़ों और विभिन्न कार्यान्वयन तंत्रों जो राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्रामीण स्तर पर स्थित हैं से आंकड़ों का प्रसंस्करण करने के लिए निष्पादन और प्रभाव मूल्यांकन कराने की आवश्यकता है। पीईओ की क्षेत्रीय ईकाईयां प्राथमिक और माध्यमिक आंकड़ों की सुनिश्चितता में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और उनका उपयोग मूल्यांकन अध्ययनों में किया जाता है जो कि नीचली वास्तविक सच्चाई का प्रतिधिनित्व करती है चूंकि मूल्यांकन निष्कर्ष का उपयोग योजनाकारों और नीतिनिर्माताओं द्वारा किया जाता है अतः आंकड़ों की सत्यता सुनिश्चित होनी जरूरी है जिसे उपचार एवं प्रभाव अध्ययन और अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है पीईओ की क्षेत्रीय इकाईयां एकत्रित किए गए आंकड़ों की सत्यता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्षेत्रीय स्तर पर पीईओ का लेआउट संलग्नक में दर्शाया गया है।

पीईओ पुस्ताकालय

5.9 पीईओ मुख्यालय अपनी पुस्तकालय (तकनीकी) का रख-रखाव करता है जहाँ मूल्यांकन तकनीकों हेतु अपनाई जाने वाली संदर्भ पुस्तकें उपलब्ध होती है जो अध्ययनों को डिजाइन करने और उन्हें संचालित करने और अन्य प्रकाशनों से संबंधित मूल्यांकनों के लिए उदाहरण के रूप में उपयोग में लाया जाता है। संदर्भ के उद्देश्य से

मूल्यांकन रिपोर्टों की प्रतियां पुस्तकालय में भी रखी जाती है।

मूल्यांकन के लिए योजना स्कीम

5.10 केन्द्रीय योजना स्कीम नामतः "सरकार में मूल्यांकन क्षमता का सुदृढ़ीकरण" वर्ष 2006-07 के दौरान शुरू की गई जिसके लिए रुपए 8.55 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया था। 2007-08 में इस योजना के लिए बजटीय आवंटन रु. 26 करोड़, 2008-09 में रु. 12 करोड़ 2009-10 में रुपए 12 करोड़ और 2010-11 में 10 करोड़ था। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य नियोजकों/नीतिनिर्माताओं के लिए त्वरित और उपयोगी आकलन सूचना प्रदान करना था विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं के गुणतापूर्ण मूल्यांकन से न केवल सार्वजनिक क्षेत्रक के निष्पादन में सुधार आएगा अपितु उससे अर्थ व्यवस्था, कार्यकुशलता, प्रभावोत्पादकता, धारणीयता और सार्वजनिक क्षेत्रक के निधिकरण के महत्व और विकास हस्तक्षेपों से संबंधित मुद्दों का व्यापक स्तर पर समाधान होगा।

योजना स्कीम के उद्देश्य

- कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) में मौजूदा क्षमताओं को और बढ़ाना और सामान्य रूप से सरकार के भीतर और बाहर विकास क्षमता मूल्यांकन में वृद्धि करना।
- विकास मूल्यांकन पर एक डेटा बेस सृजित करना जो कि विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्ययनों का न केवल एक संचय होगा अपितु मूल्यांकनों, ली गई सीख, सर्वोत्तम प्रणालियों आदि के परिणामों की प्रस्तुति भी देगा जो उपभोक्ता अनुकूल प्रपत्र में होगी।
- पीईओ, योजना के स्रोत व्यक्तियों एवं विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण द्वारा राज्य सरकारों को विशेषज्ञता प्रदान करना।
- मूल्यांकन रिपोर्टों को और अधिक सार्थक, सामयिक और सूचनात्मक बनाना। अद्यतन सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर पैकेजेज का उपयोग करना और मौजूदा कंप्यूटर हार्डवेयर का क्रमोन्नयन

5.11 राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रोटोकॉल का विकास करने, मूल्यांकन क्षमता को सुदृढ़ करने और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के संदर्भ में मूल्यांकन में सुधार करना, पीईओ ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के साथ मिलकर "मूल्यांकन की गुणवता में सुधार पर तकनीकी कार्यशाला" का आयोजन 25-26 जुलाई, 2007 को नई दिल्ली में किया। नीति निर्माता और मूल्यांकन प्रक्टिशनर्स ने विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय संगठनों से इस कार्यशाला में भाग लिया।

पीईओ के लिए विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति (डीईएसी)

5.12 बदलते परिदृश्य को देखते हुए तत्कालीन मूल्यांकन सलाहकार समिति (ईएसी) में सुधार करते हुए और विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति (डीईसीए) के रूप में इसका पुनर्गठन 6 जनवरी, 2010 को किया, जिसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष, योजना आयोग द्वारा की जाती है और उसमें योजना आयोग के सभी सदस्य, मुख्य आर्थिक सलाहकार वित्त मंत्रालय और प्रख्यात अनुसंधान संस्थानों तीन प्रसिद्ध अनुसंधान व्यावसायिक भी इसके सदस्य हैं। सलाहकार (पीईओ) इस डीईएसी के संयोजक हैं। समिति अन्य अतिरिक्त सदस्यों को भी ले सकती और वर्ष में कम से कम दो बार इसकी बैठकें होंगी डीईएसी के विचारार्थ विषय इस प्रकार है:

- देश में मूल्यांकन अनुसंधान के लिए और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) के लिए प्रमुख वैचारिक क्षेत्रों का विनिर्धारण करना।

- पीईओ के लिए वार्षिक योजना, दीर्घावधिक योजना पर विचार और अनुमोदित करना।
- देश में विकास मूल्यांकन अनुसंधान की कोटि का आकलन और मानीटरण करना तथा सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना।
- आयोजना और कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों द्वारा मूल्यांकन निष्कर्षों के अनुपालन का मानकीकरण करना।
- पीईओ और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य मूल्यांकन संस्थानों और साथ ही अन्य शैक्षिक संस्थानों और संगठनों के बीच और अधिक संयोजन विकसित करने के लिए उपाय और साधनों का सुझाव देना जो कार्यक्रमों/स्कीमों और अनुसंधान के मानीटरन और मूल्यांकन के कार्य में लगे हैं।
- सूचना सृजन और उपयोग की विधियों, मानकों और प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय मूल्यांकन नीति के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।
- मंत्रालयों/विभागों, एनजीओ और देश में विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में मूल्यांकन क्षमता विकास के लिए मूल्यांकन संसाधनों का आकलन और उपयुक्त कार्यनीतियों का विकास करना।
- योजनाओं/नीति निर्माताओं के लिए उपयोगी मूल्यांकनकारी सूचना सृजित करने के लिए पीईओ द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी अन्य गतिविधि का सुझाव देना।

स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की स्थापना (आईईओ)

5.13 भारत सरकार बृहद फ्लैगशिप कार्यक्रमों जिसका मानक और पहुँच समय के साथ काफी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री ने 2008 के मध्य राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में एक स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय आईईओ स्थापित करने का सुझाव दिया था, जो इन कार्यक्रमों के परिणामों और प्रभावों का आकलन करेगा। भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए कहा था -

"सरकार के नजदीक एक स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की स्थापना करके योजना आयोग द्वारा अभिप्रेरित फ्लैगशिप कार्यक्रमों की सार्वजनिक जबाबदेही का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। अग्रणी सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संगठनों के साथ मिलकर यह मॉडल नैटवर्क पर कार्य करेगा और साथ में फ्लैगशिप कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करेगा और उसे सार्वजनिक क्षेत्र में रखेगा"।

5.14 उपर्युक्त विजन को हासिल करने के लिए 18 नवम्बर 2010 को आईईओ की स्थापना के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन मिल गया था। आईईओ की भौतिक स्थापना का मामला प्रगति पर है।

आईईओ की मुख्य विशेषताएं

5.15 आईईओ एक पूर्णकालिक महानिदेशक की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र निकाय होगा। यह एक स्वतंत्र शासन इकाई रहेगी, जिसे सीधे योजना आयोग द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।

5.16 आईईओ अग्रणी सामाजिक विपणन अनुसंधानकर्ताओं/अन्य ज्ञान संस्थानों की सेवाएं फ्लैगशिप कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन हेतु लेगा और अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक क्षेत्र में रखेगा।

5.17 योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आईईओ का एक शासी बोर्ड होगा, महानिदेशक (आईईओ) सचिव (योजना आयोग) पीएमओ के प्रतिनिधि, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि, भारत के मुख्य

सांख्यिकीविद्/सचिव सांख्यिकी और दो विशेषज्ञों का चयन विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति (इसके बाद डीईएसी) द्वारा किया जाएगा। आईईओ के महानिदेशक भी डीईएसी के सदस्य होंगे।

पीईओ द्वारा 2010-11 के दौरान प्रकाशित रिपोर्टें

5.18 पीईओ द्वारा आयोजित निम्नलिखित अध्ययनों को योजना आयोग की वैबसाइट सार्वजनिक क्षेत्र पर 2010-11 के दौरान रख दिया गया है।

(i) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)
(ii) हथकरघा बुनकरों के लिए विकेंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम (डीटीपीएचडब्ल्यू)
(iii) भारत निर्माण का सड़क निर्माण घटक
(iv) पका हुआ मध्याह्न भोजन (सीएमडीएम)
(v) राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई)
(vi) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन
(vii) असम और पश्चिम बंगाल में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी)
(viii) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
(ix) ग्रामीण टेलीफोनी
(x) एकीकृत बाल विकास सेवाएं
(xi) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)

2010-11 के दौरान प्रगति पर चल रहे मूल्यांकन अध्ययन

5.19 डीईएसी की प्राथमिकता के अनुसार 2010-11 के दौरान पीईओ द्वारा आयोजित निम्न अध्ययन प्रगति पर चल रहे हैं।

क्र.सं.	स्कीम/अध्ययनों का नाम	स्थिति
1	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)	परामर्शी मूल्यांकन - सह मॉनीटरण समिति (सीईएमसी) का गठन कर लिया गया है।
2	कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम	अध्ययन की डिजाइन तैयार की जा रही है
3	एससी, एसटी और अन्य पिछड़े छात्रों के लिए मैट्रिक बाद के लिए छात्रवृत्ति स्कीम	प्रस्तावित डिजाइन पर चर्चा के लिए सीईएमसी की पहली बैठक आयोजित हो गई है।
4	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष सहायता स्कीम	अध्ययन आउटसोर्स किया जा रहा है
5	असहाय व्यक्तियों हेतु सहायक अनुप्रयोग सामग्री की खरीद हेतु सहायता स्कीम (एडीआईपी)	डिजाइन तैयार कर ली गई है और अध्ययन की डिजाइन पर चर्चा के लिए सीईएमसी की बैठक आयोजित कर ली गई है
6	छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और झारखंड राज्यों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली	अध्ययन आउटसोर्स किया जा रहा है
7	नवोदय विद्यालय समिति का मूल्यांकन (एनवीएस)	डिजाइन तैयार की जा रही है
8	अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन	अध्ययन के डिजाइन तैयार कर ली गई और सीईएमसी की बैठक डिजाइन के बारे में चर्चा हेतु बुला ली गई है
9	लघु सिंचाई	अध्ययन डिजाइन पर चर्चा के लिए सीईएमसी बुला ली गई है

10	सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग	आउटसोर्स की प्रक्रिया हेतु पहल की गई है
11	वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) द्वारा प्रभावित 33 जिलों में 14 विकास कार्यक्रमों पर मूल्यांकन अध्ययन	जिलों की अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है
12	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) पर अध्ययन	अध्ययन का आउटसोर्स कर लिया गया है
13	समग्र साफ-सफाई अभियान (टीएससी) पर मूल्यांकन अध्ययन	आंकड़ा प्रविष्टि का कार्य प्रगति पर है।
14	तिलहन, दाल, ऑयल पॉम और मक्का पर एकीकृत स्कीम	आंकड़ा एकत्रित का कार्य प्रगति पर है
15	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए)	अध्ययन के पर्यवेक्षण और मानीटरण हेतु स्टीयरिंग समिति गठित की गई है
16	किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)	अध्ययन के डिजाइन तैयार की जा रही है

मूल्यांकन निष्कर्षों और सुझावों पर अनुवर्ती कार्रवाई -पीईओ का एक स्पर्शनीय परिणाम

5.20 पीईओ द्वारा निकाली गई मूल्यांकन रिपोर्टें और उसमें लिए गए निष्कर्षों और सुझावों का कार्यान्वयन संबंधित मंत्रालयों/विभागों को करना पड़ता है यह सूचित किया गया है कि पीईओ मूल्यांकन रिपोर्टों के निष्कर्ष और सुझाव कार्यान्वयन मंत्रालय/विभागों द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में शामिल किए गए हैं। कुछ मूल्यांकन रिपोर्ट तो बहुत ही उपयोगी पाई गई है जिन पर कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई कर दी गई है। पीईओ की रिपोर्टों में उल्लिखित निष्कर्ष और सुझावों को समाचार पत्रों द्वारा सरकार के निचले स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उद्धृत किया जाता है।

पीईओ की अन्य गतिविधियां

5.21 योजना आयोग के एसईआर प्रभाग द्वारा आयोजित अध्ययनों के अनुमोदन हेतु योजना आयोग द्वारा गठित समिति के द्वारा लिए गए निर्णयों का अनुपालन किया जा रहा है। पीईओ प्रायोजक अनुसंधान संस्थानों द्वारा तैयार की गई अध्ययन डिजाइनों की जांच करता रहा है।

पीईओ में ई-शासन

5.22 ई-शासन और सूचना प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ बनाने के लिए एक व्यापक प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और कार्यान्वयन के लिए इसे सामान्य प्रशासन को दे दिया गया है। इन प्रस्तावों पर योजना आयोग द्वारा समयबद्ध रूप से कार्यान्वयन किया जाना सुनिश्चित है।

5.23 पीईओ ने राज्य मूल्यांकन संगठनों से भी अनुरोध किया है कि वे भी अपनी मूल्यांकन रिपोर्टें योजना आयोग को ही भेजें ताकि इन रिपोर्टों को परिचालन हेतु इंटरनेट पर डाला जा सके।

पीईओ द्वारा आयोजित सीईएमसी बैठकें

5.24 मूल्यांकन अध्ययनों के पर्यवेक्षण और मॉनीटरण हेतु परामर्श मूल्यांकन-सह-मॉनीटरण समिति (सीईएमसी) गठित कर ली गई है। मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करने के लिए सीईएमसी की

बैठकों में लिए गए निर्णय और सुझाव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं अतः अध्ययन के परियोजना निदेशकों से अनुरोध है कि वे अध्ययन डिजाइन की प्रस्तुति सीईएमसी के सम्मुख करें, ताकि इन अध्ययनों के अंतर्गत अधिकतम उद्देश्यों को कवर किया जा सके।

5.25 2010-11 के दौरान सीईएमसी की निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गई :

- दिसम्बर 2010 में "लघु सिंचाई" पर अध्ययन कराने के लिए सीईएमसी की बैठक बुलाई गई।
- अगस्त 2010 में "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" के अध्ययन हेतु सीईएमसी की बैठक बुलाई गई।
- माह अप्रैल से जुलाई 2010 के दौरान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड राज्यों में "लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली" पर अध्ययन हेतु सीईएमसी की बैठक बुलाई गई।
- जून 2010 में "टीएसपी के लिए एससीए" पर अध्ययन कराने हेतु सीईएमसी की बैठक बुलाई गई।
- दिसम्बर 2010 के दौरान एससी/एसटी और ओबीसी विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक बाद की छात्रवृत्ति स्कीम पर मूल्यांकन अध्ययन हेतु सीईएमसी की बैठक बुलाई गई।
- माह जुलाई 2010 में पीपीपी आधार पर सड़कों के निर्माण संबंधी अध्ययन हेतु सीईएमसी की बैठक बुलाई गई।
- माह नवम्बर 2010 में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण पर अध्ययन हेतु सीईएमसी की बैठक बुलाई गई।
- जुलाई से नवम्बर 2010 के दौरान पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पर अध्ययन के मूल्यांकन हेतु सीईएमसी की बैठक बुलाई गई।
- जुलाई 2010 के दौरान सार्वजनिक-निजी-सहभागिता पर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण के मूल्यांकन अध्ययन हेतु सीईएमसी की बैठक बुलाई गई।
- नवम्बर 2010 के दौरान एडीआईपी पर मूल्यांकन अध्ययन हेतु सीईएमसी की बैठक बुलाई गई।

पीईओ द्वारा आयोजित प्रस्तुति कार्यक्रम

5.26 निम्नलिखित मूल्यांकन रिपोर्टों पर माननीय उपाध्यक्ष, योजना आयोग और संबंधित अध्ययनों के संबंध में गठित परामर्शी मूल्यांकन सह मॉनीटरण समिति के सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुति दी गई है।

(क) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)
(ख) ग्रामीण सड़कें
(ग) पका हुआ मध्याह्न भोजन (सीएमडीएम)
(घ) राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई)
(ङ) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन
(च) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
(छ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)
(ज) एकीकृत बाल विकास सेवाएं
(झ) ग्रामीण टेलीफोनी

पीईओ द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

5.27 पीईओ की रिपोर्टों हेतु क्षेत्र से प्राप्त प्राथमिक आंकड़ों के सतत एवं गहन विश्लेषण की आवश्यकता है मूल्यांकन रिपोर्टें इन आंकड़ों विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है इन रिपोर्टों को और अधिक सार्थक बनाने के लिए एसपीएसएस के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पीईओ मूख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित किए गए। मुख्यालय के आधिकारियों और स्टॉफ तथा क्षेत्रीय ईकाईयों को सांख्यिकीय पैकेज (एसपीएसएस) के प्रचालन का प्रशिक्षण दे दिया गया है।

अनुलग्नक 5.1

क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की रूप-रेखा

क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय (आरईओ) का नाम	संबंधित आरईओ से संबद्ध परियोजना मूल्यांकन कार्यालय (पीईओ)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र जिसके अंतर्गत संबंधित आरईओ/पीईओ आते हैं
1	2	3
I. पूर्व क्षेत्र 1. आरईओ, कोलकाता	पीईओ, गुवाहाटी एवं पीईओ, भुवनेश्वर	1. अरूणाचल प्रदेश 2. असम 3. मणिपुर 4. मेघालय 5. मिजोरम 6. नागालैंड 7. उड़ीसा 8. सिक्किम 9. त्रिपुरा 10. पश्चिम बंगाल 11. अं. एवं नि. द्वीप समूह
II. उत्तर क्षेत्र 2. आरईओ, चंडीगढ़	पीईओ, शिमला	1. हरियाणा 2. हिमाचल प्रदेश 3. जम्मू व कश्मीर 4. पंजाब 5. चंडीगढ़ 6. दिल्ली
III. दक्षिण क्षेत्र 3. आरईओ, चेन्नई	पीईओ, तिरूवनंतपुरम	1. केरल 2. तमिलनाडु 3. लक्षद्वीप 4. पांडिचेरी
IV. दक्षिण मध्य क्षेत्र 4. आरईओ, हैदराबाद	पीईओ, बंगलौर	1. आंध्र प्रदेश 2. कर्नाटक
V. मध्य क्षेत्र 5. आरईओ, जयपुर	पीईओ, भोपाल	1. मध्य प्रदेश 2. छत्तीसगढ़ 3. राजस्थान
VI. उत्तर मध्य क्षेत्र 6. आरईओ, लखनऊ	पीईओ, पटना	1. बिहार 2. झारखंड 3. उत्तर प्रदेश 4. उत्तरांचल
VII. पश्चिम क्षेत्र 7. आरईओ, मुम्बई	पीईओ, अहमदाबाद	1. गोवा 2. गुजरात 3. महाराष्ट्र 4. दादर व नगर हवेली 5. दमन व दीव

अध्याय 6
सतर्कता संबंधी क्रियाकलाप

6.1 योजना आयोग का सतर्कता एकक, सतर्कता संबंधी सभी मामलों पर कार्रवाई करता है जैसे कि समूह क , समूह ख , समूह ग अधिकारियों के संबंध में भ्रष्टाचार, कदाचार और सत्यनिष्ठा की कमी संबंधी मामले। साथ ही यह एकक पदोन्नति के समय सतर्कता संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करता है, बाहरी नौकरियों/पासपोर्टों के लिए, आवेदन-पत्र अग्रेषित करने, स्थानांतरण/सेवानिवृत्त होने आदि पर सतर्कता संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने, योजना आयोग से कार्यमुक्त होने और इसे परामर्श के लिए भेजे गए अन्य अनुशासनात्मक मामलों पर प्रशासन को सलाह देने के लिए भी जिम्मेदार है।

6.2 क्योंकि योजना आयोग एक ऐसा विभाग है जिसका जनता के साथ सीधा वास्ता नहीं पड़ता इसलिए भ्रष्टाचार, कदाचार की गुंजाइश बहुत ही कम रहती है। अप्रैल से दिसम्बर 2010 अवधि के दौरान सतर्कता एकक को प्राप्त हुई जिसमें से तीन शिकायतों पर जांच चल रही है और तीन जांच के बाद बंद कर दिया गया।

यौन उत्पीड़न पर रोक

6.3 भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित मुकदमे 1992 की रिट याचिका संख्या (आपराधिक) 666-07 में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों और मानदंडों के अनुसार योजना आयोग में यौन उत्पीड़न के संबंध में एक शिकायत तंत्र समिति का गठन किया गया। इस विषय पर आचरण नियमावली के संगत प्रावधान, योजना आयोग में व्यापक रूप से परिवर्तित किए गए। अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2010 की अवधि में सीएमसी द्वारा एक प्रकरण पर विचार किया गया जिसे जनवरी 2010 में यौन उत्पीड़न क बारे में सूचित किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट अपेक्षित कार्रवाई के लिए प्रस्तुत कर दी थी। इस संबंध में आरोपित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई नियमानुसार शुरू कर दी गई है।

अध्याय 7
योजना आयोग के संबद्ध कार्यालय

7.1 प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद

7.1.1 दिनांक 11.8.2009 से प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की संरचना निम्न प्रकार है:

डा0 सी0 रंगाराजन, मंत्री पूर्व राज्यपाल, आंध्र प्रदेश	कैबीनेट मंत्री के दर्जे में पूर्णकालिक अध्यक्ष
श्री सुमन के0 बेरी, महा निदेशक, एनसीएईआर	राज्य मंत्री के दर्जे में अंशकालिक सदस्य
डा0 सुमित्रा चौधरी, सदस्य, योजना आयोग	राज्य मंत्री के दर्जे में अंशकालिक सदस्य
डा0 एम0 गोविंदा राव निदेशक, एनआईपीएफपी	राज्य मंत्री के दर्जे में अंशकालिक सदस्य
डा0 वी0एस0 व्यास, प्रोफेसर अमैरिटस, अध्ययन विकास संस्थान, जयपुर	राज्य मंत्री के दर्जे में अंशकालिक सदस्य

7.1.2 ईएसी के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार है :

- प्रधानमंत्री द्वारा इस दिए किसी आर्थिक या अन्य मुदे का विश्लेषण और उस पर सलाह देना।
- बृहत आर्थिक मुद्दों का समाधान करना और उन पर प्रधानमंत्री को अपने विचार देना। यह प्रधानमंत्री या किसी अन्य से यथावति या किसी या संदर्भ भी हो सकता है।
- बृहत आर्थिक विकास और आर्थिक नीति के विवक्षापूर्ण मुद्दा पर प्रधानमंत्री को आवधिक रिपोर्टें प्रस्तुत करना।
- प्रधानमंत्री द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों को देखना।

7.1.3 प्रशासनिक व्यवस्था और बजट

- ईएसी के प्रशासनिक बंदोबस्ती, आयोजना और बजटीय उद्देश्यों के लिए योजना आयोग नोडल एजेंसी

- योजना मंत्रालय के अधीन वर्ष 2010-11 के लिए ईएसी के लिए अलग बजट की व्यवस्था की गई है।

- ईएसी ने विज्ञान भवन एनेक्सी के हॉल (ई) में अपना कार्यालय स्थापित किया है। अधिकारी स्तर पर इसके पास पूर्णकालिक सचिव (भारत सरकार के संयुक्त सचिव के दर्जे के बराबर), अध्यक्ष के पीएस सहित निदेशक दर्जे के दो अधिकारी और उपसलाहकार के दर्जे में एक और एक अनुसंधान अधिकारी के दर्जे में है।

7.1.4 शुरू किए गए कार्य

- संदर्भ शतों के अनुसार ईएसी ने प्रधानमंत्री/प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा संदर्भित किए अनेक मुद्दों पर सलाह दी है। ईएसी द्वारा समाधान किए गए महत्वपूर्ण मुद्दों में शामिल हैं - भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लि., लोह अयस्क के निर्यात पर शुल्क लगाना, कच्चे कपास के निर्यात विलंबन की विवक्षाएं, भंडारण विकास और नियामक प्राधिकरणों के बीच अभिसरण, भेजष मूल्य नियंत्रण आदेश के अंतर्गत मानवीय इन्सूलिन का कीमत निर्धारण भारतीय सांख्यिकी प्रणाली के सुधार संबंधी संदर्भ, कृषि उतर-चढ़ाव के खतरे।

- डॉ. सी रंगराजन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पर एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की गई, जिसकी रिपोर्ट भी प्रधान मंत्री को प्रस्तुत की गई।

- जुलाई 2010 में ईएसी द्वारा इकॉनमिक आउटलुक निकाली गई, जिस विकास परियोजनाओं का स्वतंत्र रूप से आकलन किया गया।

- टिप्पणियों के माध्यम से औपचारिक सलाह पर प्रधानमंत्री को अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर भी अनौपचारिक रूप से सलाह दी है।

- परिषद के अध्यक्ष, उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के भी अध्यक्ष हैं, जो सार्वजनिक खर्च के कुशल प्रबंधन करती है और जम्मू - कश्मीर के लिए कार्य योजना तैयार करने हेतु विशेषज्ञ समिति के भी अध्यक्ष हैं। वह वाणिज्य व्यापार और उद्योग समिति, व्यापार तथा आर्थिक संबंधी समिति, जी-20 के लिए शीर्षस्थ परिषद, जलवायु परिवर्तन संबंधी समिति तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण पर कार्य समूह के भी सदस्य हैं, जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।

- आर्थिक नीति के मुद्दों पर विचार-विमर्श कर और इसके विचारों को ठोस रूप देते हुए, जिन्हें प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करना होता है, के लिए ईएसी की वर्ष में नियमित बैठकें आयोजित की गई।

7.2 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

7.2.1 यूआईडी, 2009 में केन्द्रीय क्षेत्रक के तहत प्रस्तावित एक नई स्कीम है, जिसका लक्ष्य है कि देश के निवासियों को विशिष्ट पहचान प्रदान की जाए। इसकी स्थापना 2009 में योजना आयोग की अधिसूचना के तहत की गई थी। यूआईडीएआई को यूआईडी स्कीम के कार्यान्वयन हेतु योजना और नीतियां तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है, यह अपना अपना डेटाबेस तैयार कर उसका प्रचालन करे, और सतत् आधार पर उसको अद्यतन करते हुए उसकी देखरेख करे। कार्यालय और मुख्यालय और क्षेत्रीय मुख्यालयों के स्तर पर जरूरी बुनियादी सुविधाओं की स्थापना की जाएगी ताकि अवधारणा प्रयोगों के पायलट और प्रूफ (पीओसी) का संचालन किया जा सके। मौजूदा चालू वित्त वर्ष के दौरान

यूआईडीएआई ने निम्नलिखित प्रमुख पहलें शुरू की हैं।

स्कीम के फेज-2 और यूआईडी के प्रथम सेट (आधार) संख्या जारी करने की शुरूआत

7.2.2 यूआईडीएआई ने अपने प्रचालन का फेज-2 शुरू कर दिया है। औपचारिक रूप से 29 सितम्बर, 2010 को महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के थम्भाली गाँव में की गई है। अतः यूआईडीएआई द्वारा भारत की संसद को की गई वचनबद्धता कि इसकी स्थापना के 12-18 माह के बीच (अगस्त, 2010 से मार्च, 2011 के दौरान) यूआईडी संख्या का पहला सैट जारी कर दिया जाएगा, का पालन किया गया है।

7.2.3 इसे राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करने के बाद पूरे देश में पंजीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है, दिसम्बर, 2010 की स्थिति के अनुसार बारह पंजीयकों द्वारा पंजीकरण एजेंसियों के माध्यम से 9 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों यानि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, में पंजीकरण की कार्रवाई शुरू की जा रही है।

7.2.4 यूआईडीएआई ने 220 पंजीकरण एजेंसियों को पैनल पर रखा है, जिनके पास पंजीकरण हेतु काफी व्यापक स्तर पर वित्तीय एवं प्रचालन क्षमताएं हैं । यह सुनिश्चित करने के लिए कि पंजीकरण एजेंसियों बायोमेट्रिक्स और जनांकीकीय विवरण में निर्धारित मामलों का उपयोग करती है, इसके लिए एक व्यावसायिक एजेंसी लगाई गई है, जो प्रशिक्षण और परीक्षण कंटेंट का विकास कर सके। इसी प्रकार पंजीकरण एजेंसियों के प्रचालकों की अभिरूचि और दक्षता सैट्स के आकलन के लिए व्यावसायिक परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी भी नियुक्त की गई है, जो उन्हें प्रमाणित भी करेगी। पंजीकरण एजेंसियों के प्रचालकों का परीक्षण और प्रमाणन को अनिवार्य बनाया गया है।

जरूरी प्रौद्योगिकी अवसंरचना का सृजन

7.2.5 यूआईडीएआई ने सूचना प्रौद्योगिकी के अवसंरचना के सृजन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि यूआईडी स्कीम के फेज -2 के भाग के रूप में 10 करोड़ अनुमोदित पंजीकरण किए जा सके। बेंगलुरू में डेटा सेंटर स्थल किराए पर लिया गया। अप्लीकेशन साफ्टवेयर विकास और अनुरक्षण सहायता एजेंसी तथा बायोमेट्रिक सेवा प्रदाता को दिसम्बर 2010 के अंत तक बोर्ड में शामिल किया गया। 10 करोड़ यूआईडी संख्या रॉल आउट करने के लिए सुविधाएं सृजित की जा रही हैं, जिन्हें प्रबंधित सेवा प्रदाता (एमएसपी) द्वारा प्रप्त किया जाएगा जो बाद में स्थायी केन्द्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी सेटअप के ट्रांजिशन का प्रबंधन करेगी।

पर्याप्त सहायता अवसंरचना का सृजन

7.2.6 यूआईडीएआई ने निवासियों को आधार संख्या की डिलीवर करने के लिए मुद्रण संबंधी लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय डाक के साथ समझौता किया है। एक संपर्क केन्द्र भी स्थापित किया गया है जिससे यूआईडी से संबंधित मुद्दों पर निवासी एक सहायता रेखा और शिकायतों के निराकरण के लिए इसका उपयोग कर सकें।

जाग्रति एवं संचार का विकास

7.2.7 यूआईडीएआई ने बाह्य और मल्टीमीडिया प्रचार के लिए एक जाग्रति और संचार रणनीति तैयार की है। विज्ञापन, प्रचार और प्रचार के सृजनात्मक विकास हेतु एक व्यावसायिक एजेंसी भी नियुक्त की गई है। लोगो और ब्रांड नेम 'आधार' को अंतिम रूप दे दिया गया है। सृजनात्मक तत्वों को हिन्दी और 18 भारतीय भाषाओं में अनूदित किया जा चुका है। सुचना, शिक्षा और संचार संबंधी

गतिविधियों को विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित किया जाएगा और पंजीकरण के कार्य में भी गति आएगी।

विधिक रूपरेखा

7.2.8 मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद विधिक रूपरेखा स्थापित करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण विधेयक 2010 राज्य सभा में 3 दिसम्बर, 2010 को प्रस्तुत किया गया और इसे संसदीय स्थायी वित्त समिति को भेज दिया गया।

वित्तीय समावेशन

7.2.9 यूआईडीएआई वित्तीय संस्थाओं के साथ भागीदारी कर रही है, ताकि उनके माध्यम से पंजीकरण बढ़ाई जा सके और निवासियों को आधार पंजीकरण के दौरान बैंक खाते प्रदान किए जा सकें, जिससे वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल किया जा सके। वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग ने अधिसूचित किया है कि यूआईडीएआई द्वारा निवासियों को दी गई आधार संख्या का पत्र, बैंक की "अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) के मानदंडों को पूरा करेगा, जिससे इन निवासियों के वित्तीय समावेशन का रास्ता प्रशस्त होगा, जिनके पास पहले बैंक के केवाईसी मानदंडों को पूरा करने का कोई साधन नहीं होता था।

7.2.10 आरबीआई द्वारा संस्थापित सूक्ष्म भुगतान अवसंरचना समिति, जिसमें यूआईडीएआई के प्रतिनिधि भी शामिल हैं की सहायता के लिए सूक्ष्म एटीएम अवसंरचना विकसित की गई है जो आधार की सहायता से लेन-देन की कार्रवाई को पूरा करेगी। इसके अलावा यूआईडीएआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ घनिष्ठता से मिलकर सूक्ष्म भुगतानों को सूक्ष्म एटीएम के माध्यम से आधार समर्थित बैंक खातों द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। अवधारणा अध्ययन का एक प्रूफ झारखंड में आयोजित करने की योजना है।

7.2.11 यूआईडीएआई एमएनआरईजीए भुगतानों को भी निवासियों के आधार संख्या से जोड़ने की ओर प्रयास कर रही है और आधार समर्थित बैंक खातों के माध्यम से करने का विचार कर रही है। इस व्यवस्था के लिए भी अवधारणा अध्ययन के प्रूफ झारखंड के सात ब्लॉकों में किए जाएंगे।

ऑन-लाइन प्रमाणीकरण

7.2.12 अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों के अनुपालन में यूआईडीएआई एक सर्वमान्य और लागत प्रभावी ऑन-लाइन प्रमाणन प्रणाली प्रदान करने को इच्छुक है। आधार ऑन-लाइन प्रमाणन रूपरेखा की स्थापना की जा रही है जो अन्य के साथ सत्यापन और आधार का प्रमाणन निवासियों के अन्य प्रकरणों के साथ देखा जाएगा और यह पहचान का प्रमाण होगा। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पहले ही अधिसूचित कर चुका है कि आधार प्रमाणन प्रक्रिया के माध्यम से पहचान और पते की पुष्टि होने के बाद आधार को "पहचान का एक वैध प्रमाण और पते का वैध प्रमाण माना जाएगा।

7.2.13 ऑन-लाइन आधार प्रमाणन पर अवधारणा अध्ययन के प्रूफ शीघ्र ही आयोजित करने की योजना है, जिससे एकल कारक बायोमेट्रिक प्रमाणन बहुउद्देशीय कारक प्रमाणन बन सके तथा कर्नाटक, आंध प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और त्रिपुरा में गैर-बायोमेट्रिक प्रमाणन हो सके। निष्कर्षों के आधार पर प्रमाणन सेवा की नीति को पुष्ट किया जाएगा।

आधार एप्लीकेशन

7.2.14 केन्द्र और राज्य सरकार क विभागों के लिए अब एक नया सेट तैयार किया जा रहा है, जिससे एप्लीकेशन बन सके और आवश्यक अवसंरचना सृजित हो सकें और आधार की क्षमता का लाभ उठाते हुए सेवा डिलीवरी, जवाबदेही और विभिन्न

सामाजिक क्षेत्रकों की स्कीमों में पारदर्शिता लाई जा सके। केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग आधार के साथ एकीकरण के लिए रोडमैप तैयार कर रहे हैं। यूआईडीएआई ने मंत्रालय/विभागों के साथ संपर्क स्थापित करना शुरू कर दिया है, ताकि आधार संख्या की सहायता अप्लीकेशन लिवरेजिंग विकसित की जा सके। आधार समर्थित लेन-देन और अवसंरचना सृजित की जा रही है, ताकि विभिन्न समाजिक क्षेत्रक की सेंवाओं की डिलीवरी में सुधार हो सके।

7.3 सार्वजनिक सूचना अवसंरचना और नवप्रवर्तन पर प्रधानमंत्री के सलाहकार का कार्यालय

सार्वजनिक सूचना अवसंरचना (पीआईआईआई)

7.3.1 पीआईआईआई पर प्रधानमंत्री के सलाहकार का कार्यालय देश में ब्रॉडबैंड समर्थित संपर्कता और इंटिग्रेटिंग की आईसीटी प्लेटफार्म्स के माध्यम से सूचना अवसंरचना के विकास हेतु योजना के सृजन में लगा हुआ है। इन प्रयासों के भाग के रूप में ग्रामीण ब्रॉड बैंड संपर्कता के माध्यम से देश की 250,000 पंचायतों में 3 वर्षों में पहुंचाने के लिए एक योजना तैयार की है।

नवप्रवर्तन

7.3.2 भारत में नवप्रवर्तनों के लिए रोडमैप तैयार करने हेतु समावेशी विकास पर जोर देते हुए इस कार्यालय ने एक राष्ट्रीय नवप्रवर्तन परिषद सलाहकार की अध्यक्षता में स्थापित की है। प्रत्येक राज्य में नवप्रवर्तन परिषदें, क्षेत्रकीय नवप्रवर्तन परिषदों को स्थापित करने और केन्द्र सरकार के मंत्रालयों से संपर्कता का मामला प्रगति पर है। यह क्रास-कटिंग प्रणाली पारस्परिक रूप से रिफोर्सिंग नीतियां प्रदान करेगी और देश में नवप्रवर्तनों के निष्पादन के लिए सिफारिशें भी करेगी एवं इन्हें राष्ट्र स्तर पर नवप्रवर्तनों के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए जरूरी सामग्री भी उपलब्ध कराएगी। एनएलएनसी पीपीपी मॉडल पर एक समावेशी नवप्रवर्तन निधि के सृजन हेतु प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में अग्रसर है जिसकी आरंभिक राशि सरकार से ली जाएगी, जिसके लिए जो प्रतिमान उद्यमों और पहलों के लिए फंड बॉटम का कार्य करेगी। इसका लक्ष्य उद्यमों को प्रोत्साहित करना है जो उत्पादों, प्रक्रियाओं एवं बिजनेस मॉडल में नवप्रवर्तन करेंगे और सफलता के साथ लाभ कमाएंगे एवं कारोबारी उत्कृष्टता स्थापित करेंगे, जिसका ट्रांसफार्मेशनल समाजार्थिक प्रभाव पड़ेगा। एक राष्ट्रीय नवप्रवर्तन पोर्टल भी स्थापित किया जा रहा है जो एक रिपोजिटरी-साधन होगा या लोगों के लिए एक नवप्रवर्तन या प्लेटफार्म का कार्य करेगा, जहां वे पारस्परिक रूप से सहयोग एवं विनिमय कर सकते हैं।

संलग्नक I
सी एवं एजी : ऑडिट टिप्पणियां

1. वर्ष 2008-09 के लिए रिपोर्ट सं. 1

अनुबंध - VIII ख के साथ पठित पैरा 8.4 उस विवरण से संबंधित है जो विभिन्न अनुदानों/समायोजनों के अंतर्गत रु. 100 करोड़ या अधिक बचत को दर्शाता है।

- वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान विभिन्न अनुदानों क्रम सं. 26 पर, मांग सं. 73, योजना मंत्रालय के अंतर्गत कुल बचत रु. 554.01 करोड़ थी।

अनुबंध – VIII-I के साथ पठित पैरा 8.15 जो अवास्तविक बजटीय अनुमानों (10 करोड़ रुपए या इससे अधिक बचत दर्शाता है और वह बजटीय प्रावधानों का 40% से अधिक बनता है विवरण से संबंधित है।

- वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान उपशीर्ष 2203.800.18 पीपीपी के माध्यम से दक्षता विकास में नई पहल (क्र.सं. 126) रु. करोड़ के बजटीय प्रावधानों में शून्य थी, जो बजट प्रावधनों के अनुसार 100% थी।
- वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान अव्ययकृत प्रावधान उपशीर्ष 3475.00.800.71 - सरकार में मूल्यांकन क्षमता का सुदृढ़ीकरण, क्र.सं. 127) रु. 1200 के बजटीय प्रावधानों की रु. 10.59 करोड़ थी, जो कि बजट प्रावधानों की 88% थी।
- 2008-09 के दौरान उप शीर्ष अव्ययकृत प्रावधान 3475.00.800.82 - राष्ट्रीय राज्य और जिला स्तर पर योजना प्रक्रिया में सहायता, क्र.सं. 128) रु. 20.00 करोड़ के बजट प्रावधानों शून्य थी,जो कि 100% बजट प्रावधानों के अनुमान था।
- वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान व्ययकृत प्रावधान उपशीर्ष 3475.00.83 योजना लेखांकन और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली क्र.सं. 129 रु. 16.89 करोड़ के बजट प्रावधानों की 16.70 रु. करोड़ थी, जो कि बजट प्रावधानों का 99% है।
- वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान उपशीर्ष 3475.00.800.84 - आईएएमआर को अनुदान सहायता क्र.सं. 130) की अव्ययकृत बचत बजट प्रावधानों रु. 20.00 करोड़ में शून्य थी, जो कि बजट प्रावधानों का 100% है।
- वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान उपशीर्ष 3601.03.431.02 राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर योजना प्रक्रिया में सहायता क्र.सं. 131) में अव्ययकृत प्रावधान रु. 175.00 करोड़ के बजट प्रावधान में शून्य थी, जो बजट प्रावधानों की 100% है।

2. 2009-10 की रिपोर्ट सं. 23

अनुबंध- VIII के साथ पठित पैरा रूप बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों से संबंधित है।

- अनुबंध- VIII के साथ पठित पैरा 1.4 दर्शाता है कि मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार मार्च 2008 तक जारी रु. 27.96 करोड़ के अनुदान के संबंध में 14 उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे, जिन्हें मार्च, 2009 तक भेजना अपेक्षित था।

योजना आयोग संगठन चार्ट

भारत सरकार

15.02.2011 की स्थिति के अनुसार

1. पदनाम

पीआर.एडीवी	प्रधान सलाहकार
एसआर.परामर्शदाता	वरिष्ठ परामर्शदाता
एसआर.एडीवी.	वरिष्ठ सलाहकार
एडीवी.	सलाहकार
जेटी.एसईसीवाई	संयुक्त सचिव
एएस एंड एफए	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार

2. विषय

एडीएमएन.	प्रशासन
एजीआरआई.	कृषि
ए.पी.	आंध्र प्रदेश
बीआरजीएफ	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
सीएसीपी	कृषि लागत एवं मूल्य आयोग
सीए एंडसीसी	कार्पोरेट मामले एवं प्रतिस्पर्धा आयोग
सीएंडआई	संचार एवं सूचना
सीओएम.	वाणिज्य
डीपीपी	विकास नीति एवं भावी योजना
डीपीपीआरएसएपी	विकेन्द्रीकृत आयोजना, पंचायती राज एवं विशेष क्षेत्र कार्यक्रम
ईडीयू	शिक्षा
ई एंड एफ	पर्यावरण एवं वन
एफआर	वित्तीय संसाधन
एचआरडी	मानव संसाधन विकास
एचयूए	आवास एवं शहरी मामले
आईडीए	द्वीप विकास प्राधिकरण
आईएएमआर	जनसाधन अनुसंधान संस्थान
आईसीटी	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
आईईएम	अन्तरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रबंधन
आईई	अन्तरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था
आईईपी	एकीकृत उर्जा नीति
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आई एंड बी	सूचना एवं प्रसारण
के एंड वी आई	खादी एवं ग्राम उद्योग
एलईएम	श्रम, रोजगार एवं जनसाधन
एम.पी.	मध्य प्रदेश
एमएएच.	महाराष्ट्र
एनसीटी	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनई	पूर्वोत्तर
ओएल	राजभाषा
ओ/ओ डीसीएच	उपाध्यक्ष कार्यालय
पीएएमडी	परियोजना मुल्यांकन एवं प्रबंधन प्रभाग
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीसीएमडी	योजना समन्वय एवं प्रबंधन प्रभाग
पीसीआरडी	क्षेत्रीय विकास हेतु नीति और समन्वय
पीईओ	कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन
पीपीपी	सार्वजनिक निजी भागीदारी
आरडी	ग्रामीण विकास
आरएसवीवाई	राष्ट्रीय सम विकास योजना
एसईआर	समाजार्थिक अनुसंधान
एसएमई	लघु एवं मध्यम उद्यम
एसपीआई	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मूल्यांकन
एसजे एंव एसडब्ल्यू	सामाजिक न्याय एवं सामाजिक कल्याण
एसपी–सी	राज्य योजना–केन्द्रीय
एसपी–ई	राज्य योजना–पूर्व
एसपी–एनई	राज्य योजना–पूर्वोत्तर
एस एंड टी	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
एसपी एंड एडीएम	राज्य योजना एवं प्रशासन
एससीओआई	अवसंरचना समिति सचिवालय
टीपीटी	परिवहन
टीआरपी	सुनामी पुनर्निर्माण योजना
वीएसी	स्वैच्छिक कार्य प्रकोष्ठ
वीओसी.ईडीएन.	व्यवसायिक शिक्षा
वीएसई	ग्राम एवं लघु उद्योग
डब्ल्यू सीडी	महिला एवं बाल विकास
डब्ल्यू ई	महिला सशक्तिकरण
डब्ल्यूआर	जलसंसाधन
टीएफएस	कौशल कार्यदल
टीए	जनजातीय मामले

सारांश

अध्यक्ष	-	1	एएस एंड एफए	-	1
उपाध्यक्ष	-	1	वरिष्ठ सलाहकार	-	7
राज्यमंत्री	-	1	वरिष्ठ परामर्शदाता	-	2
सदस्य	-	8	परामर्शदाता	-	2
सदस्य सचिव	-	1	सलाहकार	-	29
प्रधान सलाहकार	-	2	संयुक्त सचिव	-	1
			कुल	-	56